राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या: 14

सोमवार,
20 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। राम-राम सा। प्रश्नकाल।

कोटा की फल सब्जी मण्डी में दुकानों का आवंटन

352. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यही सही है कि फल सब्जी मण्डी कोटा में वर्ष 2010 में कृषक वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, सामान्य महिला एवं विकलांगों के लिए दुकान आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त वर्ग को दुकानों का आवंटन कर दिया गया है? यदि नहीं, तो 7 वर्ष बाद भी दुकान आवंटन नहीं करने के क्या कारण रहे?

(2) क्या उक्त आवंटन प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया है? यदि नहीं, तो उक्त वर्ग को दुकान आवंटन प्रक्रिया में हुई देरी के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त लम्बित प्रक्रिया को कब तक पूर्ण कर कृषक वर्ग को दुकानें आवंटित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि विपणन मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सिविल याचिका संख्या 9723/2010 में स्थगन आदेश पारित होने के कारण आवंटन प्रक्रिया सम्पादित नहीं की जा सकी।

(कृषि विपणन मंत्री)

स्थगन आदेश दिनांक 20.3.13 को खारिज किया गया। तदुपरान्त आवंटन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। इसी मध्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल) 1767/2015 में दिनांक 14.3.2016 को प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में उभय पक्षों की सुनवाई हेतु प्रकरण कार्यालय निदेशक, सुनवाई के पश्चात निर्णय अनुसार ही प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(2.) जी हां। बिन्दु संख्या 1 में वर्णित अनुसार उभय पक्षों को सुनवाई के पश्चात् प्रकरण के अन्तिम निस्तारण के उपरान्त ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) बिन्दु संख्या 1 में वर्णित अनुसार प्रकरण में उभय पक्षों की सुनवाई पश्चात् अन्तिम निस्तारण के उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं 2010 में कोटा फल सब्जी मण्डी में 348 दुकानों के आवंटन के लिए वैकेंसी निकाली गयी। क्राइटेरिया रखा गया कि किसानों को देंगे। किसान में महिला, विधवा महिला, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग का किसान। पूरा का पूरा 348 दुकानों का यार्ड खाली है। 145 दुकानदार यार्ड-वन में काम करते हैं। किसान फल, सब्जी मण्डी में आकर व्यापारी न बन जाए इसलिए कोर्ट में चले गये। सिंगल बैंच के बाद डबल बैंच में चले गये। डबल बैंच ने 14.3.2016 को खारिज कर दिया और डाइरेक्टर को निर्देशित कर दिया कि आप दोनों पक्षों को सुनकर फैसला करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 10.10.2016 को जब किसानों ने डाइरेक्टर को रिप्रजेंटेशन दिया कि कोर्ट का फैसला आये हुए 7 महीने हो गये, हमें न्याय दिलाओ। 10.10.16 को डाइरेक्टर कृषि उपज मण्डी के सैकेटरी को पत्र लिखते हैं कि आपने 7 महीने तक न्यायालय के फैसले से मुझे अवगत नहीं कराया, आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सूचना के अधिकार में 6.10.16 को कृषि निदेशालय से यह पत्र मिलता है कि किसी प्रकार का कोई आवंटन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पर स्टे नहीं है। 2010 की प्रक्रिया को जिसमें विधवा महिलाओं का, किसान महिलाओं का, एससी, एसटी के किसानों का, गरीबों का एक करोड़ रुपये की आवेदन राशि वहां जमा है। 2010 से अब तक आवंटन क्यों नहीं हो रहा है? अधिकारी के स्तर पर इस आवंटन प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है। यह डाइरेक्टर ने माना है, नोटिस दिया है। आप उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? इस विलम्ब के कारण मार्च, 2016 में फैसला होने के बाद अब तक विलम्ब क्यों हुआ? अब कितने दिन में यह आवंटन हो जाएगा, विधवा महिलाओं को, महिलाओं को, एससी, एसटी को? किसान को अपनी फल सब्जी व्यापारी के रूप में यार्ड में बेचने का मौका मिले।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 2010 में फल सब्जी गौण मण्डी कोटा में 349 भूखण्डों का विज्ञापन 21.4.2010 को जारी किया गया था। इसके पीछे एक ही मंशा थी, अचल सम्पत्ति आवंटन नीति, 2015 बनी हुई है, पहले 2010 थी, उसके अंतर्गत द्वितीय चरण के आवंटन की प्रक्रिया यहां संपादित करनी थी। जो विज्ञप्ति निकली उसमें 273 व्यापारियों के साथ 49 सामान्य कृषक महिला, 21 एससी, एसटी कृषक वर्ग की महिलाओं के लिए विज्ञप्ति जारी हुई। इस विज्ञप्ति के बाद 360 के लगभग व्यापारियों ने और 89 के लगभग महिला कृषकों के द्वारा आवेदन किया गया। इसके पश्चात् जयपुर में माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रकरण चला गया। प्रकरण में 2013 तक उसमें स्टे रहा। इस कारण उस अवधि में उसका आवंटन पूरा नहीं किया जा सका। उसके बाद कुछ लोगों के लाइसेंस गलत हैं या सही है इसके बारे में एक शिकायत हुई, शिकायत के बाद में उनको कैंसिल करने का फैसला हुआ। उस बात को लेकर भी डीबी में एक और रिट पिटीशन पेश हुई। उस रिट पिटीशन में अभी जो फैसला 2016 में हुआ उसमें यह डाइरेक्शन दिया गया कि उभय, दोनों पक्षों को सुनकर निदेशक अपने स्तर पर इनका फैसला करे। इसकी 4 अप्रैल तारीख निश्चित की गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से यदि विधिक प्रक्रिया में अड़चन कहीं न आती हो तो 3 महीने के अंतर्गत इस मण्डी का स्थानान्तरण करने की कार्यवाही हम लोग करेंगे।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

दूसरा विषय यह है कि मण्डी के द्वारा यह भी प्रस्ताव पास किया है, चूंकि यह मण्डी अभी वर्तमान में फल सब्जी गौण मण्डी कोटा शहर क्षेत्र में आ गयी। शहर क्षेत्र में आने से वहां का जो रोड है, 20 फीट के लगभग चौड़ा वे बताते हैं और कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में प्रोब्लम होती है। इसलिए इसको रिशिफ्ट करके दूसरे जगह इसको शिफ्ट करें ऐसा प्रस्ताव मण्डी के द्वारा पारित किया गया था। ये दोनों विषय विचाराधीन हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, हम कोशिश करेंगे तीन महीने के अंतर्गत इस सारी समस्या का समाधान करके, यदि लैण्ड का ट्रांसफर करना होगा तो चंद्रसेल में जहां यूआईटी की जमीन है उसको हम लोग लेकर वहां स्थापित करने की कार्यवाही करेंगे। आवंटन प्रक्रिया अब तक नहीं होने का यह भी मुख्य कारण रहा, जब मण्डी के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया कि इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उस मण्डी ने यह माना, क्योंकि अलॉटमेंट का काम मण्डी समिति की आवंटन समिति करती है, राज्य सरकार के स्तर पर नहीं होता। फिर भी हम लोग यह कोशिश करेंगे कि या तो जमीन का ट्रांसफर हो जाय जहां पर ये चाहते हैं या फिर इसी मण्डी में यदि करने की आवश्यकता होगी तो मण्डी अपना फैसला जो भी करेगी उसके अनुसार कार्यवाही हम लोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि मण्डी स्थानान्तरण एक अलग प्रक्रिया है। मण्डी स्थानान्तरण में 10 साल भी लग सकते हैं। क्या 10 साल तक वह आवेदक जो अपना एक करोड़ रुपया जमा करा चुका है और उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जितनी दुकानें खाली हैं लगभग उतने ही आवेदन आये हैं, दो-चार कम ही होंगे। उन्हें आवंटन करने में क्या बाधा है? हाई कोर्ट ने साल भर पहले कह दिया कि आप गुणागुण के आधार पर सुनकर कर दीजिए। बाधा क्या है? पहले उसको स्पष्ट करें जो बाधा है। यदि बाधा नहीं है तो आप फिर तय करें कि कितने दिन में आवंटित कर देंगे? विधवा महिलाएं हैं, किसान महिलाएं हैं, एससी, एसटी का किसान है।

श्री अध्यक्ष: बाधा बताइये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही डिटेल में सारी जानकारी आपको दी है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को इतना ही विश्वास दिलाऊंगा मण्डी के ट्रांसफर में कोई प्रोब्लम मण्डी स्तर पर नहीं है। प्रोब्लम जो भी है वह वहां के आजाद मिनी सेल्स संघ, कोटा द्वारा उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया है। मण्डी का जो प्रस्ताव पास हुआ है कि 37.75 हैक्टेयर जमीन है वह यूआईटी देना चाहती है। मण्डी स्तर पर यह फैसला किया गया कि यदि हम मण्डी को ट्रांसफर ही कर रहे हैं तो यहां पर मण्डी आवंटन करके थोड़े दिन के बाद उनको रिशिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए एक बार यह स्थायी फैसला हम लोग कर लेंगे तीन महीने में। अगर ट्रांसफर नहीं करना होगा तो आवंटन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। ट्रांसफर करना होगा तो नई मण्डी में जहां पर यह ट्रांसफर होगी वहां पर इन लोगों को इन महिला कृषकों को, विकलांगों को, एससी, एसटी की महिलाओं को निश्चित रूप से वहां दुकान आवंटित करके इस सारी समस्या का समाधान हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री संदीप शर्मा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, पूरक प्रश्न श्री संदीप शर्मा। संदीप शर्मा को पुकार लिया मैंने।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जयपुर, सीकर, अलवर, अजमेर, कोटा में वैजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अरबन क्लस्टर परियोजना के तहत किसानों को सब्जी उत्पादन प्रोत्साहन हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: क्या संदर्भ इस प्रश्न से?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कृषि सब्जी मण्डी का ही है।

श्री अध्यक्ष: उस सब्जी के लिए जिसका आपने उठाया था।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कृषि फल सब्जी का ही है, फल से संबंधित ही है।

श्री अध्यक्ष: चलो, चलो, आपने कर लिया, जवाब दीजिए माननीय मंत्री महोदय।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, क्या राज्य सरकार इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने का विचार करती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। उत्तर आ रहा है, आप विराजिये। उत्तर आ रहा है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सभी प्लेटफार्मों को डिजिटल करने की योजना थी उसमें क्या प्रगति हुई है ऑन लाइन करने की?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक जी ने जो चाहा कि शहरी सब्जी प्रोत्साहन योजना, जिसकी 2010-11 में शुरुआत की गई थी और 2014-15 में लगभग 12 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत इसका प्रावधान किया गया था। मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी का कि इस वर्ष 2017-18 में भी 13 करोड़ रुपये के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। यदि आवश्यकताओं को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से, जैसा कि 2014-15 में कोटा और अलवर को इसमें नया जोड़ा था और इसी प्रकार से अन्य जो मैट्रोपोलिटन या बड़ी सिटीज हैं वहां से कोई डिमाण्ड होगी तो इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री हीरालाल नागर। यह कोटा से सम्बन्धित है, कोटा से सम्बन्धित सवाल ही आप करेंगे तो मैं जवाब दिलवाऊंगा, बाकी नहीं दिलवाऊंगा।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): कोटा से ही है, साहब, और कोटा से ही मैं हूं और उसी मण्डी में यहां से सरकार द्वारा नॉमिनेटेड हूं, फल सब्जी मण्डी में।

श्री अध्यक्ष: चलो बोलिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आवेदक हैं, अगर मण्डी शिफ्ट होती है और जो आपने कहा है कि उनका वहां भी प्रावधान रहेगा तो निश्चित रूप से यह तो धन्यवाद देना चाहूंगा। परन्तु, माननीय मंत्री महोदय, अभी मण्डियों में प्रशासक लगे

(श्री हीरालाल नागर)

हुए हैं, तो जहां प्रशासक लगे हुए हैं वहां क्या सरकार चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: यह भी आपने व्यापक कर दिया। अब दे दीजिये जवाब आप।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित रूप से समय पर चुनाव हो, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने, 34 वर्षों के बाद हमारी सरकार के द्वारा की गई थी। चूंकि अभी प्रशासक मण्डियों में लगे हुए हैं, 139 हमारी कृषि उपज मण्डी समितियां हैं जिनकी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और निश्चित रूप से इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मण्डी समिति के चुनाव करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। चन्द्रभान जी आक्या, यह कोटा सब्जी मण्डी है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मेरा भी कोटा में चुनाव से सम्बन्धित है साहब कि कोटा मण्डी के चुनाव कब तक करवायेंगे और उसकी तारीख के लिए पूछना था जो हीरालाल जी ने पूछ लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): मेरा कोटा मण्डी से जुड़ा हुआ ही विषय है साहब।

श्री अध्यक्ष: नो-नो, हो गये तीन पूरक प्रश्न। अगला सवाल श्री फूलसिंह मीणा। विराजिये।

दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के तहत प्रदेश के गांव व ढाणियों में विद्युत कनेक्शन

353. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के तहत प्रदेश के गांव व ढाणियों को विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कितना कार्य किया गया व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना से उदयपुर ग्रामीण विधान सभा के कोई गांव,

(श्री फूलसिंह मीणा)

ढाणी व मौहल्ला विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना पूरे प्रदेश में संचालित की जा रही है? यदि हां, तो उक्त योजनान्तर्गत कौन-कौनसे विधान सभा क्षेत्रों में कार्य पूर्ण हो चुका है व कौन-कौनसे में कार्य बकाया है? सरकार की बकाया कार्य पूर्ण करने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (राज्य मंत्री, ऊर्जा के स्थान पर): (1) जी हां। राज्य के सभी 33 जिलों में अविद्युतिकृत गांव/ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना माह अगस्त, 2015 में स्वीकृत की गई थी। साथ ही पूर्व में आर.जी.जी.वी.वाई. 12वें प्लान के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2013 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 27 जिलों की 28 योजनाओं के बकाया कार्यों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित किया गया था।

(2) उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनान्तर्गत वर्तमान में कार्यादेश का आशय पत्र जारी कर दिया गया है तथा विस्तृत कार्यादेश जारी करने का कार्य अन्तिम चरण में है।

(3) उदयपुर जिले में दीया गांव के अतिरिक्त सभी गांव विद्युतिकृत हैं। दीया गांव को विद्युतीकरण आर.आर.ई.सी. के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की 426 ढाणियों का विद्युतीकरण दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित है, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। उक्त योजना में उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की 109 ढाणियां सम्मिलित नहीं हैं। उक्त ढाणियों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। सभी योजनाएं जिलेवार बनाई गई हैं। इसलिए उनकी प्रगति की सूचना विधानसभावार न होकर जिलेवार संकलित की जाती हैं।

12वें प्लान के तहत माह सितम्बर, 2013 में स्वीकृत 27 जिलों की 28 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इस योजना की प्रगति का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माह अगस्त, 2015 में स्वीकृत 33 जिलों की 34 योजनाओं में से 20 योजनाओं के कार्य आदेश/आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं तथा शेष योजनाओं के कार्य आदेश जारी करना प्रक्रिया में है। इस योजना की प्रगति का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है। उक्त योजनाओं की क्रियान्विति कार्यादेश जारी होने के पश्चात दो वर्ष की अवधि में किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया उसी के अन्दर जैसे आज मेरा एक सरूपाल गांव है उसमें 60 वर्षों में आज तक कनेक्शन का कोई उपाय नहीं हुआ। मैंने पिछली विधान सभा में भी इस पाइंट को उठाया था मगर अभी तक उसका कनेक्शन नहीं हुआ। साथ ही आपने बताया कि यह सब इस दीनदयाल ज्योति योजना से जोड़ दिया है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 426 गांव व ढाणियां तो आपने जोड़ दीं और 109 गांव व ढाणियां बाकी हैं। माननीय मंत्री महोदय, इन ढाणियों का भी इसमें प्रस्ताव आ गया होगा। दूसरा, आपने यह भी बताया कि जो दीनदयाल ज्योति योजना के मार्फत् वर्क आर्डर देने के बाद दो साल के कार्यकाल में पूरा कर देंगे और 2015 में यह हो गया था पर हमारे ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में अभी तक वर्क ऑर्डर ही नहीं हुआ तो यह कब तक होगा और कब तक पूरा हो जाएगा? इसके अलावा सरूपाल गांव में कब तक लाइट मिल जाएगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सरूपाल गांव की बात की है, इस गांव को दीनदयाल विद्युत ग्राम योजना में शामिल कर लिया गया है और मार्च 2018 तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि दो वर्ष तक, इनका कार्यादेश देने के पश्चात् दो वर्ष लगेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में अब तक ये दो योजनाएं थीं। एक योजना राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी जिसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्तर्गत पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में काम नगण्य हुआ। उसी योजना को सम्मिलित करते हुए एक नई योजना भारत सरकार ने स्वीकृत की है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। यह योजना 6.8.2015 को भारत सरकार ने स्वीकृत की है। 2819 करोड़ की यह योजना है और मार्च, 2018 तक इस योजना में जो काम प्रस्तावित किए हैं वो पूरे होंगे। अब राजस्थान के अन्दर 3781 ऐसी ढाणियां हैं जिनकी आबादी 100 से कम है, ये आबादियां इन दोनों योजनाओं में कवर नहीं हो रही हैं। 109 ढाणियां, जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया और मैंने प्रश्न के मूल उत्तर में भी कहा है तो ये भी 3781 में शामिल हैं। भारत सरकार के सम्मुख हम जल्दी ही जो शेष बची हुई हमारी ढाणियां हैं 3781, इन ढाणियों के लिए भी हम प्रस्ताव बनाकर लेकर जाएंगे। राजस्थान की सरकार कटिबद्ध है कि राजस्थान के अन्दर 100 से कम आबादी की ढाणियां भी हैं वो सारी की सारी ढाणियां हम विद्यतीकृत करेंगे और मार्च, 2018 के बाद राजस्थान में कोई गांव और कोई ढाणी ऐसी नहीं बचेगी जो विद्युतीकृत नहीं हुई होगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। नो-नो, आप बैठिये। दूसरा पूरक प्रश्न और है। श्री फूलचन्द मीणा। बिलकुल नहीं।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का धन्यवाद मगर मैं पूछना चाहता हूं कि जो गरीब परिवार है उसका एक बच्चा अगर नौकरी लग गया और वो यू.आई.टी. की कन्वर्ट कॉलोनी या एस.डी.ओ. कन्वर्ट कॉलोनी में प्लॉट लेकर अगर मकान बनाता है उसको 23 रुपये से ऊपर वर्ग गज के हिसाब से कनेक्शन चार्ज देना पड़ता है जो उनके लिए भारी पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव है और मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि जब यू.आई.टी. कन्वर्ट करती है या एस.डी.ओ. कन्वर्ट करवाता है उस टाइम पर यह चार्ज लगा दे तो वो गरीब आदमी एक ही बार पैसे दे दे और दुबारा वो जब कनेक्शन लेने के लिए जाए तो ज्यादा भार नहीं पड़े तो क्या सरकार इस योजना के लिए कुछ सोचेगी और उस गरीब परिवार को कनेक्शन देने के लिए राहत प्रदान करेगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि राज्य सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि राजस्थान के अन्दर जितने भी गरीब लोग हैं, विशेष तौर पर जिस योजना के बारे में आपने सवाल किया वो ग्रामीण से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण में इस मार्च, 2018 से पहले-पहले 2 लाख 25 हजार बी.पी.एल. को मुफ्त में कनेक्शन राजस्थान की सरकार देगी और 5 लाख 33 हजार ए.पी.एल. को कनेक्शन देगी। माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो नवीन कॉलोनियां बन गईं उन नवीन कॉलोनियों को विद्यतीकृत करने के लिए कोई प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विद्युतीकरण शुल्क लिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इस पर निगम स्तर पर विचार करेंगे, तर्कों के तर्कसंगत होने पर। अभी वर्तमान में 200 रुपये प्रति वर्ग गज नई कॉलोनियों से शुल्क लिया जा रहा है उसमें मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके बारे में निश्चित तौर पर निगम स्तर पर इस पर विचार करके इसको तर्कसंगत बनाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न डा. फूलचन्द भिण्डा। नहीं, आप बैठिये, नो। मेरे यहां पर लिस्ट आ गई है कम्प्यूटर स्क्रीन पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, तीन पूरक प्रश्न होंगे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दीनदयाल ग्राम कुटीर योजना जो है वह कुछ जिलों में ही लागू हुई है और कुछ जिलों में अभी प्रारम्भ ही नहीं हुई है। दूसरा, बीच में एक मुख्य मंत्री कनेक्शन योजना जो आ गई उसमें 3700 की जगह 10 हजार रुपये ले रहे हैं। तीसरी बात, यह है कि जो बिजली वाले हैं वो मनमाने तरीके से कौनसी भूमि आबादी भूमि है, यह राजस्व का विषय है और नक्शे में खसरा नम्बर के सामने लिखा हुआ है कि यह आबादी भूमि है पर उसको न मानकर वो लिख देते हैं कि मूल आबादी भूमि नहीं है।......

इस प्रकार जो वहां मनमानी चल रही है, उस गरीब आदमी को संदिग्ध लगता है कि उसको लाभ होगा? इस आधार पर इन नियमों को क्लियर किया जाये। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि बाकी शेष जिलों में यह योजना कब तक प्रारम्भ होगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जब यह योजना बनी थी सितम्बर 2013 में आरजीजीवीवाई, यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनी थी। इसमें छह जिले क्रमश: जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर और हनुमानगढ़, इन जिलों का विद्युतीकरण का कोई कार्य सम्मिलित नहीं किया गया था। परन्तु वर्तमान में जो दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना बनी है, उसमें इन जिलों को शामिल किया गया है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पूर्व में मुख्य मंत्री सबको बिजली योजना के अन्तर्गत जो पाँच-पाँच के समूह में आवेदन करने वाली ढाणी हैं, इनका क्या होगा? इन सारी ढाणियों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है और इस योजना के क्रियान्वयन में माननीय अध्यक्ष महोदय, 33 जिलों के अन्दर 46 निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, 17.3.2017 को 42 कार्यादेश दिये जा चुके हैं और शेष गंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, इन चार जिलों की निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं और आपने कहा आबादी भूमि के संबंध में। उसके संबंध में आपने कहा कि कुछ स्तर पर विसंगतियां रहने के कारण से या स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण से कई गांवों में कई तरह की तकलीफ हैं तो मैं आज ही निगम को निर्देश दूंगा, इसके लिए स्पष्टता से आदेश जारी कर दें ताकि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। दूसरा पूरक प्रश्न, श्री बाबू सिंह। श्री बाबू सिंह, दूसरा पूरक प्रश्न। नो नो, अब हो गया आपका पूरक प्रश्न। श्री बाबू सिंह।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में राष्ट्रीय सर्वे 2003 को चयनित ढाणियों को आधार मानकर कनेक्शन किये जा रहे हैं और ऐसे में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 482 ढाणियों का सर्वे नहीं किया गया है, डीपीआर नहीं बनी और वे कनेक्शन होने से वंचित रह रही हैं। अब 100 से कम आबादी वाली ढाणियां जोड़ी जा रही हैं तो वे तो हमेशा के लिए वंचित रह जायेंगी और जो चयनित ढाणियों की डीपीआर बनाई है, उनमें 100 परसेंट विद्युतीकरण करना है, जबकि जहां 25 परसेंट विद्युतीकृत हैं, वहां एक पोल और दो पोल वाले कनेक्शन छोड़ रहे हैं और शेष कर रहे हैं तो 100 परसेंट विद्युतीकरण उनका भी नहीं होगा तो मैं

(श्री बाबू सिंह)

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 482 ढाणियां जो 100 की आबादी से ऊपर थीं, उनका सर्वे करके, डीपीआर बनाकर, बजट देंगे और काम करायेंगे? हमारे प्रधान मंत्रीजी का सपना है कि 2018 तक हर खण्ड विद्युतीकृत हो...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये, विराजिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): ...और जो कार्यादेश हुआ है, वह दो साल में तो 100 से कम वाला होगा तो वह कब होगा? क्या 2018 तक पूरा राजस्थान विधान सभा चुनाव से पहले एक भी ढाणी अविद्युतीकृत नहीं रहेगी, यह आश्वासन दिलायें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बनी, इस योजना में जो मापदण्ड निर्धारित किये गये, उन मापदण्डों में हैं कि गांवों और ढाणियों का विद्युतीकरण और सघन विद्युतीकरण। इसमें कृषि और गैर कृषि कार्य के लिए पृथक्-पृथक् 11 केवी के फीडरों की स्थापना। इसमें साथ में यह भी था कि राज्य के बीपीएल परिवार को नि:शुल्क और एपीएल परिवार को आवश्यक और नियमानुसार शुल्क देना। इसके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक राजस्थान में 104 गांव अविद्युतीकृत हैं, वे भी सम्मिलित किये गये हैं और अब तक जो कुल ढाणियां हैं, उनमें 19,579 ढाणियों को विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है और जिस तरह मैंने पहले कहा, 3,761 ढाणियां ऐसी हैं, जो इन दोनों योजनाओं में शामिल नहीं है। हम जल्दी से जल्दी अलग से इसकी एक स्कीम बनाकर, एक योजना बनाकर भारत सरकार को प्रेषित करेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार से 60 फीसदी राशि हमें मिलती है। इसलिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके और एक भी ढाणी ऐसी नहीं छोड़ेंगे, जो विद्युतीकृत नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, कामिनी जिन्दल। ये पहली बार सवाल कर रही हैं। नहीं, तीन सवाल हो गये।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि जैसा इस योजना के बारे में बताया गया है कि यह जिलेवार या ब्लॉकवार बनाई गई है तो मैंने भी प्रश्न लगाया था, ब्लाकवार जब हम लेते हैं तो इसमें और विधान सभा क्षेत्र भी सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें मेरे पास जो उत्तर आया है, उसके अंदर जो ढाणियों का बताया गया है कि विद्युतीकरण हो गया है, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की कोई भी ढाणी नहीं है तो क्या हम ऐसी मंशा रखते हैं कि इसमें जो सर्वे है, वह विधान सभावार भी थोड़ा सा करायें ताकि सभी विधान सभा क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिल सके, ना कि कुछ ही विधान सभा क्षेत्र तक यह लाभ सीमित रह सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मेरा प्रश्न है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष: बैठिये बैठिये। बिलकुल नहीं। नहीं, नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। No, No, No. I'll not allow. I'll not allow.

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): ...आज तक कैम्प नहीं लगा है साहब, इसके संबंध में सरकार की योजना है, अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं। मैं सक्षम स्तर पर सबको बता चुकी हूं। यह कैम्प लगाने की व्यवस्था करें प्लीज।

श्री अध्यक्ष: हां प्लीज, आप जवाब दीजिये कामिनी जिन्दल का। यह ऐसे यूं ही उठकर बोल दें, यह नहीं। नो, बिलकुल नहीं। इनका हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना अगस्त, 2015 के अंदर स्वीकृत हुई है, यह जिलेवार स्वीकृत हुई थी और इस योजना के अंदर अब तक जिलेवार योजना बनाई गई है पर उस जिले के अंदर भी अलग-अलग तहसील के हिसाब से भी योजना बनी है। माननीय सदस्या को अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो निश्चित तौर पर मैं उन्हें प्रेषित कर दूंगा।

जहां माननीय सदस्या कह रही हैं कि कैम्प नहीं लगे, अगर इस प्रकार से कोई कैम्प से वंचित रह गया है तो, बांदीकुई से आने वाली माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्या, आप लिखकर देंगी तो विशेष तौर पर आपकी विधान सभा क्षेत्र में दुबारा कैम्प लगवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री हीरालाल। अगला प्रश्न।

निवाई के झिराना एवं राहोली में उप तहसील का सृजन

354. श्री हीरालाल (निवाई): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के झिराना एवं राहोली में उप तहसील सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री अमराराम): जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र निवाई में सम्मिलित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त झिराना (तहसील पीपलू) एवं राहोली (तहसील निवाई) उप तहसील बनाये जाने के निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने जवाब दिया कि मानदण्ड में नहीं आता है तो मानदण्ड बताएं, क्या-क्या मानदण्ड हैं आपके?

श्री अध्यक्ष: आपका पूरक प्रश्न हो गया? विराजिये। एक हो गया न, विराजिये।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य श्रेणी के अंदर एक तहसील के अंदर 30 पटवार सर्किल होते हैं और उप तहसील के लिए कम से कम 15 पटवार सर्किल होते हैं। इस प्रकार इनकी जो दोनों को उप तहसील करने की मांग है, उनमें एक में 13 हैं और एक में 12 हैं, इसलिए पटवार सर्किल जितने होने चाहिए, उन नार्म्स में वह आ नहीं रहे हैं और इसके लिए हम और परीक्षण करा देंगे और परीक्षण कराकर, गुणावगुण के आधार पर फिर से विचार करेंगे कि आपके संभव है कि नहीं है भौगोलिक दृष्टि से, वह भी देखकर। इस प्रकार से वह नार्म्स में नहीं आ रहे हैं, इसलिए संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि परीक्षण करा लेंगे। मैं केवल झिराना की बात करता हूं। आप दतवास को छोड़ दो। मैं झिराना की बात करता हूं झिराना में उप तहसील बनाने के लिए, पीपलू उपखण्ड बहुत पिछड़ा हुआ उपखण्ड है और मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आप इसमें लिबरल ही नहीं, अति लिबरल होकर झिराना को उप तहसील बनाने की कृपा करें। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, झिराना में 11 पंचायतें हैं जो यह उप तहसील बनने से लाभान्वित होंगी। चार गिरदावर मण्डल हैं और 52 ग्राम लाभान्वित होंगे और जनसंख्या करीब 40,000 है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या अब तक मानदण्डों के अनुसार ही उप तहसीलें बनी हैं? अगर पूरे राजस्थान में मानदण्डों के अनुसार बनी हैं तो कृपया बतायें कि कौन-कौनसे बिना मानदण्डों के बनी हैं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह सवाल नहीं। आप तो अपने तक ही सीमित रहिये। आप झिराना का जवाब दीजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): यह भी बिना मानदण्डों के क्यों नहीं है? किसके कार्यकाल में बनी है, मुझे यह भी जानकारी है। (व्यवधान) तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहूंगा पुरजोर शब्दों में, झिराना को उप तहसील बनाने के लिए आप कार्यवाही करें और आज ही घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: चलिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही माननीय सदस्य को निवेदन कर चुका हूं कि जिस प्रकार से आप दोनों उप तहसील मांग रहे हो, वहां निवाई के अंदर आलरेडी एक उप तहसील है दतवास और पीपलू के अंदर आप यह मांग कर रहे हो तो वहां पर 35 पटवार सर्किल कुल हैं और उनमें से यदि हम वहां पर 13 ही पीछे रह जाते हैं, कम से कम 30 होने चाहिए। इस प्रकार से भौगौलिक दृष्टि से भी संभव नहीं है और जिसके कारण से मैं पहले आपको कह चुका हूं, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 15 और 16 के तहत हम नवगठित तहसीलें हों, उप तहसीलें हो या उपखण्ड हों, जिले हों, उनका निर्माण करते हैं लेकिन उन नार्म्स के अंदर, नियमों में आपके ये आरआई सर्किल प्लस पटवार सर्किल नहीं आ रहे हैं, इसलिए संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पब्बारामजी, इसमें आप क्या सवाल करेंगे? केवल दो गांव का है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): निवाई से संबंधित ही पूछने वाला हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय निवाई में नयी पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ और उस समय एक पंचायत समिति में दूसरी पंचायत समिति के ग्राम शामिल कर लिये...।

श्री अध्यक्ष: ये पंचायत समिति का नहीं है। विराजिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): रेवेन्यू की दृष्टि से पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: पंचायत समिति कहां बीच में आ गई?

श्री पब्बाराम (फलौदी): रेवेन्यू की दृष्टि से पटवार सर्किलों की बात कर रहा हूं। पटवार सर्किल उस दूसरी पंचायत समिति...।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, ये इससे संबंधित सवाल नहीं है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): हां इसी में है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये आप। सीधा-सीधा सवाल होना चाहिए। अगला सवाल श्री देवेन्द्र कटारा।

डूंगरपुर जिले में मनरेगा कार्यों की बकाया मजदूरी का भुगतान

355. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति डूंगरपुर एवं बिछीवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2016-17 का श्रमिकों के श्रम का भुगतान किस माह तक का कर दिया गया है एवं कब से बाकी है? क्या सरकार द्वारा मनरेगा अधिनियम एवं नियम के तहत समय पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है तथा उक्त योजना के तहत काम मांगने पर काम मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में मनरेगा के नियम-उप नियमों की सख्ती से पालना कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में मनरेगा के नियम-उप नियमों की पालना नहीं करने

(श्री देवेन्द्र कटारा)

वाले कार्मिकों के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना मंत्री) (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति डूंगरपुर एवं बिछीवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2016-17 का श्रमिकों के श्रम भुगतान हेतु माह फरवरी, 2017 के प्रथम पखवाडे तक का एफ.टी.ओ. जारी किये जा चुके हैं।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानानुसार मस्टररोल समाप्ति के 15 दिवस में भुगतान किये जाने का प्रावधान है। पंचायत समिति डूंगरपुर एवं बिछीवाडा में क्रमश: 69 एवं 68 प्रतिशत भुगतान नियत अवधि में किया गया है। योजनान्तर्गत रोजगार की मांग किये जाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के नियम एवं उप नियमों की शक्ति से पालना किये जाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा के नियम-उप नियम की पालना नहीं करने की स्थिति में कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं तथा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत शास्ति आरोपित की गयी है। विलम्बित भुगतान किये जाने की स्थिति में नियमानुसार जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-1

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अप्रैल, 2016 में एफटीओ नं.36458 राशि 7,38,995, एफटीओ नं.36470 राशि 3,93,146 रुपये, एफटीओ नं.36524 राशि 8,21,787 रुपये, एफटीओ नं.36545 राशि 7,91,891 रुपये, एफटीओ नं.36553 राशि 2,16,000 रुपये, एफटीओ नं.36,616 राशि 5,89,824 रुपये और एफटीओ नं.36623 राशि 4,34,416 रुपये कुल मिला करके 29,69,170 रुपये जो वर्ष 2015 का बाकी है और आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह

(श्री देवेन्द्र कटारा)

भुगतान आप कब करेंगे और यह भुगतान नहीं होने के कारणों की जांच करा करके संबंधित कार्मिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? कृपया बतायें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे मूल उत्तर में यह कह दिया था कि फरवरी, 2017 के प्रथम पखवाड़े तक एफटीओ जारी किये जा चुके हैं और मुझे जो विभागीय जानकारी मिली है उसके अनुसार 9 एफटीओ डूंगरपुर पंचायत समिति के बकाया हैं जो 54 लाख रुपये हैं और बिछीवाड़ा पंचायत समिति के 36 लाख के एफटीओ बकाया हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये जो बकाया एफटीओ हैं इसी सप्ताह के अन्दर-अन्दर इनका सबका पेमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि एनईएफएमएस स्कीम जो भारत सरकार की है उसके तहत निरन्तरता से ये श्रम भुगतान लगातार किया जाता रहा है। मैं आज ही निर्देश दूंगा। माननीय सदस्य ने सात अलग-अलग एफटीओ का जिक्र किया है और 2015 का जिक्र किया है कि उनका भुगतान अब तक नहीं हुआ। निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार की बात है तो मैं अधिकारी स्तर पर सचिव स्तर पर इसकी जांच करवा कर माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगा। मेरी जानकारी के अन्दर जब मेरे पास यह उत्तर आया उसमें इस प्रकार की जानकारी मेरे उत्तर में नहीं आयी। माननीय सदस्य, अगर आपके पास कोई विस्तृत जानकारी है तो मुझे दे दें, मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं दूसरा पूरक प्रश्न करूं उसके पहले माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और मेरे पास वो लैटर जो डिमाण्ड का है वह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है कि नरेगा अधिनियम लागू हुआ उस टाइम सभी परिवारों को जॉब कार्ड हमारे जारी किये गये थे। उसके बाद में पंचायती राज के वापस चुनाव होने के बाद में दूसरी पंचायत के कार्मिकों ने उन्हीं परिवारों के नाम से दूसरे जॉब कार्ड जारी कर दिये। अब पहले जारी जॉब कार्ड को फर्जी बताते हुए नये जॉब कार्ड जिनका मजदूरों ने भुगतान प्राप्त नहीं किया है ऐसे जॉब कार्डों को फर्जी बताते हुए उन मजदूरों के

(श्री देवेन्द्र कटारा)

खिलाफ में कार्यवाही करने का जो बीड़ा उठाया है गेड पंचायत ने तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हर बार चुनाव होते हैं और हर बार पंचायतें अपनी मनमर्जी से जॉब कार्ड जारी करती हैं और वो जॉब कार्ड भी उस मजदूर को नहीं देकर के फर्जी मस्टररोल भर कर के और जॉब कार्ड की राशि लैम्प्स के माध्यम से उठाती हैं तो इसकी जांच करा करके कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में कुल 3,16,000 जॉब कार्ड जारी हुए हैं और इनमें से 2,46,000 लोगों को यानी 78 परसेंट को, यह अब तक सर्वाधिक रोजगार दिया गया है और माननीय सदस्य ने यह सवाल खड़ा किया है कि कुछ जॉब कार्ड जो एक ही मजदूर के दो जारी किये गये हैं और उनके आधार पर किसी प्रकार का अनियमित भुगतान उठा लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वैसे तो संभव नहीं है क्योंकि अब सीधा उसके खाते में ही पैसा जाता है, परंतु फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई स्पेसिफिक शिकायत होगी, तो निश्चित तौर पर इस पर जांच करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री मेवाराम जैन।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, तीसरा पूरक प्रश्न नहीं।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): एक ही है और इसी से रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। बैठिये। आप कर चुके दो प्रश्न।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा।

श्री अध्यक्ष: मैंने पुकार लिया है मेवाराम जी जैन को। अब नहीं आएगा, आप बैठ जाइये। श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि महात्मा गांधी नरेगा में लेबर के साथ बाड़मेर जिले का मैटेरियल का कितना भुगतान बकाया है, कितने महीनों से बकाया है?

श्री अध्यक्ष: यह बाड़मेर से संबंधित नहीं है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह तो पूरे राजस्थान का है।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। बाड़मेर इसमें नहीं है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पूरे राजस्थान का है और कब तक करेंगे?

श्री अध्यक्ष: नहीं, विराजिये। अलग से मिल लेना आप।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): गत 6 महीनों से पेमेंट नहीं हो रहा है मैटेरियल का तो उसकी वजह से काम पूरे बाड़मेर जिला का सफर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री नारायण सिंह देवल। रिलेवेंट सवाल कीजिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा के अन्दर 'अपना काम अपना खेत' के तहत व्यक्तिगत तीन लाख का लाभ दिया जाता है तो इसमें एससी/एसटी और बीपीएल को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: यह रिलेवेंट नहीं है सवाल। विराजिये आप। श्रीमती शकुंतला रावत, आप सवाल करेंगी? मैंने आपको अलाउ किया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम कार्ड बनाने में वर्तमान में जो परेशानी आ रही है साइट बार-बार नहीं खुलती है परेशान हो रहे हैं नरेगा वाले मजदूर।

श्री अध्यक्ष: यह भी रिलेवेंट नहीं है। पंचायत समिति डूंगरपुर, बिछीवाड़ा। विराजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): तो वहीं के ले लो आप। पूरे राजस्थान का है इसमें प्रदेश लिखा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री रामलाल।

खाद्य सुरक्षा सूची से हटाये गये नामों को पुन: जोड़ने की प्रक्रिया

356. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खाद्य सुरक्षा सूची में प्रदेश के कितने व्यक्ति सूचीबद्ध हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में खाद्य सूची में से नाम हटाये गये हैं? यदि हां, तो कितने व नाम हटाने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि हटाये गए नामों में कुछ नाम ऐसे हैं, जो गलत हटाए गए हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने नामों को वापस खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा गया? नाम जोड़ने की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) खाद्य सुरक्षा सूची में वर्तमान में 44071003 व्यक्ति सूचीबद्ध हैं। विधान सभा क्षेत्रवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बजट घोषणा 2014-15 की पालना में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स से प्राप्त निर्देशों की पालना में चयनित लाभार्थियों के सत्यापन कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के पास प्रमाणित दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण खाद्य सुरक्षा की सूचियों से कुछ नाम पृथक् किये गये थे तथा पात्रता रखने वाले व्यक्तियों के नाम जोड़े भी गये हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। इस हेतु अपनायी गई प्रक्रिया (टॉस्क फोर्स की बैठक दिनांक 04.08.2014 के कार्यवाही विवरण एवं आदेश दिनांक 10.02.2015) की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त योजना के अन्तर्गत पूर्व में चयनित व्यक्तियों के सत्यापन कार्यक्रम के दौरान प्रमाणित दस्तावेजों के अभाव में निष्कासित किये गये व्यक्तियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। साथ ही सत्यापन कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित क्षेत्र (टी.एस.पी.क्षेत्र) के आठ जिलों में वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 9.37 लाख पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ा गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम जिला	टी.एस.पी.क्षेत्र में नवीन चयनित पात्र व्यक्ति
1.	बांसवाड़ा	249139
2.	डूंगरपुर	162952
3.	प्रतापगढ़	81895
4.	राजसमन्द	5400

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

5.	उदयपुर	376533
6.	बारां	28773
7.	पाली	9566
8.	सिरोही	23068
	योग-	937326

(3) जी नहीं। खाद्य सुरक्षा सूचियों में से किसी भी पात्र लाभार्थी के नाम नहीं हटाये गये हैं। चयनित लाभार्थियों के सत्यापन कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के पास प्रमाणित दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण खाद्य सुरक्षा की सूचियों से निष्कासित किया गया है।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन हेतु अपीलीय प्रक्रिया लागू है, जिसके अन्तर्गत पात्र व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना-पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 05.11.2015 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने खाद्य सुरक्षा सूची में वितरण प्रणाली को सुधारने के लिये पोस मशीनों से वितरण प्रक्रिया शुरू की है, पहले तो आप मुझे यह बता दो कि पोस मशीनों से वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई उससे पहले जयपुर जिले में प्रतिमाह कितना खाद्य वितरण हो रहा था और पोस मशीनों के वितरण के बाद से अभी कितना वितरण हो रहा है, नंबर एक। इसी के साथ आप यह भी बताये कि कई पोस मशीनों के वितरण के बावजूद भी जो बदमाशियां डीलर कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कल की घटना है ग्राम पंचायत देवलीया, डीलर का नाम गोपाल, एक शंकर लाल शर्मा लाभार्थी था, हरध्यानपुरा ग्राम पंचायत है, यह उसके पास तेल लेने के लिये गया। उससे अंगूठा लगवाया, अंगूठा लगाने के बाद कहा कि आपका अंगूठा

(श्री रामलाल शर्मा)

सही नहीं है। जब घर पहुंचा तो उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि आपके द्वारा 19 मार्च, 2017 को प्राप्त की गई सामग्री निम्न प्रकार है। केरोसीन 11 लीटर प्राप्त और 0 लीटर शेष। इस प्रकार जो डीलर अभी भी बदमाशी कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? तीसरा, आपके वितरण में अगर वास्तविकता में अंतर आया है और इसमें सुधार हुआ है तो क्या भविष्य में जो भी खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने वाले लाभार्थी हैं, उनके मकानों के ऊपर लाभार्थी की सूची का अंकन कराने का विचार रखते हैं ताकि उसमें भी सुधार आ सके?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं इस मामले में आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि यह बात सही है कि जब यह अधिनियम लागू किया गया उस समय राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर 4 करोड़ 46 लाख लाभार्थियों को चयनित किया जाना था, उसके विरुद्ध चयनित हुए 5 करोड़ 46 लाख लोग। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2014-15 के बजट में यह घोषणा की कि पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न मिलना चाहिये। उसके तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया और उसमें जो पात्र व्यक्ति हैं उसका समावेशन और निष्कासन के कुछ मापदण्ड तय किये। उस कमेटी के तहत जब उन्होंने 5 करोड़ 46 लाख लाभार्थियों की सूची को रिव्यू किया तो उसमें उन्होंने यह पाया कि न तो उनका कोई आय गणना का कोई पैरामीटर तय था, न उस समय हमारी सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण की सूची के आधार पर जो आय तय की थी, उसके आधार पर भी वह सूचियां तैयार नहीं की गई थी। सबसे बड़ी बात जो निष्कासन और समावेशन के जो पैरामीटर तय किये गये थे उसके आधार पर वह सूची ठीक नहीं थी। इसके आधार पर माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार जो कमेटी गठित की, उसके आधार पर कुछ पैरामीटर तय किये गये, वह पैरामीटर की मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है।

शहरी क्षेत्र के पैरामीटर अलग है और ग्रामीण क्षेत्र के पैरामीटर अलग है। उसके हिसाब से माननीय एसडीएम के सामने जो नाम आते हैं, जो

(श्री बाबूलाल वर्मा)

अपील में डिसाइड होते हैं, उसके हिसाब से हमारी संख्या हर दिन बदलती रहती है। आज की संख्या मैंने माननीय सदस्य को सूचित कर दी है। माननीय सदस्य ने पोस मशीन के लिये कहा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह तय किया कि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसके हक का राशन मिलना चाहिये। जब पोस मशीन से वितरण नहीं था और जब लाभार्थियों की संख्या ज्यादा थी, उस समय मात्र 3 किलो गेहूं ही मिल पाता था, आज की तारीख में हम 5 किलो प्रति यूनिट एनएफएसए के लोगों को गेहूं दे रहे हैं। अंत्योदय परिवारों को हम 35 किलो पर परिवार गेहूं दे रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी की यह मंशा है कि किसी भी जिले में, किसी भी गांव में पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं रहे और यही संवेदनशीलता दिखाते हुए जो हमारा ट्राइबल बैल्ट है, जो हमारी उदयपुर क्षेत्र की बैल्ट है, जो सहरिया बैल्ट है, उसमें आज भी 95 परसेंट तक हमारा सीडिंग है, वहां 95 परसेंट लोगों को हम खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। जयपुर शहर की भी स्थिति मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जयपुर में खाद्यान्न के लिये लाभार्थी बहुत कम संख्या में है। मात्र 13.21 परसेंट ही यहां लाभार्थी है क्योंकि यहां उसकी योग्यता रखते नहीं हैं। जब योग्यता नहीं है तो उसको खाद्यान्न नहीं मिलता लेकिन जहां पात्र व्यक्ति है माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा के अनुसार निश्चित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा और जो चिंता माननीय सदस्य ने यहां बताई है कि यदि किसी भी डीलर के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो माननीय सदस्य मुझे अवगत करा दें, निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा और लाभार्थी को लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने मंत्री जी से यह पूछा था अगर वास्तविकता में जो लाभार्थी है उसका नाम अगर मकानों के ऊपर अंकित करना शुरू कर दें तो मंत्री महोदय, 20 परसेंट तो वैसे ही कमी आ जायेगी, शर्म के मारे ही कम करा लेंगे। आप तो उनके मकानों के ऊपर नाम अंकित कराने की घोषणा करो कि हां करायेंगे।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य का जो सुझाव है निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक सुझाव है और यह होना चाहिये। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह तो नैतिकता का सवाल है। जो व्यक्ति जिस चीज के लिये पात्र ही नहीं है, उसको नैतिकता के आधार पर वैसे ही छोड़ देना चाहिये। फिर भी हम कोशिश करेंगे जो माननीय सदस्य का सुझाव है, उसके आधार पर हम कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, यह पहले का जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष: नहीं आपने कर लिया, मैं गिन रहा हूं, बैठिए आप। श्री सुखराम, पूरक प्रश्न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा जवाब खण्ड दो में आया है प्रमाणित दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण खाद्य सुरक्षा की सूची में .., ऐसे कौनसे डाकूमेंट उसके पास नहीं थे जिसकी वजह से आपने नाम हटाया। राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड एवं आधार कार्ड भी उसके पास था, किस कारण से हटाया। कौनसे ऐसे डाकूमेंट उसने नहीं बताये जिसकी वजह से आपने नाम काट दिया। पूरे राजस्थान में कुल कितने परसेंट नाम आपने आपने हटाये?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से पहले भी अवगत कराया है कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड थे। शहरी क्षेत्र में समावेशन की जो प्रायोरिटी लिस्ट है, वह अगर आप कहें तो मैं पढ देता हूं, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष: आपके पास हो तो आप भिजवा देना।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): चाहे तो माननीय सदस्य को मैं वह सूची अवगत करा दूंगा। इसमें निष्कासन के भी नियम हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कौनसे डाकूमेंट नहीं दिये जिसकी वजह से आपने नाम हटा दिये, डाकूमेंट तो बताओ।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन अपात्र लोगों के नाम हटे उनका मैं आधार बता रहा हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप आधार तो बताओ, कौनसे डाकूमेंट नहीं दिये आपको, उस गरीब के पास डाकूमेंट हैं क्या?

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं बता रहा हूं, बैठिए आप। ऐसा परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो, शहरी क्षेत्र में जिनके नाम हटाये उनका मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस तरह की लिस्ट में कोई होगा तो निश्चित रूप से ...

श्री अध्यक्ष: यह लिस्ट यहां बोलने की जरूरत नहीं है, आप पहुंचा देना। श्री झाबर सिंह, पूरक प्रश्न।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा खाद्य सुरक्षा में अभी पिछले महीनों में जो जांच हुई और अपील के जरिये जिन लोगों को पात्र पाया गया और 4-4, 6-6 महीने से वह पंचायत समिति या उपखण्ड कार्यालय में जो पात्र लोगों के आवेदन पड़े हैं, उन पात्र लोगों को ऑन लाइन सूची में कब तक शामिल कर लिया जायेगा और जिन कार्मिकों ने प्रथम समीक्षा के दौरान पात्र लोगों को बदनीयती पूर्ण अपात्र घोषित करने की कार्यवाही की, क्या सरकार उनके खिलाफ जांच करवा कर कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में आपके माध्यम से पहले भी कहा है कि इसमें नाम जुड़वाने की एक अपील प्रक्रिया है। जिस आदमी को अपना नाम जुड़वाना है वह एसडीएम के पास एक प्रार्थना पत्र देगा और उस प्रार्थना पत्र के आधार पर एसडीएम ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ के यहां वेरिफिकेशन कराने के लिये पत्र भेजेगा और नगरपालिका क्षेत्र में ईओ के यहां भेजेगा। उसके बाद वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद वह एसडीएम स्व प्रेरणा से खुद भी इसका नाम जोड़ सकता है। अगर एसडीएम संतुष्ट है कि इस व्यक्ति के पास पर्याप्त डाकूमेंट है तो उस डाकूमेंट को बेस बनाकर वह एसडीएम उसमें नाम जोड़ सकता है और वह एनएफएसए का लाभ ले सकता है।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि मंत्री महोदय जो कह रहे हैं कि अपील के माध्यम से जोड़ते हैं। पहले से जहां 69 प्रतिशत जुड़ गए, वहां पर पात्र व्यक्तियों को भी नहीं जोड़ते। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो पात्र भी हैं, लेकिन 69 प्रतिशत से अधिक की सीमा में आ गए तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं। श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले भी कह चुका हूं कि उदयपुर संभाग में 90 परसेंट तक लोगों को जोड़ा है। जो भी पात्र व्यक्ति गरीब हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार लाभान्वित किया जा रहा है। यहां स्टेट को यूनिट माना है। खाद्य सुरक्षा के लिए स्टेट को यूनिट माना है। इसमें किसी जिले का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जयपुर शहर में केवल 13 परसेंट लोगों को ही सरकार ने पात्र माना है। क्या ये आंकड़ें सही हैं? क्या आपका सर्वेक्षण सही है? आपका जयपुर शहर के बारे में क्या लक्ष्य था? जयपुर शहर के गरीब लोग कई बार अपनी समस्याओं के बारे में आपसे मिल चुके हैं। सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं और एस.डी.एम. के यहां कई एप्लीकेशन पैंडिंग हैं। कोई समस्या का समाधान नहीं है। आप मुझे यह बताइये कि जयपुर शहर का क्या लक्ष्य था? शहरी क्षेत्र के क्या क्राइटेरिया थे? कितना पूरा हुआ और क्या सरकार संतुष्ट है? केवल 13 परसेंट लोग।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी यह अवगत करा चुका हूं कि शहरी क्षेत्र में 53 परसेंट की सीमा और 53 परसेंट की सीमा में जो भी व्यक्ति इससे संबंधित डाकूमेंट रखता है। उसके पश्चात् शामिल होने के लिए जो भी दस्तावेज हैं, हम निश्चित रूप से करेंगे। चूंकि, जयपुर में हमारी लगातार प्रक्रिया चल रही है।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

आज भी कोई पात्र व्यक्ति एस.डी.एम. के यहां एप्लाई करेगा तो उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। इसमें हमारी कोई पाबंदी नहीं है। कोई मना नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपका जवाब आ गया।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को वंचित किया जा रहा है। उन लोगों को जोड़ा जाए। (व्यवधान) आज कम लोगों को राशन मिला है, जिसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कई स्थानों पर 95 परसेंट है।

श्री अध्यक्ष: मोहन लाल जी बैठिए। श्री बच्चूसिंह।

बयाना में लगाये गये पौधे

357. श्री बच्चू सिंह (बयाना): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कितने एवं किस-किस किस्म के पौधे कहां-कहां पर लगाये गये हैं? उक्त पौधों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नये पौधे लगाने का कितना-कितना व्यय, किस-किस मद से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बयाना के वन क्षेत्र के लिये बाउण्ड्री निर्माण हेतु बजट आवंटित किया गया है? यदि हां, तो कब?

(4) विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में वर्ष 2014 से 28-02-2017 तक विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में वन विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में लगाये गये पौधों का स्थलवार, प्रजातिवार एवं जीवितता संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" अनुसार है।

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

(2) वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में पौधे लगाने पर हुए व्यय का योजनावार/ मदवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" में समाहित है।

(3) जी हां। बयाना क्षेत्र में बाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु आवंटित बजट संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट "बी" अनुसार है।

(4) विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में 2014 से फरवरी 2017 तक वन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की ग्राम वार वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न परिशिष्ट "सी" अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री बच्चू सिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 2012 से 2013 तक 35 हजार पौधे लगाए हैं, उनमें से 24,500 पौधे जिंदे पाए गए हैं और 9,500 मर गए। इन पौधों की देखभाल या फिर ये जो पौधे लगाए गए हैं उनकी सेफ्टीवॉल कैसी होती है कि वे पौधे मौके पर आज के टाइम पर नहीं है। यह सिर्फ कागजों में ही दिख रहा है कि पौधे लगे हुए हैं। हमने सर्वे करा तो वहां पर पौधे नहीं पाए गए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट 'ए' की पूरी सूची मैंने माननीय सदस्य को दे दी है। पौधों की जो मोर्टेलिटी रेट होती है, उसके लिए एक मॉनीटरिंग और इवैल्युएशन सैल है, जो Addl. PCCF, Monitoring और Evaluation पर नजर रखते हैं, जो कि सातों जोनों में है। जो ए.सी.एफ. के द्वारा कराया जाता है। हमारे विभाग ने अभी माननीय सदस्य को जो पूरी सूची दी है। अभी इसे पढ़ने में समय लगेगा। यदि आपको कोई भी शंका है कि विभाग ने जो विवरण दिया है या फिर जो सर्वाइवल रेट दी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, तो इसके अंदर मैं पूरी जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: बच्चू सिंह जी, दूसरा सवाल?

श्री बच्चू सिंह (बयाना): मंत्री महोदय जी, अभी 2012 से 2017 तक

(श्री बच्चू सिंह)

लगभग तीन करोड़ पौधे लगाए गए हैं और सर्वे किया तो मौके पर पौधे नहीं पाए गए। जो पौधे लगे हैं, वे बरसात के टाइम पर लगते हैं जो कि अपने आप होते हैं। वैसे कोई भी पौधे नहीं लगाए गए हैं। इसकी जांच कराई जाए।

श्री अध्यक्ष: कह दिया इन्होंने जांच कराएंगे।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच करा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री निर्मल कुमावत।

जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के फेज III के विस्तार हेतु अवाप्त भूमि

358. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(1) क्या सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के फेज-III विस्तार हेतु आवासीय भूमि को भी अवाप्त किया गया था? यदि हां, तो किन-किन खातेदारों की कितनी-कितनी आवासीय भूमि कब-कब अवाप्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी खातेदारों की अवाप्त आवासीय भूमि का संपरिवर्तन आदेश भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा चार के प्रकाशन से पूर्व हो गया था? यदि हां, तो कब व किस अथोरिटी द्वारा संपरिवर्तन किया गया?

(3) क्या उक्त अवाप्त आवासीय भूमि की मुआवजा राशि बहुत अधिक थी? यदि हां, तो कितने रुपये प्रति वर्गमीटर और रीको की तत्समय प्रचलित विकास शुल्क राशि (औद्योगिक आवासीय व वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ प्रति वर्गमीटर कितनी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या रीको द्वारा उक्त अवाप्त आवासीय भूमि के बदले भूमि देने की नीति अपनाई गई थी? यदि हां, तो उक्त नीति के तहत किस-किस खातेदार को कितनी-कितनी भूमि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त अवाप्त आवासीय भूमि पर खातेदारों द्वारा किये गये निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा किया गया था? यदि हां, तो किस-किस खातेदार के पक्ष में कितना-कितना निर्धारण

(श्री निर्मल कुमावत)

किया गया? किये गये निर्माण की सर्वे की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त नीति के तहत उक्त सभी खातेदारों की अवाप्त आवासीय भूमि के बदले भूमि देने की अभिशंसा रीको द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी से की गई थी? यदि हां, तो किन-किन खातेदारों की अभिशंसा की गई और किन- किन खातेदारों की किस कारण से अभिशंसा नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के तृतीय चरण में जिन खातेदारों की आवासीय भूमि अवाप्त की गई थी उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त खातेदारों की अवाप्त आवासीय भूमि का संपरिवर्तन आदेश भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा- 4 के प्रकाशन से पूर्व हो गया था। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर अंकित है।

(3) जी हां। भूमि का आबादी में रूपान्तरण होने के कारण मुआवजा राशि अधिक होना सम्भावित था। हालांकि, उक्त सम्भावित राशि का तदसमय मूल्यांकन नहीं किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा तृतीय चरण में दिनांक 27.01.1998 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु विकास शुल्क की दर रु. 450 प्रति वर्ग मीटर थी।

(4) क्र. सं. 3 में अंकित कारणों/तथ्यों की पृष्ठ भूमि में मै. सहारण आवास विकास प्रा. लि. के प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा-31 (3) के तहत नकद मुआवजा राशि के बजाय भूमि दिये जाने की अभिशंसा की गई थी। तदनुसार मैसर्स सहारण आवास विकास प्रा. लि. को अवाप्त भूमि के बदले 2.24 हैक्टेयर भूमि आबंटित कर दी गई।

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं।

उद्योग मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (5) उपरोक्त प्रकरण में मैसर्स सहारण आवास विकास प्रा. लि. द्वारा किये गये निर्माण की कीमत की राशि 3,88,143.00 रुपये निर्धारित की गई एवं श्री मंगलाराम के निर्माण की कीमत 3,18,129.00 रुपये निर्धारित कर तदनुसार अंतिम अवार्ड जारी किया गया।

(उद्योग मंत्री)

(6) जी नहीं। भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा-31 (3) में वर्णित प्रावधान के अनुसार नगद मुआवजा राशि के बजाय अवार्ड में, मै. सहारण आवास विकास प्रा. लि. के प्रकरण में बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित तथ्यों/कारणों को दृष्टिगत रखते हुए भूमि देने की अनुशंसा की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि सरकार रीको को श्री मंगलाराम के प्रकरण में उचित मार्गदर्शन देने का विचार रखती है? दूसरा, क्या यह भी सही है कि समान प्रकरण होने के बावजूद, जमीन की समान किस्म होने के बावजूद रीको ने अपने स्तर पर जमीन की किस्म को बदलकर मै. सहारण आवास विकास प्रा. लि. अधिक मुआवजा दिया है और क्या सरकार श्री मंगलाराम को उचित मुआवजा दिलाने की व्यवस्था रखती है और क्या इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती है? धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिन दो खातेदारों की भूमि का मामला उठाया गया है उसमें एक खातेदार को भूमि के बदले भूमि दे दी गई है और दूसरे खातेदार के केस की मैरिट को मै. सहारण के केस की मैरिट से ज्यादा होने के बावजूद भूमि के बदले भूमि दी गई है। मै. सहारण आवास विकास प्रा. लि. को भूमि के बदले भूमि देने में भी सुपीरियर जगह की भूमि को दिया गया। इस बात में कोई दोराय नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। प्रकरण में जांच करने के बाद इन दोनों केसों में मोटे तौर पर कोई अंतर नहीं होने के बावजूद निर्णय में जिस प्रकार का अंतर लिया गया है, उसमें जो आदमी रेस्पौंसिबल है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और श्री मंगलाराम को भी उसी के बराबर ट्रीट करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया कि दूसरा प्रश्न करेंगे?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री जोगाराम पटेल।

जोधपुर जिले के अभावग्रस्त घोषित गांव

359. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही हैं कि इस वर्ष (2016-17) में प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक वर्षा से व कई ज़िलों में कम वर्षा व अन्य कारणों से खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है तथा अधिकांशतः ज़िलों में अकाल की स्थिति है? यदि हां, तो वर्तमान में प्रदेश में स्थित कितने ग्राम अकालग्रस्त/अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं तथा सरकार उक्त अकालग्रस्त/अभावग्रस्त गांवों में किसानों को क्या-क्या सहायता कब तक देने का विचार रखती है?

(2) जोधपुर जिले की लूणी तहसील व जोधपुर तहसील के कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं व सरकार द्वारा उक्त तहसीलों के गांवों के किसानों को कब तक क्या-क्या सहायता देना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) संवत् 2073 में खरीफ फसल की गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 13 जिलों के 5656 राजस्व ग्रामों में 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक फसल में खराबा हुआ है। खरीफ फसल में खराबे पर 5656 राजस्व ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आगे का सवाल आप दे दीजिएगा। प्रश्नकाल समाप्त। जोगाराम जी, आप मिल लीजिएगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मिल लेंगे, सर।

(लिखित उत्तर जैसा सदन पटल पर रखा गया)

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): ......

"राशि की उपलब्धता के अनुसार एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार कृषि आदान अनुदान का वितरण की कार्यवाही की जाती है एवं अन्य राहत गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

अभाग्रस्त गांवों में पात्र कृषकों का भू-राजस्व स्थगित कर दिया गया है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

(2) जोधपुर जिले में लूणी तहसील के 173 ग्राम व जोधपुर तहसील के 05 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। राशि की उपलब्धता के अनुसार एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार कृषि आदान अनुदान के वितरण की कार्यवाही की जाती है एवं अन्य राहत गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

अभावग्रस्त गाँवों में पात्र कृषकों का भू राजस्व स्थगित कर दिया गया है।''

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र करौली में छोटे दुकानदारों, ठेले व थड़ी वालों से की जा रही अवैध चौथ वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से श्रमिक कल्याण सुविधा केन्द्र को बाडमेर जिला मुख्यालय पर नहीं बनाया जाकर बालोतरा में शुरू करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से सरिस्का वन क्षेत्र में पैंथर द्वारा हमले से 7 लोगों की मृत्यु होने से व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4. श्री हीरा लाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडौल में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
5. श्री रमेश, सदस्य की ओर से प्रदेश में नकली दवाओं का वितरण करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
6. श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विकास अधिकारी द्वारा भू माफियाओं से मिलीभगत कर 25 साल पुराने वैध पट्टों को खारिज कर अतिक्रमियों को कब्जा दिलाए जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री हीरा लाल दरांगी, श्री रमेश एवं श्रीमती अंजू देवी धानका को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से गंगापुर (सवाई माधोपुर) को जिला बनाये जाने के संबंध में।
2. श्री विजय सिंह, सदस्य की ओर से जिला नागौर के कुचामन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का नया खण्ड कार्यालय खोलने के संबंध में।
3. श्रीमती द्रोपती, सदस्य की ओर से नगरपालिका क्षेत्र रावतसर में पेयजल की पुरानी पाईप लाइनों को बदलवाने के संबंध में।
4. श्री श्रीराम भींचर, सदस्य की ओर से प्रदेश में माईनिंग विभाग के इलेक्ट्रिकल डिविजन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का कार्यालय उदयपुर से गाजियाबाद करने से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में।
5. श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति उपयोजना में विशेष बजट आवंटित करने के संबंध में।
6. श्री भँवर सिंह, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले के भूमिहीन युवाओं को सामान्य श्रेणी में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में।
7. श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य की ओर से दौसा जिला मुख्यालय स्थित खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में।
8. श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के धार्मिक स्थलों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने के संबंध में।
9. श्रीमती सुशील कंवर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मसूदा

(श्री अध्यक्ष)

में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक्स.ई.एन. सर्किल विजयनगर में बनाये जाने के संबंध में।

10. श्री अजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोंक में सड़कों की स्थिति सुधारने के संबंध में।
11. श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से एक ही व्यक्ति के शैक्षणिक व एसटीसी दस्तावेजों के आधार पर एक ही नाम से दो व्यक्तियों द्वारा अध्यापक की नौकरी किए जाने के संबंध में।
12. श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से जिला कोटा में विधायक कोष के कार्य समय पर पूरे नहीं किए जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, 295 पढ़ा हुआ मान लिया जाए, क्योंकि आज तीन मांग हैं। तीन डिमांड में वक्ताओं को बोलने के लिए समय बहुत ज्यादा चाहिए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(स्वीकृत)

295 पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 44 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री शुभकरण चौधरी, विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की ग्राम पंचायत जहाज में यूरेनियम खोज किए जाने वाले बोरवेल से भू गर्भ जल प्रदूषित होने के संबंध में।
2. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स को समयबद्ध पदोन्नति दिये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री जोगाराम पटेल, पश्चिमी राजस्थान में बेमौसम बारिश, आंधी व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में।
4. श्री हनुमान बेनीवाल, प्रदेश में जोधपुर, नागौर सहित अनेक स्थानों पर हुई बारिश ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सरिस्का वन क्षेत्र में पैंथर हमले से हुईं मौतें

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 50 के तहत विशेष उल्लेख।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन विभाग की लापरवाही से आए दिन...

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं। कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वन्य जीवों और इंसानों में टकराव की सी स्थिति बनी हुई है। आज से ही नहीं बल्कि पिछले हजारों वर्षो से इंसान और सभी जंगली जानवर एक साथ सरिस्का में रह रहे थे। अभी पिछले 6 महीने से ऐसा क्या हुआ कि पैंथर इंसानों पर हमला करने लगा है। ऐसा लग रहा है कि यह पैंथर हमारे सरिस्का के नहीं है। क्योंकि यहां पर तो शुरू से ही वन क्षेत्र के पैंथर है, आज भी दस साल का बच्चा अगर आकर वहां पर हल्ला करे तो उससे वह भाग जाते हैं। किसी भी तरह की कोई हानि पैंथर या गांव वालों को नहीं पहुंचाई जाती है। ना ही किसी जंगली जानवर को आज तक गांव वालों ने मारा है। यह घटना कैसे घटित हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

अध्यक्ष महोदय, यह मौतें हुईं, 28 सितम्बर को रेवड़मल, 20 अक्टूबर को गुल्ली देवी, 5 फरवरी को बिरधीदेवी, 6 फरवरी को संती देवी, 12 फरवरी को दूसरी संती देवी जो महिपाल की पत्नी है, 12 फरवरी को रामकुमार,7 फरवरी को रामपत, इस तरह से आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अध्यक्ष महोदय, यह लोग कहते हैं कि गांव वालों से जानवरों को खतरा है, बल्कि ऐसा नहीं है, हमारे वहां नाहरसती का मंदिर प्रसिद्ध है जो कि शेर के साथ सती हुई थी। शेर ने उसके बच्चे की रखवाली की और वापस उस बच्चे को गोदी में सौंप दिया था। नाथूसरलोज में कई दिनों तक शेरनी वहां बच्चों के साथ रही थी। गांव वालों ने ही, मैं खुद गई थी वहां, एक- एक दिन रखवाली गांव वालों ने खुद ने करी। गांव वाले जानवरों की हिफाजत करने के लिए हैं। कोई हिंसक घटना पर गांव वाले नहीं उतरते हैं। उनको प्रोटेक्शन देते हैं। जो भी घटनाएं हुई, जो पहले घटनाएं घटी हैं, जितने भी टाइगर मारे गए हैं वह सारे के सारे, वन विभाग के अंदर जब किसी की एंट्री नहीं होती है, सारी घटनाएं उस समय की है। किसी गांव वाले ने किसी टाइगर को नहीं मारा था। जो सारा सफाया हुआ वह रहस्यमय आज भी बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों है? जंगली जानवरों की तो अपनी जान पर खेलकर गांव वाले रक्षा करते हैं। क्यों नहीं गांव वाले और फोरेस्ट के जो भी अधिकारी हैं, बैठकर बात की जाए।

अभी परसों ही मेरे वहां नीतिन सन ऑफ रोहिताश, खेत में रखवाली कर रहा था, नीलगाय को भगाने के लिए, वहां पर नीलगाय, सूअर को भगाने के लिए किसानों को रात भर रखवाली करनी पड़ती है, उसके ऊपर फिर हमला कर दिया। उसका हाथ पकड़कर, खींच कर ले जा रहे थे, गांव वाले बैटरी ले लेकर भागे, जब उसको छुड़ाया, वह भी विकलांग हो गया। अध्यक्ष महोदय, यह तो अब कहीं का नहीं रहा, कमाने खाने के लायक नहीं रहा। इसको भी नौकरी दी जानी चाहिए जो कि जेठवाला की ढाणी हाजीपुर का है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वन विभाग की कमेटी बनी हुई है, ईडीसी, इको डवलपमेंट कमेटी, क्यों नहीं इस कमटी को यूज में लिया जा रहा है? क्यों नहीं इसमें जन सहयोग से सहायता लेकर, कमेटी बनाकर, पूरे गांव वालों को शामिल करके, जन प्रतिनिधि हो, प्रधान हो, सरपंच हो।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, यह विधान सभा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, चाहे हमको, मुझे

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

और गोलमा जी को शामिल मत करो, पर और 9-9 जन प्रतिनिधि हैं, उनको शामिल कर लो, किसी को भी, गांव वालों को शामिल करके, और यह द्वेषतापूर्ण भाव नहीं रहना चाहिये। वन विभाग के कर्मचारी, कोई मशीनी तंत्र नहीं है। अधिकारियों और गांव वालों में ऐसा टकराव नहीं होना चाहिये। आपस में ऐसी भावना, भेदभाव नहीं होना चाहिये। उनको बैठा करके, आप सरकार की तरफ से कोई कमेटी बनायें, जो गांव वालों की भी सुने, फोरेस्ट विभाग की भी सुने। गांव वालों की, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। सुन लिया। ...(व्यवधान)... विधान सभा में सुन लिया न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वे बारबार अनुरोध करते हैं। ...(व्यवधान)... आपसे अनुरोध है कि इसमें गांव वालों की सुनवाई की जाए। मेरा यह अनुरोध है, अध्यक्ष महोदय।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि जिंदा पेंथर को, फोरेस्ट वालों ने उसको जब रोकने के लिये, बेहोश करने के लिये जब इंजेक्शन लगाये, उसके बाद में यहां कांग्रेस का जिलाध्यक्ष अलवर का ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): तस्वीर देखिये। इसमें कैसी तस्वीर है, जला हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यह रहस्य है जंगल का, क्या रहस्य है, इसमें जला हुआ नहीं दिखाई दे रहा, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)... यह ऐसा नहीं है, राजनीति करने का पाइण्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। ...(व्यवधान)... वह गलत नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): और वहां के कुछ प्रधान, जहां पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन गांव के लोगों का ...(व्यवधान)... उनको बढ़ावा दे करके, उस जिंदा पैंथर पर मिट्टी का तेल डाल कर, मलवे में मिट्टी का तेल डाल कर, और उसको जिंदा जला दिया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इसमें ग्रामीण और फोरेस्ट, दोनों एक हैं। अध्यक्ष महोदय, यह देखिये, इसमें जला हुआ है क्या?

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने और वहां के सैंकड़ों लोगों को, उनको उठा करके उसको जिंदा जला दिया, जिसमें वहां की पंचायत समिति उमरेण का प्रधान का जेठ था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इसमें जवाब नहीं देने दूंगा। ...(व्यवधान)... बैठिये, आप भी बैठिये। बैठिये। विषय आ गया, बैठिये। आपका कोई है ही नहीं, वैसे ही बोल रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, कुछ बोलेंगे? वन मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पैंथर है, वह फोरेस्टे की पैरिफेरी में रहता है। पैंथर छोटे जानवरों, जैसे भेड़-बकरी, कुत्ता, छोटे हिरण की वैराइटी पर वह अपना खाना-पीना करता है।

जो 07 डैथ्स हुई हैं, वह सब डैथ्स हुई हैं कि लोग जंगल के अंदर आये थे, चाहे घास काटने आये थे, चाहे लकड़ी लेने आये थे। तो जितनी डैथ्स हुई थीं, वह सैंचुरी के अंदर थीं।

हम अच्छे रीलोकेशन पैकेजेज ला रहे हैं। उन रीलोकेशन पैकेजेज से, जितने भी गांव बाहर रीलोकेट होंगे, उससे हमारा यह जो मैन-एनिमल कंफ्लिक्ट है, यह केवल सरिस्का में नहीं है, यह पूरे विश्व के अन्दर जितनी भी सैंचुरीज हैं, वहां यह हादसे होते रहते हैं। चूंकि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, हमारे हादसे ज्यादा होते हैं। जब भी हादसा हुआ, हमारे विभाग ने तुरन्त एक छावनी की तरफ उस एरिया को कॉर्डन-ऑफ करके पैंथर्स को पकड़ करके यहां पर हम जू में लाये हैं।

माननीय सदस्य जो आरोप लगा रही हैं कि विभाग की लापरवाही है, इसमें विभाग की कोई लापरवाही नहीं हुई है। हमारे लोग ट्रैंकुलाइजर गन्स लेकर वहां पर गये हैं। हमने मुआवजा, जो कानूनन मुआवजा हमें देना है उससे हमने डबल मुआवजा दिया है। हमारे सरिस्का का फण्ड, जो गेट कलेक्शन से आता है, हमने उस फण्ड से डबल अमाउण्ट दिया है और उनके बच्चों को वहां पर गाइड के नाते नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री हीरालाल। ...(व्यवधान)... नो, नो। नहीं,

(श्री अध्यक्ष)

जवाब देने की जरूरत नहीं। जवाब देने की जरूरत नहीं, न रिकार्ड पर आयेगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री अध्यक्ष: आपने सुझाव दे दिया। रिकार्ड न हो। नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री हीरालाल दरांगी।

झाड़ोल में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसलिये आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष: शकुन्तलाजी, इधर देखिये। आपस में बातचीत नहीं। ...(व्यवधान)... आइन्दा आपका ध्यान नहीं रखूंगा, मैं आज कह रहा हूं।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की पंचायत समिति फलासिया व कोटड़ा में कुल 05 सी.एच.सी. व 12 पी.एच.सी. हैं, जिनमें चिकित्सा अधिकारियों के कुल 45 पद स्वीकृत हैं। इनमें वर्तमान में 21 पद रिक्त हैं एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों के भी अधिकांश पद रिक्त हैं। जिससे गरीब आदिवासी जनता को गम्भीर बीमारियों में इलाज के अभाव में अकाल मौत का शिकार होना पड़ता है। यहां के सी.एच.सी. में ब्लड बैंक, ऑपरेशन थियेटर, लेबर रूम, अन्य जांच सुविधाओं का भी अभाव है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एच.सी., झाड़ोल में सर्वाधिक प्रसव होते हैं। यहां स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने से, गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से इन्हें इलाज के लिये उदयपुर जाना पड़ता है। उदयपुर से झाड़ोल की दूरी 55 किलोमीटर, फलासिया से उदयपुर की दूरी 85 किलोमीटर, कोटड़ा से उदयपुर की दूरी 90 किलोमीटर है। यहां की खस्ता हाल सड़कों के कारण कई बार गर्भवती महिलाओं के रास्ते में ही प्रसव हो जाते हैं। रास्ते में ही प्रसव पीड़ा के कारण गर्भवती महिलाओं की अकाल मौत भी हो जाती है। सी.एच.सी., झाड़ोल पर दिनांक 04.03.2017 को जननी सुरक्षा योजना के तहत एम्बुलेंस सुविधा 104 समय पर नहीं मिलने से 09

(श्री हीरा लाल दंरागी)

प्रसुताओं को अस्पताल से डिस्चार्ज उपरांत घण्टों तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा और उन्हें रोडवेज बस से घर तक जाना पड़ा। एम्बुलेंस सुविधा की हालत अत्यंत दयनीय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र में शिशु एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ व अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों का भी नितांत अभाव है। पर्याप्त चिकित्सा सुविधा का अभाव होने से गरीब जनता को नीम हकीमों व झाड़-फूंक का सहारा लेना पड़ता है और पड़ोसी राज्य गुजरात में जाकर प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज कराना पड़ता है। क्षेत्र की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था प्रदेश सरकार के लिये एक गम्भीर चुनौती है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री और राज्य सरकार से निवेदन है कि उदयपुर जिले के उक्त अत्यंत पिछड़े व आदिवासी बहुल विधान सभा क्षेत्र में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को सुधारा जाए और रिक्त पड़े पदों पर चिकित्सा कर्मियों को तत्काल भर कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

(12.16 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी, जवाब दे रहे हैं क्या उनके स्थगन प्रस्ताव का?

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब दे रहे हैं क्या?

रमेशजी।

नकली दवाओं का वितरण करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही का अभाव

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत कुछ वर्षों से राज्य में नि:शुल्क दवा योजना और बाजार में दी जाने वाली दवाओं में अनेक दवाएं सैम्पल में फेल हो रही हैं। नकली दवाएं पूरे राज्य में बेची जा रही हैं। सरकार द्वारा सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं करवाये जा रहे हैं। केवल कम्पनी को उस दवा की अमानक प्रोडक्ट के बारे में सैम्पल भेजा जा रहा है कि आपके इस बैच नम्बर की दवाई का आपका

(श्री रमेश)

सैम्पल फेल हुआ है। जबकि जिस दवा का मुख्य साल्ट जीरो पाया गया, उसके बावजूद भी न तो सरकार कोई कार्यवाही कर रही है, न कोई औषधि नियंत्रक कोई कार्यवाही कर रहे हैं। बस सिर्फ एक सूचना के माध्यम से भिजवा दिया जाता है कि इस बैच की दवा दुबारा इस बाजार में नहीं आये। जब तक मार्केट में इसकी जानकारी पहुंचती है, बहुत धीरे-धीरे पहुंचती है, तब तक केमिस्टों के द्वारा वह दवा पूरी बिक जाती है। इससे पूरे प्रदेश में आम जन को इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। सरकार को जो जीरो साल्ट मिलने पर नकली दवा पर केस दर्ज करना चाहिये और कम्पनियों के खिलाफ आपराधिक और लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

दवा कम्पनियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि राज्य की जनता को पैसे और जान, दोनों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आम जनता इसका दर्द झेल रही है, लोग मर रहे हैं। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में राज्य के बाहर की कम्पनियां मरीजों को नकली दवाएं खिला रही हैं। हिमाचल, उत्तराखण्ड और चण्डीगढ़ की 56 दवाएं सब-स्टैण्डर्ड पाई गयीं, 07 नकली पाई गयीं। नि:शुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाली दवाइयों में 2014 से 2017 तक 300 से अधिक सैम्पल फेल हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर दवाइयों में दवा का मुख्य साल्ट ही नहीं मिला। इनमें एंटी-बायोटिक, गैस, उल्टी की दवाई, आई-ड्राप, मल्टी विटामिन, बेटाडिन, शुगर की दवा के साथ पेरासिटामोल जैसी दर्द निवारक सामान्य दवाएं, इनके भी सैम्पल फेल पाये गये।

इससे बड़ी बात यह है कि स्वयं सहायक औषधि नियंत्रक ने कहा कि हम सैम्पल संदेह के आधार पर लेते हैं। नि:शुल्क दवाइयों के सैम्पल सरकार के आदेश के आने पर ही लिये जाते हैं। इसके अलावा औषधि नियंत्रक अधिकारी सैम्पल नहीं ले सकते। जोधपुर में डेढ साल के अन्दर 08 सैम्पल लिये गये, उसमें 04 नकली पाये गये। इसके बाद सरकार कम्पनियों को बचाने का जो प्रयास करती है। उस कम्पनी के स्थान पर प्रोडक्ट को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, जो अमानक पाया जाता है।

इसी सदन में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्लैक लिस्टेड करने की बात माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री, राठौड़ साहब ने कही थी। उसी कम्पनी को

(श्री रमेश)

दुबारा 14 करोड़ का आर्डर जारी कर दिया गया। क्योंकि यह चंडीगढ़ की स्कार्ट आइडल कंपनी का मामला हमारे कांग्रेस के माननीय विधायक डोटासरा जी ने सदन में उठाया था और मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था। उसके बावजूद भी सरकार की मिलीभगत से उसको 14 करोड़ का वर्क आर्डर मिला।

यह स्थिति जब है यदि सभी दवाओं के हम सैम्पल नहीं लेते हैं, यदि सभी दवाओं के सैम्पल ले लिये जाए तो नकली दवाओं की इस प्रदेश में मात्रा बहुत अधिक होगी क्योंकि राज्य में एक मात्र सेठी कॉलोनी में स्थित जो लैब है उसमें चार हजार से अधिक सैम्पल लंबित हैं। ऐसे राज्य में हजारों की संख्या में नकली दवाइयां हमारे हास्पिटल्स में और बाजार में बेची जा रही हैं जो आम जन को बहुत बड़ा भारी खतरा है और आम जन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्ष 2000-2016 तक औसतन 1800 सैम्पल पर 125 सैम्पल नकली पाये गये और अभी हमारे चार हजार सैम्पल जो पेंडिंग हैं। कम से कम पांच सौ से छह सौ नकली दवाइयां बाजार में खपाई जा रही हैं और खप चुकी है और अभी तक राज्य में सर्जिकल आइटम, सिरप, बी-कॉम्प्लेक्स की जांच भी नहीं है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पूरे राज्य में नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। लोग नकली दवाइयों को खरीद रहे हैं और उनसे लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। लोग मर रहे हैं, लोगों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और सरकार की मिली-भगत के कारण बड़ी-बड़ी कम्पनियों को सरकार फायदा पहुंचा रही है और जिस प्रकार औषधि नियंत्रक ने अपने बयान में कहा है कि सरकार आदेश देगी, संदेह के आधार पर हम जांच करेंगे, तो जिस प्रकार का जो बयान है, औषधि नियंत्रक का, उससे भी हमें ऐसा लगता है कि यहां का जो ड्रग कंट्रोलर है, उसकी भी मिली-भगत है और इस तरह यह नकली दवाओं का बाजार फल-फूल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इसमें सख्त निर्णय ले और इसकी थर्ड पार्टी से एक जांच करवाए या इस केस को ए.सी.बी. में दे या आपको ज्यादा जरूरी हो तो मैं चाहता हूं कि

(श्री रमेश)

इसकी चर्चा अलग से करवाई जाए। क्योंकि यह एक बड़ा गंभीर विषय है कि नकली दवाइयां पूरे प्रदेश में बिक रही हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है।

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रति माह छह नमूने लिये जाते हैं। नमूने उठाने के लक्ष्य वर्ष 2016 के अंदर निम्न प्रकार से हैं:-

जांच हेतु लिये गये नमूने- 3577, वर्ष 2016 में प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार 2901 और वर्ष 2016 में ही अमानक कोटि के घोषित नमूने 99 पाये गये। अमानक कोटि के मामले में वाद दायर कराने हेतु वर्ष 2015 में जारी की गयी अभियोजन स्वीकृति-24, वर्ष 2016 में न्यायालय में अमानक कोटि के मामले में दायर वाद-36।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नकली SKinlite Cream- यह है कि दिनांक 20.02.2017 को प्राप्त सूचना के आधार पर नकली SKinlite Cream हेतु फिल्म कॉलोनी में शिप्रा मेडिकल ब्रांच में छापा मार के Cream बरामद की गई एवं प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। जांच रिपोर्ट आना शेष है और प्रकरण में अलर्ट नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में एक लाख रुपये से अधिक की औषधियों की जब्ती एवं फ्रीज किया गया एवं विभिन्न जिलों से जांच हेतु नमूने लिये गये।

संदेहास्पद औषधि Ultracet Tablet के निर्माता Johnson & Johnson Private Limited, Paihan & Taxim-o 200 के निर्माता Alkem Health Care Science, Sikkim का नमूना जांच हेतु लेने पर निर्माता द्वारा औषधियों को निर्मित नहीं करना सूचित किया तथा औषधि नकली श्रेणी की पायी गयी जिसमें दोषियों के विरुद्ध जांच उपरांत एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी गयी है।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को शायद, अधिकारियों ने जो बताया है, वह पढ़ दिया। मैंने कहा है कि जिस कम्पनी को अमानक पाया गया और उसको ब्लैक-लिस्टेड करने का माननीय पूर्व मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि ब्लैक-लिस्टेड कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको 14 करोड़ का वर्क-आर्डर क्यों दिया गया है? मंत्रीजी इसका जवाब दें।

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): उसकी जांच करने पर पाया गया, जो आर्डर में बताया था, जांच करने में वह नकली नहीं पायी गयी। इसलिए आगे जो टेंडर प्रक्रिया है, उसके अनुसार वह लो-एस्ट आयी तो उसको टेंडर दे दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अंजू देवी धानका।

श्री रमेश (सपोटरा): इसका मतलब क्या सदन में मंत्रीजी ने असत्य बोला था या सत्य बोला था कि ब्लैक लिस्टेड करेंगे उस कम्पनी को और उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? आप कह रहे हो कि अमानक नहीं पाया गया। ....(व्यवधान)....

श्री बंशीधर (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): जांच करने के बाद ही करेंगे न, ऐसे कैसे करेंगे? यदि जांच में रिपोर्ट गलत आएगी तो करेंगे। लेकिन जांच में रिपोर्ट गलत नहीं आई।

श्री रमेश (सपोटरा): यहां पर आपके सेठी कॉलोनी में जो औषधियां आईं, उसमें अमानक पाया गया और आप कह रहे हैं कि अमानक नहीं पायी गयी, नकली दवाई नहीं पायी गयी। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मिलीभगत, मंत्रियों की मिलीभगत के कारण यह हो रहा है।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अंजू देवी। अब सम्माननीय सदस्य, आदरणीय सदस्य, विराज जाएं।

बस्सी में विकास अधिकारी द्वारा वैध पट्टों को खारिज कर अतिक्रमियों को कब्जा

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-50 के तहत आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी, ग्राम पंचायत- राजपुरापातनबास के ग्राम तिलपट्टी में एक कब्जा एवं पट्टाशुदा भूमि स्थित है जिस पर पीढ़ी दर पीढ़ी से जो पीड़ित है, जिस व्यक्ति की यहां पर बात होगी, वह काबिज है।

मनरेगा योजना के तहत बनवारीलाल शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा के नाम से पशु आश्रय के नाम से टीन-शेड व बाउंड्री वॉल का प्रस्ताव वार्षिक योजना में शामिल होने के बावजूद विकास अधिकारी की उदासीनता से वंचित कर दिया है। विकास अधिकारी एवं पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा नाजायज

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

परेशान किया जा रहा है जिससे उपरोक्त व्यक्ति के परिवार वालों को मानसिक एवं आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विकास अधिकारी द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को डराया-धमकाया जा रहा है। इस आबादी के चारों तरफ कोई सरकारी कार्यालय व मंदिर नहीं है लेकिन विकास अधिकारी द्वारा भू-माफियाओं के साथ मिलकर जबरन उक्त व्यक्ति की आबादी भूमि में से रास्ता दिलवाने पर आमादा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि उस व्यक्ति की आबादी भूमि का पट्टा निरस्त करने के लिए विकास अधिकारी ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जिसके लिए मैंने उनसे फोन पर जब बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि इसका पट्टा निरस्त मैं नहीं कर रही हूं, यह स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय होगा। स्टैंडिंग कमेटी को नियुक्त करना ही नियम के विरुद्ध है। अगर किसी व्यक्ति को अधिकारी रास्ता दिलवाना चाहता है तो उसके लिए कुछ सक्षम अधिकारी के यहां पर अपील की जाती है और बदले में उसे जमीन नियमानुसार दी जाती है, पर ऐसा नहीं करके अधिकारी वर्ग और भू-माफिया रास्ते की ओट लेकर पट्टा व कब्जाशुदा भूमि को हड़पने की नीयत से संबंधित व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं जबकि उक्त व्यक्ति उक्त भूमि का विक्रय पत्र 27 वर्ष पूर्व संबंधित व्यक्ति के पूर्वजों ने तय नजराना राशि जमा करवा कर ग्राम पंचायत कोष में जमा राशि द्वारा ही नक्शा जारी हुआ है। नियमानुसार जो नियम के विरुद्ध है, इस तरह किसी का पट्टा खारिज कर देना 27, साल बाद किसी और को जमीन दिलवाने के लिए।

विकास अधिकारी द्वारा पट्टाशुदा व्यक्ति को धमकी देना कि अगर तुमने इस व्यक्ति को रास्ता नहीं दिया तो तेरा पट्टा निरस्त कर दूंगी, उसको बहुत मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। विकास अधिकारी द्वारा स्टैंडिंग कमेटी की नियुक्ति करना साफ-साफ दर्शाता है कि वह पट्टा-शुदा व्यक्ति को पट्टा-शुदा आबादी भूमि में से बेदखल करना चाहती है। विकास अधिकारी जिस व्यक्ति को रास्ता दिलवाना चाहती हैं, उसकी भूमि खसरा नम्बर-181 में है और वह अपनी आबादी भूमि में से आता-जाता है, उसे किसी भी प्रकार से रास्ते की जरूरत नहीं है परंतु विकास अधिकारी अपने

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

निजी हित के चलते पट्टे-शुदा व्यक्ति को उसकी भूमि से बेदखल करने की कोशिश कर रही है।

मैं मंत्रीजी से जवाब भी चाहूंगी और सिर्फ इतना सा बताना चाह रही हूं, आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाह रही हूं कि अगर किसी व्यक्ति को रास्ता चाहिए भी, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन वह सक्षम अधिकारी के यहां अपील करे, न कि विकास अधिकारी खुद स्वयं वहां जाकर और पट्टा निरस्त करने की धमकी दे। वह धमकी भी देती है और बल्कि उसमें स्टेंडिंग कमेटी भी बनाती है और कमेटी बनाकर उसकी आड़ लेकर यह कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही, यह तो स्टेंडिंग कमेटी निर्णय करेगी। जब स्टेंडिंग कमेटी खुद ने ही बनाई है तो निर्णय भी खुद का ही होगा।

तो मैं आपसे इस पर जवाब जानना चाहती हूं, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अंदर ग्राम तिलपट्टी के अंदर एक पट्टाशुदा जमीन पर पूर्व में जो 1990 में पट्टा जारी किया गया था, बद्रीनारायण, गंगासहाय, पांचू, कल्याण और रघुनाथ को, इनको बेदखल करने के बारे में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सवाल उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 10.07.1990 को यह पट्टा जारी किया था। इसकी नजराना राशि 405 रुपये भी जमा करवायी गयी परंतु ग्राम पंचायत के मूल रजिस्टर के अंदर इस पट्टे के बारे में जारी करने के संबंध में कोई कार्यवाही अंकित जो होनी चाहिए थी, वह उस वक्त अंकित नहीं हुई। यह भी सही है कि इस मामले के अंदर एक श्री सुरेश चंद्र शर्मा हैं, उन्होंने जिला कलक्टर, संभागीय आयुक्त, लोकायुक्त और जो पंचायती राज एक्ट 1996 की धारा के अनुसार जो हर पंचायत समिति में न्यायालय और प्रशासन समिति बनी होती है, उसके समक्ष भी आवेदन किया है।

चूंकि, मूल पट्टा जिस रजिस्टर में अंकित होना चाहिए, वह नहीं है इसके कारण से उसकी वैधता के बारे में अभी कोई सवाल नहीं किया जा सकता।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
मैंने इसमें पूरी जांच भी की है। यह मामला जब दीनदयाल उपाध्याय कैम्प लगे थे, उस समय 2.12.2016 को भी सुरेश शर्मा ने कहा था कि मुझे रास्ता मिलना चाहिये, तब भी एक कमेटी गठित की गयी थी और उन्होंने मौके का मुआयना भी किया। निश्चित तौर पर प्रार्थी का ही कब्जा है। इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है, परन्तु चूंकि पंचायत एक्ट के तहत प्रशासन समिति बनी हुई है, उसके सामने आवेदन उन्होंने किया है और जब सीमा ज्ञान नहीं हो जाता, उनको किसी प्रकार से बेदखल नहीं किया जाएगा।

आपने जो सारी बात बतायी है, उसकी और जांच की आवश्यकता हो तो जांच करवायेंगे। आपने बी.डी.ओ. के बारे में कुछ सवाल खड़े किये, उनके बारे में भी जांच करवाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने विषय। श्री शुभकरण जी चौधरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जहाज ग्राम पंचायत (उदयपुरवाटी) में यूरेनियम खोज किये जाने वाले बोरवेल से भूगर्भीय जल में प्रदूषण

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की ग्राम पंचायत जहाज में पिछले ढाई-तीन वर्षों से केन्द्रीय सरकार की एक कम्पनी यू.सी.आई., यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया यूरेनियम की खोज करने के लिये जमीन में बोर कर रही है। यूरेनियम की खोज करने हेतु एक कम्पनी होरिजेंटल बोर करती है जिसकी गहराई हजार से ढाई हजार फुट होती है। इससे भूगर्भ में व्याप्त जल नीचे चला गया और जमीन में जाकर फ्लोराइड और खुदाई के दौरान मिलाये जाने वाले कैमिकल, दोनों मिलकर पानी इतना दूषित हो गया, खारा हो गया जिससे अब वह पीने लायक नहीं रहा है। गांव के पीने के पानी के जितने सोर्स थे, सरकारी और निजी, वह सारे के सारे खत्म हो गये। पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मच रही है और लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। पानी इतना खराब हो गया कि पशु भी उस पानी को पी नहीं सकते। लोगों के खेतों की जो फसल खड़ी थी, वह फसलें भी जमीन का

(श्री शुभकरण चौधरी)

पानी खराब होने से फसल को भी पानी नहीं मिल रहा और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के लिये दूसरे गांवों से, कहीं से भी पानी के सोर्स डवलप करके पाइप के माध्यम से उस जहाज गांव के लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था की जाये ताकि वहां पर आदमी भी पानी पी सकें, पशु भी पानी पी सकें। इस यूरेनियम की खोज के चलते हुए पानी की जो गुणवत्ता खराब हुई है, किसानों की फसलें खराब हुई है, किसानों को उनकी फसलों को मुआवजा दिया जाये या फिर यू.सी. आई. कम्पनी से उनको मुआवजा दिलाया जाये या फिर सरकार उसका मुआवजा दे और पीने के पानी की व्यवस्था करे ताकि लोग पलायन करने से बच सके, लोगों स्वास्थ्य खराब होने से बच सके और लोगों को राहत मिल सके।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत जहाज के अंदर एक दिसम्बर, 2010 में बोरवेल ड्रिलिंग यूरेनियम के लिये की गयी थी। यह कार्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटोमिक मिनरल डिवीजन के द्वारा किया जा रहा है। यह यूरेनियम न्यूक्लियर और एटोमिक यूज के लिये काम में लिया जाता है। 113 बोरवेल खुदे हैं। 2012 से 780 मीटर के बीच में ये खुदे हैं और यूरेनियम की जो खोज है, उसके लिये केन्द्र सरकार को पोल्यूशन कट्रोल बोर्ड से या हमारे डिपार्टमेंट से एन.ओ.सी. या कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट को यह सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारा डिपार्टमेंट, माइंस डिपार्टमेंट और दोनों माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, यूरेनियम जो बोरवेल ड्रिल करके निकाला जाता है, वह बहुत सुरक्षित तरीके से निकाला जाता है और माननीय मंत्रीजी पी.डब्ल्यू.डी. देखेंगे कि यह पानी जो प्रदूषित हो रहा है, क्या यह गहरा जाने की वजह से इसका टी.डी.एस. फैक्टर बढ़ रहा है और क्लोराइड निकल रहे हैं, जोकि औसत राजस्थान के अंदर यही होता है कि जितना आप गहरा जाते हैं, पानी का भूजल लेवल जितना नीचे जाता है...।

तो इसके अंदर आपने यह इश्यू रेज किया और चाहे केन्द्र सरकार हो,

(श्री गजेन्द्रसिंह)

चाहे कुछ भी हो, हमारे राजस्थान की जनता है, उनको किसी तरह से इस ड्रिलिंग से यूरेनियम के माध्यम से पानी को दूषित होने के लिये हम कठोर कदम उठायेंगे और हमारे तीनों डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर इस समस्या को पहले तो हम फाइंड आउट करें कि क्या यूरेनियम से पानी प्रदूषित हो रहा है, इससे क्या रिस्क है और इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन मात्र इतना है कि आप यूरेनियम खोद रहे हैं कि कुछ और खोद रहे हैं? मेरा अभिप्राय उन लोगों को पानी पिलाने से है, जिनका पानी लेवल, भूजल नीचे चला गया है और पानी खारा हो गया है। वहां पर पशु पानी पी नहीं पाते, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मैं उनकी चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं आपके सामने। मैं यह कह रहा हूं उन लोगों का, जिनकी पंचायत में आप खुद यह मान रहे हैं, तो उनके लिये पानी की व्यवस्था की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाओ, आपका जवाब मेरे ख्याल से जलदाय मंत्रीजी दे देंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के उपक्रम द्वारा जो यूरेनियम की खोज की जा रही है, उसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने आपको जवाब दिया। मैं तो आपका पानी खारा हो गया, या इंसान और पशुओं के लिये पीने के पानी नहीं मिल रहा है, इस संबंध में किस कारण से खराब हुआ है, उसके लिये भूजल विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर इसकी जांच करवा दूंगा और जांच करवाने के बाद में जो जांच रिपोर्ट आयेगी कि वाकई में जहाज गांव में पानी खारा हो गया है, तो आपके पीने के पानी की व्यवस्था करने का प्रबन्ध करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, इसके दो स्टेजेज हैं। अगर कंटेमिनेशन से खारा हुआ है तो अब तक इसकी जांच होकर इसका प्रतिफल क्यों नहीं मिला? और अगर रेडिएशन से कंटेमिनेशन हुआ है, तो फिर स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल असर पड़ा होगा, जो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज है। इसलिये आप पर्यावरण, जलदाय और चिकित्सा, तीनों विभागों की टीम गठित कीजिये जिससे इसका पूरा सर्वे हो सके। ठीक है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके आदेश की पालना होगी।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, संसदीय कार्य मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में पहले कोई शिकायत नहीं आयी है, यह पहली बार ही आयी है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन को सिर्फ एक बात का स्मरण कराना चाहता हूं कि आर.ए.पी.पी. वन और टू के समय में भी इस प्रकार के रेडिएशन से संबंधित कुछ विषय तत्कालीन विधान सभा में आये थे, जिसका सर्वे भी हुआ था और उसकी एक रिपोर्ट भी आयी थी। इसलिये यह तकरीबन उसी प्रकार का एक सवाल है, और चिन्ता का विषय इसलिये है कि अगर कंटेमिनेशन हुआ तो यह कोई साधारण कंटेमिनेशन नहीं है। इसके परिणाम नैक्स्ट जनरेशन पर भी आते हैं। इसलिये इसका पूरी तरह से डिटेल परीक्षण कराया जाए।

श्री ज्ञानदेव जी आहूजा।

सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व जल संसाधन विभागों में समयबद्ध पदोन्नति

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक गंभीर विषय पर्ची के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। वह यह है कि सभी कैटेगरी आर.पी.एस. को, आर.ए.एस. को, लेक्चरर्स को, डाक्टर्स को, यहां तक कि एम्प्लाइज को और अकाउंट्स के अधिकारियों को टाइम बाउण्ड पदोन्नति दी जाती है, समयबद्ध उनको पदोन्नति दी जाती है, परन्तु इंजीनियर्स ऐसा वर्ग है, इंजीनियर्स सार्वजनिक निर्माण विभाग में, सिंचाई विभाग में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, विद्युत की छहों कम्पनी, तीनों वितरण निगम, दोनों प्रसारण निगम, उत्पादन निगम और हाउसिंग बोर्ड में भी इंजीनियर्स हैं, रोड़वेज में भी है, मार्केटिंग में भी हैं और लघु उद्योग निगम में भी हैं। इसके अलावा सभी कार्पोरेशन और सभी निगम बोर्ड में इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमाधारी है, बी.टेक. है, एम.टेक. है, परन्तु इनको समयबद्ध पदोन्नति नहीं दी जाती और यह पदोन्नति बाकी सब कैटेगरी को मिलती है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया और यह टाइम स्केल पदोन्नति का हवाला हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी है। अब घोषणा पत्र में से बाकी सब बातों का एक-एक वादा पूरा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार और सरकार से संबंधित मंत्रियों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो समयबद्ध पदोन्नति है, यह सभी डिप्लोमाधारी, बी.टैक या एम.टैक जो भी इंजीनियर्स हैं, उन सबको दी जाए और विशेष रूप से पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से निवेदन है कि 37 परसेंट इंजीनियर्स के पद पी.डब्ल्यू.डी. में रिक्त हैं। आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इंजीनियर्स की कमी है तो वह काम समयबद्ध पूरा नहीं होगा। यह मेरी साधारण बात, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं। कृपया संबंधित मंत्रीजी जवाब दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): विषय काफी विस्तृत है और सभी विभागों के इंजीनियर्स से संबंधित है। इसलिये तुरन्त सारे विभागों की जानकारी लेकर तुरन्त जवाब देना तो संभव नहीं है, लेकिन ग्रेड-पे 3600 से ऊपर जो भी कर्मचारी है, उसकी आर.पी.एस.सी. के मैम्बर की अध्यक्षता में उनकी डी.पी.सी. होती है और रेगुलर उनकी डी.पी.सी. जितने पद खाली होते हैं उसके आधार पर होती है। नीचे का जो ग्रेड है वो डिपार्टमेंट की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो समय-समय पर करे और यह आदेश बराबर सभी डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि वो समय पर पदोन्नति के लिए डी.पी.सी. का काम करे लेकिन फिर भी कई डिपार्टमेंटों में जितनी रिक्तता होनी चाहिए, जितनी सेवानिवृत्त होनी चाहिए उसकी तुलना में अधिक लोग उसके लिए इलिजेबल होने के कारण से भी कुछ उसमें से विलम्ब है। लेकिन उसको व्यक्तिगत फायदे की दृष्टि से 9, 18, 27 का लाभ कुछ लोगों को मिलता है, 10, 20 और 30 का लाभ भी देकर के उनको पे तो प्रोटेक्ट हो जाती है लेकिन पदोन्नति वास्तव में जो उनको मिलनी चाहिए वो समयबद्ध सेंट-परसेंट नहीं है। इस बात को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है।

विभाग समय-समय पर सारे विभागों को यह सूचना देता रहता है कि आप समय पर इनकी डी.पी.सी. करें पर कई बार डी.पी.सी. के लिए पात्रता भी नहीं होती है कि जितना मिनिमम उसका ड्यूरेशन चाहिए, वो नहीं होता,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तो कई बार वो छूट लेने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी उनको एक सरटेन पीरियड की छूट देकर के भी उस विभाग के लोगों को पदोन्नति का अवसर देते हैं।

लेकिन चूंकि विषय इतना विस्तृत है और इंजीनियर स्टॉफ एक विभाग में नहीं, कई विभागों में काम करते हैं इसलिए एकदम यह बताना कि किस विभाग में किस लेवल तक की डी.पी.सी. हो गयी और किस लेवल की डी.पी.सी. बाकी है, लेकिन मैं यह प्रयास करूंगा, सारे विभागों से सूचना एकत्र कर के माननीय सदस्य को भी और सदन को भी आने वाले, महीना लगेगा या डेढ़ महीना लगेगा लेकिन सूचना जरूर देंगे कि किस की डी.पी.सी. इन्जीनियर की किस स्टेज पर आज की तारीख में है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समयबद्ध पदोन्नति का समय भी निश्चित करवाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है।

पहले भी विधान सभा में मैंने डेयरी के इंक्वायरी बैठायी थी, उसका 60 दिन में जानकारी और इंक्वायरी देने के लिए कहा गया था और पी.डब्ल्यू.डी. की इंक्वायरी एक पुल की, ब्रिज की बैठायी, उसका 90 दिन के लिए कहा गया था। पिछले बजट की बात है, यह दूसरा बजट सेशन आ गया, सवा साल हो गया, अभी तक जब मुझे वो इंक्वायरियों की ही जानकारी नहीं दी गयी है, तो यह जानकारी का, समयबद्ध पदोन्नति का समय तय करें। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता। यह निवेदन कर सकता है कि सुविवेक से उचित समय की अवधि में आपको जानकारी उपलब्ध करा दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह विधान सभा की सेंक्टिटी तो है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। पिछली बार की इंक्वायरी की मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं दी गयी है। आखिर इस विधान सभा की अपनी ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। मंत्री जी क्या फरमाना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से एक क्वेश्चन उठाया है। हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में समयबद्ध पदोन्नति करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। सही कह रहा हूं मैं। हमारे अनुभव के आधार पर और रिक्तियां होने के आधार पर पात्रता के अनुसार उनको पदोन्नति दी जाती है और ए.सी.पी. का लाभ 10, 20, 30 का उनको समय पर दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

पश्चिमी राजस्थान में बेमौसम बारिश, आंधी व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके समक्ष कुदरत के उस कहर की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। राजस्थान और विशेष कर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी जोधपुर जिले में और जोधपुर जिले की लूणी तहसील, उप तहसील झंवर, तहसील जोधपुर और तहसील बिलाड़ा और सिवाणा, इन में एक दिन पहले जो काश्तकारों के खेतों में, खलियानों में उनकी पूरी तीन-चार महीने की कमाई की जो फसलें खड़ी थी या खलियान में रखी हुई थी या खेत में काटी हुई पड़ी थी, इन फसलों पर कुदरत ने अचानक शाम के करीब पांच-छह बजे कहर ढहाना शुरू कर किया। सबसे पहले बहुत तेज आंधी अंधड़ के रूप में आयी और उसके पीछे-पीछे तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई और उसके बाद करीब-करीब रात भर तक बरसात होती रही। इस कारण काश्तकार को मौका ही नहीं मिला और उसके लिए संभव ही नहीं था कि वो उस फसल को और कहीं ले जाता या उस फसल का दाना निकाल देता, खेत में पड़ी थी तो खेत में, पड़ी रह गई, खेत में खड़ी थी तो खेत में खड़ी, खलियान में पड़ी थी तो खलियान में और दाना निकालने की स्थिति में थी उसी स्थिति में वो वैसे ही पड़ी रही और इस बरसात के कारण पूरी भीग गयी। भीग ही नहीं गयी, चाहे फसल में वो जीरा है, जीरा हवा से भी, नमी से भी और बरसात से भी पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। और जो जीरा खड़ा था वो हवा से झड़ गया, जो आंधी आयी उससे बिखर गया और उसके बाद रात भर जो बरसात हुई उससे बिलकुल खतम हो गया, ब्लैक हो गया, एकदम काला हो गया।

(श्री जोगाराम पटेल)

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मार्च के महीने में, जैसा अभी मौसम विभाग वालों ने बताया है, पिछले करीब दस-बारह वर्षों में पहली बार इस मार्च के महीने में एक इंच से दो इंच और उससे भी अधिक बरसात इस मौसम में हुई है और रात भर तक लगातार, जो बरसात के मौसम में बरसात नहीं होती है उससे भी अधिक बरसात हुई है। ऐसी स्थिति में काश्तकारों के साथ जो अन्याय हुआ है, काश्तकारों के साथ कुदरत ने जो अन्याय किया है और उसकी पूरी तरह से कमर ही तोड़ दी है।

मैं विशेष रूप से आपके मार्फत निवेदन भी करना चाहूंगा कि खरीफ की फसल भी लूणी तहसील, जोधपुर तहसील और झंवर उप तहसील में पूरी की पूरी समाप्त हो गयी थी। जिसका आज एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि लूणी तहसील के 174 गांव और जोधपुर जिले के पांच ग्राम पूर्ण रूप से अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं, और वो तो पूरे के पूरे अभावग्रस्त हो चुके हैं और रबी की फसल आयी तो रबी की फसल भी कल पूर्ण रूप से खराब हो गयी।

कल हम पूरे दिन अधिकारियों को साथ ले जा कर खेत-खेत, ढाणी-ढाणी घूमे तो जहां गये वहां काश्तकार रो रहा था, अपनी किस्मत को रो रहा था, एकदम पकी-पकाई फसल खराब हो गई, समाप्त हो गयी और उसके इतना उनके साथ अन्याय हुआ कि वो इसे झेलने की स्थिति में नहीं हैं। कई लोगों को हमने आश्वासन दिया कि अब कुदरत की मेहरबानी है या कुदरत का कहर है, जिस रूप में भी लें, वो भगवान की कृपा है, उसको झेलना पड़ेगा, लेकिन राज आपके साथ नहीं रूठेगा, राज आपकी पूरी मदद करेगा और ऐसा हुआ भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी इन दो-तीन तहसीलों में ऐसा ही हुआ था। संवत् 2069 में भी बहुत भयंकर ऐसी आपदा आयी थी, संवत् 2070 में भी आयी थी, 2071 में भी आयी थी पर मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को, आदरणीय मंत्री जी को कि संवत् 2069 में 1744 काश्तकारों का 59 लाख 62 हजार 507, संवत् 2070 का 48 हजार 563 काश्तकारों का 27 करोड़ 4 लाख 88 हजार 907, संवत् 2071 की खरीफ फसल का, वो 2069 और 70 दोनों खरीफ फसल के हैं, संवत् 2071 की खरीफ फसल का 16 हजार 894 काश्तकारों का 7 करोड़ 29

(श्री जोगाराम पटेल)

लाख 8787 और इसी वर्ष का रबी की फसल का 1610 काश्तकारों का 2 करोड़ 65 लाख 10 हजार 330 और संवत् 2072 के 3121 काश्तकारों का 2 करोड़ 41 लाख 92 हजार 856 और पांच गांव, एक और है जिनके 1372 काश्तकारों का 1 करोड़ 42 लाख, 7 लाख 524 रुपये का मुआवजा एक साथ गत वर्ष पूरा-पूरा बकाया पूर्ववर्ती सरकार के समय का, संवत् 2069 का, 70 का, 71 का और 72 का, यह पूरा का पूरा मेरे विधान सभा क्षेत्रा में करीब 46 करोड़ का मुआवजा बनता था, वो पूरा एक साथ दिया, उसके लिए तो आपको धन्यवाद है। लेकिन अब काश्तकार आपकी ओर देख रहे हैं।

विशेष रूप से इस बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि के कारण लूणी तहसील, झंवर उप तहसील और जोधपुर तहसील के साथ ही साथ बिलाड़ा के बोरूंदा, रणसी गांव, हरिया ढाणा, खेजड़ला, समगड़िया, भगासनी, झाग, खारिया मीठापुर, बिजवाड़िया, बरना, जैतीवास, मालकोसनी, पिचयाक में जीरा, ईसबगोल, सौंफ, गेहूं, सुआ की खेती पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी है। मेरे पड़ौस में सिवाणा तहसील है, उसके भी सेम, हमारा एक ही कल्चर है, वहां भी यही फसलें खड़ी थीं जिसमें विशेष रूप से जीरा, गेहूं, ईसबगोल, यह भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के मुंह में आया हुआ कलेवा समाप्त हो गया है और खड़ी फसल बरबाद होना, खलियान में रखी हुई फसल बरबाद होना, अपने सामने औलाद की हत्या होने के समान है, पर वो कुछ कर नहीं सकता पर आपसे निवेदन अवश्य कर सकता है। आपके मार्फत सरकार से निवेदन कर रहा है कि वो जो जीरा काला पड़ गया है, झड़ गया है, खतम हो गया है, बेकार हो गया है, जो गेहूं तेज अंधड़ के कारण नीचे गिर गये हैं, जिसका दाना खराब हो गया, सड़ गये हैं, उसमें जो घासफूस निकलता है, वो भी खराब हो गया है, ईसबगोल तो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। यह जो कॉमर्शियल फसलें हैं, ईसबगोल, सौंफ, गेहूं आदि भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हम व्यक्तिगत रूप से कल आपके अधिकारियों के साथ जाकर के देखकर आए हैं। सारे समाचार पत्रों ने भी यह रिपोर्ट लिखी है। आपके मौसम विभाग

(श्री जोगाराम पटेल)

ने भी फसल के बारे में और कितनी बरसात हुई उसके बारे में बताया है। आप इसकी तुरंत प्रभाव से जांच करावें। जांच तुरंत हो और काश्तकारों को कोई अंतरिम मुआवजा मिले, आप इसकी व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे पुन: निवेदन है कि मेरी इन तीनों तहसीलों में खरीफ की फसल भी बरबाद हो गई और रबी की भी बरबाद हो गई, तो काश्तकार कैसे जीएगा? वह आपकी तरफ देख रहा है। भगवान ने, कुदरत ने तो कहर कर दिया, लेकिन अब वह आपकी तरफ देख रहा है। राम रूठ गया, लेकिन राज मत रूठना, यह मेरा आपसे निवेदन है। आप किसानों की हालत को देखते हुए जो तुरंत प्रभाव से हो सकता है, वह उनकी सहायता करें। उनको अंतरिम मुआवजा दिलावें। इसका चाहे आपको जो सर्वे कराना है, वह करावें। जो कुछ भी इनको माफी देनी है वह माफी दिलावें।

आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

जोधपुर-नागौर में बारिश-ओलावृष्टि से हुई क्षति का मुआवजा

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि किस तरह से इनके लूणी में, जोधपुर में 18 तारीख को बेमौसम बारिश हुई। तेज अंधड़ चलकर के ओलावृष्टि हुई। हजारों हैक्टेयर में जीरा, ईसबगोल, सौंफ, जौ और चने की फसलें नष्ट हो गईं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके खींवसर में जहां सबसे ज्यादा जीरे और ईसबगोल की खेती होती है, वहां भी नुकसान हुआ।

सबसे पहले तो मैं आपका ध्यानाकर्षित इस बात की ओर करना चाहूंगा कि 2015 के अंदर जब ओलावृष्टि हुई थी तो सदन की कार्यवाही रोककर के प्रत्येक विधायक को उसके विधान सभा क्षेत्र में जाकर के, पूरा सर्वे करके वापस इस मामले में सरकार ने चर्चा कराई थी। उसमें एक बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि इस बार विशेष आर्थिक पैकेज राजस्थान सरकार देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जब राम रूठ जाता है तो किसान और जवान सरकार की ओर देखता है। किसान की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई। आपके जो नार्म्स

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हैं, उसमें आप लघु, सीमांत, सीमांत का पहले जब 50 परसेंट तक खराबा हो जाता था तो आप लोग मुआवजा देते थे। अब आपकी दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके अंदर अगर 33 परसेंट तक फसलें खराब होती हैं तो भी सरकार मुआवजे की बात करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह लघु-सीमांत, सीमांत का बीच में जो राइडर है, इसको हटाना चाहिए। अगर किसी किसान ने जीरे और ईसबगोल की 50 बीघा या 100 बीघा में खेती की और उसका पूरा जीरा और ईसबगोल नष्ट हो गया तो वह ना तो लघु-सीमांत, सीमांत की श्रेणी में आता है, उस पर तो एक तरह से दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। पिछली बार सदन में हमारे आपदा राहत मंत्री जी ने यह भी कहा था कि खसरे को इकाई मानकर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा देंगे। हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान निहित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस किसान ने कर्जा लेकर के खाद, बीज लिए और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से वह गर्त में चला गया। आज राजस्थान में साढ़े 3 साल के अंदर और उससे पहले भी किसानों ने कर्जे से तंग आकर के, किसान स्वाभिमान होता है और जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो उन्होंने आत्महत्याएं की हैं, अब भी की हैं और उससे पहले भी की हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना जो चला रखी है, उसके तहत बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं मेरे वहां का ही एक उदाहरण बताऊंगा कि सरकार फसल बीमा योजना का ढोल पीट रही है, मगर पिछले वर्ष की फसल की बीमा प्रीमियम की राशि किसानों से काट ली गई। केन्द्र सरकार ने भी प्रीमियम की राशि जमा करवा दी थी। मगर राजस्थान सरकार ने अपने हिस्से की राशि अभी तक नहीं जमा करवायी, इसलिए किसानों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया। इस बार प्राकृतिक आपदा से किसानों को नुकसान हो गया। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जब तक किसानों का आर्थिक लाभ नहीं होगा, तब तक सभी प्रकार के विकास गौण हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागौर का उदाहरण आपको दूंगा। इस बार 30,913

किसान ही बीमा करवा पाए। जबकि पिछले वर्ष 1 लाख 50 हजार से अधिक किसानों ने फसलों का बीमा करवाया था। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि नोट बंदी के बाद बैंकों ने किसानों के केसीसी को रिन्यू करने से आनाकानी की और किसानों को घुमाते रहे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह नोट बंदी ओलावृष्टि में कहां से आ गई? कहां से कहां चले गए माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं कहां बोल रहा हूं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सदस्य, यह आपको लिखकर के किसने दिया, यह तो बता दो? आप तो सारा पढ़ रहे हो। टेबल कर दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सिंघल साहब, एक मिनट।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप तो विद्वान सदस्य हो। अपने विवेक से ही बोल दो। पर्ची के माध्यम से आप विषय को कहां से कहां ले जा रहे हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): फसल बीमा का बता रहा हूं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): नोट बंदी ने तो वह प्रमाण दे दिया देश में कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैसा जोरदार मैन्डेट दिया है। इस नोट बंदी के बाद वहां की जनता ने। अब यह नोट बंदी, नोट बंदी का गीत बंद करो। यह नोट बंदी तो प्रमाणित हो चुकी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं किस पर बोल रहा हूं, यह पता है क्या आपको? कौनसी नोट बंदी? ऐसे ही खड़े हो जाते हो, बनवारी जी, आप। बहुत खुश हो रहे हो बनवारी जी 11 तारीख के बाद। पहले तो नहीं बोल रहे थे। कोई खास बात है क्या? ओथ वाली बात सच हो सकती है क्या?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नोट बंदी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसान का फसल बीमा जो पिछली बार कराया था, उसकी तुलना में इस बार कम हुआ है। जब फसल बीमा नहीं होगा तो उसको कहां से भुगतान करोगे? इस बात को मैं कह रहा हूं।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों को घुमाते रहे, जिसकी वजह से किसान फसल का बीमा नहीं करवाया पाया। अब आपदा से फसल नष्ट हो गई। किसान पर तो दोहरी मार लग गई। पूरे प्रदेश में इस वर्ष 11,67,415 किसान ही बीमा करवा पाए क्योंकि बिना केसीसी रिन्यू किए प्रीमियम राशि नहीं कट पाई। मैं कहूंगा कि यह फसल बीमा योजना किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। राजस्थान की सरकार इस प्रकार से किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए ठोस नीति एवं कानून लेकर आए।

उपाध्यक्ष महोदय, 28 नवम्बर, 2013 को भारत सरकार के आपदा प्रबंधन के उप शासन सचिव ने स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फंड व नेशनल डिजास्टर रेस्पोंस फंड के लिए नियम और प्रावधान तय किए। इसमें कृषि क्षेत्र की आपदाओं में लघु व सीमांत कृषकों को बरसात से होने वाली खेती में 4500 रुपए प्रति हैक्टेयर तय किया। जीरे की जो फसल है वह 1 बीघे में 80 हजार से 1 लाख तक की होती है। लेकिन आप उसको प्रति हैक्टेयर 4500 रुपए दोगे। मैं चाहूंगा कि इसकी सीमा बढ़े। सिंचित क्षेत्र में 9 हजार की बात कही है, इसको भी बढ़ाना चाहिए। बारह मासी फसलों हेतु 12 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर देने का जो नियम बनाया है, वह बहुत कम है। इन सबको 3 से 5 गुणा किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि जितने प्रतिशत खराबा हुआ, उतना भुगतान किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तो स्वागत करता हूं कि 50 प्रतिशत खराबे को दिल्ली की सरकार 33 परसेंट पर लाई। लेकिन अब 33 परसेंट भी मत रखो। जिसका जितना नुकसान हुआ, उसका सर्वे कराओ और उनको सरकार मुआवजा दे। किसान सिर्फ अपना हक मांगता है। किसान हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अब किसान के पास चारा क्या है? उसके पास खेती ही है। हमारे इलाके में सिंचित क्षेत्र नहीं है। हनुमानगढ़, गंगानगर और कोटा डिवीजन को छोड़ दें, तो यहां पर वर्षा आधारित खेती है। यहां ट्यूबवैल और कुओं से किसान धरती का सीना चीरकर अन्न उत्पादन करता है। जीरा, ईसबगोल जैसी फसलों में थोड़ी सी भी प्राकृतिक आपदा होने पर पूरी फसल नष्ट हो जाती है। जीरे की फसल तो ऐसी है कि आज बरसात

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हुई और तीन दिन ओस पड़ी तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ईसबगोल की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, चुनावी साल भी 2018 के अंदर है। किसानों के लिए विशेष पैकेज की राजस्थान सरकार घोषणा करे।

एक, आपने आपदाओं में जो नियम हैं, उसके अंदर पूरा मकान अगर टूट जाए तो उसमें आप 17 हजार रुपए देते हो। अब आप बताओ इस महंगाई के जमाने में 17 हजार रुपए में घर बनता है? इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाए।

आपने पशु के लिए कर दिया। भैंस, गाय अगर कोई इसकी भेंट चढ़ जाए तो ...।

श्री उपाध्यक्ष: आपका विषय तो केवल फसलों के नुकसान के संबंध में था। आपदा में तो बहुत सी और चीजें भी आती हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, यह भी प्राकृतिक आपदा ही है। मेरा निवेदन यह है कि इन सब नियमों को बदलकर के इनसे किसानों का भला कैसे हो, इस दिशा के अंदर सरकार को सोचना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: अब मैं जवाब दिलवा दूं सरकार से?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मंत्री जी बहुत गंभीर हैं इस मामले में। लेकिन खाली भाषण देने से और यहा गंभीरता दिखाने से नहीं होगा। राजस्थान के किसान का भला कैसे हो, इस दिशा में अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक होगा। 5 दिन पहले भी हमारे सांचौर में नुकसान हुआ था।

(13.00 बजे)

राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई थी लेकिन परसों जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बेमौसम बरसात हुई, जो कहर प्रकृति ने ढहाया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। खाली उत्तर प्रदेश के चुनाव से 2018 में आप पार नहीं होंगे जब तक आप किसान, जवान का भला नहीं करोगे तब तक, आप तो बाबा, योगी का कर रहे हो, वह चलने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय। ...(व्यवधान)... अब आप विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप राजस्थान के किसान की मदद करें और उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को टोकना तो नहीं चाहता लेकिन जो पर्ची का आपने कंटेंट दिया उसको भी आपको जरूर ध्यान में लाना चाहिए। यह कंटेंट केवल भाषण देने के लिए उपयोग करना उचित नहीं लगता है मुझे। आपका कंटेंट यह था, जोगाराम जी ने पर्ची में कहा कि राजस्थान में बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान। इसी तरह से बेनीवाल जी का था कि प्रदेश में नागौर, जोधपुर सहित अनेक स्थानों पर हुई बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का किसान के बारे में। एक सीमित आपका प्रश्न था लेकिन आपने तो पूरी रामायण ही बांच दी। अगर आप सुनना चाहते हो और सदन अगर समय दे तो मैं आपको पूरी रामायण का उत्तर भी दे सकता हूं क्योंकि रामायण आपने ही नहीं पढ़ी, मैंने भी पढ़ी है। ...(व्यवधान)...

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, दोनों माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाया है, वह बिलकुल ठीक है। 9 और 11 मार्च के बीच में और 18 और 19 मार्च के बीच में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश के कारण से कुछ हानि हुई है। वैसे गिरदावरी का समय था वह था हमारा फरवरी से शुरू हुआ और 5 मार्च तक हमारी गिरदावरी रिपोर्ट आ रही है लेकिन यह गिरदावरी रिपोर्ट की जो तारीख थी 5 मार्च उसके बाद की कहानी है। विभाग जितना जल्दी अपनी जो कुछ भी जानकारी मंगा सका, यह परफैक्ट नहीं है, लेकिन मोटी-मोटी जानकारी, इन दिनों में जो नुकसान हुआ जिलों में, इसमें जोधपुर आता है, नागौर आता है, जैसलमेर है, भीलवाड़ा है, करौली है, हनुमानगढ़ है, जयपुर है और अलवर है। इन सारों में विशेषकर जिनमें नुकसान अलग-अलग तहसीलों का भी हमने सारा निकाला है, जो अनुमानित हमारे आंकड़े के आधार पर आया 292 गांव ऐसे हैं इन सब जिलों के जिनमें 33 परसेंट से अधिक खराब है संभावित हम मानते हैं। टोटल जो खराबा जिन गांवों में हुआ है उनमें 593 में हुआ है। सारा का सारा हर गांव के हिसाब से, हर तहसील के हिसाब से सूची मेरे पास है। विशेष खराबे वाले जो हमारे स्थान हमारे पास अंकित होकर आए हैं उनमें भोपालगढ़ में हमारा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विभाग मानता है कि 33 से लेकर 70 तो गांव हैं और 33 से लेकर 49 प्रतिशत का खराबा, हमारा अनुमान है। अभी एक्चुअल तो गिरदावरी से आएगा कि वास्तव में कितना हुआ। इसी तरह से आपका तिवरी में 7 गांवों में नुकसान हुआ 10 से लेकर 30 मानते हैं, बावड़ी में हम लोग 10 गांवों का नुकसान 35 से लेकर 45 परसेंट मानते हैं। लोहावट में 126 गांवों में 10 परसेंट से लेकर 100 परसेंट तक का खराबा आंका है। पोकरण में 28 गांवों में 10 परसेंट से लेकर 100 परसेंट तक का हमारा अनुमान है। मणियाणा में 53 गांव हैं, 10 से लेकर 80 परसेंट के बीच में खराबा आता है। इस तरह से खराबे की जो रिपोर्ट है, अभी तक जो आई है लेकिन हमने हमेशा यह कोशिश की है कि गिरदावरी के समय के बाद भी विभाग ने गिरदावरी करने के लिए समय-समय पर आदेश दिए हैं और आज भी हम इस खराबे को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक फसल की गिरदावरी के लिए कहेंगे और वहां से जितना भी खराबा आएगा उसकी हम पूर्ति करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल शोर्ट रूप में कहना चाहूंगा कि जितनी संवेदना पूर्वक हम लोगों ने किसानों के इस आपदा राहत के तहत सहयोग हम दे सकते हैं, मैं अभिमान से तो नहीं कह रहा हूं, पर मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूं कि पिछली सरकार के चार वर्ष में जो घाटा हुआ उसमें से आपने किसान को जो पैसा दिया वह 917 करोड़ रुपया दिया 2008-09 से लेकर 2012-13 तक और हमने 2013-14 से अब तक 6290 करोड़ रुपए, 6290 करोड़ रुपया देकर हमने किसान को ऑन लाइन पेमेंट किया है। लाखों किसानों का पेमेंट सीधा उनके खाते में गया है। बहुत ही संतोष के साथ कह रहा हूं कि सिंगल शिकायत राजस्थान में किसी भी किसान की मेरे पास दर्ज नहीं हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमारे पास है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके पास थी तो हमारे पास भेज देते। हम कोई ना थोड़े ही कर रहे हैं, लेकिन आप तो केवल भाषण देने का आपका मन बना हुआ था तो आप देते रहे। ...(व्यवधान)... आप जो कह रहे हो कि 33 परसेंट जिनका खराब हुआ, मैं 2072 का आदरणीय लूणी से आने वाले माननीय सदस्य को बताऊं, बहुत कोशिश की, जैसे-जैसे हमारे पास पैसे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आते गए, वैसे-वैसे हम पेमेंट करते चले गए, ऑनलाइन कलेक्टर के खाते में डाला, 2072 का मैं कह रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप बार-बार कह रहे हो भाषण दे रहे हो यहां, हमारा यहां भाषण देना आपको अच्छा नहीं लगा?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे रहे हैं तब बीच में कोई भी व्यवधान नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने सबसे पहले 75 से लेकर 100 प्रतिशत तक जो खराब था, उसमें वह जो लघु और सीमांत किसान थे, मैंने पहले उनका चयन किया, जैसे-जैसे मेरे पास पैसे आते गए, करता गया, शायद यह पहली बार हुआ होगा राजस्थान में कि आदमी की और किसान की समस्या को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध साधन को पहले उसे देने का प्रयास किया और वह मैंने 1.7.2016 को ही 507 करोड़ रुपया ऑनलाइन कलेक्टर के खाते में डाल दिया, 1.7.2016 को ही, उसके बाद 50 से लेकर 75 परसेंट का जो लघु और सीमांत था उसको मैंने 1.7.2016 को ही और उसके बाद जो बड़े किसान थे उनको भी 50 से लेकर 75 और ऊपर 100 परसेंट का खराबा हुआ, उनका भी सारा पेमेंट 21.11.2016 को 1231 करोड़ रुपया, ऑनलाइन खाते में डालकर उनको उपलब्ध करा दिया। यह राजस्थान का पहला अवसर होगा कि 33 परसेंट से 50 परसेंट तक का खराबा होने वाले किसानों को भी हमने पेमेंट किया है। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बड़े किसानों में घनश्याम जी आप भी आते हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अभी 33 परसेंट से 50 परसेंट का जो खराबा है उसको लघु और सीमांत को ही कर पाए हैं, यह बात सही है और उनके भी हमने 72 करोड़ रुपए खाते में डाल दिया है। जैसे ही पैसा उपलब्ध होगा, लघु और सीमांत से भी ऊपर का जो किसान है उसको 33 से लेकर ऊपर के खराबे को भी उसमें उसका पेमेंट निश्चित रूप से कर लेंगे। मैं सोचता हूं कि आदरणीय जोगाराम जी ने जिस विषय को उठाया, मैं सोचता

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हूं कि यह जो आपने अपने क्षेत्र के प्रश्न के माध्यम से पूछा था, मैं सोचता हूं कि उतना लम्बा तो जवाब देना ठीक नहीं है लेकिन आपने जो भी मुझे दिया है, मैंने उसका सारे का पेमेंट कराने का प्रयास किया है, अभी जो खरीफ की फसल का नुकसान हुआ है, यह जो हमारा वर्ष है, बाढ़ के कारण से राजस्थान में हमने 1905 गांवों में अभाव ग्रस्त घोषित करने की सूची में रखा और जहां पानी कम गिरा, सूखा हो गया, ऐसे 6 जिलों में 3751 गांव, कुल 5656 गांवों का हमने मेमोरेंडम बनाकर राज्य सरकार ने 5036 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम भेज दिया समय पर, कभी भी हमारा एक दिन भी विलम्ब नहीं हुआ, हमारी जो टीम दिल्ली से आनी है, वह आ गई, अपना निरीक्षण करके गई है, जैसे ही हमें उपलब्ध होगा हम निश्चित रूप से इस खरीफ की फसल में जिन किसानों का नुकसान हुआ उनका भी हम समय पर पेमेंट करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि किसान की हर समस्या को हमने मुख्य मंत्रीजी के आदेश से जितना तुरंत और, तुरंत एक्शन किया और जिस कारण से जो किसान को हम दे सकते थे, अभी आपने देखा कि केवल यह जो गौशालाएं हैं, हमने आपदा राहत के तहत इन सालों में 503 करोड़ रुपया विभिन्न गौशालाओं को हमने दिया है। हमने जितने पुल टूटे हैं, जितनी सड़कें टूटी हैं, अभी तक 101 करोड़ रुपया विभिन्न जिलों को, जिनके प्रस्ताव आया है, उनको हम पेमेंट कर चुके हैं, कुछ पेमेंट हमारा अभी भी होना बाकी है तो हमने हर चीज को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, आपकी डिमांड के अनुसार और आपके कहे अनुसार पूर्ति करने का प्रयास किया है और जो जानवर मरा है, जो बकरी मरी हैं, सबका पेमेंट हमने किया है, जो मकान गिरे हैं उनका सबका पेमेंट हमने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि किसान की हर समस्या हमारी अपनी समस्या है उसको हल करने में किसी प्रकार का कोई विलम्ब करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने पूरी तरह से की है और आगे भी उसको पूरी मदद करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि मंत्री महोदय, आप भी कुछ फरमाना चाहेंगे?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपदा राहत मंत्रीजी ने आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी सदन को दी है। खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया कि फसल बीमा योजना में भी किसानों को जो नुकसान हुआ है, इसके बारे में मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि 2016-17 में नागौर जिले में 30913 कृषकों ने अपना 71956 हैक्टेयर का बीमा कराया है। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा निश्चित रूप से आपदा राहत के अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने बीमा कराया है उनके बारे में 9 से 11 और 18 से 21 तारीख तक बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि हुई है, उसके बारे में एक कमेटी का गठन विभाग के द्वारा कर दिया गया है। उसमें सहायक कृषि अधिकारी, एक वहां का गिरदावर, एक बीमा प्रतिनिधि और किसान शामिल होंगे। यदि किसान के खेत में कटी हुई फसल यदि 14 दिन के अंतर्गत भी खराब हुई है या ओलावृष्टि से भी उसकी फसलें खराब हुई है तो एक कमेटी का गठन करके निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले नुकसान का, क्योंकि मुआवजा देने का काम बीमा के अंतर्गत होता है। इनपुट सब्सिडी जो अनुदान देते हैं वह आपदा राहत से देते हैं। मैं समझता हूं दोनों ही योजनाओं में राजस्थान के किसान के लिए नुकसान के वक्त में राजस्थान की सरकार कृत संकल्पित है और निश्चित रूप से हम लोग उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करने का काम शीघ्र करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक लाइन अगर आप रिपीट करें तो।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे पर्ची के विषय पर किसी प्रकार का प्रश्न, पूरक प्रश्न या वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि यह किसानों की फसल से संबंधित विषय है। इसलिए विशेष परिस्थिति में आसन यह अनुमति दे रहा है, लेकिन इसको आप परम्परा न बनाएंगे। It will not be a precedence later on.

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 18 तारीख को बरसात में मेरे बाड़मेर जिले की तीन तहसील हैं (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कृषि मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन यह है, आपने कमेटी बनायी उसके लिए आपको धन्यवाद है, लेकिन आप संबंधित

(श्री जोगाराम पटेल)

विधायकों को उसके साथ रखें तो उसकी तुरंत रिपोर्ट भी होगी, सही रिपोर्ट होगी और हम कुछ हैल्प ही करेंगे आपको रिपोर्ट देने के लिए। जिस विधान सभा क्षेत्र में कमेटी जाए उस संबंधित विधायक को साथ ले, यह हमारी रिक्वेस्ट है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड।

श्री उपाध्यक्ष: एक सम्माननीय सदस्य पूछना चाह रहे थे।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): पिछले साल की ओलावृष्टि का आज तक भी पेमेंट नहीं मिला। अजमेर जिले में पीसांगन पंचायत समिति है, पंचायत गोला है, उसका गांव रामपुरा है। आज भी उन किसानों को पैसा नहीं मिला है। आप बता रहे हैं कलेक्टर के खाते में पैसा डाल दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): मैं निवेदन कर रहा था मेरे बाड़मेर जिले के सिवाना विधान सभा क्षेत्र की समदड़ी तहसील के 37 गांव और सिवाना तहसील के 18 गांवों में 18 तारीख की बारिश से ईसबगोल और जीरा नष्ट हो गया है। माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे, इसमें बाड़मेर जिला नहीं था, वह भी नुकसान 18 तारीख को हुआ है। इसको भी दिखवाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): पूरे राजस्थान में जो भी खराबा आएगा हम लोग उसका पेमेंट करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब कुछ रह गया?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सवाल शेष है।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि मंत्रीजी के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कृषि मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि मंत्री को तो विशेष परिस्थितियों में हमने जवाब देने के लिए कहा था। अब कोई पूरक प्रश्न के लिए विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती ही नहीं है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप कहां से? आप क्या फरमाना चाहते हैं? आपके आपदा और कृषि मंत्री इतने संवेदनशील हैं कि आपकी सारी शंकाओं की पुष्टि करके उनका निराकरण कर देंगे और जहां-जहां अतिवृष्टि हुई है, सरकार संवेदनशील है, संपूर्ण रूप से आपकी मदद करेगी। अब विराज जाओ। (व्यवधान) आप भी विराज जाओ।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि पर डिमाण्ड है...

श्री उपाध्यक्ष: आप अवहेलना कर रहे हैं? मंत्री महोदय, आसन की अवहेलना कर रहे हैं? अच्छा, आप फरमाओ।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि पर डिमाण्ड है और फसल बीमा पर सबको बोलने का मौका मिलेगा। कृपया ये सारी बात कहें उसका रिप्लाई मैं डिमाण्ड के रिप्लाई में दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री मोहन लाल गुप्ता एवं श्री ज्ञानदेव आहूजा, सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान) एक-एक करेंगे, आप दोनों संयुक्त हैं। बोलिए, आप ध्यान आकर्षित कर दीजिए, फिर वो भी ध्यान आकर्षित कर देंगे, फिर जवाब दिला देते हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आपातकाल में जेल गए सत्याग्रहियों को मीसा बंदियों की भांति पेंशन व चिकित्सा सुविधाएं

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत आपातकाल के दौरान सीआरपीसी की धारा-107, 116 एवं 151 के तहत जेल गये सत्याग्रहियों को मीसा बंदियों की भांति पेंशन एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप भी इसमें सम्मिलित हो जाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ऐसा है, मोहनलाल जी ने तो सीमित कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको भी सीमित ही करना है। पहले मैं मंत्रीजी का जवाब दिलाऊंगा, फिर आपको सीमित प्रश्न करने की अनुमति प्रदान कर दूंगा। मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मोहनलाल जी के कुर्ते की ओर आसन का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। आप कम से कम इनके कुर्ते की ओर अपना ध्यान करिए।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ विशेष है इस कुर्ते में?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बताइये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह आया कहां से? बहुत विशेष है यह। विशेष डिजाइन का।

श्री उपाध्यक्ष: ये गुलाबी नगर से विधायक हैं, इसलिए गुलाबी रंग लगाना ज्यादा विशेष नहीं है। आप ऐसे भी गुलाबी रंगे हुए हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, भगवा रंग।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कुर्ता पहनने के लिए माननीय घनश्याम जी ने ही कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: इनकी अंदर की बात की आपको कैसे जानकारी हुई?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): कभी-कभी चीफ व्हिप को बता देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, जवाब दो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2008 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 के तहत राजस्थान राज्य में 25 जून, 1975 से मार्च, 1977 के दौरान घोषित आपातकाल में राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा अधिनियम 1971 एवं डी.आई.आर. अधिनियम 1971 के अंतर्गत राज्य के कारागारों में निरुद्ध राज्य के मूल निवासियों को पेंशन व चिकित्सा भत्ता देने हेतु प्रावधान किया गया था, किन्तु 2008 में विधान सभा के चुनाव की घोषणा होने एवं आदर्श आचार संहिता जारी होने के कारण यह नियम लागू नहीं हो सके। दिनांक 28.02.2000 एवं उससे पूर्व पूर्व की सरकार के समय में इनको बंद कर दिया

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

गया। पुन: 28.2.2014 को राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 को लागू कर दिया गया एवं दिनांक 1.1.2014 से मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन दी जा रही है। विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.2.2014 द्वारा राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 को बहाल किया गया है। राजस्थान राज्य में इन नियमों के तहत 12 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन एवं 1200 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है।

राज्य में मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को उक्त नियमों के तहत आजीवन पेंशन दी जाती है एवं स्वयं की मृत्यु के पश्चात् उसकी आश्रित पत्नी या पति को भी मृत्यु दिनांक से उतनी ही पेंशन राशि आजीवन देय है। इसके तहत 3 फरवरी, 2017 तक 696 डी.आई.आर. बंदियों एवं 328 मीसा बंदियों, कुल 1024 लोगों को पेंशन दी जा रही है। (व्यवधान) माननीय विधायक गणों द्वारा ध्यानाकर्षण के माध्यम से मीसा एवं डी.आई.आर. के अंतर्गत दी जा रही पेंशन के अनुरूप सीआरपीसी की अन्य धाराओं यथा 107, 116 एवं 151 के तहत राजनैतिक एवं सामाजिक बंदियों के रूप में लम्बे समय तक जेल में रहे को भी पेंशन देने की ओर ध्यान आकर्षित किया है जबकि राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार केवल मीसा एवं डी.आई.आर. के तहत निरुद्ध व्यक्तियों को ही पेंशन का प्रावधान है। इस संबंध में अन्य राज्यों यथा- बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्यों में भी केवल मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को ही पेंशन दी जा रही है। सीआरपीसी की अन्य धाराओं के तहत यह पेंशन नहीं दी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मीसा और डी.आई.आर. के बंदियों को सरकार पेंशन दे रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र है, उसमें यह लिखा है कि आपातकाल में राजनैतिक बंदियों को हम पेंशन देंगे। उसके तहत चाहे वे 107 में बंद हुए हों या वे मीसा, डी.आई.आर. में बंद हुए हों।

चाहे वो मीसा, डीआईआर में बन्द हुए हों, उन सभी लोगों ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया है और वो सभी राजनीतिक बंदी रहे हैं

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

तथा एक महीने से ज्यादा जेलों में बंद रहे हैं। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ आवाज उठाई, तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, प्रेस की सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठाई और इस लोकतंत्र की बहाली के झण्डे को ऊँचा रखा। अब ये उनकी गलती नहीं है कि उनको पुलिस ने किस धारा में गिरफ्तार किया। वो हमारे संगठन के आदेशानुसार अपने स्व-विवेक से देश के हित में, लोकतंत्र के हित में गिरफ्तार हुए हैं। उन्हें कोई पुलिस घर से गिरफ्तार करके नहीं ले गई, उन्होंने सत्याग्रह किया है, सत्य के लिए आग्रह किया है कि लोकतंत्र की बहाली की जाए, चुनाव की बहाली की जाए, प्रेस के ऊपर से सेंसरशिप खत्म की जाए, आपातकाल को खत्म किया जाए। इस बात के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया और सरकार का यह दृष्टिकोण कि अन्य राज्य दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। पुलिस वालों ने किसी पर मीसा लगा दी, किसी पर डीआईआर लगा दी, किसी के 107,116 लगा दी। 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 महीने वो सब लोग बन्द रहे और उनमें और इनमें कोई डिफरेंसेज नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार को निश्चित रूप से उन पर भी विचार करके उनको पेंशन देनी चाहिए।

दूसरी बात, मैं यह कह रहा हूं कि अभी उनमें से केवल 331 लोग जिन्दा हैं मीसा, डीआईआर के अलावा 107, 116 के तो ऐसे लोगों को भी हम निश्चित रूप से पेंशन दें, उनका भी सम्मान करें, यह हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इन नियमों में निश्चित रूप से संशोधन भी करना चाहिए कि यह पेंशन नहीं दे रहे हैं, एक सम्मान राशि दे रहे हैं कि उन्होंने अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ आंदोलन किया, लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन किया इसलिए उनको सम्मान है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष किया था तो उनको उसी प्रकार का सम्मान और उस प्रकार की राशि मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो ये पेंशन नियम हैं न, यह पेंशन नियम नहीं होने चाहिए, इन लोगों को पेंशन नहीं दे रहे हैं, हम उनको लोकतंत्र सेनानी का नाम देना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं। वो लोकतंत्र के सेनानी हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनकी

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

राजकीय सम्मान के साथ में अंत्येष्टि हो, इस प्रकार की बात हो, हॉस्पिटल का पुनर्भरण हो, रोडवेज इत्यादि में उनकी वन प्लस वन की व्यवस्था हो और रेलवे इत्यादि के पास मिले। कल दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है जहां पर केन्द्र सरकार से भी रेलवे के पास इत्यादि की मांग की जाएगी। पूरे देशभर में इस प्रकार का एक आंदोलन चला है, राजस्थान में भी 2500 से ज्यादा लोग इस प्रकार से जेलों में बंद थे तो उनके सम्मान में सारे सदन को एक साथ मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हां, निश्चित् रूप से सरकार इनके समर्थन में स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा इनको दे 106, 116 लोगों को और पेंशन दे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत लोकतांत्रिक देश है और विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अंग्रेज तो बाहर के थे उन्होंने अत्याचार किया और उस अत्याचार का मुकाबला हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया लेकिन अपने देश में +++ ......

श्री उपाध्यक्ष: नाम लेने की कहां आवश्यकता है? आप लोगों से कई बार कहा है कि आप उत्तेजना क्यों फैलाना चाहते हैं? आप सीधे-सीधे सरल भाषा का प्रयोग करके अपने वक्तव्य को जारी रखें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ठीक है, आपकी बात को मैं संशोधन करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज इनका जन्म दिन भी है। आज इनका 30वां जन्म दिन भी है इसलिए आज इनको मत डांटें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भुगतभोगी हूं। 19 महीने मैं अण्डरग्राउंड रहा, एक दिन गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार होकर फरार हुआ और मैंने 19 महीने का अत्याचार देखा है, 19 महीने का अनाचार देखा है। हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्रहरियों को किस ढंग से बुलडोजरों से हरियाणा और केरल में कुचला गया, मैंने उन अत्याचारों को देखा है और मैं खुद भी, मैं मीसा, डीआईआर में नहीं रहा लेकिन मैंने डीआईआर में सत्याग्रही भिजवाये इसलिए इस समय सिहरन सी उठती है जब इस बात की

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हम चर्चा करते हैं कि उस समय तानाशाहपूर्ण तरीके से हमारे लोकतंत्र के रक्षकों को किस प्रकार से जेलों में बन्द किया गया। हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, माननीय अटल जी, आडवाणी जी सहित सब लोगों को बन्द किया गया तो ऐसी तानाशाही करने वालों को हम भूल नहीं सकते। आप कह रहे हैं तो मैं नाम नहीं लूंगा और सदन में इस बात का ध्यान रखूंगा।

मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो हमने ध्यानाकर्षण रखा है वो सिर्फ सीमित नहीं है। इसको पेंशन नहीं, मानदेय शब्द दिया जाए और यह मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। पेंशन नहीं मानदेय शब्द दिया जाए जो सम्मानजनक है। जो 12 हजार रुपये पेंशन उत्तर प्रदेश, बिहार में 25 हजार हो सकती है तो यहां पर भी 12 हजार की बजाय 25 हजार की जाए। इन लोकतंत्र सेनानियों को टोल टैक्स नाके से फ्री किया जाए। इनको जिलाधीश या सरकार के द्वारा लोकतंत्र के रक्षकों को आई-कार्ड देकर टोल टैक्स से बचाया जाए। इन लोकतंत्र के रक्षकों को सर्किट हाउस, सरकारी डाक बंगलों या इस तरह की आर.टी.डी.सी. और दिल्ली के राजस्थान हाउस तक में सुविधाएं दी जाएं, यह मेरा ध्यानाकर्षण के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सरकार को निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय ने आधा-अधूरा प्रस्तुत किया है। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की जाए जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का किया जाता है और सम्मान राशि अन्य राज्यों के बराबर जो मैंने कहा 25 हजार की जाए। इसी प्रकार से अन्य राज्यों, गोवा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सीआरपीसी की धारा 107, 116 का हमारे मोहन लाल जी ने बोला है जिसको मैं दोहरा नहीं रहा हूं पर ऐसी सब सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं दी जाए। क्योंकि वो जो मीसा और डीआईआर या उस समय 107, 116, 151 के हमारे लोकरक्षक हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं उनकी उम्र इस समय लगभग 75-80 और 85 हो चुकी है इसलिए उनका स्वास्थ्य भी बहुत नरम है तो उनको पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं और उनका सम्मानपूर्वक तरीके से सम्मान किया जाए। यह मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि वैसे तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन आप इजाजत देंगे क्योंकि विषय ऐसा है जिस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में दो ऐसे अवसर आये जब लोगों की परीक्षा हुई, एक स्वतंत्रता आंदोलन और एक उसके बाद आपातकाल। आपातकाल के बाद में देश में स्थिति बदली और आपातकाल के अन्दर जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हीं लोगों के कारण से देश में सन् 1977 की लहर आई, सत्ता परिवर्तन का काम प्रारम्भ हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें तीन प्रकार के लोग थे। एक ऐसे जिनको मीसा में बन्द किया गया, एक ऐसे जिनको डीआईआर में बन्द किया गया और इनके बन्द होने के बाद जब सारे देश में राजनीतिक रूप से अंधकार छा गया था, देश एक जेल की कोठरी के रूप में परिवर्तित हो गया था, किसी को बोलने की सामर्थ्य नहीं होती थी उस समय एक-एक करके सारे देशभर में सत्याग्रह करके लोगों ने गिरफ्तारी दी और 3 लाख लोगों ने इसमें देशभर में गिरफ्तारी दी। उसके बाद में आपातकाल हटा। जो विचार धारा से कम्युनिस्ट पार्टी और जमात ए इस्लामी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ थे उन लोगों ने भी कहा कि ये अगर आंदोलन नहीं करते तो लोकतंत्र नहीं आता और हम जेल में ही रहते।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे स्वयं के बारे में नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैंने चारों स्थितियां देखीं। आपातकाल में जेल में भी रहा, आपातकाल में मार भी खाई, आपातकाल में अण्डरग्राउण्ड रहकर काम भी किया और जब थोड़ी राजनीतिक परिस्थितियों में छूट हुई और पहली जनसंघ की हमने मीटिंग की तो हमारे बुलाने के बाद में चार आदमी आये, बाकी लोग जेल में थे। टोंक के स्वर्गीय अजीत सिंह जी थे, मैं था, ओमप्रकाश जी गुप्ता थे और ईश्वर सिंह जी चौधरी थे। उनमें से तीन स्वर्गवासी हो गये, एक मैं बचा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि तीन बातों पर अगर अपन ध्यान नहीं करेंगे, एक तो हमने सुराज संकल्प में 40वें पेज पर लिखा कि इनको स्वतंत्रता सेनानियों के समान हम ट्रीट करेंगे तो मेरा सरकार से पहला आग्रह यह है कि लोकतंत्र सेनानी विधेयक, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य सरकारें लेकर आई हैं, राजस्थान सरकार लेकर आये। दूसरा, पेंशन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शब्द को हटाकर इसको सम्मानदेय रखा जाए और इनको लोकतंत्र सेनानी नाम दिया जाए।... तीसरा, मेरा आपसे आग्रह है कि डीआईआर और मीसा के लोग, जिनको 40 साल हो गये हैं, बहुत से जिलों में रिकार्ड को जला दिया गया है, रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जो उन जेलों में रहे थे और उनका रिकार्ड मिल गया, उनके प्रमाणीकरण के आधार पर जैसे उनको लाभ दिया गया है, उसी प्रकार राज्य सरकार कमेटी बनाकर, जिनका रिकार्ड नहीं मिल रहा है, उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर उनको इस प्रकार का परिलाभ दिलाने का काम करें। यह एक ऐसा विषय है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो यह हमारी बेवफाई मानी जाएगी। हम इसको टाल नहीं सकते कि हम तो करना चाहते हैं, वित्तीय समस्या है या हम तो करना चाहते हैं, और कोई दूसरा नहीं मानता। यह कहना बिलकुल अनुचित है और जिन लोगों ने इस बात को समझा है, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि लोकतंत्र सेनानी कानून बनायें और वे लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं। वे लोग उस समय सर्विसेज में जा सकते थे, लेकिन वे सत्याग्रह करके जेल गये। पूरा जीवन उन्होंने अपन लोगों के लिए समाप्त कर दिया। उन लोगों के लिए अगर छोटा सा काम भी अपन नहीं कर सकते हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने, स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उसके बाद क्षमा मांगी। उसके बाद आदरणीया श्रीमती सोनिया गांधीजी ने भी क्षमा मांगी आपातकाल के लिए और आपातकाल के बाद में यह सारा काम हुआ। आप उस आपातकाल के पीड़ित लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, कम से कम न्याय तो करिये।

उनको लोकतंत्र सेनानी कहने में आज मीसा और डीआईआर (डिफेंस आफ इण्डिया रूल्स) का मैं बंदी था। मेरे कारण से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ती थी। आज वह निशान तो मेरे लगा हुआ है। इसलिए लोकतंत्र सेनानी कानून बनाएंगे तो कम से कम वह तो साफ होगा कि हम भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं थे। हम भारत के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। यह लड़ाई है। यह पैसों की लड़ाई नहीं है। परिलाभ आप कम दें, नहीं दें। माननीय गहलोत साहब ने, जब हम देकर गये थे, उसको बंद कर दिया था। मैंने वहीं खड़े होकर कहा था, गहलोत साहब, जब हमारी सरकार आएगी तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पहला नियम हम लागू करेंगे और हमने इस बात को आपसे कहा था और गुलाब जी, आप भी उस समय साथ थे। आपने भी कहा था, हम इसको करेंगे तो वह सारी बात आ रही है। अब परिस्थिति है। तीन साल अपने निकल चुके हैं। डेढ़-दो साल और निकल जायेंगे और अपन नहीं करेंगे तो भी वे लोग जिंदा रहेंगे और अपन कर देंगे तो कम से कम उनके मन में यह तसल्ली तो रहेगी कि जिन लोगों के लिए हमने जीवन तबाह किया था, उन्होंने बेवफाई तो नहीं की। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप रिएक्ट करना चाहेंगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): हां।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे आप सब बोलना चाहते हैं। आपकी सबकी भावनाओं से सदन अवगत है कि आप भी उतने ही संवेदनशील हैं। आप भी उतना ही चाहते हैं, जो आपके, सदन के तीन सदस्य बोल चुके हैं। उन्हीं भावनाओं में आपकी भावनाओं को भी सम्मिलित करते हुए मंत्री महोदय, आप...

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी हमारे तीनों माननीय सदस्यों ने इस बात पर अपनी बात रखी और जून, 1975 से मार्च, 1977 तक इस देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लोग जेलों में गये, उन लोगों के लिए हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय में, 12 सितम्बर, 2008 में उनको पेंशन देने के लिए हम प्रावधान लेकर आये, एक्ट बनाया लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण वह प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया।

उसके बाद जैसा किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि सुराज संकल्प यात्रा में और सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है जोकि सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, हमने सुराज संकल्प यात्रा में इसको रखा। चूंकि पूर्ववर्ती सरकार ने 19.6.2009 को इसको बंद कर दिया और हमने पुन: जैसे ही हमारी सरकार बनी, 28.2.2014 को पेंशन को वापस लागू किया और जिन...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी को अपना जवाब पूरा करने दीजिये। आप आराम से विराजे रहें। Are you going somewhere?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नो सर।

श्री उपाध्यक्ष: Then, you be seated. Let him complete his deliberation.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): Ok.

श्री उपाध्यक्ष: Then I will give a chance again. Don't take guarantee from the Chair.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, let the Minister deliberate on this issue and if there is anything left, I will again give you a chance.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): Ok.

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर रखा है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। सुराज संकल्प यात्रा में हमने रखा तो ही हमने 28.2.2014 को इसको लागू किया है और जिन व्यक्तियों को, जो 30 दिन से अधिक मीसा एक्ट के तहत वे जेल में रहे, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार उनको 12,000/- पर व्यक्ति को और 1,200/- मेडिकल का दे रही है।

माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं, जिनका अभी रिकार्ड नहीं मिला है, ऐसे 73 प्रकरण हैं जो विभिन्न जिलों से माननीय कलेक्टर के यहां पर आवेदन किया है कि मैं मीसा के अंदर बंद रहा हूं, 73 प्रकरण ऐसे हैं जिनका रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम पुन: किसी भी तरह कलेक्टर महोदय को और समाज कल्याण अधिकारी और जेल अधीक्षक, तीन व्यक्तियों की कमेटी, एस.पी. के माध्यम से भी गृह मंत्रालय से पत्र जाएगा कि जिन-जिन थानों में इन एक्ट के अंदर जो मुलजिम सरकार द्वारा माने गये हैं या उनका चालान पेश किया गया है, उनकी सूची दें और जिला प्रशासन को भी और साथ में समस्त जिलों को, जैसे ये अलग-अलग जिलों में अलग-अलग हैं। इनमें हर में आया है कि रिकार्ड के अभाव में उपलब्ध नहीं हैं। उनको दुबारा पत्र लिखकर, किसी भी स्थिति में उनकी जांच कराकर, उनकी सूची तैयार की जाए।

जो माननीय ज्ञानदेवजी आहूजा ने बात रखी थी कि उनको स्वतंत्रता सेनानियों के समक्ष किया जाये। मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ मध्य प्रदेश में

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

25,000 रुपये 2016 में किये हैं। बाकी अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग राशि हैं। बिहार सरकार में 2,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक ही है और उत्तर प्रदेश में यह राशि 3,000 रुपये है। हमारे यहां पर इसको 12,000 रुपये किया हुआ है। फिर भी अन्य राज्यों में देय सुविधाओं के लिए यहां एक कमेटी गठित की जायेगी और वित्तीय संसाधनों का प्रभार जो कमेटी तय करेगी, उस पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, नियमों में तो नहीं आता, लेकिन आपको विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): धन्यवाद। लेकिन मैं सर्वप्रथम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके होंठों पर मुस्कान देखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: चलिये, चलिये, चलिये। यह भी आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हम तो आपसे यह प्रोटेक्शन चाहते हैं कि सरकार जो जवाब दे, वह सदस्यों की भावनाओं के अनुकूल जवाब दे, कानून के हिसाब से जवाब दे। जो चीज पूछी गई है, उसका जवाब दें। उसका प्रोटेक्शन चाहते हैं सर आपसे।

श्री उपाध्यक्ष: आसन मंत्री को आपकी भावनाओं के अनुकूल जवाब देने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकता, नियमों के अनुकूल जवाब देने के लिए बाध्य कर सकता है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपके और मेरे बीच में विवाद नहीं है सर, आप तो हमारा प्रोटेक्शन करने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करिये न। मैंने आपको प्रोटेक्ट इतना तो कर दिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं। पहले हमने, बचपन में हमने किताब पढ़ी थी, 'अलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है?' प्लीज। 'अलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है?' माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: चलो, ज्ञानवर्द्धन हमारा भी करा दीजिये इसमें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं यह चाहता हूं कि आप हम सब

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

लोगों का प्रोटेक्शन करने वाले हो। हम सब लोगों के जो विचार हैं, उनको अभिव्यक्ति का माध्यम प्रदान करने वाले हो आप। आप गुस्सा करके क्यों...

श्री उपाध्यक्ष: आसन भी नियमों से बंधा हुआ है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बिना गुस्सा किये भी नियमों का पालन हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: कभी-कभी क्रोध कर लेना अनुशासन के लिए अनिवार्य होता है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वह ठीक है। आप कीजिये लेकिन मेरे ऊपर तो कृपा बनाकर रखो आप।

एक माननीय सदस्य: मैं भी भुगतभोगी हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, अब फरमाओ आप। आप अपने विषय पर आ जाओ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मुझे कभी-कभी यह लगता है कि आप मुंह में मिश्री, पैरों में चकरी, सिर पर...

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय, जिस विषय पर, इतना आपका यह संवेदनशील विषय है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): चलिये, कोई बात नहीं। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। मुंह में मिश्री रखकर आप...

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोमनाथ चटर्जी ने बताया था ट्रेनिंग में, वह बात बता रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप कृपा करके मुंह में मिश्री रखकर अगर बोलें तो हमको अच्छा लगेगा। सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आदमी हैं। आप विद्वान तो हो ही, आप विद्वान भी हो और जब आप मुस्कुराते हो तो अच्छे लगते हो।

श्री उपाध्यक्ष: अब श्रीमान्, आप अपनी बात पर आ जायें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां सर, यस।

एक माननीय सदस्य: आज मोहन लालजी पूरी बात करके छोड़ेंगे साहब।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ रह गया सम्माननीय सदस्य?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: विषय तो रह ही गया न।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां। अब विषय पर आ रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष: आ जाओ। आ जाओ। आइये आइये, पधारिये। अपने विषय पर पधारिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान) सरकार का जो जवाब आया, तो हम लोगों ने जो बात कही और ध्यानाकर्षण किया, उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा, सम्मान निधि। यह जो विधेयक है या आप जिस एक्ट के तहत दे रहे हो...

या जिस पेंशन, पेंशन मत दीजिये आप, इसको लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि दीजिये, इस बात को ये गोल कर गये। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो यह कीजिये और राजकीय सम्मान के साथ में जिस प्रकार से, एक ही वर्ड है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको जो सुविधाएं दी जाती थीं वैसी की वैसी ही लोकतंत्र के सम्मान सेनानियों को दी जानी चाहिए और इस विषय पर सरकार का जवाब नहीं आया था। इसलिए मैं खड़ा हुआ था। दूसरी बात 107/116 की थी वो व्यापक रूप से सब लोग कह चुके हैं। बहुत बड़ा विषय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद 1977 और 1975 के बीच में आप अनभिज्ञ होंगे लेकिन आपने पढ़ा होगा। आडवाणी जी को पढ़िये, जयप्रकाश नारायण जी को पढ़िये, आप विनोबा भावे भी उस वक्त थे, उन्होंने क्या-क्या बातें कही, विनोबा भावे ने आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा था, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन-जिन लोगों ने संघर्ष किया उनकी कुर्बानियां बेकार नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और आज हम इस सदन में बैठे हैं उनकी कुर्बानियों के कारण बैठे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए बहुत गंभीर प्रश्न है और मैंने 'हां' पक्ष लॉबी में इन्फोर्मल रूप से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कहा था कि आप जवाब दे दीजिये, क्योंकि इस विषय की गंभीरता को सरकार ले और गंभीरता को लेते हुए लोकतंत्र के सेनानियों को इस प्रकार का दर्जा दे। यही मेरा निवेदन है। यही मेरा अनुरोध

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

है। धन्यवाद। आपने हंसी-खुशी के साथ में और मुस्कराहट के साथ में मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब देना चाहते हैं क्या, इसमें?

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): हां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अगर आप जवाब ही देना चाहते हैं तो सम्माननीय सदस्य का और कोई इस पर अगर है तो आप...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर हैं हम आपका सम्मान कर रहे हैं। लोकतंत्र का यह आसन है और लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं को सुनना उनकी रक्षा करना, उनका भी सम्मान करना जैसे हम आपका सम्मान कर रहे हैं यह भी जरूरी है। यह जो मैंने कहा है...

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय पर आप ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): नहीं, ध्यान आकर्षित तो...

श्री उपाध्यक्ष: कि आसन को क्या करना चाहिए और आसन का क्या कर्तव्य है यह बखूबी आसन जानता है अब आप अपने विषय पर आ जाइये। वहां ध्यान आकर्षित कर दीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं अपनी मूल बात पर आ रहा हूं। ये जो कमेटी बनाने के लिए हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय मंत्री महोदय ने कहा आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कमेटी बना कर के उसका समय तय करके और इन स्वतंत्रता सेनानियों को, लोकतांत्रिक सेनानियों को जल्दी से जल्दी इस संबंध में सहयोग करें और पेन्शन की बजाय मानदेय करने के लिए मैंने जो निवेदन किया है और बाकी सब बातें जो निवेदन की है इस पर भी पूरा गौर फरमा करके यह कमेटी निर्णय करे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजस्थान में गिरफ्तार हुए लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। रहने वाले वो बाहर के थे उनके बारे में भी इस कमेटी में विचार किया जाए। यह सदन के सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं और बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने विस्तारक के रूप में बाहर से आकर यहाँ काम किया और वो गिरफ्तार हुए उनके बारे में भी इस कमेटी में विचार हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, वैसे सामान्यत: तो आसन इस पर डिबेट अलाऊ नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि यह एक बड़ा संवेदनशील विषय है इसलिए आप अपना जो वक्तव्य दें उसमें सबकी भावनाओं को सम्मिलित करके जो सरकार का उत्तर है उसको आप दें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): सबकी कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाली एक विधान सभा की कमेटी बना दी जाए वो इसमें आगे का विषय देख लें। एमएलएज की कमेटी सरकार तय कर ले कि यह जो एफीडेविट लेने वाली बात है जिनके रिकार्ड खो गये हैं उनके लिए कम से कम एक विधान सभा की कमेटी बना दो।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे इस विषय पर मंत्री महोदय के वक्तव्य के उपरांत अगर संसदीय कार्य मंत्री इस पर कोई और विश्लेषण देना चाहें तो आप दें। अब आप एक बार विराज जाएं। अब आप भी कुछ फरमाएंगे?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से पहले बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री जी से पहले आप बोलेंगे? वैसे तो आपके पास डॉक्टर की उपाधि है कोई आपको रोक नहीं सकता, बोलिये। माननीय सदस्य, एक मिनट। संसदीय कार्य मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जब लोकशाही पर राजशाही के बादल आये थे, लोगों ने कुर्बानी दी थी। लोकशाही उसी कारण से बची। माननीय सदस्यों ने अलग-अलग रूप में अलग-अलग बात कही है। इस सारे मामले में सरकार गंभीर है, क्योंकि हम उनको सम्मान देना चाहते हैं, पेन्शन देना नहीं चाहते हैं और सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने लोकतंत्र सेनानी की बात कही है। इन सारी बातों को मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर इसमें निश्चित तौर पर कोई न कोई उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री केसाराम चौधरी।

समिति प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (क्रम संख्या-1)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2016-17 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हीरा लाल नागर।

याचिका

सांगोद में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सांगोद में संस्कृत महाविद्यालय खुलवाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी। (अनुपस्थित)

श्री ललित कुमार। (अनुपस्थित)

श्री भागीरथ चौधरी।

अराई में सहायक अभियंता कार्यालय, सिंचाई की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (जिला-अजमेर) की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय-अराई में बजट वर्ष 2017-2018 में सिंचाई विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय शीघ्र स्थापित करने की स्वीकृति जारी करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सुश्री कीर्ति कुमारी।

माण्डलगढ़ के श्याम सागर बांध का जीर्णोद्धार

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में श्याम सागर बांध का जीर्णोद्धार करवाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-2017 (द्वितीय संकलन) पर मतदान एवं पारण।

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-2017 (द्वितीय संकलन) मुख बंद का प्रयोग किया जा कर मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2016-17) का पारण

राज्य विधान मण्डल - मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 1 - राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,73,13,000/- (दो करोड़ तिहत्तर लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मंत्रिपरिषद - मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 2 - मंत्रिपरिषद के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,35,00,000/- (एक करोड़ पैंतीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सचिवालय - मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 3 - सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,05,60,000/- (बाईस करोड़ पांच लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

जिला प्रशासन - मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 4 - जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री उपाध्यक्ष)
व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,44,17,000/- (छह करोड़ चवालीस लाख सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रशासनिक सेवाएं - मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 5 - प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,41,74,000/- (उनतालीस करोड़ इकतालीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

न्याय प्रशासन - मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 6 - न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,04,37,000/- (छत्तीस करोड़ चार लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

वन - मांग संख्या 9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 9 - वन के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,61,91,000/- (छप्पन करोड़ इकसठ लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विविध सामाजिक सेवाएं - मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 11 - विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री उपाध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,35,71,000/- (चौदह करोड़ पैंतीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अन्य कर - मांग संख्या 12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 12 - अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,95,85,000/- (इक्कीस करोड़ पिचानवे लाख पिच्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

आबकारी - मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 13 -आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,92,27,000/- (दो करोड़ बानवे लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

बिक्री कर - मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 14 -बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,41,63,08,000/- (पांच अरब इकतालीस करोड़ तिरेसठ लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ - मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 15 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री उपाध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,77,69,88,000/- (एक अरब सतहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख अठ्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पुलिस - मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,04,63,76,000/- (दो अरब चार करोड़ तिरेसठ लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

कारागार - मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 17 कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,62,000/- (बाइस लाख बासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

जन सम्पर्क - मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 18 जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,35,91,000/- (पच्चीस करोड़ पैंतीस लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

लोक निर्माण कार्य - मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री उपाध्यक्ष)
वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

आवास - मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 20 आवास के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,71,45,000/- (पन्द्रह करोड़ इकहत्तर लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सड़कें एवं पुल - मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,09,75,06,000/- (एक अरब नौ करोड़ पचहत्तर लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

क्षेत्र का विकास - मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 22 क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,52,72,000/- (सैंतीस करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्रम और रोजगार - मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 23 श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री उपाध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

शिक्षा कला एवं संस्कृति - मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,63,76,33,000/- (सात अरब तिरेसठ करोड़ छिहत्तर लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पेयजल योजना - मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,39,95,19,000/- (तीन अरब उनतालीस करोड़ पिचानवे लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम - मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

नगर आयोजना - मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री उपाध्यक्ष)

8,09,25,37,000/- (आठ अरब नौ करोड़ पच्चीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

जनजाति क्षेत्रीय विकास - मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,93,38,000/- (तेरह करोड़ तिरानवे लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

नागरिक आपूर्ति - मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 32 नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,66,07,000/- (पैंतालीस करोड़ छियासठ लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण - मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,22,29,31,000/- (दो अरब बाईस करोड़ उनतीस लाख इकत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्राकृतिक आपदाओं से राहत - मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री उपाध्यक्ष)

3,88,20,90,000/- (तीन अरब अठ्यासी करोड़ बीस लाख नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं - मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,68,62,000/- (एक करोड़ अड़सठ लाख बासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सहकारिता - मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,16,33,000/- (सड़सठ करोड़ सोलह लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

कृषि - मांग संख्या 37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,000/- (बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण - मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 38 लघु सिंचाई

(श्री उपाध्यक्ष)

तथा भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,80,18,000/- (पांच करोड़ अस्सी लाख अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(14.00 बजे)

पशुपालन एवं चिकित्सा - मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,47,99,57,000/- (एक अरब सैंतालीस करोड़ निन्यानवे लाख सतावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजकीय उपक्रम - मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 40 राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,99,000/- (चौबीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सामुदायिक विकास - मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,93,49,46,000/- (दो अरब तिरानवे करोड़ उनचास लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

खनिज - मांग संख्या 43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,55,68,000/- (चालीस करोड़ पचपन लाख अड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सिंचाई - मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 83,68,00,000/- (तिरासी करोड़ अड़सठ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

पर्यटन - मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 47 पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,82,37,000/- (छह करोड़ बयासी लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विद्युत - मांग संख्या 48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 48 विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,20,04,23,000/- (सत्रह अरब बीस करोड़ चार लाख तेइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना - मांग संख्या 51

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,000/- (इकतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017

श्री राजपाल सिंह जी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह जी शेखावत प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

<u>खण्डश: विचार</u>

खण्ड 2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह जी।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: बोलना चाहंगे? प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

व्यवस्था/घोषणा

अनुदान की माँगों पर कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

अनुदान की माँगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है, जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और सरकारी मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और सरकारी मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें, जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिये आती है, उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गए प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जायें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री प्रभुलाल सैनी।

अनुदान की मांग

कृषि - मांग संख्या 37 की प्रस्तुति

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37- कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,48,13,83,000/- (सत्ताईस अरब अड़तालीस करोड़ तेरह लाख तियासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या 37 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: पशुपालन भी।

पशुपालन एवं चिकित्सा - मांग संख्या 39 की प्रस्तुति

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39- पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,66,32,50,000/- (आठ अरब छियासठ करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या 39 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: सहकारिता मंत्री, आप भी कर दें।

सहकारिता - मांग संख्या 36 की प्रस्तुति

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36- सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,35,51,63,000/- (पांच अरब पैंतीस करोड़ इक्यावन लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 36 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगसी राम जी।

व्यवस्था का प्रश्न

आसन के खड़े होने पर माननीय सदस्यों व अन्य का आवागमन

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, अक्सर यह देखा गया है कि लोग सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं। जब आसन पैरों पर होता है तब किसी भी माननीय सदस्य को अपने स्थान से नहीं हिलना चाहिए। अभी आप जब मांग पारित करवा रहे थे तो आमेर से आने वाले माननीय सदस्य सीधा ऐसे आते गए जैसे कोई चहलक़दमी करते हुए आ रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको इशारा भी किया कि रुकिए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि..

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): संसदीय कार्य मंत्री खुद ही चल रहे थे।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं चल रहे थे। वे तो वहां पर विराज रहे थे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपके पास आये ना।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अक्सर यह देखा गया था और हमने भी यह महसूस किया कि जब आसन पैरों पर होता हैं तो हम लोग या कोई भी सदस्य द्वार पर खड़ा रहेगा जब तक कि आप विराज नहीं जाएं। इसलिए कृपया गरिमा बनी रहे, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को आप आगाह करें कि वे इसका पालन करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं क्षमा चाहता हूं माननीय। मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल ऐसा ही वाकया अधिकारी दीर्घा में भी हुआ। जब आप मांगों को पारित करा रहे थे तो अधिकारी दीर्घा में से भी कोई अधिकारी आ रहे थे और कोई जा रहे थे, इस बात का ध्यान किए बिना कि आसन पैरों पर है। इसको भी सुनिश्चित करें कि अधिकारी दीर्घा, या तो इनको विशेष रूप से कोई शिक्षा मिले, इनको कोई टिप्पणी की जाए, या इनको कोई ऐसे निर्देश प्राप्त हो कि जब आसन पैरों पर हो, विधान सभा के समय, तो कम से कम यह ऐसा तो आचरण नहीं करें।

व्यवस्था

आसन के खड़े होने पर अधिकारी दीर्घा से बाहर गये व्यक्तियों पर संसदीय कार्य मंत्री कार्यवाही करें

श्री उपाध्यक्ष: मैं सम्माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपसे क्या अपेक्षित है। सम्माननीय सदस्य, मैं आपका आदर करता हूं, आसन आदर करता है अगर आपने उसके लिए क्षमा प्रार्थना की है। बाकी सदस्यों को भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनुशासन और मर्यादाओं का ध्यान रखे। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मांगों के पारण के समय अफसर दीर्घा से अगर जो भी व्यक्ति उस समय बाहर गए हैं, फुटेज के बाद में, आप यथा उचित उनके खिलाफ कार्यवाही करें। श्री जगसी राम जी। अगर

(श्री उपाध्यक्ष)

ट्रेजरी बेंचेज सीरियस नहीं है तो Now, I'll not give you the chance to open the debate. रमेश जी मीणा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37, 39 व 36 पर विचार

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की मांगों पर चर्चा के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज हम सबसे पहले कृषि पर चर्चा करेंगे। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3 लाख 42 हजार 239 वर्ग किलोमीटर है जो देश का 10.41 प्रतिशत है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन बड़ा रेगिस्तानी भू-भाग और कुछ पहाड़ी भाग होने के कारण राज्य की कृषि भूमि योग्य है, वह केवल 11 प्रतिशत है, उसके बावजूद भी हमारे संसाधनों, सिंचाई की कमी की वजह से हमें अधिकतर बारिश पर डिपेंड रहना पड़ता है कि ऊपर वाले का आर्शीवाद होगा, बारिश आएगी तो राजस्थान में बहबूदी आएगी। जब बारिश नहीं होती है तो हमारे आंकड़े हैं, राज्य की जीडीपी है, सब धराशायी हो जाती है। जिस प्रकार राज्य में कृषि जोतों का औसत आकार धीरे-धीरे घटता जा रहा है, पहले हमारे राज्य में कृषि की जोत 3.96 हैक्टेयर थी जो देश में सर्वाधिक थी लेकिन 2016 में यह घटकर 3.07 रह गई, राज्य दूसरे नम्बर पर है।

इसी तरह राज्य प्रति हैक्टेयर खाद उपयोग में 54.51 किग्रा. खाद के उपयोग के साथ देश में 16वें नम्बर पर है। राजस्थान देश का सबसे अधिक तिलहन, मसाले का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। इस प्रकार प्रदेश में 75 परसेंट लोग कृषि पर आधारित हैं। यदि हमारी कृषि की जीडीपी, राज्य की जीडीपी बढ़ेगी तो 75 परसेंट लोगों का विकास होगा और वह भी आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार कृषि की जीडीपी का योगदान 1990 में 35 प्रतिशत था, वर्ष 2016-17 में घटकर 26.09 प्रतिशत रह गया है। इस तरह निरन्तर राज्य की जीडीपी कृषि के क्षेत्र में कम होती जा रही है और सर्विस सैक्टर की तरफ हमारा रूझान बढ़ रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा कृषि प्रधान राज्य सेवा प्रदान राज्य की ओर बढ़ रहा है।

(श्री रमेश)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कृषि मंत्री जी विराजमान है। कृषि मंत्री, इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ली तो हमे भी बड़ा अच्छा लगा, सौभाग्य कि एक किसान के बेटे को मंत्री का पद, कृषि के क्षेत्र में विकास लाएंगे, आर्थिक बहबूदी लाएंगे, किसान को आगे बढ़ाएंगे, हमें भी अच्छा लगा, लेकिन मंत्री बनने के बाद यह उन सब चीजों को भूल गए कि मुझे क्या करना था। पहले जब यह प्रतिपक्ष में थे, बात करते थे कि कृषि का बजट अलग होना चाहिए। राजस्थान में पानी का प्रतिशत जल सतह है वह एक परसेंट है। हमारे किसान की स्थिति क्या है, किसान गर्मी के थपेड़े झेलता है, बारिश में परेशान होता है। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी पाला पड़ जाता है। जब उसकी फसल पकने का समय आता है तब उसके भाव न्यूनतम हो जाते हैं, इसके लिए इनकी वेदना रहती थी। लेकिन मंत्री बनने के बाद यह तीन बार विदेश की यात्रा कर चुके हैं। हमें लगा कि मंत्री जी विदेश गए हैं शायद विदेश से कोई नई तकनीक लाएंगे, नई व्यवस्था लाएंगे और हमारे प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नया आयाम, नवाचार लाएंगे, कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार हम कुछ सालों से देख रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले रिसर्जेंट राजस्थान मनाया गया। उसमें माननीय कृषि मंत्री महोदय और सरकार ने 2400 करोड़ के एमओयू किए, वह सब कागजी साबित हुए। फिर दुबारा इन्होंने एग्रीटेक मीट में 4400 करोड़ के एमओयू किए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने एग्रीटेक मीट का आयोजन किया उसका लक्ष्य रखा था, अनुमानित बजट रखा कि यह खर्चा हम कर रहे हैं, विदेश से लोगों को बुला रहे हैं, बड़ी-बड़ी कम्पनियों को बुला रहे हैं, किसानों को लाभ दिलवाएंगे, इस तरह का एक भव्य आयोजन किया गया, उसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया ऐसा मेरी जानकारी में आया। लेकिन न कोई पारदर्शिता बरती, न कोई निविदा जारी की गई, और भी कम्पनियां थी, इवेंट वाले और भी थे जो इस आयोजन को कम पैसे में कर सकते थे लेकिन राज्य सरकार ने किसानों की गाढ़ी कमाई का दुरूपयोग कर इस आयोजन में 30 करोड़ रुपये खर्च किए और बिना टेंडर के फिक्की को 30 करोड़, इस आयोजन का पैसा दिया। यह भी एक गंभीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह

(श्री रमेश)

आयोजन कम पैसे में भी हो सकता था। इतना बड़ा आयोजन किया, आपने बड़ी-बड़ी बातें की, 58 हजार किसान आए। मंत्री जी को पता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ के पश्चिमी राजस्थान के किसानों ने बहिष्कार कर दिया। आपको अच्छी तरह मालूम है कि खजूर की खेती के लिए अतुल डेट पाम कम्पनी है जिसने खजूर के पौधों में गड़बड़ की। गुणवत्ताहीन पौधे सप्लाई कर दिए। एक बाहर का आदमी, छत्तीसगढ़ का, दिलीप भाई पटेल आपके पास आता है और यहां 92 बीघा जमीन लेता है, कृषि करता है, आपको रिफाइनरी लगाने के लिए कि आपको यह यह मिला, जैतून की बाद में बात करूंगा, पहले इसकी बात कर रहा हूं।

खजूर की खेती के पौधे दिए गए, चार साल तक तो उसमें फल ही नहीं आए। पांच साल में जब फल आए तो पीले रंग की जगह लाल रंग के फल आ गए। आपके पास शिकायत की, किसान आपके पास आए, मुख्य मंत्री से मिले, आपने आश्वासन दिया कि कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। लेकिन कम्पनी के खिलाफ आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, आप आश्वासन देते रहे हैं। इसमें क्या कोई भाई भतीजावाद है या क्या प्रोब्लम है कि कम्पनी ने जब गुणवत्ताहीन पौधों की सप्लाई की और किसान को न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। आपने कहा कि हम किसानों का नवाचार लाएंगे, किसानों की स्थिति मजबूत करेंगे। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अतुल डेट पाम जैसी कम्पनी इस प्रदेश में खुले आम भ्रष्टाचार कर रही है और उसको अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो किस तरह कृषि क्षेत्र में, किसानों को कैसे आगे बढ़ाएंगे?

मेरा दूसरा मुद्दा जैतून की खेती का है। आप जैतून की खेती लाये और बड़ा प्रचार-प्रसार किया। आज जैतून की आपकी खेती जलवायु परिवर्तन के कारण 25 प्रतिशत रह गई है। आपने लूणकरणसर, बीकानेर में रिफाइनरी डाल दी। अब स्थिति यह हो गई कि उसका सिस्टम धीरे-धीरे घट कर 16 टन पर आ गया। आप रिफाइनरी को कैसे चलाएंगे? आपने इतना पैसा खर्च कर दिया। यदि दूसरे राज्यों से धीरे-धीरे जैतून का फल अन्य स्टेट्स से नहीं आयेगा, वहां रिफाइनरी डल जाएगी तो आपने जो रिफाइनरी का सपना लोगों को दिखाया, वह आपका सपना साकार नहीं होगा। एक तरह से इसमें घोटाला

(श्री रमेश)

हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिये। जयपुर, बीकानेर, यहां आपके फल नहीं आ रहे हैं। अब आप जैतून की चाय की पत्ती को बेचने का एक प्रोपेगेंडा, एक नया मैसेज देना चाह रहे हो। आपकी जो कमी है, उसको आप छिपाने के लिये एक नया प्रयोग करने का मैसेज देना चाहते हो। जिस प्रकार आपकी जैतून की खेती, आपकी खजूर की खेती में घोटाले हुए, आपने जांच नहीं करवाई और कम्पनियों को आप सपोर्ट कर रहे हो। भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी प्रकार बड़ी मात्रा में बीज के जो सैम्पल थे, वे अमानक पाये गये। रिटैस्टिंग में भी, आपकी केन्द्रीय प्रयोगशाला में भी फेल हो गये। इसी प्रकार आपके पेस्टिसाइड्स सैम्पल भी जांच में फेल हो गये। इनका भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया। एक आई.ए.एस. अधिकारी ने नोट में लिखा था कि इनका भुगतान नहीं किया जाए। फिर भी, उसके बावजूद भी चार से पांच करोड़ का भुगतान अधिकारियों ने किया। आपको शायद जानकारी है, लेकिन यह भुगतान क्यों हुआ, जब सैम्पल केन्द्रीय प्रयोगशाला में अमानक पाये गये। आपके जो लोग हैं बीज कम्पनी के, या जो आपकी दवाइयां हैं, कीटनाशक, सबके सैम्पल फेल होने के बावजूद आपके माध्यम से या सरकार में बैठे हुए अधिकारियों के माध्यम से, या आपके पास नोटशीट नहीं आई और फिर दुबारा उस सैम्पल को पास बता कर चार-पांच करोड़ रुपये का यह घोटाला हो गया। यह जांच का विषय है, इसकी जांच कराएं और मंत्रीजी जब रिप्लाई दें, उसके बारे में हमें बतायें।

सोलर पम्प बाजार दर से अधिक में आप खरीद रहे हैं। दरों का अनुमोदन नहीं कराया गया है। यह सोलर पम्प लगभग दोगुनी दर से खरीदे गये। तो इससे किसान को क्या फायदा होगा। आप सब्सिडी दोगे। कोई चीज डाइरेक्ट किसान को ढाई लाख रुपये में मिल रही है और आपके यहां उसकी कीमत चार लाख है तो किसान आपसे लेकर क्या करेगा। इसी तरह आपने राज्य में ड्रेगन फ्रूट, ओलिव की खेती के लिये पौधे खरीदने में, वह पहले बोल चुका हूं, तो राज्य व अन्य राज्यों की जो रेट्स हैं, उन दरों में भिन्नता है। इस की भी जांच होनी चाहिये कि यहां अधिक कीमतों पर ये पौधे क्यों खरीदे गये। आपने एक मैसेज भी दिया है कि पिस्ते की खेती, पूरे भारत वर्ष में तो नहीं हो रही है। लेकिन आपने कहा हम राजस्थान में करेंगे। करेंगे, तो एक

(श्री रमेश)

अच्छी बात है, पिस्ते की खेती लाएंगे और यहां आप कर लेंगे, यहां जलवायु मेन्टेन कर लेंगे तो एक अच्छी बात है। लेकिन यदि आपका प्रयोग अधूरा रहा, और जो किसानों के लिये आपको पैसा खर्च करना चाहिये, कृषि पर आप नये-नये प्रयोग कर रहे हो, किसानों को तो फायदा धरातल पर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी आप कोई चीज लाते हो और किसानों को फायदा होता है तो अच्छी बात है। लेकिन यह भी एक चिंतनीय विषय है। इस पर सोचने की आवश्यकता है।

आपके ड्रिप इर्रिगेशन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। आपके बीकानेर में, तीन-चार जगहों का है। चूरू जिले में ए.सी.बी. ने उद्यानिकी के कार्यालय में छापा मारा, सहायक कृषि अधिकारी और डीलर्स के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई। लेकिन विभाग ने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

दूसरा, जयपुर जिले में ड्रिप पाइप लाइन के घोटाले को लेकर अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जांच में गम्भीर शिकायतें आईं, फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच ठण्डे बस्ते में पड़ी है, अधिकारी मलाईदार पोस्टों पर बैठे हैं। बीकानेर जिले में अधिकारी और डीलर ने मिल कर ड्रिप घोटाले को अंजाम दिया। ए.सी.बी. में जांच लम्बित है। उप निदेशक, उद्यान जगदीश पूनिया ने अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई है। इसी तरह भीलवाड़ा में भी ड्रिप और फव्वारा पद्धति में घोटाला हुआ। तो मंत्रीजी इसकी भी जांच कराएं।

आप जैविक खेती की बात करते हैं कि हम डूंगरपुर को जैविक खेती का जिला बनाएंगे। वहां पर आर्गेनिक सिस्टम को डवलप करना चाहते हैं। लेकिन वहां पर जब देखा, मैं पढ़ रहा था तो उसमें जिस प्रकार आप डूंगरपुर में उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों का लक्ष्य बढ़ा रहे हो तो आप जैविक कैसे करेंगे। एक तरफ तो आपने लक्ष्य रख दिया और रासायनिक खाद बेच रहे हैं, कीटनाशक दवाइयां बेच रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम डूंगरपुर को जैविक खेती में अग्रणी रखेंगे। प्रधान मंत्री के आदेश हैं। 10-15 साल से अभी तक जैविक पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन लगता है कि जैविक के बारे में कोई विचार नहीं है। अधिकारियों की कोई लापरवाही कह सकते हैं या अधिकारियों की सोच या इस सरकार की सोच नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार

(श्री रमेश)

भूमि में उर्वरता की कमी आती जा रही है, आपके जितने भी मिनरल्स हैं वे कम हो रहे हैं। आपके वैज्ञानिकों ने उनकी जांच की है। लेकिन आप कभी हैल्थ कार्ड की बात करते हैं, कभी मृदा परीक्षण की बात करते हैं, लेकिन होना-जाना अभी कुछ नहीं है।

आपकी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, बारबार आपने तारीख बढ़वा दी। किसानों का पूरा प्रीमियम वसूला गया। लेकिन आपके पूरा प्रीमियम लेने के बावजूद भी किसानों को आज तक एक पैसा नहीं मिला है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट में एक बात और सामने आई है कि 125 करोड़ का किसानों से ज्यादा पैसा ले लिया। किसी किसान के पास सौ बीघा भूमि थी, उसने पचास बीघा ही भूमि बोई। आपने पूरी सौ बीघा भूमि के बीमा का पैसा वसूल कर लिया। आपके अधसूचक जो सिस्टम था कि कहां पर आपको बीमा लागू करना है, कहां नहीं करना है, इनकी अधिकारियों ने अनदेखी की और 125 करोड़ रुपये ज्यादा वसूल कर लिये। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि 125 करोड़ रुपये किसानों के क्यों नहीं वापस दिलवाये जा रहे हैं। आप इसका जवाब भी दें।

दूसरा, कृषि उपज मण्डी के सन्दर्भ में, आपकी जितनी भी मण्डियां हैं, जहां आपके कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं। मण्डियों में आपके सचिव काम को सम्भाले हुए हैं तो वहां पर मंत्रीजी, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि वहां पर करप्शन हो रहा है। लेकिन वहां करप्शन हो रहा है, वहां पर बंधी ली जा रही है। अब कौन ले रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों को होगी कि अधिकारी ले रहे हैं या कोई और ले रहा है, यह पैसा कहां जा रहा है? कमीशन के बेसिस पर यह काण्ट्रेक्ट है कि या तो वहां का एक्स.ईएन. इस व्यवस्था को सम्भालेगा या वहां का सचिव सम्भालेगा। पूरा कलेक्शन मंथली या दो महीने में पैसा आ रहा है, तो वहां की कृषि उपज मण्डी में जो विकास कार्य हो रहे हैं, सिविल वर्क हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। इस बारे में मंत्रीजी, आप थोड़ा ध्यान रखें और इसकी जांच करवायें। क्योंकि यह संवेदनशील है कि किसानों की मण्डियों के लिये हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां पर गुणवत्तापूर्वक सड़क नहीं बन रही है, आवास नहीं बन रहे हैं या गोदाम नहीं बन रहे हैं या दुकानें सही नहीं बन रही हैं, तो इसकी भी जांच हो।

(श्री रमेश)

आपने कुछ समय पहले एक कोबरा टीम बनाई थी। जो अमानक खाद की कालाबाजारी है या आपके कीटनाशक दवाइयां हैं, या जो भी आपका सिस्टम है, इसमें गड़बड़ है तो एक कोबरा टीम का गठन किया गया। वह कोबरा टीम कहां काम कर रही है। किसके दबाव में पीछे हट गये। किसकी मिली भगत है, इसके बारे में मंत्रीजी थोड़ा सा बतायें कि कोबरा टीम पीछे क्यों हट गयी?

दूसरा, आपके पशुपालन विभाग में जो सुना है मैंने, जानकारी पूरी नहीं है, आप बता देना कि ड्राइवरों की सीधी भर्ती हो रही है तो यह सरकार जीरो टोलरेंस की बात करती है तो सीधी भर्ती क्यों? पारदर्शिता इसमें रखी जाए क्योंकि इससे पहले आपने पिओन, चपरासियों की जो भर्ती की है, वह भी उलझ गयी है और आपकी दवाइयों की जो बात आती है, पशुओं की दवाइयों की, नि:शुल्क दवा योजना आरोग्य में, उसके टेंडर हुए एक साल हो गये, अभी एक साल से हुए नहीं हैं और बिना टेंडर के आप महंगी दरों पर दवाई खरीद रहे हो। इसका भी आप बतायें कि हमारा नया सिस्टम आ गया है इसलिए हमने टेंडर नहीं किये हैं और हम इन नि:शुल्क दवाइयों को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं या पशुओं के प्रति आपकी, जो किसानों के पशु हैं, उनके प्रति आपकी क्या सोच है, इसके बारे में भी आप बतायें।

एक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। दूसरी, आपकी किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फैकल्टी में ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ जिसको हम कह सकें कि यह उल्लेखनीय कार्य हुआ है। एक काम जरूर हुआ है आपकी यूनिवर्सिटीज में कि कुलपतियों को मनमाने तरीके से आप एक्सटेंशन दे रहे हो और कुलपति के चयन में आप नियमों में बदलाव कर रहे हो और अनुभव की शर्तों को आप मजाकिया बना रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसे राज्यपाल महोदय ने भी बड़ी गंभीरता से लिया था। आपका राजस्थान पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति कर्नल अशोक गहलोत को दो बार एक्सटेंशन क्यों दी गयी? क्या प्रदेश में कोई और योग्य व्यक्ति नहीं है या इससे कोई नवाचार ला सकती है सरकार जो उसको बार-बार एक्सटेंशन दी जा रही है? इस बारे में भी थोड़ा मंत्रीजी हमें बतायें।

(श्री रमेश)

अब मैं आपको थोड़ा सा आपके फिगर जो आए हैं कि आपने एक बात कही है कि आपकी सरकार 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी करने का दावा करती है जब तक कृषि जी.डी.पी. दुगुनी नहीं होगी, कृषकों की आय दुगुनी कैसे होगी? कृषि उत्पादन सूचकांक 2011-12 में 237 था, 2013-14 में 239.33 था और 2014-15 में 224.49 रह गया तो इसी तरह अनाज का कृषि उत्पादन सूचकांक 2010-11 158.68 था जो 2015-16 में 133.68 रह गया। इसी तरह आपका तिल, तिलहन का कृषि उत्पादन सूचकांक 2010-11 में 130.11 था, जो 2015-16 में 111.12 रह गया तो इस तरह आप चाहे आपकी दलहन की बात करें तो उसमें 2010-11 में 247.10 था, जो 2015-16 में 154.17 रह गया। आपके कपास और सन का कृषि उत्पादन सूचकांक 2010-11 में 208.57 से घटकर 2015-16 में 146.34 रह गया तो इस तरह आपकी जो जी.डी.पी. ग्रोथ है, आज भी राज्य की जी.डी.पी. ग्रोथ करीब 9 प्रतिशत के आस-पास है तो हम आए दिन किसानों की भूमि को अवाप्त कर रहे हैं। उसके लिए एक नियम भी ले आए। किसानों की भूमि के लिए कि भाई, रिसर्जेंट राजस्थान में बड़े-बड़े उद्योगपति आएंगे, निवेश आएगा, किसानों की भूमि आपने अवाप्त कर ली।

चाहे आप निजी शिक्षण संस्थाएं, विश्वविद्यालय खोल रहे हो, किसानों की भूमि को अवाप्त कर रहे हो, चाहे सेज का मामला हो, किसानों की भूमि अवाप्त की जा रही है लेकिन किसान के लिए कोई ऐसी मदद जिस प्रकार आप कोई उद्योगपति निवेश लगाने यहां राजस्थान में आता है तो आप सभी करों में छूट देते हैं। आप बिजली-पानी में उसको सब्सिडी देते हैं या पूरी छूट दे देते हैं। इसी प्रकार क्यों न आप हमारे किसान जो अन्नदाता हैं, उसके लिए कोई न कोई ऐसी छूट दें, उसको प्रोत्साहित करें, उसका आर्थिक विकास करें, उसको आगे बढ़ाएं क्योंकि, आज हमारी जो दशा बनी है राजस्थान में किसान कोई भी खेती नहीं करना चाहता। वह चाहे इस शहर में आकर ठेला लगाना चाहता है क्योंकि उसका जो, जब उसकी फसल आती है तो औने-पौने दामों में बिकती है या कभी ऐसा होता है कि कुछ फसल ऐसी है जो आप सब्जियों की बात करें, तो सड़कों पर उसको फेंकना पड़ता है, चाहे टमाटर हो, चाहे आपका प्याज सड़ जाएगा, चाहे आलू सड़ जाएगा तो उस किसान के

(श्री रमेश)

लिए आप हम सबको मिलकर, मैं यह नहीं कहता कि भाई, आप लोगों ने किया, हमने किया, सबको मिलकर एक निर्णय लेना पड़ेगा कि किसान को उसका एम.एस.पी. दर, उचित मूल्य मिले, किसान को हम आगे बढ़ाएं और जिस तरह अब बजट में जो पैसा मिल रहा है वह धरातल पर नहीं पहुंच रहा है, मंत्रीजी, यह कहीं बीच में ही गड़बड़ हो रहा है तो यह धरातल पर पहुंचे इसमें आपको थोड़ा सा कठोर रहना पड़ेगा तो काम चल पाएगा।

दूसरी बात, पहले हमारे देश में, राजस्थान में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़े लेकिन 2015 में जिस प्रकार से ओले और पाला पड़ा तो प्रदेश में किसानों ने आत्महत्याएं कीं। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, दूसरे छत्तीसगढ़ या साउथ के स्टेट आते थे लेकिन अब राजस्थान में किसान आत्महत्या को मजबूर है तो जब तक आप किसान के लिए सोचेंगे ही नहीं कि किसान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है तो पिछले बीस सालों के जो आकड़े हैं पूरे देश में चार लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं और आप बात कर रहे हैं कि हम किसानों की 2022 तक दोगनी आय कर देंगे, जब तक उसकी दोगनी जी.डी.पी. स्टेट की नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे?

राज्य सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि राज्य में आठ सालों में 2870 किसानों ने आत्महत्या की लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। राज्य सरकार ने आंकड़ों के अनुसार 2008 में उनकी सरकार के समय 796 किसानों ने आत्महत्या की, इसके बाद 2009 से 2013 तक औसत तीन सौ किसानों ने प्रति वर्ष आत्महत्या की लेकिन भाजपा सरकार के आते ही किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की।

यह बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा है कि जो औसत 300 का था, वह जीरो पर चला गया लेकिन जिस तरह 2015 में फसल खराबा होने के कारण, किसान के ऊपर कर्ज बढ़ने के कारण, समय पर सहायता नहीं मिलने के कारण, केन्द्र की तरफ मुंह ताकने के कारण किसानों ने आत्महत्या की लेकिन बड़ा गंभीर विषय है कि सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि किसानों ने आत्महत्या की।

आज बजट आबंटन में आपने 2015-16 में कुल बजट का 5.57 प्रतिशत

(श्री रमेश)

यानी, 3975.84 करोड़ कृषि को आवंटित किया है, जिसमें से केवल 3271.82 करोड़ ही खर्च किया। 2016-17 में कुल बजट का 5.62 प्रतिशत बजट आबंटित किया जो 5606.74 करोड़ था लेकिन दिसम्बर, 2016 तक आप केवल 1756.51 करोड़ ही खर्च कर पाए यानी, केवल 31.32 प्रतिशत ही। सैकड़ों करोड़ का बजट लैप्स हो रहा है, आखिर आप इससे किसान की स्थिति कैसे सुधारेंगे?

आपने 2017 के बजट आबंटन में फिर पाइंट जीरो फाइव परसेंट घटा दिया जबकि आप एग्रीटेक मीट आयोजित कर रहे हैं, किसानों के विकास की बात कर रहे हैं और किसान का बजट आप बढ़ा नहीं रहे हैं। आपने 2017-18 में घोषणा की है कि हर संभाग पर हम एग्रीटेक मीट आयोजित करेंगे, उसका क्या लाभ होगा?

राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन निरंतर गिर रहा है। राज्य सरकार को बजट में इस संबंध में विशेष प्रावधान करने चाहिए क्योंकि आपका उत्पादन 2013-14 में 206.89 लाख मैट्रिक टन, 2014-15 में 196.22 लाख मैट्रिक टन और 2015-16 में 182.25 लाख मैट्रिक टन था, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाला समय बड़ा भयावह होगा।

जिस राज्य की 62 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, वहां पर खाद्यान्न उत्पादन में इस प्रकार की कमी होती जाएगी तो किसान ही नहीं बल्कि आम आदमी को आने वाले समय मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस संदर्भ में थोड़ा सा मंत्रीजी सोचें और किसान को कैसे, कृषि को आगे बढ़ाये, इसके बारे में सोचें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ज्यादा नहीं है साहब, थोड़ा सा और है। आपने बिजली देने की बात कही थी कि हम किसानों को आठ घंटे बिजली देंगे। आठ घंटे आप बिजली नहीं दे पाए। छह घंटे की बात हुई उसमें भी आप चार-पांच घंटे ही दे पा रहे हैं और आपने खाद और बीज के लिए 2015-16 में 55 करोड़ रुपये आबंटित किये लेकिन फिर 2016-17 में केवल 39 करोड़ रुपये और अब 2017-18 में मात्र 27 करोड़ का बजट आबंटन किया है।

(श्री रमेश)

तो जिस प्रकार आपका खाद्यान्न उत्पादन घटा है, उसी प्रकार आपका बजट आबंटन भी निरन्तर घटा है। आज हमारे राज्य में हजारों किसान कर्जदार हैं। यदि हम दक्षिण भारत को छोड़ दें तो सर्वाधिक कर्जदार इस देश में राजस्थान के किसान हैं। एक किसान पर औसत कर्जा 40 हजार 55 रुपये कर्ज है, जबकि संसद में मंत्रीजी ने जवाब दिया कि राज्य के किसान पर 70 हजार 500 रुपये औसत कर्ज है, जबकि मासिक आय केवल 7 हजार 350 रुपये है। जिस प्रकार खाद और बीज की कीमतें बढ़ रही हैं, किसानों की लोड के आधार पर वी.सी.आर. भरी जा रही है और सरकार दूसरी तरफ कह रही है कि हमने किसान के लिये 25 पैसे प्रति यूनिट कम कर दी और किसानों को बुलाया जा रहा है और किसानों से बधाई ली जा रही है। जिस प्रकार दिसम्बर, 2016 तक जो सरकार आधा, पचास प्रतिशत भी बजट खर्च नहीं कर पाती, वह सरकार किसानों के लिये क्या करेगी, क्योंकि मंत्रीजी के पास समय नहीं है। मंत्रीजी बुरा मत मानना, क्योंकि आप विदेश गये तो नई तकनीकी लाते, आप अधूरे काम लाये, आप ग्रीन हाउस लाये, तीन साल बाद उनकी स्थिति क्या है? उसमें बीमारी लग गयी, पूरा प्लान नहीं लेकर आये, पूरी जानकारी नहीं थी। आज आपके ग्रीन हाउस से लोगों का मन ऊब गया है। एक बीमारी ऐसी लग गयी है, उसके बाद उनको आगे लाभ नहीं मिल पा रहा है। वह ग्रीन हाउस बंद होने की स्थिति में आ गये।

आपने रिसर्जेंट राजस्थान, ग्लोबल एग्रीटेक मीट में इतना पैसा खर्च कर दिया। आप व्यापारियों को लाये और एक मेला दिखा दिया। आप किसानों को सीधे तौर पर सब्सिडी दो, बिजली फ्री करो या अन्य करों में आप मदद दो, या आप उनको ऐसी सहायता दो उस लेवल पर, यहां आपका जो बजट है, जो कागजों में बनता है और यही कागजों में मैंने ड्रिप योजना की बात बतायी कि डीलरों ने और कम्पनियों ने सौदा कर लिया, किसानों को पता ही नहीं है। किसान साइन करना जानता है उस किसान का अगूंठा लगा रहे हैं यह लोग और उसके नाम से सारा पैसा उठा लिया। आपके बीज के मिनी किट्स हैं, नीचे जा ही नहीं पा रहे हैं। आपका तंत्र है वह दूसरे कामों में बिजी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आपको माननीय सदस्य, आधे घंटे से ऊपर हो गया। आप सहकारिता पर भी बोलेंगे क्या?

श्री रमेश (सपोटरा): हां, चलो सहकारिता पर बोल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: फिर तो अभी बहुत कुछ बाकी है।

श्री रमेश (सपोटरा): डेयरी पर भी बोल लें क्या थोड़ा बहुत, बताओ मंत्रीजी। जिस प्रकार राज्य में दूध की डेयरियों में जहर मिलाया जा रहा है और दूध की डेयरी के चेयरमैन, जयपुर जिनके बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी बताया कि विजिलेंस कमेटी का अधिकारी दूध में यूरिया मिला रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उसको सरकार बचा रही है। एक अधिकारी काले धन को सफेद कर रहा है और उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और आप घी को औने-पौने दामों में बेच रहे हो। नोटबंदी के दौरान फर्जी आई.डी. से घी खरीदा गया। आपका पाउडर कैसे बिक रहा है, कट्टे बरामद हो रहे हैं। नवम्बर, 2015-16 व्यापारी के पास मिल रहा है, दूध की डेयरी वाले बेच रहे हैं मई का, तो इस तरह का जो घोटाला हो रहा है, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, कुछ अधिकारी हैं, किसी के किसी चीज का ठेका है, किसी का पैंकिंग का ठेका है, किसी के भाई-भतीजे, किसी के साले या अधिकारी दूध की डेयरियां लगा रहे हैं या दूध में किसी ने प्लांट डाल लिया। चारों तरफ मंत्रियों और अधिकारियों की बहबूदी आ रही है और प्रदेश की जनता को जो आप दूध पिला रहे हो, वह जहर पिला रहे हो। इसकी भी एक जांच हो जाए, एक उच्च स्तरीय कमेटी बिठा दो तो लोगों को शुद्ध खाद्य वस्तुएं मिल जाएं मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कमेटी बिठाओगे तो कमेटी के बहबूदी आ जाएगी।

श्री रमेश (सपोटरा): कमेटी ऐसी बिठाओ, उसमें किसी जज को नियुक्त करवाओ, उसमें साफ होगा। नहीं तो सी.बी.आई. से जांच करवाओ। अगर सरकार में दम है और सरकार कहे कि कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं तो सी.बी.आई. से जांच करा लो, सरकार नहीं चाहती तो उस कमेटी की बहबूदी कैसे आ जाएगी। लेकिन अभी तक जो हुआ है, इसमें मंत्रीजी ने भी एक कमेटी बनायी थी पौधे वाले में, आपने एक

(श्री रमेश)

कमेटी बिठायी थी, उसने गुणवत्ताहीन माना। उसके बावजूद वह कम्पनी आज भी काम कर रही है, उसको दूसरा काम भी दिया जा रहा है। मेरा सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन है कि आप दूध की डेयरियों की जांच करायें। यह गड़बड़ घोटाले का पर्दाफाश करें।

सहकारिता के क्षेत्र में मेरा दूसरा निवेदन है कि किसानों को आप ज्यादा से ज्यादा ब्याज मुक्त ऋण दिलवायें, समय पर ऋण दें। उनको बीघे के हिसाब से जो तय कर रखा है, उसको ज्यादा करें और प्रधानमंत्री जी बीमा फसल योजना में हलका पटवारी को यूनिट माना है। मैं दुबारा एक बात और कहना चाहूंगा कि उस खेत को यूनिट माना जाए, यह मेरा निवेदन है।

(14.45 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

पशुधन में आपने जो नि:शुल्क दवा योजना है, वह लटका रखी है, उसको चालू करें और उसकी दवाइयों की मात्रा बढ़ायें। यह मेरा, सभापति महोदय, आपसे निवेदन है और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री जगसी राम कोली।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37, 39 और 36-कृषि, पशुपालन एवं चिकित्सा, सहकारिता, जोकि प्रदेश के अंदर किसानों की सीधी-सीधी लगती हुई जो बातें हैं, वह आज इस विभाग की ओर से मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेष तौर से अभी कृषि के क्षेत्र में हमारे कृषि मंत्रीजी विराजमान हैं और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मेरे से पूर्व वक्ता कांग्रेस के साथी बता रहे थे, लेकिन मैं मेरी बात कहूंगा, पिछली सरकार में भी हमारी वसुन्धरा जी के समय में और विपक्ष में गहलोत साहब की सरकार में भी मुझे यहां रहने का मौका मिला था और मैं खुद ही किसान परिवार से हूं और वहां पर सरकार ने किसानों के हित की जो बात कही थी, उसकी और उनकी तुलना में काफी रात-दिन का अन्तर है। हमारे सिरोही जिले के अंदर जब ओलावृष्टि हुई थी, उस समय के अंदर मैं रेवदर से विधायक था। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्रीजी ने निर्देश दिये थे कि

(श्री जगसी राम)

अपने-अपने क्षेत्र के अंदर जाकर सर्वे करवाया जाए और किसानों को जो नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई करने के लिये सरकार उनको मुआवजा दिलाये। हमारे जाकर सर्वे करवाने के उपरान्त प्रत्येक किसान को मुआवजा दिया गया और उसका रिकार्ड आज भी वहां पर मौजूद है। उनके बाद में पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में यही हाल हुआ था लेकिन उसके उपरान्त एक भी किसान को एक नया पैसा भी नहीं मिला था। मैं आज के इस मौके पर हमारे मंत्रीजी ने अभी वर्तमान सरकार की जो पॉलिसी आई है, किसानों के लिये वह बहुत अच्छी है। तरह-तरह की उन्नत खेती के लिये और तरह-तरह के कृषि यंत्रों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाया। मैं उन आंकड़ों के अंदर न जाते हुए हमारे कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिये कृषि के क्षेत्र में आपने जो अनूठा कदम उठाया है, प्रदेश का किसान वर्ग उस बात को जानता है और समझ रहा है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे सिरोही जिले के अंदर और प्रधान मंत्री फसल योजना जो लाये हैं, इससे सीधा-सीधा जाहिर होता है कि किसान दिल खोलकर अपनी खेती करे, कभी-कभी कोई नुकसान किसान को हो जाता है तो सरकार उसकी भरपाई कर पाये।

मैं आज के इस अवसर पर हमारे मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री फसल बीमा के अंदर जो 53 लाख कृषकों की 73 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में से पूर्व में 33 लाख कृषकों को 29 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल का जो बीमा किया है, उससे लगता है कि प्रदेश का किसान जागृत और उसमें सक्षम है।

इसके लिए सरकार की योजनाओं को लगातार आगे बढ़ने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, किसान को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ में लग कर सरकार की योजनाओं के अन्दर लगाव रखता है।

मैं हमारे मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले दो साल के पहले किसानों के लिए यूरिया और डी.ए.पी. की जो इतनी किल्लत हो रही थी कि ब्लैक में ले जाने के लिए और उचित दाम से एक्स्ट्रा पैसा देकर किसानों को जो यूरिया और डी.ए.पी. खरीदना पड़ता था, आज हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी ने उसको बढ़ा कर मैं समझता हूं कि प्रत्येक उप केन्द्र पर या सहकारी समिति पर खाद, बीज का जो भण्डार है वो पर्याप्त भरा

(श्री जगसी राम)

हुआ है, जब भी सीजनेबल समय होता है उस समय पर्याप्त खाद, बीज मिलता है। हमारे मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसी तरह से हमारे यहां राज्य में किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु खेतों पर जो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना प्रारम्भ की है इससे लगता है कि यह भी एक अनूठी योजना है, हमारे प्रदेश का और क्षेत्र का किसान आगे बढ़ेगा। मुख्य मंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत गेहूं, ज्वार, सोयाबीन, मूंग एवं उड़द की फसलों का जो बीज उत्पादन किया है, राज्य के कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर कृषि खण्डों के जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो प्रारम्भ किया है, मैं हमारे मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सिरोही जिले के अन्दर और रेवदर ब्लॉक के अन्दर कृषि के क्षेत्र में सौंफ है, टमाटर है, इसके बाद में रायड़ा भी है, गेहूं भी है, जो अच्छी पैदावार होता है, तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनको भी सम्मिलित कर के सिरोही जिले के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए आप इस तरह की चिंता और मन्थन करें।

जिले में कृषि क्षेत्र के अन्दर किसानों के लिए हमारे यहां पर जो कृषि अधिकारी हैं, कुछ रेवदर के अन्दर रिक्त पद हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान वर्ग सिरोही जिले के अन्दर और रेवदर ब्लॉक के अन्दर कृषि के क्षेत्र में सब से आगे है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप उनका एक सर्वे करवा कर, चाहे गेहूं हो, चाहे टमाटर हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सौंफ हो, उसके अन्दर खेती में अग्रणी माना जाता है, तो उनकी भी आप हमारे सिरोही जिले के किसानों के लिए एक चिंता जाहिर करें।

इसी अवसर पर किसानों के कृषि कुओं पर, मेरा सुझाव रहेगा कि आये दिन हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि इसके प्रति बहुत चिंता कर रहे हैं और कई बार हाउस में भी बात आयी है कि यह जो जंगली रोजड़े हैं, सूअर हैं यह हमारे किसानों की फसल नष्ट करते हैं, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अपन नरेगा के माध्यम से सरकार की ऐसी जो योजना है उनके अन्दर उसको लेकर मैं कहना चाहूंगा कि अनुदान पर किसानों के, एक यही नहीं कि जिसमें बांटा हुआ उसमें नहीं पूरे खसरे के अन्दर, भले ही 50 बीघा का एक कुआ है तो उनके चारों तरफ तार बंदी करा कर उसकी सुरक्षा के लिए हो,

(श्री जगसी राम)

आये दिन किसान को जो उसमें दिक्कत आती है, तो मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि किसानों के लिए यह बहुत अनूठा कदम रहेगा कि प्रदेश के सारे किसान आपको वाहवाही करेंगे कि हमारे कृषि मंत्री जी ने इसके प्रति बहुत चिंता जाहिर की है।

इसी तरह से मैं हमारे मंत्री महोदय से हमारे रेवदर की, सिरोही की बात करना चाहूंगा कि यहां पर टमाटर बहुत अच्छा पैदावार होता है, गुजरात की सीमा से लगता हुआ जो एरिया है वहां पर टमाटर और मूंगफली की पैदावार बहुत अच्छी होती है, तो सरकार कृषि के क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज यदि किसानों को दिया जाए अनुदान पर, गुजरात की पद्धति पर यदि कोल्ड स्टोरेज होगा तो टमाटर के जो आये दिन भाव ऐसे रहते हैं, आज भी हमारे रेवदर ब्लॉक के अन्दर टमाटर की पैदावार बहुत अच्छी हो रही है लेकिन टमाटर के 40 रुपये 50 रुपये से बढ़ा कर दो और पांच रुपये का बिलकुल भाव डाउन रहता है, तो यदि वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि सिरोही जिले में, हमारे क्षेत्र के अन्दर खेती के अन्दर ज्यादा माना जायेगा।

एक मेरा मंत्री महोदय से निवेदन था कि मूंगफली राजस्थान में, मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष में गुजरात नम्बर एक पर माना जाता है लेकिन रेवदर तहसील के अन्दर मूंगफली की पैदावार बहुत भरपूर है, बम्पर पैदावार होती है और उस पैदावार से आप हमारे सिरोही जिले और रेवदर का सर्वे जो करायेंगे तो रेवदर का नम्बर एक पर रहेगा और आये दिन गुजरात, पाथावाड़ा के टैक्स को भर रहे हैं, यदि खरीद केन्द्र रेवदर में या मण्डार में स्थापित करवाया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे किसानों के लिए बहुत सराहनीय कदम रहेगा।

इस अवसर पर मैं हमारे पशुपालन मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी योजना तो लायी गयी है, जैसे फ्री दवाई वाली योजना है। आज मनुष्य से भी अच्छी है। हमारे डॉक्टर साहब से मैंने जानकारी ली तो उन्होंने कहा, अच्छी-अच्छी क्वॉलिटी की दवाई है, मवेशियों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। हमारे मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि दवाइयों के प्रति और उनका जो ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा और

(श्री जगसी राम)

सराहनीय है क्योंकि वहां पर मवेशी भी ज्यादा हैं, पशु पालक भी खूब हैं। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर जो कुछ पद हैं उनको भरवाया जाए ताकि हमारे प्रदेश और सिरोही जिले के पशु पालकों के लिए बहुत अच्छी मेरी ओर से मांग रहेगी।

पशु पालकों के लिए मैं हमारे मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि पशु पालक जो हैं, कई बार जब अकाल की स्थिति होती है तो वो जब अन्य प्रदेशों में चराने जाते हैं तो उनके साथ में कई बार व्यवहार सही नहीं होता तो उनकी सुरक्षा के लिए एक कोई छोटी-मोटी योजना लायी जाए। साथ ही हमारे यहां पर हमारे मंत्री जी ने हरियाली में पशु पालकों के लिए जो स्कूल खोली है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके उधर बाड़मेर साइड में भी जो खोली है, इसी तरह हमारे जालौर, सिरोही और पाली के अन्दर, सिरोही जिले के अन्दर पशु पालकों के बच्चों के लिए ऐसा कोई अच्छा कदम उठाएं ताकि आने वाले समय में मवेशियों के साथ-साथ में यह भी एक बहुत सराहनीय रहेगा।

साथ ही हमारे यहां पर सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं हैं। आज की मांग संख्या 37-कृषि, 39-पशुपालन एवं 36-सहकारिता, सहकारिता के क्षेत्र में हमारे मंत्री जी और सरकार बहुत संवेदनशील है कि समय-समय पर कभी भी ऐसी कोई भी शिकायत मंत्री जी तक जाती है तो उसमें बहुत जल्दी से एक्शन लेते हैं।

साथ में एक मेरा सुझाव रहेगा कि सहकारी समितियों द्वारा किसानों के खाद, बीज के अन्दर और जो ऋण उपलब्ध करवाया जाए उसमें यदि बढ़ोतरी की जाए तो मेरे हिसाब से बहुत उचित रहेगा। इसके उपरान्त जो सहकारी समितियां हैं उन समितियों के माध्यम से यदि उनकी नियमित ऑडिट करवायी जाए ताकि प्रदेश के और हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत सराहनीय रहेगा।

आज के इस अवसर पर, इस मौके पर हमारे क्षेत्र की जो बात मैंने रखी है, हमारी मंत्री महोदय से और सरकार से मेरा आग्रह रहेगा। क्योंकि प्रदेश के और एरिया के आंकड़े न बताते हुए, क्योंकि हमें समय बहुत कम मिलता है और मेरा पहला नम्बर था, उस समय मैं दो मिनट के लिए पहुंच

(श्री जगसी राम)

नहीं पाया था, क्षमा चाहूंगा और साथ में मैंने जो मेरी बात सरकार के सामने रखी है, मंत्री जी उस पर गौर करेंगे। मुझे बोलने का मौका दिया, खूब-खूब धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रहलाद जी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 37- कृषि, 39- पशुपालन, 36-सहकारिता पर आज चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत ही गम्भीर मांग पर आज यह सदन चर्चा कर रहा है। हम बचपन से इस बात को समझते आये, पढ़ते आये 'भारत एक कृषि प्रधान देश है', हमारी अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर है और आज जब यह चर्चा प्रारम्भ हुई उससे पहले पर्ची के माध्यम से आपने सदन में किसान की पीड़ा को रखने का प्रयास किया।

श्री सभापति: माननीय मुख्य सचेतक महोदय, माननीय सदस्य को व्यवधान हो रहा है अपना वक्तव्य देने में।

(15.00 बजे)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा हो और जिस देश की आबादी का तीन चौथाई से ज्यादा हिस्सा किसान हो, आज आपका वक्तव्य सुनकर के और सदन में कई बार किसान की फसल की बरबादी की चर्चाओं को सुनकर ऐसा लगता है कि किसान की फसल और किसान का जीवन मानसून का जुआ है। मानसून जुआ खेलेगा और किसान के जीवन में उतार-चढ़ाव आएंगे। हम लगातार सदन में चर्चा करेंगे और ऊँट के मुंह के जीरे के बराबर राहत का पैकेज उस किसान के लिए आएगा।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात यहीं से शुरू कर रहा हूं। मंत्री महोदय, सौभाग्य से आप किसान हैं। मैं आपके विजन को लेकर के सवाल नहीं उठाना चाहता। आप इस प्रदेश में नवाचार लाना चाहते हैं। कई प्रकार के प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन मैं अगर आज के दिन मौजूदा स्थिति की बात करूँ कि कोई ऐसा सत्र नहीं होता जब समर्थन मूल्य पर खरीद चर्चा का विषय नहीं बनता।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि हाड़ौती का किसान आधी से ज्यादा सरसों बेच चुका है और अभी तक समर्थन मूल्य का कांटा नहीं लगा है। आप चर्चा कर रहे हैं कृषि पर, पशुपालन और सहकारिता पर? इस सदन में चर्चा होने से पहले अच्छा होता कि राजस्थान के कृषि मंत्री जी, आप इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले सवालों पर कहते कि हम कोटा, हाड़ौती ही नहीं, आप सौभाग्य से हाड़ौती से भी आते हैं, इस राजस्थान के किसान ने जहां-जहां भी बंपर सरसों पैदा की है, हम समर्थन मूल्य पर खरीद का काम प्रारंभ कर चुके हैं।

सभापति महोदय, गेहूं खरीदा जा रहा है। बाजार में समर्थन मूल्य से ज्यादा बिक रहा है। सरसों समर्थन मूल्य के नीचे गिर रही है। एक तरफ मानसून के जुआ की पीड़ा और दूसरी तरफ राज के राज़ी नहीं होने की पीड़ा। आपने कहा थी कि राम राज़ी ना हो तो राज तो राज़ी रहना चाहिए। मंत्री जी राज़ी नहीं हैं। व्यवस्था क्यों नहीं बन रही है? यह गंभीर सवाल पूरे राजस्थान के सामने है।

आज अनुदान की मांग पर चर्चा करते समय राजस्थान के उन तमाम किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको भी और आपके पहले सरकारों में कृषि मंत्री रहे हैं उनको भी, भारत सरकार से लेकर के राजस्थान की सरकार तक सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुल्क ने 1964-65 के वह दिन देखे जब भारत के पास 7 दिन का खाद्यान्न बचा था और इस मुल्क के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि देश एक टाइम खाना खाये, 1966 में हरित क्रांति का नारा देकर इस हिन्दुस्तान के किसान को आह्वान किया देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। पुरुषार्थी और पराक्रमी किसान ने भारत को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भरता की स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया। केवल आत्मनिर्भरता ही नहीं, हम दुनिया में कई प्रकार की फसलों का एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे धान का एक्सपोर्ट होता है, दलहन का एक्सपोर्ट होता है। अगर यह स्थिति आई है तो इसमें सरकारों का योगदान एवं राजस्थान और भारत के किसानों का पुरुषार्थ रहा है।

सभापति महोदय,लेकिन एक बात पर आज हमको विचार करना पड़ेगा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कि जब देश आजाद हुआ तो इस मुल्क की जीडीपी में लगभग 61 प्रतिशत योगदान कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का था। कृषि सेवाओं का योगदान था। आज जब हम 70 साल बाद बात कर रहे हैं तो कृषि का रकबा बढ़ा है, जोत बढ़ी है, लेकिन जीडीपी में योगदान घटा है। इसके दूसरे पक्ष में जाएं तो तीव्र गति से देश की आर्थिक व्यवस्था में योगदान करने वाले उद्योग-धंधे बढ़े हैं। देश के नौजवान का सेवाओं के प्रति रुझान बढ़ा है। देश के लोगों ने और सरकारों ने दूसरे विकल्पों को तैयार किया, मजबूत किया।

लेकिन अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जब प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बैठे और भारत की जीडीपी में कृषि व्यवस्था 15 प्रतिशत पर आकर के टिक गई तो इस बारे में गंभीर चिंतन हुआ। जीडीपी में किसान का योगदान गिरता जा रहा है। प्लानिंग कमीशन आज से 10 साल पहले कह चुका है कि आने वाले दशकों के बाद अगर इस मुल्क में रोजगार के अवसर सुरक्षित रहेंगे तो कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों, डेयरी, पशुपालन में रहेंगे।

सभापति महोदय, इन परिस्थितियों के बाद जब इस मुल्क में कृषि राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से इतना संवेदनशील विषय है कि कृषि उत्पाद के कर्मों में लगे हुए व्यक्ति की जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो उपभोक्ता बाजार एवं निर्माण क्षेत्र उस पर टिकता है। जब कृषि कर्मों में लगे हुए व्यक्ति की परचेजिंग पावर घटती है और वह मानसून के जुए का शिकार होता है, किसी अन्य कारण से वह पीड़ित होता है तो इस मुल्क का उपभोक्ता बाजार गिरता है, इस मुल्क का विनिर्माण उद्योग ठप्प हो जाता है।

इन सारी स्थितियों को जानने के बाद इस मुल्क की सारी की सारी व्यवस्था कृषि कर्मों में लगे हुए लोगों पर आधारित हैं, इसके बावजूद भी हम इस गंभीर विषय पर लगातार आलोचनात्मक चर्चा करते रहे। हम चर्चा करें कि 5 साल आपकी सरकार थी, क्या मुआवजा मिलता था? इससे पहले आपकी सरकार थी। क्या नीतियां थी, क्या मुआवजा मिलता था? आलोचनात्मक चर्चा किसान का सुनहरा भविष्य नहीं ला सकती है। किसान का सुनहरा भविष्य लाने के लिए तय करना पड़ेगा। मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि किसान को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। उसके उत्पादन का उचित मूल्य किस प्रकार से मिलना चाहिए।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, 2004 में जब एनडीए की सरकार थी तो स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ। गठन का उद्देश्य था कि किसान के उत्पाद का भरपूर मूल्य मिले। किसान किस प्रकार से खेती के काम को मुनाफे के रूप में करे। अगर हमने इसको नहीं समझा तो आप भी जानते हैं कि हमारी पुरानी पीढ़ी जो खेती के साथ रिश्ता रखती थी।

अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य में वह खेती के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। खेती एक चुनौतीपूर्ण काम है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को खेती नहीं करनी चाहिए और किसी काम पर आश्रित होकर अपने भविष्य को सुनिश्चित करना चाहिए। इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अगर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया तो एक और दुर्भाग्य होगा।

माननीय सभापति महोदय, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आ गई, 1 अप्रैल, 2007 से लागू होनी चाहिए थी, लागत में 50 प्रतिशत जोड़कर दिया जाए। मैं आज मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वास्तविक अर्थों में किसान के प्रति अपने मन में दर्द लेने वाले किसान, कृषक मंत्रीजी, क्या यह सदन भारत सरकार को इस आशय का यह प्रस्ताव कृषि की मांग पारित करने के समय भेजेंगे? सातवां वेतन आयोग आ गया, जब से वेतन आयोग की सिफारिश लागू होती है, उस रोज से भत्ते बढ़ाएं जाते हैं, फलां तारीख से आयोग ने रिपोर्ट दी है तब से भत्ते बढ़ेंगे, स्टेट ने भी मूल्यांकन के लिए एक कमेटी बना दी है। क्या आप आज राजस्थान की विधान सभा से इस आशय का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे कि 1 अप्रैल, 2007 से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इस मुल्क में लागू करके किसान के भविष्य को सुनहरा अवसर प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। सच्चे अर्थों में हम चर्चा कर रहे हैं उस किसान की, भारत के प्रधान मंत्रीजी भी चिंतित हैं। भारत के प्रधान मंत्रीजी के प्रयासों को लेकर चर्चा में प्रतिपक्ष के लोगों ने आलोचनात्मक पक्ष रखा लेकिन मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी ने भारत के किसान की आय को दोगुना करने का सपना देखा, उसके पीछे मंशा है कि इस मुल्क की 75 प्रतिशत आबादी आज भी किसान है और उसका जीडीपी में हिस्सा घटता हुआ चला जा रहा है, यह देश के लिए संकट का विषय है। इस मुल्क की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

परम्पराओं, व्यवस्थाओं में रिसर्जेंट राजस्थान हो, दिल्ली में कोई रिसर्जेंट भारत सरकार करे, तमाम प्रकार के निवेशों के प्रयास के बाद अगर इस मुल्क में आर्थिक बदहाली और कर्ज के कारण किसान आत्महत्या करता है तो सारे प्रयासों के सामने वह चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। किसान इस मुल्क की आत्मा है, इस मुल्क की आत्मा के साथ अन्याय होता है तो इस मुल्क के विकास के सारे संसाधनों को, प्रयासों को इतना जबर्दस्त धक्का लगता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। किसान को दोराहे पर खड़ा कर उसको बदहाली के चौराहे पर छोड़कर हम इस समूचे मुल्क की आर्थिक प्रगति की कामना नहीं कर सकते। इसलिए वाजपेयीजी ने किसान आयोग, स्वामीनाथन आयोग बनाया और मोदीजी ने सपना देखा किसान की आय दुगुनी करने का, दुगुनी भी आय हो जाएगी, किस तरीके से? मैं माननीय मंत्रीजी, एक सवाल आज आपसे पूछना चाहता हूं। प्रधान मंत्रीजी का सपना है कि किसान की आमदनी दुगुनी होनी चाहिए। किसान ताकतवर होना चाहिए, उसमें पुरुषार्थ है, परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, धरती की कोख में पसीने की बूंद डालता है, इस देश को पालता है, इस मुल्क को पालता है लेकिन इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है, कृषि मंत्री महोदय? बम्पर पैदावार कर दें और समाचार अखबारों में पढ़ने को मिले एक रुपए किलो में टमाटर नहीं बिक रहा है, लहसुन नहीं बिक रहा है, फसल नहीं बिक रही, कटाई महंगी पड़ रही है, किसान सड़कों के किनारे फसलों का ढेर लगा-लगाकर जा रहे हैं। यह केवल राजस्थान की स्थिति भले न हो लेकिन मुल्क के किसी कोने में हालात हैं तो हम किसान को किस तरीके से आत्म निर्भर के रास्ते पर ले जा सकते हैं? कैसे हम दोगुनी आमदनी बढ़ाएंगे? वह बम्पर पैदावार करता है, उसकी खरीद के सुनिश्चित तौर तरीके न हो, स्टेट की सरकारें इसकी चिंता न करें, न सेंटर में इसके गंभीर प्रयास हो और किसान अपने पसीने की पैदावार को सड़क के किनारे खाली करके, सड़क के किनारे बैठकर उस दोहरी मानसिकता का शिकार होकर अपने भाग्य को रोता रहे, कोसता रहे? मेरी मेहनत चली गई है पानी में, मानसिक अवसाद में आया किसान अपनी किस्मत को कोसता है, आत्महत्या की सोचता है, आजादी के 70 साल बाद भी इस मुल्क के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं, इन परिस्थितियों में से किसान को बाहर निकालना पड़ेगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि नरेगा में आपने बागवानी को जोड़ दिया, पवित्र उद्देश्य है, बागवानी फलनी चाहिए, अर्थ अर्जन के लिए बागवानी एक अच्छा तरीका हो सकता है किसान के लिए। हमें देर सवरे इन तरीकों की तरफ जाना पड़ेगा कि कम पानी में बेहतर उत्पादन किस तरीके से हो, कम लागत में अधिक मूल्य वाली फसल कैसे पैदा की जाए, सरकार से उपलब्ध संसाधनों को जोड़कर किस तरीके से किसान के साथ भागीदार बनकर उसकी आजीविका को सुदृढ़ करने के तौर तरीके निकाले जाएं? क्या कारण हैं आपने घोषणा कर दी, पर आज सदन को बताएंगे आप कि इस घोषणा के बावजूद भी इस मिशन में, नरेगा के साथ जोड़ने के बावजूद कितना प्रतिशत किसान राजस्थान का आप जोड़ पाए, कितना लाभ राजस्थान का किसान इसका ले रहा है? सरकारी योजनाएं कागजों में बनती है, दुर्भाग्य से इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, प्रचार-प्रसार और उसके अभाव में राजस्थान के उस किसान को जितना लाभ मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाता है। दूसरा प्रयोग आप संरक्षित खेती का कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की। मानसून के जुए का शिकार किसान अपनी पीड़ा किसको बताने जाए? माननीय सभापति महोदय, उसकी पीड़ा आज आपने बताई है, संरक्षित खेती आप कर रहे हैं, संरक्षित खेती में चार हजार वर्ग गज का खर्चा 37 लाख किया, आप दे देंगे अनुदान? सरकार की सब्सिडी साढ़े 18 लाख है, कितने प्रतिशत किसान है इस हिन्दुस्तान का, इस राजस्थान का, जो एक-एक लाख रुपए के क्रोप लोन के लिए सहकारी के दफ्तरों के चक्कर काटता है? उसमें भी केन्द्र का हिस्सा घटने के कारण सहकारिता के आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है और उसकी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। क्या आप व्यवस्था करेंगे और साढ़े अठारह लाख रुपए का लोन सहकारिता मंत्रीजी दिलाएंगे? बैंकें आज किसानों को साढ़े अठारह लाख रुपए का लोन देने की बात करने को तैयार नहीं, कितने प्रतिशत किसान लेंगे या फिर यह मान लूं कि इस मुल्क में दो प्रकार की खेती हो गई माननीय सभापति महोदय, एक वह खेती जिसमें अपना पेट और मुल्क को पालने के लिए आजीविका के लिए किसान खेती करता है और एक वह खेती जो मनोरंजन की खेती हो गई। इस मुल्क के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

समृद्ध लोग फार्म हाउस की कल्चर से खेतियां करने लगे हैं और आज मैं कृषि की मांग पर सदन में यह कहूं कि तय करें कि जिस तरीके से आप प्रधान मंत्री आवास योजना में 2 लाख रुपए का लोन और छूट दिलाने का प्रावधान कर रहे हैं, तय करे कि किसान के साढ़े अठारह लाख रुपए के हिस्से का बैंकों को निश्चित रूप से पाबंद करेंगे कि उनको लोन दें वरना तो आपकी योजना मनोरंजन की खेती करने वाले लोगों को समृद्ध और सबल करने का हिस्सा बनेगी, यह बात आज मैं इस सदन में कहना चाहता हूं। वह लोग ताकतवर लोग हैं, जो शहर की सभ्यता और कल्चर में रहते हैं, फार्म हाउस उनके जीवन के आनंद लेने का, मनोरंजन का एक हिस्सा बन गया, अगर इस सदन में बैठकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक संरक्षित खेती की योजनाओं को मनोरंजन की खेती करने वाले लोगों के फायदे का हथियार और और बना देंगे तो इस गुनाह के लिए इस राजस्थान का किसान किसी भी सूरत में हमको माफ नहीं करेगा, हम किस दिशा में हैं? इसलिए हमको ठोस योजना बनानी पड़ेगी, ठोस नीतियां बनानी पड़ेंगी।

और ठोस योजना, ठोस नीतियां, कई बार चर्चा होती है, प्रधानमंत्रीजी ने फसल बीमा की नीतियों में परिवर्तन किया है। पहले जिला, पंचायत समिति, कई सारे पैरामीटर्स को बदला है, लेकिन उन पैरामीटर्स को बदलने के बाद भी, माननीय सभापति महोदय, आप भी किसान वर्ग से आते हैं, मैं भी किसान वर्ग से आता हूं। ईमानदारी के साथ आज हम विश्लेषण कर लें इस राजस्थान व हिन्दुस्तान की किसान बीमा योजना का लाभ इस राजस्थान के गरीब किसान को ज्यादा मिला है या बीमा कम्पनियों को ज्यादा मिला है, अगर यह विश्लेषण करेंगे तो दर्दनाक और शर्मनाक आंकड़े हमारे सामने आएंगे कि हम नीतियां बनाते समय किनके हितों की चिन्ता करने की बात करते हैं और नीतियां किनके अधिकारों को संरक्षित करती हैं। हम अगर आज इनको नजरअंदाज करके इस सदन में कृषि पर चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। इसलिए यह तय करना पड़ेगा, इस सदन को रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, चाहे फसल बीमा की योजना हो, चाहे समर्थन मूल्य पर खरीद का मामला हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का मामला हो, यह सदन भारत सरकार के सामने प्रस्ताव भेजे। यह आखिर इस मुल्क की आत्मा है, इस मुल्क की पहचान है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उस किसान को हम आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने के लिए, उस किसान को हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सबल करने के लिए जो नीतियां बनाएं, चंद अधिकारी और राजनीतिज्ञ लोग बैठकर नीतियों का फ्रेम बनाते हैं। मेरे समझ में नहीं आता, इस राजस्थान की जमीन, धरती और धरातल का जिस आईएएस को अनुभव नहीं, कोई बंगाल से आकर, कोई बिहार से आकर, कोई उत्तर प्रदेश से आकर राजस्थान के हालात से अनभिज्ञ होकर नीति कमेटी का हिस्सा बनकर वह राजनैतिक व्यक्ति जो सत्ता और दल में अपना प्रभाव व अधिकार रखता है। राजस्थान के भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक हालात का जिसको साक्षात्कार नहीं, नीति नियंता समिति का मेम्बर बन जाय और फैसला करे। किसान नीतियां बनाने के लिए मंत्रीजी किसान आयोग बनाओ राज्य में। राज्य का किसान आयोग बनाओ और इतना सबल बनाओ। आपके पास सूची है। मैं आपके प्रयासों की आज इस सदन में सराहना करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि किस तरीके से आप नवाचार कर रहे हैं, किस प्रकार आप किनवा की खेती राजस्थान में करना चाहते हैं, किस तरीके से आप राजस्थान के एक बड़े भाग को, रेगिस्तान को भी फर्टाइल बनाना चाहते हो। लेकिन किसान आयोग बनाकर आप तय करें कि राजस्थान का वह किसान, आप अभी कोटा पधारे थे, जो आधुनिक तरीके से खेती कर रहा है, खेती में नवाचार कर रहा है।

मुझे उस कार्यक्रम से बहुत प्रसन्नता है कि झालावाड़ के दूरस्थ गांव का रहने वाला किसान आज इस प्रकार की फसल पैदा कर रहा है जो मुल्क ही नहीं दुनिया के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत हो सकता है। हुकुम पाटीदार को जब आपने विश्वविद्यालय के मंच पर सम्मानित किया तो पूरे राजस्थान व मुल्क में यह संदेश गया कि नवाचार के रास्तों पर राजस्थान के किसानों को जाना चाहिए। इस राजस्थान का किसान आयोग फ्रेम हो उस किसान आयोग का, जो ढांचा बने, आप बना दीजिए सदस्य सचिव किसी आईएएस को, लेकिन उस किसान आयोग का एक-एक मेम्बर इस राजस्थान का एक जिम्मेदार व आधुनिक तौर-तरीकों से खेती करने वाला ठेठ गांव का किसान, जो मॉडर्न तरीके से खेती कर रहा है, वह बनना चाहिए तब हम समझेंगे कि हम वास्तविक अर्थ में किसान के उस मौलिक अधिकार के रास्ते को सुगम बनाने के तौर-तरीके पर आगे बढ़ रहे हैं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, जैविक खेती की चर्चा होने लगी है। किसानों ने आर्थिक समृद्धि के लिए ताबड़तोड़ मेहनत की। रासायनिक खादों का उपयोग हुआ। आज से 25-30 साल पहले किसी कीटनाशक को किसान हाथ से नहीं छूना चाहता था, ग्लोबलाइजेशन का असर, आर्थिक मानसिकता उसकी भी तैयार हो गई। जिस तरीके से कीटनाशक का प्रभाव आज किसान की खेती में देखने को मिला उससे खाद्य के साथ बीमारी को निमंत्रण हम देने लगे। खान-पान में बीमारी। कई प्रकार की चुनौतियां आज हमारे सामने आने वाली हैं। इन चुनौतियों से हम बाहर निकलें। भारत की वह मूल आत्मा, जो किसान है, उसने अपनी मानसिकता बदलना शुरू कर दिया। आने वाली पीढ़ी खेती से दूर रहे, कमाई का और जरिया ढूंढे, यह मानसिकता बन चुकी है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में हम कैसे आह्वान करें। हजारों मुश्किलों और असुरक्षाओं के बीच किसानों का हम आह्वान करें, राजस्थान की सरकार आपके साथ न्याय करना चाहती है, राजस्थान की सरकार आपके पसीने को मुनाफे में बदलना चाहती है। राजस्थान की सरकार हर ग्राम सेवा सहकारी समिति पर खरीद केन्द्र बनाकर आपकी फसल को बर्बाद होने से रोकना चाहती है। राजस्थान की सरकार मध्यप्रदेश, हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर साल में 24 घंटे प्रतिदिन समर्थन मूल्य पर खरीदने का इस राजस्थान के किसान को आह्वान करती है। बाजार हस्तक्षेप दर समर्थन मूल्य से नीचे इस राजस्थान में कोई फसल नहीं बिकेगी, इस बात को सुनिश्चित करने का आह्वान राजस्थान की विधान सभा से सरकार करती है। ऐसे बड़े आह्वानों के साथ इस असुरक्षा के माहौल में, इन चुनौतियों के माहौल में कृषि मंत्रीजी, हम किसान के सामने आज इस अनुदान की मांग को पारित करके जाएंगे और कृषि के आंदोलन को जिसमें हम खाद्यान्न आयात करते थे, हरित क्रान्ति के नारे के साथ किसान खड़ा हो गया और देश की तकदीर बदल गई। वह तकदीर बदलने के लिए फिर खड़ा है। प्रधानमंत्री के सपनों के अनुसार अपनी आमदनी को दोगुना करने के लिए फिर से खड़ा है। जब किसान की आमदनी दोगुनी होगी तो भारत का उपभोक्ता व विनिर्माण क्षेत्र पूरी ताकत से आएगा और जब तक भारत का उपभोक्ता बाजार व विनिर्माण क्षेत्र सबल, समृद्ध, ताकतवर नहीं होगा हम अपने सपनों का भारत और

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान नहीं बना सकते। इसीलिए मैं आज मांग करता हूं कोटा में कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। एग्रीकल्चर के विषय गांवों में नहीं पढ़ाये जा रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आज तय कर रहे हो कि प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का हायर सैकण्डरी स्कूल होगा जहां कृषि विश्वविद्यालय है। कम से कम कोटा विश्वविद्यालय के अधीन एक एग्रीकल्चर का संबद्ध कॉलेज होगा। रिसर्च होगा, किस तरीके से कम पानी में हम अधिक फसल पैदा करें, रिसर्च होंगे, कैसे किसान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के तौर-तरीके ढूंढे जा सकते हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच जिस तरीके से सातवां वेतन आयोग लागू कर रहे हैं, हमारे किसान का तो एक ही आयोग बना है 2004 में। 1 अप्रैल, 2007 से उसकी सिफारिशें लागू हो जाय और 1 अप्रैल, 2007 से उसकी लागत पर 50 प्रतिशत राशि उसको देना सुनिश्चित करें जिस कर्मचारी को हम देते हैं। चाहे साल भर बाद लागू करें, साल भर बाद दे दें उसको। इस मुल्क के किसान को क्यों नहीं? जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो इस देश की आत्मा है। अगर हमने यह निर्णय पारित करा दिया सदन से प्रस्ताव करके, भारत सरकार कब लागू करती है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय, यह राजस्थान का किसान आपके इस काम को, यादगार प्रयासों को, सकारात्मक प्रयासों को कभी भूल नहीं पाएगा कि आपने इस राजस्थान के किसान के सुनहरे भविष्य के लिए इस राजस्थान की विधान सभा से एक रिजोल्यूशन पास कराकर भारत सरकार को उस पर आवश्यक कदम उठाने की दिशा में प्रेरित करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं हम एक ऐतिहासिक कदम की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि जो आप गंभीर प्रयास कर रहे हैं उनका निश्चित फायदा इस राजस्थान के किसान को मिलेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मेवाराम जी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37, 39 और 36 कृषि, पशुपालन न एवं सहकारिता पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, यह ऐसा विषय है कि पूरा राष्ट्र और प्रदेश इस कृषि पर निर्भर है। प्रदेश में किसानों की हालत के बारे में जिस प्रकार से मेरे से पूर्व

(श्री मेवाराम जैन)
वक्ताओं ने बताई कि आज किस तरह से किसान दिनों-दिन खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। जिस किसान की वजह से आज हम सब यहां खड़े हैं वो बहुत दु:खी है। आज चाहे धूप हो, बरसात हो, सर्दी हो, दिन हो, चाहे रात हो तो भी वो किसान कड़ी मेहनत कर अनाज पैदा करता है, फसल पैदा करता है। आज उनके सामने कई समस्याएं हैं। कभी तो फसल पक जाती है और ऊपर से ओले-बरसात हो जाएं तो फसल नष्ट, कभी सूखा पड़ जाए तो किसानों की फसल नष्ट, कभी समय पर उनको लोन नहीं मिले तो किसान त्रस्त, कभी समय पर उनको खाद नहीं मिले तो किसान त्रस्त। आज बिजली की बात करें, बिजली समय पर नहीं मिले तो किसान हमेशा त्रस्त रहता है। हम सबको मिलकर आज चाहिए कि किस तरह से किसान के हालात ठीक हों और किसानों का वापस खेती की ओर रूख कैसे हो इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज किसानों को समय पर उनकी फसल की किस तरह से पूरी कीमत मिले उस पर विचार की आवश्यकता है। जब बोते हैं उस समय तो बीज के क्या भाव होते हैं और जब काटते हैं तो उनको आधे पैसे भी नहीं मिले। चाहे फल-फ्रूट हो, चाहे सब्जी हो, ओने-पौने दाम में किसान वापस वो सब्जी बेचने को मजबूर होता है। सरकार को चाहिए कि किसानों को किस तरह से समृद्ध बनाया जाए। उनको समय पर लोन का वितरण हो, समय पर उनको बिजली मिले। अब आठ घंटे की बात कर रहे हैं पर उनको 6 घंटे ही बिजली नहीं मिल पा रही है, दिन को मिलनी चाहिए पर पूरी रात को सर्दी में वो किसान पानी के लिए तरसता रहता है। उनको जितनी सुविधा देनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत् कहना चाहूंगा कि हम कैसे उसकी हालत सुधारें, किस तरह से किसानों को समृद्ध करें।

आज जिस तरह से बोझ है, लोन है, मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में घोषणा की है कि किसानों का कर्ज माफ हो तो राजस्थान के अन्दर भी 163 एमएलए जीतकर आये हैं और इतने भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार आई तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के किसानों का भी कर्ज माफ कर दें ताकि किसानों की हालत ठीक हो सके। अगर किसान इस कर्ज के तले दबा हुआ होगा तो किसान कभी समृद्ध नहीं हो पायेगा।

(श्री मेवाराम जैन)

आज डेयरी की हालत पर बात करें तो डेयरी में किस तरह से दूध में मिलावट की बात करें, घी में मिलावट की बात करें तो हर तरह से आम आदमी के जो भी पदार्थ बाजार में आते हैं उनमें मिलावटी आ रहे हैं और किस तरह से बीमारियां फैल रही हैं यह हम सबके सामने सोचने का विषय है। आज जो गंदे पानी का नाला जा रहा है उसमें सब्जियां उगाई जा रही हैं। हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं पर उसके लिए कदम आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। वो ही जहरीली खाद, सारी फसलें और सब्जियां बाजार में आ रही हैं इनको हमें रोकना पड़ेगा। किस तरह से अच्छे ढंग से जैविक खाद से फसलें हो, सब्जियां किस तरह से अच्छी, शुद्ध मिले उसके लिए जब तक हम किसानों की पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं नहीं करेंगे तब तक किसान समृद्ध नहीं होगा और दिनों-दिन यह खेती, कृषि कम होती रहेगी और हमारे हालात दिनों-दिन खराब होते रहेंगे।

मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि किसानों की सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा बढ़ायें। आज उद्योगपतियों के लिए हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं और किसानों के लिए नहीं दे रहे हैं तो किसानों के लिए जितना हम कर सकें उतना करें।

मैं पशुपालन पर भी बात करना चाहूंगा कि पशुओं के लिए जो फ्री दवाइयां हमारी सरकार के समय की गई थी उसमें आज करीब-करीब हालत ठप्प है। अस्पतालों में दवाइयां नाम-मात्र की हैं और नहीं मिल रही हैं। वहां स्टाफ की कमी है। सब-सेंटर तो खोल दिये, पहले भी खुले थे और नये भी खुले हैं पर वहां डाक्टर नहीं, स्टाफ नहीं और भवन बिल्कुल बना हुआ ही नहीं है। अब अगर किसी स्टाफ को आप लगाओ, डाक्टर को भेजो तो वहां वो जाकर क्या करे जब रहने के लिए उसके स्थान ही नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फ्त निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश पशुपालन पर निर्भर है और पशुओं में गाय तो हमारी माता है और इसकी हम किस तरह रक्षा करें, गाय किस तरह से बचे, किस तरह से हमारा पशुधन बचे उस पर विचार करना चाहिए। जो हमारा ऊँट है जिसको हमने राष्ट्रीय पशु घोषित किया है उसको किस तरह से हम बचा सकें इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे।

(श्री मेवाराम जैन)

आज अकाल की बात करें तो हमारे बाड़मेर जिले के करीब 2400 गांव अकालग्रस्त है। वहां पर चारे की व्यवस्था नहीं है। पशुओं के लिए गौशालाओं की हालत खराब है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पशुओं को बचाना है क्योंकि किसान या तो खेती या पशु, इन पर निर्भर है इसलिए पशुओं के लिए आप गौशालाओं को सब्सिडी दो, पशुओं के लिए चारे के शिविर खोलो या चारे के डिपो पर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दो और पशुओं को कैसे बचाया जाए उस पर हमें विचार करना होगा। आज गांवों के जितने भी पशु हैं उनको शहरों में डाल देते हैं और आवारा पशुओं की वजह से शहरों के हालात इतने खराब हो रहे हैं कि शहरों में दिनों-दिन घटनाएं होती जा रही हैं। मैं बाड़मेर की ही बात करूं तो 5-6 लोग आवारा पशुओं की वजह से खत्म हो गये। जो ग्रामीण एरिया के पशु शहरों में डाले जा रहे हैं उनके लिए कांजी हाउस अलग से बने और सरकार हर शहर में किस तरह से सब्सिडी देकर आवारा पशु कांजी हाउस में जाएं जिससे वो पशुधन भी बचे और शहर के अन्दर जो आवारा पशु हैं इनकी समस्या का समाधान भी हो।

सभापति महोदय, मैं आपसे सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि, पुशपालन और सहकारिता, तीनों में आपस में तालमेल हो तभी हम आगे बढ़ पायेंगे। आज घोषणा हुई सहकारी समितियों की तो मैं चाहूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति खुलनी चाहिए। मंत्रीजी, आपने जो उसमें 5 लाख की लिमिट की है उसको 5 की जगह ढाई लाख करनी चाहिए और 500 सदस्यों की जगह 250 सदस्य करने चाहिए ताकि प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी समिति खुले। आज आपके व्यवस्थापकों की हालत क्या है कि एक व्यवस्थापक के पास 5-5 सहकारी समितियां हैं तो समय पर किसानों को लोन कैसे बंटेगा? एक व्यवस्थापक के पास 6-6 सोसाइटियां हों तो जब उसका नम्बर आये तब तक उस किसान की जमीन सूख जाती है और उसको समय पर लोन नहीं मिलता है।...... दूसरा, आपने बैंकों पर कर दिया। 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर किसानों को बाहर जाना पड़ रहा है लोन लेने के लिए, 30 किलोमीटर तक पूरा गांव वहां जाता है। आप बाड़मेर की बात करो। बाडखे वाला बाटाऊ जाता है, कुडला वाला शिवपुर जाता है। मतलब 30-30, 25-25 किलोमीटर पूरे गांव वाले लोन के लिए बाहर जाते हैं

(श्री मेवाराम जैन)

और उनको कितनी परेशानी होती है। फिर आपने लोन पहले से और कम कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को समय पर लोन मिले और बरसात से पहले आप नहीं दोगे और बरसात होने के बाद में, अभी जो नोटबंदी वाला हुआ, उसके बाद में मिला तो किसानों को बुवाई में तकलीफ आई और उससे उन्हें भारी नुकसान भी हुआ।

मैंने पहले भी निवेदन किया था मंत्रीजी से, सहकारी समिति में 8.50 करोड़ रुपये तो बैंक के ही पड़े हैं, 4.37 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के पड़े हैं। आप उनकी जांच करा रहे हो। अच्छी तरह से कराओ। अगर सही पैसे हैं तो किसानों के वह पैसे बैंक में बदलकर क्योंकि नुकसान सरकार का है और बैंक का है तो इसलिए आप उस पर भी ध्यान दें।

अंत में सभापति महोदय, आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को हम किस तरह से राहत दे सकें, पशुधन कैसे बचा सकें। इसके लिए हमें सार्थक प्रयास करने होंगे। इसके लिए किसानों को चाहे कितनी ही सब्सिडी देनी पड़े, कर्जा माफ करना पड़े, किसानों को हम समय पर लाइट दे सके। आज एससी को तो आप फ्री कनेक्शन दे रहे हैं। एसटी वालों को बिलकुल देते ही नहीं हैं। उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा, तो एसटी के परिवार को भी यह फ्री कनेक्शन, विद्युत के कृषि कनेक्शन तो कम से कम देने चाहिए। अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर किस तरह से किसान खुशहाल रहे तो राजस्थान प्रदेश खुशहाल होगा और देश खुशहाल होगा। धन्यवाद सभापतिजी, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हीरालाल जी नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 37, 39 और 36 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने और

(श्री हीरालाल नागर)

कृषि मंत्रीजी ने प्रदेश की राजधानी में 'ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट' "ग्राम" का एक भव्य आयोजन किया और उस आयोजन में इजरायल, आस्ट्रेलिया, जापान, नीदरलैण्ड, ईरान, कजाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देशों ने सहभागिता की और राजस्थान में एग्रोमीट की शोभा भी बढ़ाई। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने संभाग स्तर पर भी इस ग्लोबल मीट का आयोजन करने की घोषणा की। उसमें चम्बल नदी के तट पर हाड़ौती की हृदयस्थली कोटा में प्रथम संभाग स्तर पर आयोजन करने की घोषणा की, उसके लिए भी मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधान मंत्रीजी, जिसकी चर्चा सदन में पहले से भी हुई, किसानों के प्रति हमेशा चिंतित रहे हैं और किसानों की आय को दोगुना करने का उन्होंने जो वचन दिया है, जो सपना देखा है, निश्चित रूप से उसे पूरा करने में वह प्रयत्नशील हैं और इसी के तहत हमारे यहां भी राजस्थान से सोइल हैल्थ कार्ड का शुभारम्भ किया गया और फसल बीमा योजना के रूप में एक महती योजना प्रारम्भ की गई। अभी तक फसल बीमा योजना का जिनको लाभ मिला है और इस सोइल हैल्थ कार्ड योजना के माध्यम से 2017 तक 29 लाख सोइल हैल्थ कार्ड किसानों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रदेश में कैसे किसानों की अधिक से अधिक आय बढ़े, उसकी भी चिंता की है। जब 2015 में हमारी कृषि पर ओलावृष्टि हुई और उसके कारण किसानों को अत्यधिक नुकसान हुआ। यहीं विधान सभा में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दो दिन के लिए इस विधान सभा के सत्र को स्थगित करके सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में भेजा और यहां से प्रस्ताव किया कि 25 प्रतिशत की खेती की खराबा होने पर भी किसानों को आपदा में सम्मिलित किया जाये और उस प्रस्ताव के आधार पर केन्द्र ने 33 प्रतिशत खराबा होने पर वह घोषणा की। जहां पहले एक किसान को 9,000 रुपये की सहायता मिलती थी, वहां उस किसान को 27,000 रुपये की अधिकतम सहायता का हमारी इस विधान सभा ने प्रस्ताव करके भेजा। प्रधान मंत्रीजी ने और केन्द्र ने उसे माना और उस प्रस्ताव के तहत करीबन 2,600 करोड़ रुपये का मुआवजा 2015 में हमारे किसानों को दिया गया, जो

(श्री हीरालाल नागर)

एक इतिहास था। निश्चित रूप से यह हमारे संकल्प को दर्शाता है कि हमारी मुख्य मंत्रीजी भी और हमारे प्रधान मंत्रीजी भी किसानों के प्रति कितने चिंतित हैं।

आज हमारे प्रदेश में किसानों को एक लाख मिनीकिट के रूप में जो वितरण किये गये हैं और माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने 53 लाख कृषकों को 73 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल के लिए 30 लाख कृषकों को 29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का फसल का बीमा किया है। किसानों को हमारे यहां पहले बीमे की राशि कभी मिला नहीं करती थी और मिलती भी थी तो नाममात्र की मिलती थी। यह प्रीमियम भी केवल डेढ़ से दो प्रतिशत पर किसान दे रहा है। अगर बागवानी है तो पांच प्रतिशत उस पर प्रीमियम लग रहा है। इतने कम प्रीमियम पर बाकी राज्य और केन्द्र आधा-आधा इसको वहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह प्रधान मंत्री बीमा योजना का लाभ आज हमारे किसानों को मिल रहा है और माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी ने किसानों को फव्वारा सिंचाई के लिए कम लागत में फव्वारा सिंचाई संयंत्र मिले और इसके लिए 35 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाया। किसानों की मांग को देखते हुए 2017-18 में डेढ़ लाख मैट्रिक टन यूरिया के भण्डारण का जो काम किया, उसके लिए 20,000 मैट्रिक टन डीएपी का भी भण्डारण करने के लिए 27 करोड़ रुपये की घोषणा की। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं।

कांग्रेस राज में खाद की किल्लत होती थी। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद में किसानों को आसानी से खाद मिल रहा है और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे किसानों को मिला है।

कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन योजना प्रोत्साहन नीति, जो हमारे कृषकों के लिए आय में वृद्धि और फसलोत्तर में कमी और कृषि प्रशिक्षण एवं विपणन में नवीन तकनीकी प्रक्रिया और अन्तरराष्ट्रीय बाजार में राज्य की पहचान बनाने और नये रोजगार सृजित एवं कृषि प्रशिक्षण में निजी निवेश को विकसित करने के उद्देश्य से, इसको जो घोषित किया गया है, निश्चित रूप से उसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देता हूं।

(श्री हीरालाल नागर)

राज्य की जलवायु को देखते हुए, पानी की फसलों के नवाचार के लिए हमारे मंत्री महोदय विदेशों में जाकर, नई-नई तकनीक के आधार पर जिन फसलों को यहां पर नया एमओयू करके फसलों को यहां लाने का काम कर रहे हैं। खेती में एक नवाचार का काम कर रहे हैं। जैतून की खेती निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि इसकी उपयुक्त संभावना हमारे राजस्थान में है और 550 हैक्टेयर में जैतून का पौधारोपण किया गया है। बीकानेर में इसकी रिफाइनरी डालकर और निश्चित रूप से इसके तेल का भी यहां से उत्पादन शुरू किया गया है।

इसी तरह से ड्रेगन फ्रूट का, किन्नू का, खजूर हो, पिस्ता हो, इनको हमारे मंत्री महोदय चाहते हैं कि राजस्थान जैसे इस रेगिस्तानी प्रदेश में ये फसलें यहां की जलवायु के अनुकूल, नये-नये प्रयोग करके और इनको यहां लाकर और इनका निश्चित रूप से नवाचार करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय कृषि मंत्रीजी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में नवाचार करके और पहली बार यह प्रयास कर रहे हैं कि यह राजस्थान खेती में हमारा अग्रणी प्रदेश बने और निश्चित रूप से हमारा यह प्रदेश कई फसलों में अग्रणी है। इसमें सरसों हमारा एक उदाहरण है कि सरसों में हम पूरे देश में प्रथम स्थान रखते हैं.... और राज्य में करीबन 48 प्रतिशत सरसों का रकबा और यहां उत्पादन राजस्थान से होता है और निश्चित रूप से इस बड़े रकबे को, क्षेत्रफल को और उत्पादन को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय, अभी भी यहां सरसों का भारी उत्पादन इस बार हुआ है। हमारे प्रदेश में इसमें जो तेल की मात्रा भी अत्यधिक बैठ रही है, उसको देखते हुए हमारे यहां से इस सरसों की खरीद के लिए केन्द्र स्थापित करने की काफी आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि ये सरसों के खरीद केन्द्र यहां पर चालू हों और किसानों को जो तीन से चार सौ रुपये क्विंटल की हानि हो रही है, बड़ी मात्रा में हमारे यहां से उत्पादन हो रहा है और निश्चित रूप से उसकी जल्दी से घोषणा हो। क्या कारण है, हम क्यों घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पड़ौसी प्रदेश मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो वहां पर सरसों के खरीद केन्द्र चालू हो चुके हैं। राजस्थान जो हमारा 48 प्रतिशत का उत्पादन करता है वो

(श्री हीरालाल नागर)

इसमें पीछे है निश्चित रूप से ये सारी विधान सभा इस के समर्थन में है कि यहां से शीघ्रातिशीघ्र हमारा प्रस्ताव केन्द्र को जाए। केन्द्र हमें उसके लिए परमीशन दे। उसके लिए अगर राज्य को किसी प्रकार की घोषणा करनी हो कोई रियायत बरतनी हो तो निश्चित रूप से किसान हित में उन रियायतों को भी जारी किया जाना चाहिए, लेकिन किसान को बचाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र हमारे यहां से सरसों खरीद केन्द्र की घोषणा करें। सहकारी मंत्री महोदय और कृषि मंत्री महोदय, आज इन मांगों पर सबसे ज्यादा फोकस है। मेरे से पूर्व कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य भी यही बता रहे थे तो निश्चित रूप से इसकी घोषणा भी हमारे यहां से आज होनी चाहिए, ताकि किसानों को एक तोहफा मिले और हमारे यहां मंडियों में आज जो हमारे राजस्थान की मंडियों का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है और इंटीग्रेटेड मंडी मैनेजमेंट सिस्टम आरआईएमएमएस विपणन परियोजना कृषि विपणन निदेशालय और दस क्षेत्रीय कार्यालय और पांच कृषि उपज मंडियां जिनमें चौमूं, खैरथल, भीलवाड़ा, पीलीबंगा उदयपुर में है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम चरण में शामिल किया है। निश्चित रूप से राज्य की पचास मंडियों में भी कंप्यूटराइजेशन का कार्य शुरू किया जा चुका है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 55 नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की गयी है और कृषकों की भूमि में सूक्ष्म तत्वों की जानकारी देने के लिए जो आवश्यकतानुसार पोषक तत्व उपयोग कर किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए जो हैल्थ कार्ड के लिए आवश्यक है, निश्चित रूप से उसके लिए भी मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और इस हमारे प्रदेश को पूरे भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्कृष्ट उत्पादन करने के लिए कृषि कर्मण अवार्ड, 2015 का जो हमें केन्द्र से मिला है। निश्चित रूप से हमारे कृषि मंत्री जी के प्रयासों को और राज्य की मुख्यमंत्री के प्रयासों के लिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। राज्य में तीन नये उत्कृष्टता केन्द्र सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस जो हमारे यहां खोले हैं उसमें संतरा में झालावाड, अमरूद में टोंक और आम में धौलपुर स्वीकृत किये हैं उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां से बूंद-बूंद सिंचाई मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लघु

(श्री हीरालाल नागर)

एवं सीमान्त कृषकों को सत्तर प्रतिशत और सामान्य श्रेणी के किसानों को पचास प्रतिशत अनुदान की जो घोषणा की है उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मेरे क्षेत्र में माननीय कृषि मंत्री महोदय, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम हिंगी और ग्राम चन्दरावला में दो एनिकटों के प्रस्ताव जो विचाराधीन है उसकी स्वीकृति भी कृषि विभाग से निकले तो निश्चित रूप से उससे कई हैक्टेयर की जमीन थोड़े से इस इन्वेस्टमेंट से काफी लाभ मेरे किसानों को, वहां क्षेत्र के किसानों को मिल सकता है। उनकी भी स्वीकृति जारी की जा सकती है तो निश्चित रूप से उससे किसानों का उत्पादन भी बढ़ेगा और जो वो पानी व्यर्थ बह करके जाता है उसका भी लाभ उन किसानों को मिलेगा। कोटा में माननीय कृषि मंत्री महोदय, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तो कर दी, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय में न तो कोई भी संकाय कॉलेज है, न कोई क्षेत्र में कॉलेज है तो उसके लिए आप एक कॉलेज कोटा के कृषि विश्वविद्यालय में भी खोलें और उसके अलावा दीगोद में जहां पर कृषि की जमीन काफी है, फर्टाइल क्षेत्र है वहां पर भी एक कृषि कॉलेज खोलने की मांग है उसकी भी घोषणा करने की कृपा करें। मैं इतनी ही बात कह कर समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री हमीर सिंह जी भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, भारतवर्ष व राजस्थान प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है। 70 से 75 परसेंट लोग खेती पर निर्भर हैं व राजस्थान का पश्चिमी भाग खेती व पशुपालन पर निर्भर है। खेती किसान के लिए महंगी साबित हो रही है इसलिए किसानों का रुझान खेती से दिनों दिन कम होता जा रहा है। दस साल में आठ साल अकाल पड़ जाता है। माननीय सभापति महोदय, सुबह आपने जो पर्ची के माध्यम से बताया कि फसल तैयार होने के बावजूद 18 तारीख को कुदरत का कहर ऐसा बरसा कि ईसबग़ोल और जीरा पूरी फसल तैयार होकर खड़ी थी। किसान के जेब में आने वाली थी तो एकदम साफ हो गयी। हर साल ऐसी हालत किसान की हो जाती है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय

(श्री हमीरसिंह भायल)

से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान महंगा बीज जब खरीद कर लाता है व बुआई करता है। जब खेती किसान की पक जाती है और मंडी में जाता है तब उसके हाथ से भाव तय नहीं होता। उसका भाव व्यापारी तय करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: कृपया अपनी सीट से बोलें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): एक दुकानदार अपनी दुकान लेकर बैठता है सभापति महोदय, उसके यहां जो भी वस्तु होती है उसका भाव वो खुद तय करता है और किसान जब अपनी गाढ़ी मेहनत की फसल तैयार करके मंडी में जाता है तो उसकी फसल के भाव व्यापारी तय करते हैं। अनुदान के रूप में किसानों को जो थोड़ी-बहुत राहत हमारी सरकार आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने और भारत के प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना में जो परसेंटेज दस परसेंट से घटा कर कम किया है उससे थोड़ी-बहुत तो राहत मिली है, परंतु युवा वर्ग में खेती में घाटा होने की वजह से दिनों दिन खेती के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया समर्थन मूल्य वाला। जमीन जैसे पंजाब है, गंगानगर है, हरियाणा है वहां की जो उपज होती है जैसे अपना जोधपुर डिवीजन बाड़मेर रेगिस्तान में पर बीघा जो ईल्ड होती है उससे चार गुना कम होती है और गेहूं की फसल तैयार होने में इतना खर्च आ जाता है कि जिस मार्केट रेट में उसके घर में भी नहीं पड़ता इसलिए कृषि नीति भी बने तो नीचे से बननी चाहिए। एरिया भू-भाग के हिसाब से समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। किसानों के प्रति सरकार काफी कुछ कर चुकी है पर अभी और भी आवश्यकता है जैसे बाड़मेर जिले में भू-जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि चार सौ फीट से दस या पन्द्रह की मोटर से कम पानी की वजह से इतना खर्चा आता है कि उसकी किसान की कोई भरपाई नहीं हो पाती है।

(16.00 बजे)

कृषि नीति में जहां कम पानी की मात्रा है वहां किसानों को अगर सिंगल फेस के कनेक्शन दिये जाये तो किसानों को बडी राहत मिलेगी।

फसल बीमा में किसानों को एक पैकेज तय किया जाये।

(श्री हमीरसिंह भायल)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा हमारे बाड़मेर, बालोतरा और सिवाना में अनार की खेती अभी चालू हुई है उसमें किसानों को अगर सब्सिडी देंगे तो किसानों का रुझान बढेगा।

सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से आपके द्वारा एक निवेदन करूंगा कि मेरे समदड़ी तहसील में कृषि विभाग की 200 बीघा जमीन कृषि फार्म के रूप में है, बाड़मेर जिले में कृषि विश्वविद्यालय कहीं नहीं है, जोधपुर से लगती हुई समदड़ी है, वहां समदड़ी में अगर आप कृषि विश्वविद्यालय दें तो हमारे वहां के किसानों के बच्चों को नजदीक में कृषि विश्वविद्यालय होने की वजह से पढ़ने में सहायता मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, सिवाना मुख्यालय पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जैसे दूसरी जगह बालोतरा में है, हर जिले में, हर तहसील हैडक्वार्टर पर, हर विधान सभा क्षेत्र में किया है, उसी तरह का हो जाये तो हमें सहारा मिलेगा।

आवारा पशु, नील गायें एवं सूअरों की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहा है। तारबंदी और किसानों की बाड़बंदी कराने के लिये इसको अगर नरेगा में लिया जाये या किसानों को अनुदान दिया जाये, तो किसान वापस खेती कर पायेंगे, नहीं तो खेती नहीं कर पाते।

कृषि कार्य करते हुए किसान की अगर कोई दुर्गति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उसमें दो तीन तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, पंचनामा, ऐसी तीन चार चीजें करनी पड़ती है। सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इसमें कोई एक पंचनामा, पोस्टमार्टम या एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो उसमें भी उसके परिवार को राहत दी जायेगी, यह मेरी मांग रहेगी। किसानों के लिये जितनी मदद सरकार कर पाती है, वह महती आवश्यकता रहेगी।

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 39 पशुपालन में भी आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऊँट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया है। सबसे ज्यादा ऊँट अकेले बाड़मेर में 43 हजार हैं। पहले तो ऊँट बाहर जाकर भी बिकता था, अब नहीं बिक रहा है। इसलिए ऊँट अभयारण्य बाड़मेर में घोषित करने की मांग करता हूं। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा

(श्री हमीरसिंह भायल)

ऊंटों की संख्या बाड़मेर में है। ऊँट को फैमिली कोर्ट में भी शामिल किया जाए। बाड़मेर में ऊँट खरीद केन्द्र स्थापित किया जाए। ऊंटनी के दूध को बेचने हेतु सरस डेयरी के माध्यम से जोधपुर में या बाड़मेर में बूथ खोला जाए। ऊंटनी का दूध हर बीमारी में काम आता है। मेरे सिनधरी क्षेत्र डंडाली के आसपास में आज की तारीख में, मैंने 18 तारीख को जिला कलेक्टर, पशु जिला अधिकारी के साथ साढ़े तीन सौ ऊंटनी के बच्चों के टेक लगाकर उनका मेला किया। उनकी मांग थी कि ऊंटनी का दूध हर बीमारी में काम आ रहा है तो सरस डेयरी के माध्यम से इसका भी एक सेंटर खोला जाये ताकि इनको सहायता मिल जाये। गोशाला की तरह ऊँट शाला स्वीकृत करके अनुदान की व्यवस्था की जाये। मेरे क्षेत्र में डंडाली गांव के पास गोयना क्षेत्र है वहां 1500 बीघा से भी ज्यादा जमीन गोचर, ओरण के नाम से पड़ी है। वहां अभयारण्य के रूप में अगर इसका संरक्षण-संवर्धन किया जाये तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

मांग संख्या 36, सहकारिता, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से मांग रहेगी कि हर पंचायत वाइज समिति खुले। आपने लोन भी अभी शुरू किया और एक साथ में वसूली का 31 मार्च तक कर दिया है, इसको बढाकर आगे किया जाये। व्यवस्थापक पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण रखा जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्या शकुन्तला जी रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मांग संख्या 37 कृषि पर...(व्यवधान)... सभापति महोदय, यह कुछ भी कर सकते हैं।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कृषि का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हमारा भारत देश और भारत देश में राजस्थान प्रदेश के अधिकतर लोगों का मुख्य धंधा खेती और पशुपालन है। लेकिन जब सरकार बनती नहीं है, चुनाव में जब जाते हैं तो कई तरह की घोषणाएं करके आते हैं और मेन

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पाइंट बनाते हैं किसान, किसान के मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि किसानों को हम आबाद कर देंगे, न जाने क्या क्या सुविधाएं देंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो वह किसान के मुद्दों को, खेती के मुद्दों को भूल जाते हैं। नियम बनाने से पहले यह नहीं सोचते कि आपका पेट पालन-पोषण करने वाला भी किसान है। देश की सीमा पर जो रक्षा करते हैं, अधिकतर वह बच्चे भी किसान के हैं। जो शहरों में आकर मजदूरी करते हैं, वह भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। वह भी भटका हुआ दुःखी किसान है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर नियम बनाये तो किसानों को सुविधाएं मिल सकती है।

राजस्थान में दो फसलें ली जाती हैं रबी और खरीफ की फसल। माननीय मंत्री महोदय, अब तो आपने कृषि क्षेत्र में कई तरह के ज्ञान हासिल कर लिये, इतनी योजनाएं बना दी, फिर भी आज का युवा कृषि के प्रति क्यों नहीं आकर्षित हो रहा है? वह बेशक दुकान खोल लेगा, मजदूरी कर लेगा लेकिन खेती करना नहीं चाहेगा, यह सोचनीय विषय है।

आज आप सरकार में है, क्या कभी सरकार ने सोचा है कि जो बात हमने आंकडों में कही है, बजट में जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं का इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जब घोषणाएं होती हैं, यह आंकड़ें बनाये जाते हैं, हम मानते हैं, अधिकारी एक जगह बैठकर सारी नीति बना देते हैं लेकिन उनको अपनी आंखों के सामने वह खेत खलिहान और किसान को सामने रख कर बनानी चाहिये। लेकिन नहीं, वे क्यों नहीं बनाते?

खाद और बीज किसान को फ्री दिया जाना चाहिए। उसको पानी, दवाएं और फसल पर जो भी खर्चा होता है, वह फ्री दिया जाना चाहिए। जिस टाइम पर किसी कम्पनी के बड़े-बड़े एम.ओ.यू. साइन होते हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मालिक जब आते हैं तो विशेषज्ञों से एक-एक पाइंट पर चर्चा करके नियम बनाए जाते हैं। किसान प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, बारिश हो गई, ओले गिर गए तो सभापति महोदय, उस किसान के साल भर का घर का खर्चा कौन चलाएगा? बच्चों की फीस कौन जमा कराएगा?

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बिजली का बिल कौन जमा कराएगा? यह सोचनीय विषय है। मुआवजा देकर पल्ला झाड़ दिया कि हमने करोड़ों का मुआवजा दे दिया। नहीं। आपको कोई कदम उठाना होगा कि साल भर किसान का बच्चा फीस के लिए तरसे नहीं, बिजली के बिल जमा नहीं होने के अभाव में उसका कनेक्शन कटे नहीं, ऐसा करना होगा। किसान मजबूर हो जाता है, साल भर का खर्चा चलाने के लिए। वह व्यापारी से कर्जा लेकर आता है और फिर अगली फसल उगाता है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उसके घर तक वह फसल पहुंच जाए और फिर कर्जे पर कर्जा होता जाता है और वह और गरीब से गरीब होता जाता है। फिर आकर वह आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। यों किसान की बात करके नहीं, किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई-न-कोई कदम उठाना पड़ेगा।

एक सब्जी विक्रेता अगर सब्जी उगाता है। वह महीनों भर तक मेहनत करता है, दिन-रात जागता है। तो क्यों नहीं हम उसकी रेट भी निर्धारित करें। उसका अपनी गाड़ी के ड़ीजल का खर्चा भी नहीं निकलता और वह उस फसल को या सब्जी को सड़क पर बिखेर देता है।

आप और हम सब देखते हैं और वाकिफ हैं इन चीजों से। फिर उसे वही कर्जा लेना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बड़ी परेशानी है। नील गायें हों, जंगली जानवर हों, सूअर हो। अगर वह रात को एक पलक भी सो गया। सभापति महोदय, वह चैन की नींद नहीं सो पाता। कर्मचारी और अधिकारी महोदय, कम-से-कम रात को अपने घर चैन से सोते हो। आप जो दो टाइम खाना खाते हो, वह पैदा करने वाला किसान रात को चैन से नहीं सो पाता। उसको रात को रखवाली करनी पड़ती है और अगर वह सो गया तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। सुबह घर आकर वह निराश होकर बैठ जाएगा। यह एक शोचनीय विषय है।

सभापति महोदय, किसान की फसल को बचाने के लिए उसका बीमा मुफ्त होना चाहिए। जंगली जानवरों और पशुओं से उसकी फसल को बचाने के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, नरेगा योजना है, टाडा योजना है, माडा है, देवनारायण है। ऐसी अनेकों योजनाएं कागजों में और बजटों में निर्णीत हैं। सभापति महोदय, अंकित हैं। क्यों नहीं, उसमें से पैसा लेकर किसान की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

फसल बचाने के लिए तारबंदी की जाए या चार दीवारी की जाए। ऐसी मेरे बानसूर की ग्राम पंचायतें हैं, रामपुर, हाजीपुर, सबलपुरा, बहराम का बास, रतनपुरा, बालावास, हमीरपुर, छींड, जयसिंहपुरा, लेकड़ी, गिरूड़ी, नींबूचाना, चतरपुरा, गढ़ी, खरखड़ी, मुण्डावरा, अजबपुरा, बामनवास, कांकड़, विजयपुरा, होलावास, अनेकों ऐसी पंचायतें हैं जहां की फसल को जंगली पशु नष्ट कर देते हैं।

मुआवजा की बात की। ओलावृष्टि हो गई। कुछ लोगों को तो आज तक नहीं मिला। आँकड़ों में तो दिखा दिया गया कि कितने करोड़ का मुआवजा दे दिया गया। मंत्री महोदय जब भी कोई प्रश्न करता है तो उस समय बता देते हैं, लेकिन वह मुआवजा कुछ को दिया जाता है और कुछ को नहीं दिया जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों होता है? एक किसान रोता रहता है और एक किसान को न के बराबर मुआवजा दिया जाता है। क्यों नहीं उसके पूरे साल भर का खर्चा देखकर कि इसके साल भर का कितना खर्चा होगा, उसके हिसाब से दिया जाए।

सभापति महोदय, क्यों आप समय की घड़ी दिखा रहे हो? पांच-दस मिनट हुए नहीं कि आप समय बताने लग जाते हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बहुत अच्छा बोल रही हैं।

श्री सभापति: बहुत अच्छे नहीं, बहुत गंभीरता से बोल रहे हैं। अपनी मर्यादा कायम रखें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अगर खेत में काम करते वक्त किसान की मृत्यु हो जाए। वही अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाला होता है। मृत्यु का मुआवजा देंगे तो उसमें भी लंबी सारी प्रक्रिया बना देंगे।

सभापति महोदय, इससे किसानों का हौसला टूट जाता है। किसानों का अगर हौसला बढ़ाना है तो समय पर खाद-बीज, कीटनाशक ये सभी उसको फ्री मिलें। सब्जी विक्रेताओं के लिए दुकानें आवंटित की जाएं। किसानों का फसली बीमा फ्री में कराया जाए। मण्डी द्वारा जो टूटी हुई सड़कें हैं, उन्हें बनाया जाना चाहिए। कितने ही गांव ऐसे हैं, जहां पर सड़कें नहीं हैं। किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। बिजली के कनेक्शन उन्हें फ्री में मिलने चाहिए। बिजली का बिल माफ होना चाहिए, अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
क्रेडिट कार्ड पर जो कर्जा लेते हैं, उसको बढ़ाएं। ब्याज घटा दिया, ब्याज के घटाने से क्या फायदा? आप लोग ब्याज मत घटाते, उनको देते। किसानों के बच्चों को शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में, कॉलेज शिक्षा में, प्रशिक्षण कॉलेजों में, नौकरियों में। जो छोटा किसान है, उसके बच्चों को छूट मिलनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर ऐसा होगा तो किसान की रूचि बढ़ेगी।

बानसूर में तो ऑफिस ही तोड़ दिया। मंत्री महोदय, कृषि का ऑफिस ही तोड़ दिया। अब वह कौनसे नियम में तोड़ा है, पता नहीं। बहुत पुराना था, उसको बंद कर दिया। नया बना दिया तो कोई बात नहीं। दोनों गेट रख लेते। आपने अपने स्वार्थ वश बना दिया।

पशुओं के लिए बजट में घोषणा की गई लेकिन इतनी बीमारियां चल रही हैं। कहीं कोई कैम्प लगाया गया हो तो बता दें, लेकिन नहीं। कुछ परिवारों की जीविका पशुओं से ही चलती है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय कम-से-कम ऐसे पशुओं का भी बीमा फ्री कराएं और जिन गांवों और पंचायतों में पशु चिकित्सालय नहीं है। घोषणा तो आपने कर दी, लेकिन पता नहीं कब तक खोलेंगे? कहीं भवन नहीं है, कहीं चार दीवारी नहीं। नंदी गौशाला बनाना आज के वक्त की महती आवश्यकता है, जिससे कि किसान की फसल बच सके। आवारा पशुओं के लिए भी..। और जो जमीन गोचर है। कृषि को नुकसान नहीं पहुंचाए इसलिए नंदीशाला। मंत्री महोदय इतना तो जानते ही होंगे। आवारा पशु सड़क पर नहीं डालें, गायें फसल को नष्ट नहीं करें। इसलिए गौशालाओं की जो गोचर जमीन है, उसको कराने लिए मंत्री महोदय से बात करें।

सहकारी समितियों में कहीं भवन निर्मित नहीं हैं। सारी फसल बारिश से चौपट हो जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

को-ऑपरेटिव बैंकों में सस्ती दरों पर लोन दिए जाने चाहिए।

कृषि मंत्री महोदय जी, पशुओं के डॉक्टर्स की जो 30 नवम्बर निकली थी, उसमें एक दिन में ही ज्वाइनिंग के आदेश दिए गए थे। तो वे एक दिन में कैसे ज्वाइनिंग करने जाएंगे, बाड़मेर, जैसलमेर। तो क्यों नहीं, उनको नियुक्ति दी जाए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): नाम क्या है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सारी जगह की लिस्ट है। पूरे राजस्थान की है। मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी और जो वेंटिंग में शेष बचे हुए डॉक्टर्स हैं। उनके लिए आपने कहा कि न्यायालय का फैसला आ जाएगा तब उन्हें दे देंगे। न्यायालय का फैसला भी आ गया और एक दिन का ही ज्वाइनिंग का समय दिया गया। कृपया करके इसे बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि किसान की फरियाद रहती है कि:-

मंजिलें मिले न मिले, यह तो मुकद्दर की बात है,
आप राज में हैं, किसानों के लिए कुछ करें न करें,
लेकिन उनके दुख की बात तो सुन लें।
किसान की जिन्दगी ज़ख्मों से भरी है, वक्त आपका है,
मदद करना तो सीख लें, मंत्री महोदय।
हारना तो एक दिन इंसान को मौत से है,
फिलहाल तो किसानों के साथ जिन्दगी सीख लें।

राम-राम सा।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय विद्याशंकर जी नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37,36,39 कृषि, पशुपालन और सहकारिता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के साथ ही, हम जब अपनी बात कहते हैं तो किसानों के हित में, मन में बहुत कुछ विचार रखते हुए अपनी बातें कहते हैं। उसके बाद जब परिणती करने की बात आती है, तो किसान की पीड़ा को जिस तरह से हमें समझना चाहिए, नहीं समझ पाते हैं। आज किसान की जो स्थिति बनी हुई है, किसान जब उन्नतशील बीज लेने जाता है तो कई बार उसके साथ ठगी होती है। अच्छे बैग में घटिया बीज और उस घटिया बीज की बुआई करने के बाद उसका परिणाम किसान को भुगतना पड़ता है।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

हमारी सरकार के बाद तो फिर भी फर्टीलाइजर की स्थिति सामान्य हुई है। इससे पहले किसानों को खाद के लिए भी डण्डे खाने पड़ते थे।

इसके अतिरिक्त किसान के हक के लिए यह सारी पानी की व्यवस्था की गई है उस पानी की व्यवस्था को भी हम सुचारू रूप से नहीं चला पाते। किसान जब पानी देने के लिए खेत में जाता है तो उसकी बारी बंद हो जाती है। उसको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। जिस समय फसल को पानी पिलाने की आवश्यकता होती है उस समय उसको पानी नहीं मिल पाता है।

सारी परिस्थितियों से जूझने के बाद जब किसान अपने माल को तैयार करता है और मण्डी में ले जाता है तो वहां खड़ा हुआ आढ़तिया उस बीज को, उसके उत्पादन को औने पौने दाम में खरीद लेता है।

यह सारी परिस्थितियां हमारे लिए चिंता का विषय है। हम किसान के हित की बात करें तो हमें इसके लिए प्रयास करना होगा कि कितना सुधार हम कर सकते हैं और कितना सुधार हम कर रहे हैं।

आज गांव का किसान लगातार शहर की तरफ मुंह करता जा रहा है। शहर की बढ़ती आबादी और गांव की घटती आबादी हमारे लिए चिंता का विषय है। इन सारी परिस्थितियों के कारण आज किसान का बेटा भी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। हमें इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है।

मैं आज इस मंच से यह तो कह सकता हूं कि आजादी के बाद कृषि वैज्ञानिकों ने एक चुनौतीपूर्ण काम हाथ में लिया और देश का कृषि उत्पादन लगातार बढ़ा है। बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बाद हमें इस पर भी विचार करना होगा कि उन्नतशील तकनीक का उपयोग कितने किसान कर पा रहे हैं। इस तकनीक का किस प्रकार हम विस्तार कर पा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जब किसानों के लिए सेमीनार होती है, किसानों के लिए विचारगोष्ठी होती है, उन विचारगोष्ठी, मेलों में किस प्रकार किसानों के साथ भेदभाव होता है। वह एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। यहां से जो टारगेट राज्य सरकार तय करती है, हमें इतने कृषि मेले लगाने हैं, हमें इतनी विचार गोष्ठियां करनी है, उन औपचारिकताओं को पूरी कर कृषि विभाग इतिश्री कर लेता है। यदि सही मायने में हम चिंतन करते हुए किसानों के हित की बात सोचे तो किसानों के साथ जो गोष्ठियां होती हैं और वैज्ञानिक आधार पर नई

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसके लिए गांवों को गोद लिया जाए। किसानों को उस तकनीक की जानकारी दी जाए। गांव के किसानों के साथ मिलकर खेती की जाए तो वह किसान आगे बढ़ सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आज भी किसान परम्परागत खेती करता है। परम्परागत खेती करने के कारण उसे जो फसल मिलनी चाहिए वह फसल नहीं मिल पाती। अगर वह प्रगतिशील खेती को जानने की कोशिश करें, प्रगतिशील खेती के साथ जुड़ने की कोशिश करें तो अपना उत्पाद बढ़ा सकता है। लेकिन हम यह मानकर चलते हैं कि इस ओर जो काम होना चाहिए वह काम नहीं हो पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हम सौभाग्यशाली है कि आज हमें राजस्थान में कृषि मंत्री के रूप में एक प्रगतिशील व्यक्तित्व के धनी कृषि मंत्री मिले हैं। उनकी वैचारिकता के कारण राजस्थान की कृषि में कई सोपान स्थापित हुए हैं, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। माननीय कृषि मंत्री जी के ही प्रयास थे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की राजधानी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हाथ में लिया। जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2016 कर पूरे राजस्थान के किसानों को एक नई दिशा देने का काम किया है। एक ही छत के नीचे सारे राजस्थान के किसानों को कृषि की नई तकनीक को जानने का अवसर मिला। नई तकनीक का समझने का अवसर मिला, उस नई तकनीक को अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला। माननीय मंत्री महोदय का यह प्रयास भी हमारे लिए गौरवशाली है कि आपने हर संभाग स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने का तय किया। इसके पहले चरण में आपने कोटा को इसके लिए चिह्नित किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने कोटा को एक सौगात ताजमहल के रूप में दी है। लेकिन उस ताजमहल पर जाने का रास्ता नहीं है। उस ताजमहल में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। उस ताजमहल में पानी की व्यवस्था नहीं है। वह ताजमहल केवल ताजमहल बनकर रह गया। हमें एक कृषि विश्वविद्यालय दिया। उसके विश्वविद्यालय के बाद कोटा की कृषि को सोपान लगने चाहिए थे, कोटा की कृषि के लिए हमें आगे योगदान मिलना चाहिए था, वह योगदान आज हमें नहीं मिल पा रहा।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

माननीय सभापति महोदय, 14 सितम्बर, 2013 को कोटा में कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा हुई। उसके बाद प्रथम कुलपति के रूप में डॉक्टर झब्बरसिंह जी सोलंकी ने 23 सितम्बर, 2013 को कार्यभार संभलाया गया। कुलपति की नियुक्ति के 6 महीने पश्चात् ही राज्य सरकार ने तीन नवसृजित कृषि विश्वविद्यालयों को अबेयंस में रख दिया। फरवरी 2016 में नियमित कुलपति की नियुक्ति हुई। कोटा कृषि विद्यालय देश का ऐसा कृषि विद्यालय है जिसमें कोई कृषि महाविद्यालय नहीं है, है तो मात्र एक झालावाड़ का जो अपने आप में एक औपचारिक है। हाडौती संभाग में कृषि के काफी बड़े अवसर है। चूंकि वहां का 50 परसेंट से ऊपर चम्बल का सिंचाई क्षेत्र है। वहां की भूमि अति उपजाऊ है, ऐसी स्थिति में कोटा में कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान करने के लिए काफी अवसर हैं।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के कृषि अनुसंधान परिषद की एक टीम ने 25, 26 और 27 जुलाई को उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ का निरीक्षण कर महाविद्यालय एवं कृषि विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी परन्तु कृषि विश्वविद्यालय कोटा में कृषि महाविद्यालय नहीं होना अपने आप में एक कमी को दर्शाता है। राज्य सरकार ने नागौर में कृषि महाविद्यालय की घोषणा की परन्तु कोटा इससे वंचित रहा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालय कोटा का प्रथम दीक्षांत समारोह 25 सितम्बर, 2016 को माननीय कुलपति, सम्माननीय श्री महामहिम राज्यपाल कल्याण सिंह जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। उस समय प्रबंधक मण्डल ने कुलपति महोदय को कोटा में कृषि महाविद्यालय राज्य सरकार से स्वीकृत कराने के लिए आग्रह भी किया। केवल कृषि विश्वविद्यालय खोलने से ही कोई फायदा नहीं है। जब तक इस विश्वविद्यालय को कृषि महाविद्यालय, डेयरी टेक्नोलोजी महाविद्यालय, गृह विज्ञान महाविद्यालय, प्रायोगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, वेटरनरी, एनीमल साइंस महाविद्यालय एवं अन्य स्किल डवलपमेंट पाठयक्रम प्रारम्भ नहीं किए जाते तब तक किसानों और विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

माननीय सभापति महोदय, इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में 400 पद स्वीकृत हैं और लगभग 200 पद ही भरे हुए हैं। काम करने के लिए, कृषि अनुसंधान केन्द्र से कर्मचारी लगाए जाते हैं। गैर-आयोजन मद में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती। कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सेवानिवृति पर देय उपार्जित अवकाश, नकद भुगतान, गेच्युटी, अन्य लाभ भी नहीं मिल रहे, पेंशन भी नहीं मिल रही है। पैतृक विश्वविद्यालय ने सिर्फ कर्मचारी भविष्य निधि की कुछ राशि विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित की है जबकि विश्वविद्यालय अंशदान की कोई राशि नहीं दी है। राज्य सरकार द्वारा भी पेंशन का भुगतान करने के लिए कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया। विश्वविद्यालय से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के अभाव में आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, कोटा विश्वविद्यालय न केवल राज्य में, अपितु देश में ख्याति प्राप्त कर सके। इसके लिये हमारा आपसे आग्रह है कि कोटा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय के लिये राज्य सरकार प्रयास करे। मैं चाहता हूं कि किसानों को हम जो लाभ दे सकते हैं, वह लाभ दें। वे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं।

मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का विशेषकर आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय कृषि उत्पादों को यहां लाकर एक नई पहल की है। किनोवा के रूप में आपने चित्तौड़ में ट्रायल पर काम किया। आज कोटा में भी इसी किनोवा पर बड़ी रिसर्च चल रही है। किसानों की रुचि बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त चैरी, स्ट्राबेरी, खजूर, जैतून, पिस्ता, इस प्रकार की काफी फसलें आपके प्रयास से राजस्थान में ट्रायल बेस पर काम कर रही हैं।

पशुपालन पर मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि आज राजस्थान में पशुधन का जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, उसके लिये मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि हम सभी विधायक अपने विधायक कोष से दस प्रतिशत राशि यदि हम गौशालाओं को देने लग जाएं तो राजस्थान में गौशालाओं का विकास हो सकता है। राजस्थान में इस पशुधन का, समग्र रूप से जो आवारा घूमते हैं, उनको आवारा जानवर न कह कर हम पशुधन के रूप में उस पर विचार कर सकते हैं।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

मैं माननीय मंत्री महोदय से यही अनुरोध करूंगा कि मेरा इटावा क्षेत्र, जो अपने आप में 80 प्रतिशत कमाण्ड एरिया है, जहां उपजाऊ कृषि भूमि है, यदि आप वहां हमें कृषि महाविद्यालय देते हैं, तो हमारा इस कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होगा।

अंत में मैं सहकारिता मंत्रीजी से यही कहना चाहूंगा कि जो 31 तारीख आपने कृषि ऋण की वसूली की समय-सीमा तय की है, इसे 30 जून तक बढ़ायें। चूंकि 31 मार्च तक किसानों की कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो किसानों के घर पर पहुंचे और वे उसके बाद ऋण की अदायगी कर सकें।

सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, अपनी बात को विराम देता हूं। जयहिन्द। जयभारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य जगदीश नारायण जी।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37, 39 और 36 पर आपने बोलने के लिये इजाजत दी, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सदन के सभी विद्वान माननीय सदस्यों द्वारा ये सारी चर्चाएं सुनने के बाद में मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पक्ष भी किसान की चिंता कर रहा है और विपक्ष भी किसान की चिंता कर रहा है, और यह चिंता महज आज की चिंता नहीं है। जब से मुझे याद आई है तब से अख़बार भी पढ़ता आया हूं, तब से समाचार पत्रों के माध्यम से, टी.वी. चैनल के माध्यम से और जब रेडियो सुना करते थे, तब रेडियो के माध्यम से भी हम यह सुनते आ रहे हैं कि हम किसानों के लिये कर रहे हैं, हम किसानों के लिये योजना बना रहे हैं। मुझे कभी भी पक्ष और विपक्ष में इस बात का मतभेद सुनने को नहीं मिला, मतभेद देखने को भी नहीं मिला कि कोई व्यक्ति या कोई पक्ष किसान के खिलाफ हो। लेकिन बड़े दु:र्भाग्य की बात है कि सारा सदन एकमत होने के बावजूद भी आज किसान किस अवस्था में है, आज किसान के लिये पक्ष और विपक्ष ने मिल करके, सरकारों ने क्या किया, यह बड़ा सोचने का विषय है। जिस हाव-भाव के साथ में, जिस जोश के साथ में अपने तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं, अपने विचार रखे जाते हैं, मैं समझता हूं कि अगर उन में से 10 प्रतिशत का भी इम्पलीमेंट

(श्री जगदीश नारायण)

हो गया होता, 10 प्रतिशत भी उसका क्रियान्वयन हुआ होता तो आज किसान इस दुर्दशा में नहीं हुआ होता। यह मुझे अटूट विश्वास है, जांके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीड़ पराई। मुझे यह भी पता है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य कहीं न कहीं कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए थे, लेकिन आज यह भी मुझे भरोसा है कि जब था, व्यवसाय था। आज उस कृषि व्यवसाय से मुश्किल से इने-गिने लोग जुड़े हुए होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि किसान एक ऐसा वर्ग है, किसान एक ऐसा व्यक्ति है, जो एक बीज जमीन में, धरती माता में डालता है और बदले में सौ दाने पैदा करता है। जबकि एक व्यापारी एक रुपये का सामान बेचता है, एक रुपये पर ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत का मार्जिन लगा करके एक रुपये 10 पैसे में बेचता होगा। एक रुपये पर दस पैसा कमाने वाला व्यक्ति मालामाल बन जाता है और एक दाने से सौ दाना पैदा करने वाला व्यक्ति हमेशा-हमेशा कंगाल बना रहता है। आखिर इसका कारण क्या है? कभी सदन ने इस बारे में गम्भीरता से सोचा, कभी विचार किया?

माननीय सभापति महोदय, जिसका नाम अन्नदाता रखा गया है, वह अन्नदाता ही नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाये तो सर्वस्व दाता है। वह अन्न का ही दान नहीं कर रहा, किसान के खेत में जाने का किसी का कभी वक्त पड़ा हो, मौका पड़ा हो, तो आपने देखा होगा कि किसान के खेत पर जाने वाला व्यक्ति, किसान के घर पर जाने वाला व्यक्ति, कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आपके और हमारे घरों पर आने वाला व्यक्ति भले ही चाय पी करके जा सकता है, लेकिन चाय के अलावा वह खाली हाथ ही जायेगा। जबकि किसान के घर जाने वाला व्यक्ति, अगर ज्यादा भी नहीं तो चाय-पानी के अलावा, सब्जी ले करके जायेगा, फल ले करके जायेगा। उसके बाद जो कुछ होगा, वह हंसी-हंसी उसको दे करके भेजेगा। माननीय सभापति महोदय, अगर सही मायने में देखा जाये तो किसान के बराबर कोई परोपकारी भी नहीं है और किसान के बराबर कोई उपकारी भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, पक्ष-विपक्ष की इतनी चर्चा करने के बाद भी अगर किसान की हालत पर आज भी इस प्रकार का रोना रोया जाये, देश

(श्री जगदीश नारायण)

आजाद होने के 70 साल बाद में, और आज भी किसान की यह हालत, और उस पर सदन में इस तरह से गम्भीरता से विचार, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं इस देश का और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। जो सामान, जो सामग्री एक रुपये किलो बिका करती थी, आज अगर जा करके हम बाजार में उसका मौल-भाव करें तो वह पचास रुपये किलो मिलेगी। लेकिन किसान का जो अनाज था, वह जिस दिन एक रुपये था, मुश्किल से बढ़ करके आज वह दस और पन्द्रह रुपये के बीच में आया होगा। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचारों में रखा भी है, और वह बात सही भी है कि वह अपने धंधे के, अपने व्यापार के स्वामी हैं। यहां किसान कभी भी अपनी जिंस का स्वामी नहीं बन पाया है। वह जिंस पैदा करता है, मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उसकी जिंस का भाव तय करने वाला कोई और हुआ करता है।

इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप में किसान का भरोसा है और आप में नहीं, भा.ज.पा. सरकार में किसान का भरोसा है। जब-जब प्रदेश में भा.ज.पा. की सरकार बनती है, किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अपने-आपको थोड़ा-बहुत सुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि पहले फसल खराबे पर उसको 50 प्रतिशत पर मुआवजा मिला करता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50 प्रतिशत से हटा करके उसको 33 प्रतिशत पर लाने का काम किया है। जब-जब भी किसान के साथ में इस तरह की कोई आपदा आई है तो किसान को भरोसा बंधा है कि सरकार सम्भालने वाली है, सरकार हमें कुछ देने वाली है। लेकिन मैं उन लोगों के लिये तो कहना नहीं चाहूंगा, दुर्भाग्य यह रहा देश का कि 70 सालों से जो सरकार देश में आसीन थी, केवल भाषण-बाजी करती रही, भाषण-बाजी के द्वारा अख़बार छपवाती रही और किसानों को बरगला कर वोट ले करके अपनी सरकार चलाती रही। कब तक चलेगा यह?

इसलिये, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के लिये नीति बनायें, किसानों के लिये आयोग का गठन करें और किसानों के घरों पर जा करके, जिस तरह से आप विदेश का भ्रमण करते हैं, जिस तरह से अन्य तकनीकियों को देख करके आप उनको यहां ला करके लागू करते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसान परिवारों में जा करके किसानों की

(श्री जगदीश नारायण)
माली हालत को देखने का भी आप प्रयास करें। सबको पता है कि गांव का किसान कैसी अवस्था में है। किसान का वस्त्र कभी भी साबुत नहीं मिलेगा। धोती फटी मिलेगी, कमीज फटा मिलेगा, सिर नंगा मिलेगा, पाँव में जूते नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वह किसान चल रहा है, वह मेहनत कर रहा है।

किसान के साथ जब प्राकृतिक आपदा घटती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ जब छह महीने की मेहनत उसकी विफल होती है, छह महीने की मेहनत पर जब पानी फिरता है और सारा सब कुछ कर्जे के आधार पर उसने छह महीने तक उसको पाला-पोसा है और जब वह लुट जाता है तो उसके साथ कैसी अनहोनी बीतती होगी, कैसी पीड़ा उसको होती होगी, इसका अंदाजा भी लगाना चाहिए।

मैं पूरे माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि हम सब लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, आज किसान के भरोसे बैठे हैं। आज हमारा देश जो चल रहा है, आज हमारा जो प्रदेश चल रहा है वह या तो किसान के भरोसे चल रहा है या हमारी सीमा पर सुरक्षा करने वाले जवान के भरोसे चल रहा है। वह जवान न धूप देखता है और न सर्दी देखता है। जैसा उसको आदेश मिलता है, उस आदेश की पालना करता है। वहां नंगे बदन रहता है, पहाड़ों पर रहता है, बर्फ पर अपने आपको खफा लेता है लेकिन देश पर आंच नहीं आने देता। ठीक उसी प्रकार से हमारा किसान है। वह भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, सर्दी भोग सकता है, वह धूप झेल सकता है लेकिन प्रदेश की जनता को कभी भूखा रहने नहीं देता।

इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं ज्यादा तो नहीं क्योंकि हो सकता है कि आप भी उन विचारों पर ज्यादा ध्यान देते होंगे, जो या तो बड़े नेता हैं, या बड़े जोर-शोर से बोलते होंगे। मैं तो यह कहता हूं कि आप किसान हैं और यदि किसान की पीड़ा को आप समझते हैं तो इन भाषणबाजियों में न आकर आप अपने मन से नीति बनाएं। किसान की पीड़ा को समझकर, किसान के प्रति संवेदनशील होकर आप ऐसा कोई आयोग का गठन करके ऐसी कोई योजना बनायें जो योजना उस किसान तक पहुंचे।

माननीय सभापति महोदय, सब जगह पर भ्रष्टाचार चल रहा है लेकिन

(श्री जगदीश नारायण)

किसान का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भ्रष्टाचार की बू नहीं आती। किसान जिससे काम करवाने के लिए जाता है, किसान उसको कुछ न कुछ, किसान के द्वारा देना पड़ता है और जब तक किसान उसको कुछ नहीं दे, तब तक उसका काम कहीं नहीं होता। चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर लो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट की बात कर लो या चाहे अन्य और डिपार्टमेंट्स की बात कर लो, किसान सब लोगों पर दया करता है लेकिन किसान पर दया करने वाला माई का लाल एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दया करके उसका काम समय पर निपटा दे।

आज किसान मजबूरी में आकर बिजली की चोरी करता है, नहीं तो मैं कहता हूं कि इस किसान के बराबर कोई ईमानदार नहीं है। किसान के बराबर कोई स्वाभिमानी नहीं है। किसान सूखा खा लेगा, भूखा रह लेगा लेकिन पड़ोस में जाकर रोना नहीं रोएगा कि मेरे पास आज घर में खाने को नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान के साथ में आज प्राकृतिक आपदाएं तो घटती ही घटती हैं लेकिन किसान के साथ में जंगली जानवर भी उसको अछूता नहीं छोड़ते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जंगली जानवरों से उसको बराबर मुकाबला करना पड़ता है और कभी-कभी तो अपनी खेती की सुरक्षा करते-करते उसको अपने प्राणों की आहुति देकर उस सीमा के जवान की तरह कुर्बानी भी चुकानी पड़ती है और यह अभी हाल ही आपके सामने भी आया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से और सरकार से निवेदन करूंगा कि किसान की फसल सुरक्षित हो, इसके लिए उसको बाड़बंदी के लिए, तार फेन्सिंग के लिए अनुदान पर उसको पैसा मिले, कोई लोन मिले, ऐसी कोई योजना बने।

किसान का जो क्रेडिट कार्ड बनाया है, माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी की देन है, किसान आभारी है उनके प्रति। मैं आज चाहता हूं कि समय की मांग है, आवश्यकता की मांग है कि किसान के क्रेडिट कार्ड की राशि भी

(श्री जगदीश नारायण)

बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि वह 3 लाख रुपये जो मिलते हैं, उस 3 लाख रुपये में आज किसान की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए किसान के क्रेडिट कार्ड की राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए।

किसान का समर्थन मूल्य जो तय किया जाता है, उस समर्थन मूल्य को तय करते समय ऐसी कोई कमेटी का गठन होना चाहिए जिस कमेटी में किसान भी शामिल हो और वह किसान साथ रह कर उस फसल का मूल्य तय करवाए तब जाकर के किसान का उत्थान हो सकता है, तब जाकर किसान का विकास हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपकी घंटी से लग रहा है कि आप मुझे ज्यादा नहीं बोलने देंगे लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं और जब यह डिमांड पर बात है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चिलपली मोड मेरे जमवारामगढ़ में एक ऐसा स्थान है, जहां एक करोड़ रुपये रोजाना का टर्न-ओवर सब्जी का चलता है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहां पर अनुज्ञा-पत्रधारी या लाइसेंसधारी किसान जो हैं, वह दुकानें नहीं चलाते हैं। वहां दूर के लोग आते हैं, वहीं के लोग खरीदते हैं और उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। आप उसको दिखवा लें, जांच करवा लें। वहां का प्रस्ताव भी आया हुआ है। मैंने एक बार विधान सभा में एक क्वेश्चन भी लगाया था। तो ऐसी जगह पर किसानों के लिए सब्जी मंडी होना बहुत जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा, मैं निवेदन करूंगा कि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जमवारामगढ़ कस्बा और उसके आस-पास गुलाब की सबसे बढ़िया खेती अगर अजमेर के बाद कहीं होती है तो वह जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में होती है। माननीय मंत्री महोदय, आपको तो अच्छी तरह से पता है, मैं यह चाहता हूं कि वहां पर एक फूल मंडी भी होनी चाहिए ताकि किसानों को शहर में नहीं आना पड़े और शहर में व्यवधान भी न हो। क्योंकि शहर की जगह धीरे-धीरे संकरी पड़ती जा रही है, वहां किसान को पूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। तो मेरा निवेदन है कि यह सब्जी मंडी और फूल मंडी जमवारामगढ़ में अगर आप स्थापित कर दें तो उस फूलों की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा और यदि सब्जी मंडी वहां पर आप खुलवा देते हैं तो वहां किसानों को सब्जी की खेती करने में भी और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी।

(श्री जगदीश नारायण)

माननीय सभापति महोदय, मैं पशु-पालन के बारे में एक ही सुझाव देना चाहूंगा कि यह पशुपालन भी किसान की दूसरी एक पूरक व्यवस्था है। किसान पशु के बिना अधूरा है और जब तक पशु नहीं होगा तब तक वह किसान कृषि कार्य भी नहीं निपटा सकता क्योंकि कृषि भी पशु पर आधारित है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे वह स्वस्थ पशु पाल सके और स्वस्थ पशु का स्वस्थ दूध हम सब लोगों को पीने के लिए मिल सके ताकि हम भी स्वस्थ रहे और दुनियाभर में जो जितनी बीमारियां और महामारियां चल रही हैं, बड़े-बड़े जो रोग चल रहे हैं, उनसे भी हम बच सके। इसके लिए भी कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पशुओं के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक उप स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है, वह भी खोले जाने चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

एक मेरे क्षेत्र में सहकारिता से संबंधित, छह ग्राम सेवा सहकारी समितियां आज से कम से कम 15-20 सालों से बंद पड़ी हैं। मैंने विधान सभा में कई बार मामला उठाया, मैंने मंत्रीजी से निवेदन भी किया है और उसमें उनका जवाब भी आया है, वह सहकारी समितियां, सभी छह ग्राम सेवा सहकारी समितियां मंगल बिहारी कमेटी की अभिशंसा के आधार पर असक्षम घोषित होने के कारण मंत्री-मंडलीय आज्ञा क्रमांक 6/95 दिनांक 28.10.1995 के तहत अवसायन में लाया गया था। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन ग्राम पंचायतों में यह समितियां चल रही थीं और वह 1995 के बाद अवसायन में हैं, तो क्या आपने जांच करवायी कि वह अवसायन में आई तो क्यों आईं? अवसायन में आने के उनके कारण क्या रहे? कौन लोग दोषी थे जिनकी वजह से समितियों को मृत होना पड़ा? क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की आज तक? यदि वह अवसायन में रहेंगी तो क्या उनकी जगह कोई विकल्प देने की व्यवस्था की आपने, जिससे किसानों का काम हो सके, किसानों को कर्ज मिल सके, उनको व्यवस्था मिल सके।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): इन छह समितियों को चलाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह भी मेरी मांग रहेगी।

(श्री जगदीश नारायण)

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36, 37 और 39 के पारित होने और आज की कार्य-सूची पूर्ण होने तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या आज की कार्य-सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

माननीय श्री कृष्ण कड़वा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37, 39 व 36 पर विचार

श्री कृष्ण कड़वा (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आदरणीय कृषि मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा उनके नवाचारों के लिए और ग्राम जैसे मेले का आयोजन करने के लिए जिससे किसानों का ज्ञानवर्धन हुआ।

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि यह आपकी मौसम की जो बेरुखी है, उसके बाद में जो फसल आई है और जो फसल बची है, उसे बेचने के लिए किसान मंडियों में पहुंचने लगे हैं लेकिन हालात ऐसे हैं कि फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला कोई नहीं है। सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारित तो कर दिये लेकिन खरीद केन्द्र स्थापित नहीं किये। इसलिए किसानों को औने-पौने दामों पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रबी सीजन में हनुमानगढ़ जिले की मंडियों में फसल की आवक शुरू हो चुकी है मगर खरीद केन्द्र स्थापित नहीं होने से किसान सरकारी रेट पर सरसों नहीं बेच पा रहे हैं। इस स्थिति में व्यापारी अपने हिसाब से रेट लगाकर फसल खरीद रहे हैं। इससे किसानों को प्रति

(श्री कृष्ण कड़वा)

क्विंटल तीन सौ से चार सौ रुपये का नुकसान हो रहा है। सरकारी खरीद के अंदर स्थापित होने पर मंडियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तभी किसानों को अच्छे रेट मिल पायेंगे। अभी हालात ऐसे हैं कि सरसों के भाव 3300-3400 रुपये प्रति क्विंटल लग रहे हैं, जबकि इसका समर्थन मूल्य खरीद शुरू नहीं होने से अभी व्यापारी ही खरीद रहे हैं। अनुमान के मुताबिक इस सीजन में 17 लाख क्विंटल से अधिक सरसों की आवक का बाजार भाव 3300-3400 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, इसलिये किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 200 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी लगभग 35 करोड़ रुपये का नुकसान किसानों को हो रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि समय पर पूरा सिस्टम चेते और सरकारी खरीद शुरू हो जिससे किसानों को अपने खून-पसीने की कमाई का सही भाव मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

आदरणीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया में गेहूं खरीद प्रक्रिया में सुधार करने बाबत करना चाहूंगा। संगरिया मंडी क्षेत्र एक गेहूं प्रधान क्षेत्र है। इसलिये समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिये आज दिनांक तक स्थानीय वेयर हाउस में सिर्फ 5 लाख खाली बारदाने का स्टाक है और समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का सीजन शुरू होने में मात्र कुछ ही दिन शेष रह गये हैं। संगरिया मंडी पंजाब एवं हरियाणा राज्य के बोर्डर क्षेत्र पर स्थित होने के कारण बारदाना के अभाव में किसानों द्वारा गेहूं पंजाब एवं हरियाणा में भेज दिया जाता है। इस वजह से व्यापारी वर्ग को आढ़त एवं राज्य सरकार को मंडी शुल्क का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार से निवेदन है कि किसानों, व्यापारियों एवं राज्य सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए संगरिया मंडी में अविलम्ब 20 लाख खाली बारदाने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, इसके अलावा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिये किसानों से ली जाने वाली गिरदावरी पर्ची की अनिवार्यता को समाप्त किया जाये, क्योंकि पिछले कई वर्षों से गेहूं पर बोनस नहीं है। बोनस होने पर गिरदावरी की आवश्यकता होती है ताकि अन्य राज्यों से कोई भी गेहूं का बेचान हमारे राज्य में न कर सके। गेहूं खरीद के सीजन में किसानों को भी

(श्री कृष्ण कड़वा)

खेती-बाड़ी के कई कार्य होने के कारण गिरदावरी लेने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। संगरिया मंडी बोर्डर पर होने की वजह से किसान पंजाब व हरियाणा में अपने गेहूं की फसल को बेचने पर मजबूर होता है। किसानों द्वारा गेहूं पंजाब व हरियाणा में बेचने पर किसानों के साथ कई बार वज़न के माप-तौल में ठगी हो जाती है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। गेहूं राज्य से बाहर बिकने के कारण राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता है तथा मंडी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी द्वारा करवाये जाने वाले विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। अत: सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा व पंजाब पैटर्न पर गेहूं की खरीद शुरू की जावे एवं गेहूं में गिरदावरी की अनिवार्यता समाप्त की जाये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 36, 37 और 39 पर कृषि, पशुपालन और सहकारिता पर अनेक माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने समर्थन मूल्य का मुद्दा उठाया है। कोटा उत्तर के माननीय सदस्य हों, चाहे संगरिया वाले माननीय सदस्य हों, और भी कई माननीय सदस्यों ने समर्थन मूल्य का मुद्दा उठाया है। मैं निवेदन करूंगा सभापतिजी, आखिर हमारी सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद क्यों नहीं कर रही है। माननीय कृषि मंत्रीजी निश्चित रूप से किसानों में से हैं। पर मैं पूरे सदन का और खास तौर से हां पक्ष का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि जो हमने सुराज संकल्प घोषणा पत्र में कहा, माननीय मंत्रीजी, कभी उसको देख भी लें कि किसानों से क्या-क्या वादे कर लिये गये। जो समर्थन मूल्य का मुद्दा है, उस पर कहा गया है - 'न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये स्थायी तंत्र विकसित किया जाएगा'। यह पार्टी ने कहा था, जिस पार्टी के आप मंत्री हैं, और उसी के साथ कहा है - 'किसानों की उपज को लाभकारी बनाने हेतु समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदी की जाएगी एवं बोनस की राशि उपज अनुसार किसानों को सीधे ही

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उनके खातों में नकद दी जाएगी।' मैं समझता हूं, सभापति महोदय, चलिये, बोनस की राशि भारत सरकार ने खत्म कर दी, मैंने मान लिया, लेकिन जो वादे अपन ने किये, उस वक्त मैं घोषणा पत्र समिति का सदस्य था, जिसने घोषणा पत्र ड्राफ्ट किया। उसके बाद जो हुआ, वह आपने ध्यान में है। मैं पूछता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी भी सुने कि कौनसा स्थायी तंत्र आपने आज तक विकसित किया है? ...(व्यवधान)....

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): को-ऑपरेटिव तंत्र।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह कह रहे हैं, को-ऑपरेटिव तंत्र किया है।

श्री सभापति: संयुक्त उत्तरदायित्व है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापतिजी, राजस्थान में मोटा अनाज हम तो बाजरी, मक्का, जौ, ज्वार, मोठ पैदा करते हैं। जिन चीजों के भाव भारत सरकार ने तय कर दिये, बाजरे का, ज्वार का, जौ का, मोठ का अभी तक भाव तय नहीं है। आपने पिछले तीन सालों में मोटे अनाज की कितनी खरीद की, माननीय मंत्रीजी? अभी सरसों का मुद्दा उठ रहा था। 19 लाख क्विंटल सरसों पैदा हुई है, प्रत्येक क्विंटल पर 200 का नुकसान है।

सभापति जी, राजस्थान सरकार द्वारा मूंगफली खरीद न करने का मैं मुद्दा उठाता हूं। 4 नवम्बर, 2016 को आपने भारत सरकार को पत्र लिखा और 30 नवम्बर को भारत सरकार का पत्र आपको मिल गया कि आप मूंगफली खरीदें और उन्होंने आपसे कहा कि जो राजकीय टैक्स है जैसे मंडी टैक्स, वैट, इसकी वसूली आप नहीं करेंगे, यह बॉण्ड आप भरें। सभापतिजी, मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय कटारिया जी, गुजरात बॉण्ड भर रहा है, मध्य प्रदेश बॉण्ड भर रहा है, छत्तीसगढ़ बॉण्ड भर रहा है। मुझे यू.पी. का पता नहीं है और वहां जिस रंग की सरकार है, जिस निष्ठा की सरकार है, वही सरकार राजस्थान में भी है। आपने बॉण्ड नहीं भरा और सिर्फ बॉण्ड ही नहीं भरा, माननीय मुख्य मंत्री महोदया 13 दिसम्बर को बीकानेर आयी। 12 दिसम्बर को हमने एक प्रेस कान्फ्रेन्स की। हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया कि भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब आपकी सरकार का दायित्व है कि आप खरीद करें। भारत सरकार जब मूंगफली

(श्री मानिक चन्द सुराना)
खरीदने को तैयार है तो आप यदि मूंगफली नहीं खरीदते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी 400 और 600 रुपये क्विंटल मूंगफली 4220 से कम भाव में बिकी, 4220 रुपये हैं समर्थन मूल्य का भाव। 10 लाख टन मूंगफली राजस्थान में पैदा होती है और बीकानेर जिले में उत्पादन है 38 परसेंट, 3.80 लाख टन।

माननीय मंत्रीजी, जिसने यह घोषणा पत्र पढ़कर आपको वोट दिया, अब तो सवा तीन साल हो गये। आपने सहकारिता की बात की, माफ करें, चाहे कृषि विभाग खरीदे, चाहे सहकारिता खरीदे। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो गये, कृषि विभाग भी और सहकारिता भी। सभापतिजी, मूंगफली नवम्बर-दिसम्बर में आती है और ताज्जुब है कि वर्तमान सरकार मार्च तक उस मूंगफली खरीद की बात के पत्र मुझे भेजती है।

(17.00 बजे)

यह पत्र मुझे आया है पहला 23.12.16 का, जब तक काफी मूंगफली बिक गयी, और यह पत्र है जी.एल. स्वामी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार का। इसमें कहा है कि मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। भारत सरकार के अग्रिम आदेश प्राप्त होने पर और राज्य सरकार के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सभापति महोदय, मैंने समझा रजिस्ट्रार महोदय ने पत्र भेजा है। मुझे पत्र इसलिए भेजा गया क्योंकि मैं निरन्तर माननीय मुख्य मंत्रीजी से कह रहा हूं कि दस लाख टन मूंगफली पैदा होती है, आप बीकानेर की भी खरीदिये, राजस्थान की भी खरीदिये।

अब ताज्जुब की बात है, सभापति जी, 09.03.2017 को मुझे प्रमुख शासन सचिव श्री सुखबीर सैनी, सहकारिता विभाग का पत्र प्राप्त हुआ है। इस सहकारिता विभाग के पत्र में, माननीय सहकारिता मंत्री जी सुनें, मुझे जो पत्र भेजा गया, कॉपी आप मेरे से ले लीजियेगा, वैसे तो आपके विभाग के पास है ही, जो कहा गया उसको सुनिये, कितना मजाक है किसान का। शासन सचिव, सहकारिता द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.11.2016 से मुख्य निदेशक, सहकारिता, कृषि एवं किसान कल्याण, कृषि एवं सहकारिता, भारत सरकार, नई दिल्ली को मूंगफली खरीद के सम्बन्ध में अनुरोध पत्र एवं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अण्डर टेकिंग संलग्न कर भिजवायी गयी थी। कौनसी अण्डर टेकिंग? भारत सरकार तो अण्डर टेकिंग मांग रही है। आपने अण्डर टेकिंग दी नहीं और यह सहकारिता विभाग का संयुक्त शासन सचिव, यह मुझे पत्र भेज रहा है कि, हां, अण्डर टेकिंग दे दी थी 04 नवम्बर को। 04 नवम्बर को यदि अण्डर टेकिंग दे दी तो क्या भारत सरकार ने आपकी दी हुई अण्डर टेकिंग को इग्नोर कर दिया, नजर अंदाज कर दिया, क्या कर दिया?

सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि घोषणा पत्र को पढ़िये। मोटे अनाज, जिनके भाव तय हैं और सरसों का, मूंगफली का और राजस्थान की अन्य पैदावार, उनको समर्थन मूल्य पर खरीदने की शुरूआत करिये। आखिर कैसे आप उस किसान को कोई कीमत आश्वस्त करेंगे? यह कीमतें भारत सरकार ने जो निर्धारित कर दी उसमें से मिल तो कुछ नहीं रहा है। खाली एक प्रचार का मुद्दा है कि समर्थन मूल्य यह हो गया, समर्थन मूल्य यह हो गया। हम समर्थन मूल्य देखें तो सही, खरीदें तो सही। आपने कहा है, इस घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करने की आप पर जिम्मेदारी है क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं। इसमें कहा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्थाई तंत्र विकसित किया जायेगा। किसानों की उपज को लाभकारी बनाने हेतु समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद की जायेगी। कब की है?

मैं अर्ज करता हूं, सभापति जी, मेरा कृषि मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी से नाराज होने का कोई मुद्दा नहीं है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सुनें, गृह मंत्री जी सुनें। राजस्थान में यह नीति निर्धारण का काम तो माननीय मुख्य मंत्री जी का था, सरकार उनकी है, यह आदेश उनको देना चाहिए था। कितना नुकसान हुआ आपको? आपका मण्डी टैक्स और वैट टैक्स, एक क्विंटल पर 165 रुपये प्रति क्विंटल है, 4.6 है, मैंने सब कैलकुलेट किया है। 600 रुपये, 400 रुपये किसान को ज्यादा मिल रहा था। गुजरात की सरकार, लाखों टन भारत सरकार ने वहां मूंगफली खरीद ली, मध्य प्रदेश में खरीद ली, यहां खरीद ली और यहां का मूंगफली पैदा करने वाला किसान रोता रहा, हम बात कहते रहे, पत्र भेजते रहे पर दांये-बायें हो रहे हैं। कृषि मंत्री जी कहते हैं सहकारिता, सहकारिता मंत्री जी जवाब भेज रहे हैं, डिपार्टमेंट भेज रहा है कि वो अण्डर टेकिंग दे दी थी। न तो कोई अण्डर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

टेकिंग दी गयी। यह पत्र जिन्होंने भेजा है, मैं सहकारिता मंत्री जी से कहूंगा, आप उनका एक्सप्लेनेशन कॉल करिये कि एक विधायक को झूठा पत्र 09.03.2017 को कैसे भेज दिया, जिसमें आपने कहा कि अण्डर टेकिंग दी थी, कौनसी अण्डर टेकिंग दी थी?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वो मजाक उड़ा रहे हैं। हंस और रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हैं, क्या कह रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कोई बात नहीं, मजाक उड़ाने दीजिए। पत्र इन्हीं का है, अपने खुद के पत्र पर मजाक उड़ायें तो आपको, हम को क्या चिंता है। इसमें नाराज होने की क्या बात है।

सभापति जी, मैं बजट पर थोड़ी सी बात करुंगा क्योंकि बजट बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मेरा निवेदन है सरकार से, इस मुद्दे पर बात खतम करने से पहले कहूंगा कि मोटे अनाज के भाव, आप मोठ का क्यों नहीं तय करा रहे, ग्वार का क्यों नहीं तय करा रहे? मोठ से भुजिया बन रहा है, कृषि मंत्री जी, डेढ़ सौ रुपये किलो बिकता है और एक किलो की कीमत, आज तो बाजार में 3500 में रोता है। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि मोठ तो बारानी का किसान पैदा करता है। उसको उचित मूल्य दिलाने के लिए, उसको लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए आप मोठ का भाव पांच हजार तय कराइये। ग्वार का भाव चार हजार, पैंतालीस सौ के बीच में तय कराइये। लाखों-लाखों किसान, यदि आप इसका भाव तय कराते हैं और स्थायी तंत्र जिसका मैनिफैस्टों में कहा गया सुराज संकल्प में, वो स्थायी तंत्र बनाते हैं, आप क्यों नहीं बना रहे हैं? 8838 करोड़ का घाटा बजट में है पिछली बार। 2016-17 के बजट में 8838 करोड़ का संशोधित अनुमान आया है जो पहले 198 करोड़ थे, फायदे में था। मैं कहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी, 500 करोड़ रुपये सैट-अपार्ट करिये, 700 करोड़ रुपये सैट-अपार्ट करिये। यह भारत सरकार और नैफेड पर निर्भर रह रही है। भारत सरकार जहां भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे देती है, वो तो आपको एक वर्ष का देगी। आप अपने 500 करोड़ कोई बट्टे खाते नहीं डाल रहे हैं। स्थायी तंत्र को विकसित करने के लिए

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लगाइये जिससे लाखों-लाखों किसानों को अपनी उपज का आश्वस्त मूल्य, समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके।

सभापति जी, इनके बजट के बारे में यह मोटे अनाज की बात खतम करते-करते मुझे ध्यान आया कि पूर्व विधायक नवरंग सिंह जी ने भारत सरकार के मंत्री को पत्र लिखा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण निगम को और वहां से जो जवाब आया है, मंत्री गण तो विशेष तौर से सुनें। उन्होंने लिखा है, प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव, पी.एण्ड एफ. सी.आई., केन्द्रीय पूल हेतु मोटे अनाजों की खरीद का कार्य राज्य सरकार सम्पन्न करती है परन्तु इस वर्ष के लिए, इसको नोट करिये, राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय को राज्य सरकार के पास उठायें ताकि वितरण प्रणाली के अनुरूप हो। फिर लिखा है, वर्तमान में प्रभावी दिशा-निर्देशों के अनुसार मोटे अनाजों की खरीद का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर युक्ति संगत कार्यवाही केन्द्र सरकार द्वारा सम्पन्न की जायेगी। अत: आपसे अनुरोध है कि इस विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सम्पर्क कर समुचित खरीद योजना केन्द्र सरकार के विचारार्थ भेजे जाने हेतु निवेदन करें।

मंत्री जी, इस पत्र की फोटो कॉपी मैं मेरा भाषण खतम होने के बाद आपको दूंगा। मोटे अनाज की यदि खरीद नहीं हो रही है, भारत सरकार ने स्ट्रेटली जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर डाली। मैं चाहता हूं कि समर्थन मूल्य का तंत्र बनाया जाए ताकि लाखों-लाखों किसान उत्साहित हों कि नई सरकार भी यही आयेगी तो निश्चित रूप से हम को समर्थन मूल्य मिलेगा। मोटे अनाज का, गेहूं का, मूंगफली का और सरसों का, वगैरह वगैरह जो भी अन्य हैं।

सभापति महोदय, मैं मूंगफली और इस पर मेरी बात को समाप्त करता हूं। अब मेरा निवेदन है...

श्री सभापति: संक्षिप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति जी, थोड़ा सा Kindly be liberal. मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि आपका जो कृषि का बजट है, सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि 2014-15 में इनका वास्तविक खर्च कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का 4537 करोड़ था और 2015-16 में उसका खर्च उससे नीचे आ गया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

2016-17 में अनुमान तो आपने दिया 6,515 करोड़ का और खर्च हुआ सिर्फ 6041 करोड़। इस साल जो अनुमान है वह 2016-17 के अनुमान से 400 करोड़ नीचा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपको मुख्यमंत्री महोदया बजट दे रही हैं तो उस बजट को खर्च करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप या तो यह कहें कि मेरी नहीं है। आप ध्यान करें, आपके राजस्व मद में जो मद हैं, व्यय मद और पूंजीगत मद। आपके राजस्व मद में 2015-16 में 600 करोड़ रुपए कम खर्च हुए। प्रावधान 4,618 का था और 4,020 करोड़ ही खर्च हुए। 600 करोड़ का उपयोग आपने नहीं किया। 2016-17 में आपको मुख्यमंत्री जी ने 5,829 करोड़ दिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में, आपने केवल 5,548 करोड़ यानी 400 करोड़ कम का उपयोग किया। इसका नतीजा क्या हुआ?

सभापति महोदय, यह आर्थिक समीक्षा है। इस आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, इसके पेज 51 पर, कि जहां पाइप लाइन कृषि क्षेत्र में 7,603 किलोमीटर बनानी थी, वहां आपने सिर्फ 2,524 किलोमीटर बनाई है। जहां डिग्गियां बननी थीं 7,500 वहां आपने सिर्फ 1,668 बनाई हैं। फॉर्म पौंड 9 हजार बनने थे, आपने सिर्फ 2,453 बनाए। जल हौद 1 हजार बनने थे और आपने 519 बनाए। मैं इतना ही कहूंगा कि हर साल आपने 400-600 करोड़ कम खर्च किए। 2016-17 में भी 400 करोड़ कम खर्च किए। आप चाहते तो जितने टार्गेट कृषि विभाग ने फॉर्म पौंड के, जल हौद के, किलोमीटर पाइप लाइन के दिए वह सारे के सारे बनते।

सभापति महोदय, इनका पूंजीगत जो खर्च है, माननीय मंत्रीगण सुनें, पूंजीगत व्यय में डेयरी विकास पर जीरो बजट है। कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर, खाली पिछले साल ही नहीं, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में और अगले वर्ष भी इसमें जीरो प्रावधान है। अन्य कृषि कार्यक्रम, यह शायद जो मैंने बताए आपको वह अन्य कृषि कार्यक्रम में आते होंगे। उसमें भी जीरो बजट है। मैं हैरान हूं कि राजस्थान जैसा समृद्ध कृषि प्रदेश, समृद्ध इस मायने में कि हमारे पास 291 लाख हैक्टेयर कल्टीवेशन में है। 17 लाख हैक्टेयर हमारे पास चारागाह एवं गोचर है। हम कृषि अनुसंधान को इग्नोर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कर रहे हैं। हम डेयरी को इग्नोर कर रहे हैं। जीरो बजट है। अभी शायद मेवाराम जी जैन, माननीय सदस्य कह रहे थे कि डेयरी में ज्यादा गायें होनी चाहिंए। डेयरी तो जीरो है। आप कौनसा सपना ले रहे हो डेयरी विकास का?

सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, आप तो मुझे यह ही बता दें कि 17 लाख हैक्टेयर जो हमारी चारागाह और गोचर है, उसके विकास के लिए आपने क्या किया? कौनसा प्रावधान है? मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, सिर्फ कृषि मंत्री जी से ही नहीं, कि जिस तरह से अन्य प्रांतों ने चारागाह विकास के बोर्ड बनाए हैं, गुजरात ने बनाया है, आप भी चारागाह विकास बोर्ड बनाएं और चाहे गौपालन निदेशालय को यह काम सौंपें।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, पंचायतों में जो धन है, किसी भी पंचायत में वित्तीय अनुदान 40-50 लाख से कम का नहीं है, उस धन का उपयोग तभी होगा जब आप यह निर्देश देंगे कि प्रत्येक पंचायत को 20 परसेंट धन यदि गोचर है गांव में तो उसके विकास पर खर्च करना पड़ेगा। केवल 8 लाख से विकास नहीं होता है। आप उसको कृषि विभाग से, पशुपालन विभाग से सप्लीमेंट करिए ताकि वाकई में गोचर का विकास हो सके। गाय माता पर सिर्फ शब्दों से भक्ति नहीं, कर्म में भक्ति करें कि गोचर का विकास किया, चारागाह का विकास किया। सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि अगर वाकई में यह 17 लाख हेक्टेयर विकसित हो जाए तो आज पशु धन से जो हमें 10-11 परसेंट कुल आय का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वह 15 से 20 परसेंट के मध्य कंट्रीब्यूशन हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पशुधन के विकास में बीकानेर पशुपालन विश्वविद्यालय शानदार काम कर रहा है। आप खुद जानते हैं इस बात को। लूणकरणसर में उन्होंने एक पशुपालन चिकित्सालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र बनाया है। उन्होंने आपसे निवेदन किया कि उसको चलाने के लिए 11 एक्सपर्ट्स की, साइंटिस्ट की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की जरूरत है। आप बजट दें। आपने लूणकरणसर को बजट नहीं दिया। झुंझुनूं को बजट नहीं दिया। वहां भी पशु अनुसंधान केन्द्र बनाया है। यह जो आपका बजट है इसमें इन संस्थाओं को प्रमोट करिए। गांवों में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वही जाएंगे अनुसंधान केन्द्र वाले। वहीं किसान आते हैं। वहीं उनकी ट्रेनिंग होती है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। काफी समय हो गया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, 5 मिनट में खत्म करुंगा। आप इत्मीनान रखें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ सवाल मैंने भेजे थे। 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के, तीनों का जवाब मुझे आया जिसमें यह आंकड़े आए कि 2011-12 में हमने 7,047.76 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण दिया 16 लाख 98 हजार किसानों को ऋण दिया। 2012-13 में यह आंकड़ा 20 लाख 71 हजार हो गया। 2013-14 में यह आंकड़ा 26 लाख 92 हजार 620 हो गया।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बजट पढ़ रहा था। इनके बजट के पेज, जो पशुधन का बजट आबंटन है, उसमें भी संख्या 26 लाख आ रही है कि अल्पकालीन ऋण जो हम दे रहे हैं उसकी संख्या 26 लाख है। यह आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट का पेज नंबर 32 पर पैरा 106 देखें। माननीय मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि ' 2017-18 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को, सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले समस्त 26 लाख किसानों को ईएमवी रुपे, किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा'। मैं जानना चाहता हूं कि 2013-14 में जो आंकड़ा था, जिन कृषकों को अल्पकालीन ऋण दिए गए, वह 26 लाख था तो आज भी 26 लाख क्यों है? हर साल इसमें 4 लाख की बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही? आखिरकार तो जोतों की संख्या 68.86 लाख है। आप मात्र 26 लाख को ऋण देकर के और उनको भी ध्यान करिए कि ऋण 1 लाख का नहीं है, 26 हजार या 40 हजार का है।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन होगा आपसे कि इस अल्पकालीन ऋण की संख्या में अधिक से अधिक किसानों को लें। कम से कम 32-33 लाख किसानों को इसमें कवर करें। इसी निवेदन के साथ सभापति जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सुश्री कीर्तिकुमारीजी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों, कृषि, पशुपालन और सहकारिता पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। आज हम कृषि पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश रहा है, यह हमारी सांस्कृतिक पहचान भी रही है। कृषि के साथ-साथ हमारे एक अभिशाप, अकाल भी रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की जो कृषि है वह परम्परागत रूप से वर्षा जल पर ही निर्भर रही है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी सिंधिया जिन्होंने इस अभिशाप को पहचाना और मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना में जन सहभागिता से जो प्रयास शुरू किया, इससे वर्षा का जल जो दौड़ने वाला जल है वह बहने लगा, बहने वाला जल रेंगने लगा और रेंगता हुआ जल धरती में जाने लगा। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार। जल स्वावलम्बन से बहुत ही जल्दी कृषि में किसानों को बहुत-बहुत फायदा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार, हमारी वसुन्धरा जी की सरकार ही किसानों के हित की सरकार है। सुराज संकल्प की हमारी घोषणाएं हैं और हमने जो लोगों से वादा किया था वह सब वादे निभाते हुए आज किसानों के हित में हमारी मुख्य मंत्रीजी आगे बढ़ रही हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई, इससे राजस्थान के किसानों ने भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चालू किया। आज राजस्थान के सभी किसान बीमा करवाने लगे हैं और इससे उनको आर्थिक फायदा भी होने लगा है। परम्परागत कृषि विकास योजना जो चालू की उसमें जैविक क्लस्टर निर्माण कर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन दिया उसको सभी किसान समझने लगे हैं। सॉयल हैल्थ कार्ड, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उससे हमारी धरती की भी पहचान की कि हमारी धरती में किस तरह के उपजाऊ तत्व हैं तथा हमें किस तरह का बीज बोना चाहिए या कितनी मात्रा में खाद काम में लेना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना को राजस्थान से चालू कराया इसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। जयपुर में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट, इससे किसान सभी प्रोत्साहित हुए, आज उनके खेती में

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

खुशहाली है और लोगों को, सभी किसानों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले कृषि प्रशिक्षण जो आयोजित किए जा रहे हैं इसमें सभी किसान भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। हमारी सरकार ने, आज किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज उपलब्ध हो रहा है जो तीन साल से चालू हुआ, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मेरे विधान सभा क्षेत्र बिजोलिया और मांडलगढ़ तहसील में करीबन-करीबन 47215 हैक्टेयर खरीफ की बुवाई होती है और 42350 हैक्टेयर रबी की बुवाई भी होती है। मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र है वह उन्नत कृषि का क्षेत्र है, अच्छी कृषि की पैदावार यहां होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मांग करना चाहती हूं कि ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों पर जैसे हमारी सरकार ने अनुदान बढ़ाया था उसी तरीके से अनुदान बढ़ाएं। हमारी सरकार की जो फव्वारा पाइप लाइन योजना है इसमें पाइप लाइन का मूल्य बढ़ गया है लेकिन हमारी जो सब्सिडी है वह नहीं बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी सब्सिडी भी बढ़ाई जाए। जैसा मेरे से पूर्व सभी सदस्यों ने मांग की, नील गाय के लिए तो मैं भी चाहती हूं कि नील गाय से फसलों की रक्षा हो इसके लिए कोई अनुदान की अच्छी योजना हम सरकार की तरफ से लाएं।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय मेरी एक मांग आपसे है, यहां बिजली मंत्रीजी भी विराजमान हैं, मैं कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार किसानों को बराबर छह घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है, इससे हमारी खेती की पैदावार भी बढ़ी है। मैं यह चाहती हूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर छह घंटे बिजली की जरूरत ही नहीं होती, कुओं में रिचार्ज नहीं होता और कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां छह घंटे की बिजली भी कम पड़ती है तो हम इस तरह से दोनों संबंधित मंत्री बात करके इसकी व्यवस्था करें कि जहां पर ज्यादा कृषि है, ज्यादा बुवाई है वहां प्लस कर दें बिजली को और जहां पर जरूरत नहीं हो वहां पर हम इसको कम करें तो मांडलगढ़ के किसानों को बहुत-बहुत इससे फायदा मिलेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के पास औराई बस्सी बाँध है, इसके लिए मैं मांग करती हूं कि इसकी ज्यादातर सिंचाई का क्षेत्र मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में है तो मैं चाहती हूं कि बस्सी बाँध पर जो

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

बजट अलॉट होता है उसका भी हिस्सा मांडलगढ़ वालों को भी दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सौर ऊर्जा पर किसानों को पूर्व की भांति 86 परसेंट अनुदान हम दें, ऐसा मैं चाहती हूं। सरसों की खरीद जल्दी चालू हो इसके लिए हम केन्द्र सरकार से भी प्रयास करें। मैं विशेष रूप से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिगोद और काछोला गौण मंडी है, वहां पर अगर आप इनको विकसित करें तो हमारे क्षेत्र के किसानों को बहुत-बहुत इससे मदद मिलेगी और उनको बचान का अच्छा लाभ भी मिलेगा।

मांग 36 में मैं सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आपने जो कर्जा दिया और उसकी अंतिम तारीख 31 मार्च, 2017 है इसको बढ़ाकर 30 जून 2017 करें। मुझे आज बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री केसारामजी चौधरी। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 37 कृषि, मांग संख्या 39 पशुपालन और मांग संख्या 36 सहकारिता पर चर्चा हो रही है। ये तीनों विभाग ऐसे हैं जो देश की खेती से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं और आज देश में जिसको अन्नदाता कहते हैं, जो देश का पालनहार है, खेती के बिना सारे विकास अधूरे हैं, ऐसी स्थिति में आज इस सदन में जो चर्चा हो रही है वह इस बात को साबित करता है कि विपक्ष कृषि के प्रति कितना जिम्मेदारी से इस मांग को और किसानों के प्रति कितना सजग है वह इनकी उपस्थिति से महसूस होता है।

माननीय सभापति महोदय, कृषि भारत का प्रधान व्यवसाय है और 75 परसेंट किसान, देश की जनता, देश के लोग खेती पर निर्भर हैं, चाहे वह मजदूरी करता हो, चाहे वह कृषि पर किसी न किसी परोक्ष या सीधे खेती से जुड़ा रहता है। आज खेती के लिए मुख्य रूप से तीन बातें हैं, गुणवत्ता का बीज मिले, उसमें गुणवत्ता का खाद मिल जाए, समय पर पानी मिल जाए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें खेती भगवान के ऊपर निर्भर रहती है। यहां पर 1 परसेंट पानी है जिसकी वजह से बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है

(श्री केसाराम चौधरी)
और कभी बारिश होती है और कभी नहीं होती है। आज ऋतु संतुलन इतना बिगड़ गया है कि किसान इससे परेशान रहता है। ऐसे वैज्ञानिक जो ऋतुओं के बारे में किसान को सचेत करना चाहिए वह सचेत नहीं करते हैं और 18 तारीख को जिस तरह से यह जो बरसात हुई, जो किसान के लिए एक अभिशाप के रूप में हुई है। इस क्षेत्र में मैं 18 तारीख को गांव में था और गांव में मेरे क्षेत्र में पाली जिले में जिस तरह से सोजत, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, बाली, इन क्षेत्रों में भी बरसात और ओलावृष्टि हुई है जिससे किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

और उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसका सर्वे कराया जाय और किसान का जो आर्थिक नुकसान हुआ है, तूफान इतना तेज था कि उसकी फसलें उड़कर कहां गयीं यह पता नहीं लगा। उसके खेत में जो जीरे और ईसबगोल की फसल थी वह तो बिलकुल साफ ही हो गई। वह फसल उड़कर किस खेत में चल गई इसका पता ही नहीं लग रहा है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ने से मौसम आधारित फसलों को किस तरह से सरकार ने बीमा किया है वे बीमा कंपनियां हमेशा प्रीमियम के रूप में राशि लेती हैं और प्रीमियम का आधा रुपया भी किसानों में नहीं बांटती। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन किसानों की पूरी फसलों का सर्वे कराया जाय और सर्वे कराकर जिन किसानों का बीमा था उन किसानों को प्रीमियम के बराबर हर्जाना देना चाहिए। बीमा कंपनियां कमाने के लिए नहीं है, वे किसान को जिंदा रखने के लिए हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाय जिससे किसान को कुल लागत का 50 प्रतिशत लागत मूल्य पर जोड़कर उसकी फसल का मूल्य तय करना चाहिए। किन्तु किसान को लागत मूल्य नहीं जोड़ने के कारण किसान दिन-प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि राजस्थान प्रदेश में खेती करने वाला कोई नहीं मिलेगा और राजस्थान प्रदेश की खेती पिछड़ जाएगी। आज हम जितने विधान सभा में बैठे हैं, अगर एक दिन खेती की रखवाली करने चले जाए और उस खेत की रखवाली कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि किसान कितना परेशान है, उसकी परेशानी का उस दिन पता लगेगा कि रात में रोज, जंगली सूअर, रीछ, मेरे अरावली क्षेत्र लगता है, मेरे क्षेत्र में एक किसान

(श्री केसाराम चौधरी)

अपने खेत की रखवाली कर रहा था, सिमाल का था, भंवरसिह पुत्र कूपसिह, रीछ आया और नोच-नोचकर उसकी आँख निकाल दी, पूरे बदन को नोच दिया। वह मरते-मरते बच गया। इस तरह से वह अपने खेत की रखवाली करता है। लेकिन उस किसान को शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया जाता, उसके खेत की रक्षा करने का उसे अधिकार नहीं है। यदि वह उस सूअर, जंगली जानवर या रीछ को मार दे तो उसे जेल जाना पड़ता है। इसी तरह से मेरे क्षेत्र का एक किसान जेल गया। उस पर सूअर ने अटैक किया, उसने उसका सामना किया। उसको जेल की हवा खानी पड़ी। इसलिए मेरा निवेदन है जैसे बॉर्डर पर जवान रक्षा करता है, उसकी जिस तरह से हिफाजत की जाती है, उसी तरह से खेत की रखवाली करते हुए किसान की हिफाजत हमारी सरकार को करनी चाहिए ताकि वह किसान अपनी फसल को बचा सके, जंगली जानवरों से बचा सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो पशुधन है, कृषि को नरेगा से जोड़ा जाय। जो नरेगा चल रहा है उसमें किसान को मजदूरी के लिए, इस वर्ष आप देखिए, नरेगा में मजदूर कम मिले। इसका कारण था कि राजस्थान प्रदेश में अच्छी वर्षा के कारण भगवान का दिया हुआ नरेगा चला और किसान ने उस मजदूर को 500 से 1000 रुपये तक मजदूरी दी। आप नरेगा में 150 रुपये देते हैं इसलिए कोई नरेगा में आने को तैयार नहीं था। ये आंकड़े बताते हैं। उस नरेगा के मजदूर को खेती से जोड़ दिया जाय ताकि उसकी मजदूरी नरेगा में सरकार दे और आधी मजदूरी किसान दे ताकि उसका किसान को जो लागत मूल्य पड़ रहा है उसमें कमी आ सके। मेरा अनुरोध है कि आप किसान को बिजली मुफ्त दें। जिस तरह से दूसरे स्टेट किसानों को बिजली फ्री दे रहे हैं उसी तरह से राजस्थान के किसान को भी बिजली मुफ्त दी जाय क्योंकि यहां की जो खेती है वह बहुत महंगी पड़ती है। (व्यवधान) अभी तो शुरू ही किया है माननीय सभापति महोदय, बोलने तो दीजिए।

मेरा निवेदन है कि जर्मनी सहित कई देशों में किसानों का खेती से मोहभंग होने से वहां की सरकार किसानों को सब्सिडी देकर कृषि में आ रही है। ऐसी नौबत राजस्थान में न आ जाय कि किसान को सब्सिडी देकर खेती

(श्री केसाराम चौधरी)

करानी पड़े। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आज जो किसान हर तरह से परेशान है। उसकी परेशानियों के लिए सरकार उसकी परेशानियों को कम करेगी तो वह अपनी कृषि के ऊपर जिंदा रह सकेगा।

आज आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में जिस तरह से दूध की खपत बढ़ी है, घी की खपत बढ़ी है, पशु घटा है, मगर आज जितना चाहो घी मिल जाएगा। यह कैसे संभव हो सकता है? माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा समय लूंगा।

श्री सभापति: समय बड़ा कीमती है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आज आप देख रहे हैं डेयरियों में इस तरह की गड़बड़िया मिली। गड़बड़ियों के कारण किसान के दूध का मूल्य कम है और बाजार में नकली दूध व अनेक प्रकार की नकली वस्तुएं मिल रही हैं उनके ऊपर सख्ती से पेश आना चाहिए। जो मिलावट करते हैं उन मिलावटखोरों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए।

इस वर्ष खरीफ की फसल 53 लाख किसानों की 73 लाख हैक्टेयर फसल और 30 लाख की 29 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि पर रबी की फसल बोयी गयी। फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो बीमा किया गया है उससे किसानों को काफी राहत मिली है। अभी जो वर्षा हुई उसके कारण से पूरा-पूरा लाभ किसानों को मिले।

(17.36 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2017-18 में किसानों की मांग के अनुसार 50 हजार मैट्रिक टन यूरिया तथा 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी की अग्रिम व्यवस्था की है और उसके लिए बजट में 27 करोड़ का प्रावधान करके आपने जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं।

किसानों को फव्वारा सिंचाई संयंत्र पर डीपीएपी एवं डीडीपी क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में किसानों को दिये जाने वाले अनुदान को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया है और 45 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया है। सामान्य श्रेणी के किसानों को 35 से बढ़ाकर 40 परसेंट अनुदान

(श्री केसाराम चौधरी)

किया है, मैं मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में पानी की कमी है, राजस्थान प्रदेश में पानी की कमी के कारण से खेती नहीं कर पा रहा है उसको पानी बचाने के लिए फव्वारा सेंटर व ड्रिप इर्रिगेशन में हंड्रेड परसेंट सब्सिडी देकर किसान की पूरी खेती को, जो बांध हैं वहां पर नहरों से पिलाई होती है उस पिलाई को रोका जाय तथा डिग्गी बनाकर फव्वारों से खेती की जाय ताकि जो कमाण्ड क्षेत्र है उसका डबल क्षेत्र उससे सिंचित हो सकता है और राजस्थान प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता है।

मैं निवेदन करता हूं प्रदेश में 1180 सेवा केन्द्र, विलेज नॉलेज सेंटर, बिजली, पानी फर्नीचर के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपये व्यय किये जाएंगे। मैं कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने गांवों में इस तरह की व्यवस्था कर किसान सेवा केन्द्र कम विलेज नॉलेज सेंटर खोलेंगे उससे किसान को कृषि की जानकारी मिलेगी और किसान अपनी खेती को नई तकनीक के आधार पर करके अपना उत्पादन बढ़ाएगा। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं।

कृषि विभाग के लिए आगामी वर्ष में 3156 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है जिससे कृषि क्षेत्र में जो भी नये आयाम आएंगे उसके लिए नई-नई तकनीकी लाएंगे। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि इजराइल में जिस तरह से कृषि का ज्ञान करने के लिए लोगों को भेजते हैं, लेकिन वे टेक्नीक नहीं देते हैं। वहां देखने से किसान का पेट नहीं भर सकता। उसको टेक्नीक देने के लिए यहां नई तकनीकी दी जाए ताकि किसान नई तकनीक से खेती कर सके।

एक सड़क नीमड़ी से बोपारी तक 5 किलोमीटर की सड़क है और वह कृषि मण्डी से जोड़ने वाली सड़क है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह 5 किलोमीटर की सड़क सोजत रोड कृषि मण्डी से स्वीकृति देने की मेहरबानी करें ताकि किसान इस व्यवस्था से जुड़ सके।

बीज के बिना किसानों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने मॉनसेंटो कम्पनी, जो विदेशों में ब्लेकलिस्टेड कम्पनी थी, उस कम्पनी से एग्रीमेंट करके उस मॉनसेंटो कम्पनी को यहां पर बीज लाने का दे रही थी

(श्री केसाराम चौधरी)

उसको आपने रोका, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बीटी कपास और बीटी बीज जो पैदा हो रहे हैं उससे खेतों में तीन साल तक फसल अच्छी आती है मगर तीन साल के बाद में उस जगह पर फसल उगती भी नहीं है। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज के लिए भी वैज्ञानिकों को कहकर इसमें जानकारी करवायें कि तीसरे साल के बाद में फसल नहीं उगती है तो ऐसे बीज किस काम के हैं जो एक बार तो फसल की अच्छी उपज दे देते हैं मगर बाद में वो फसल वहां पर नहीं होती है। मैंने प्रेक्टिकल देखा है और राणावास में कपास की फसल देखकर मैं दंग रह गया कि वहां पर तीसरे साल कपास उगने लायक भी नहीं रहा। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करता हूं कि ये जो बीज आ रहे हैं उनमें ऐसी कौनसी टेक्नीक डाली गई है जो 2-3 साल तक किसान को फसल की अच्छी पैदावार देता है जिससे किसान उसकी तरक लालायित होता है मगर बाद में वहां पर बीज भी नहीं उगता इसलिए यह देखने योग्य बात है। वैज्ञानिकों को भेजकर इस बात की जानकारी लेनी चाहिए ताकि किसान इस बात से बर्बाद नहीं हो जाए।

बीज परीक्षण प्रयोगशाला, यह जो बीजों की गुणवत्ता है उसमें किसान को अगर नकली बीज मिल गया तो उसकी सारी जिन्दगी की कमाई, एक साल में जो भी कमाता है वो सारा चौपट हो जाता है और उसकी मजदूरी भी नहीं आती इसलिए बीजों की गुणवत्ता की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। सब्जी बीज उत्पादन में मुख्य मंत्री जी बजट घोषणा वर्ष 2015-16 की अनुपालना में निगम द्वारा सब्जी, फलों एवं ग्वार, चौला, लोकी, तुरई, भिण्डी, सेमफली, गाजर, मटर, पालक आदि का लगभग 114.92 क्विंटल बीज का उत्पादन किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था आपने की है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए उन्नत किस्म के बीज पैदा करेंगे। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 2016-17 में भिण्डी और टिण्डा 4.50 क्विंटल और 2016 खरीफ ग्वार, सेमफली सब्जी फसल बीजोत्पादन कार्यक्रम में लगभग 80 क्विंटल सब्जी बीज उत्पादन सम्भावित है। मैं निवेदन करता हूं कि इसमें किसान को सही रूप से गुणवत्ता का बीज देकर हमारे प्रदेश में सब्जी की जो कमी हो रही है उस कमी को दूर करेंगे।

(श्री केसाराम चौधरी)

संकर मक्का बीज उत्पादन कार्यक्रम में 2015-16 में 110 क्विंटल प्रमाणित शंकर मक्का का बीज उत्पादन करने का आपका लक्ष्य था। इसी तरह से 2016-17 में 53 हैक्टेयर में प्रमाणित एवं 4 हैक्टेयर में अरहर, शंकर मक्का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है। यह जो कार्यक्रम लेते हैं तो बीज उत्पादन में पूरी निगरानी सरकार की होनी चाहिए क्योंकि बीज का उत्पादन तो कम होता है और दूसरी जगह से बीज लाकर मिलाकर सरकार को तुलवा देते हैं और थैलियों में पैक करके किसान को गुणवत्ता रहित बीज दिया जाता है। इसलिए उसकी पूरी-पूरी सावधानी के लिए ऐसी एक टीम बनानी चाहिए ताकि किसान को नकली बीज नहीं मिले और किसान उस बीज के कारण से बर्बाद नहीं हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए।

राज्य के बाहर बीज उत्पादन कार्यक्रम में आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में भी आपने बीज उत्पादन के लिए, ज्वार और बाजरा का बीज उत्पादन के लिए आन्ध्र प्रदेश से जो व्यवस्था की है मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ज्वार और बाजरा अच्छी किस्म का पैदा हो सकता है तो क्यों न हमारे राजस्थान के मरूस्थलीय प्रदेश में बाजरा बहुत ही अच्छा और गुणवत्ता का हो सकता है तो फिर हम दूसरे राज्यों पर क्यों निर्भर रहते हैं, इसकी भी जानकारी करें और इसको रोका जाए।

बीज विस्तार केन्द्रों की स्थापना - उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु चौमूं, बूंदी, प्रतापगढ़, बीकानेर, गुढ़ामालानी, बानसूर, सुल्तानपुर, भवानीमण्डी, अंता में अस्थाई भवनों में बीज विस्तार केन्द्र आरम्भ किये हैं उसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। आपने बीज विस्तार का यह कार्यक्रम लेकर किसानों के लिए जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आज राजस्थान में जिस तरह से किसान की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं जो आपने खोली हैं उसमें किसान की जमीन का टैस्ट किया जाता है। मनुष्य का टैस्ट करके बीमारी का पता लगाया जा सकता है उस तरह से आप यहां राजस्थान की धरती पर मृदा परीक्षण की नई तकनीक लाये हैं उसके लिए राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है। किसान की जमीन में कौनसे तत्व की कमी है और उस तत्व के कारण से खेती कमजोर हो रही है उसका उस

(श्री केसाराम चौधरी)

किसान को सही ज्ञान हो जाएगा ताकि यूरिया देना है या डीएपी देना है या देशी खाद देनी है उसकी व्यवस्था वो किसान कर सकेगा। ऐसा यह जो आपने मृदा परीक्षण किया है उसके लिए राजस्थान की पूरी जनता आपका आभार व्यक्त करती है ताकि किसान ऐसे ही अन-नैसेसरी, उस खेत में आवश्यकता ही नहीं है डीएपी या यूरिया की और वो देकर उस जमीन को खराब करता है तथा फसल भी कम मिलती है। इसलिए मृदा परीक्षण के कृषकों को गत तीन वर्षों में 21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये हैं उसके लिए राजस्थान सरकार का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जमीन में तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए एक लाख किसानों को मिनी किट वितरित किए जाएंगे। यह इस वर्ष जो नई व्यवस्था की है उसके लिए उस किसान को पहले से मृदा का परीक्षण करके जो उस किसान की कमी है उसमें मिनी किट बांटेंगे। उसमें मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो मिनी किट बांटते हैं वो समय पर बांटे जाएं, फसल बोने के बाद में किसानों को मिनी किट दिये जाते हैं और जो मिनी किट दिये जाते हैं उनको हमारे जन-प्रतिनिधि क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, उनकी देखरेख में बांटा जाए ताकि कृषि विभाग कहीं भी गड़बड़ी नहीं करे और उनके हस्ताक्षर के बिना नहीं दिये जाएं। जिसके जमीन भी नहीं है उसको मिनी किट देंगे तो उस मिनी किट का उपयोग ही नहीं होगा। उसको या तो वो बाजार में बेच देगा या किसी दूसरे किसान को देगा तो सही रूप में जिस किसान को आवश्यकता है उसको नहीं मिलता है। आप उसमें लघु और सीमांत का राइडर मत लगाइये ताकि किसान को सही रूप से बीज मिल सके। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पशुपालन के सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में पशुधन में गायों की जो हालत हो रही है उस गायों की हालत को सुधारना है तो निश्चित रूप से जो बछड़े हैं उन बछड़ों को किसी तरह से कोई न कोई वैज्ञानिक रूप में उपयोग नहीं लिया जायेगा तब तक आप गौशालाएं कितनी भी खोल दें, हम गौवंश को बचा नहीं सकते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा कोई विज्ञान के माध्यम से उपयोग किया जाए जैसे जिस तरह से पहले रहट चलाने में बैलों की आवश्यकता होती थी

(श्री केसाराम चौधरी)
उसी तरह से इन बछड़ों का भी किसी न किसी रूप में उपयोग हो और वो सस्ता हो ताकि उसकी तरफ अट्रेक्ट होगा, तभी गौ-पालन हर किसान करेगा नहीं तो किसान गौ-पालन करना चाहता है। मगर उसके जो बछड़े पैदा होते हैं उसको कहां दे? उसके लिए विषम परिस्थिति बन जाती है और ऐसी परिस्थिति में वो गौ-पालन नहीं करके हम गौशाला पर आधारित हो गये हैं। हम चाहते हैं कि हम गायों को बचाएं तो गायों को बचाने का मात्र एक ही रास्ता है कि इन बछड़ों की कोई न कोई उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कोई न कोई वैज्ञानिक कारण ढूंढा जाए ताकि इसका सही उपयोग हो सके और हमारा पशुधन बच सके। ऐसा निवेदन करते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36 ,37, 39 पर सदन में चर्चा चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लम्बे अरसे से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग यहां राज करते रहे हैं, किसान की बात करते रहे हैं पर धरातल पर जाकर हम आज भी किसान की स्थिति को देखना चाहें तो धरातल पर आज भी किसान को, हमारी किसी भी सरकार के आंकड़े जरूर बहुत अच्छे हो सकते हैं, हमारे बजट में आंकड़े बहुत अच्छे हो सकते हैं, हमारे अधिकारियों के दिये हुए आंकड़े आपके पास बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी स्कीम बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन अन्तिम छोर पर जहां किसान की बात हम करते हैं वहां लाभान्वित की अगर आप जाकर जांच करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में किसान के नाम से हम जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं वो किसान तक अंतिम छोर पर नहीं पहुंच पा रही है। हमारी सबसे बड़ी बात, किसान के नाम से अभी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की जहां बात हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी इस फसल बीमा योजना की बता यह है कि हमारे किसान का पैसा लगता है, हमारी राज्य सरकार का पैसा लगता है, हमारी भारत सरकार का पैसा लगता है और हम सब कहते हैं कि किसान के नाम से हम फसल बीमा में हमारा अनुदान और योगदान

(श्री मनोज कुमार)

दे रहे हैं पर वो योगदान और अनुदान हम किसी भी किसान को नहीं दे रहे हैं, वो अनुदान और योगदान दे रहे हैं तो सिर्फ बीमा कम्पनी को लूट करने के लिए दे रहे हैं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सवा तीन साल का समय तो आपका बीत गया है। इस किसान के नाम से केन्द्र सरकार ने, राज्य सरकार ने और किसान के द्वारा दिया जाने वाला पैसा आपने बीमा कम्पनी को कितना रुपया दे दिया और उसके बदले में आपने सवा तीन साल में किसान को कितना भुगतान करा दिया? यह बड़ा गम्भीर विषय है। अगर उनका आकलन आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में किसान के साथ, राज्य सरकार के साथ और केन्द्र सरकार के साथ सिर्फ बीमा कम्पनी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस फसल बीमा योजना में जो भी अनुदान राज्य सरकार देती है या केन्द्र सरकार देती है, वह किसान को उसके खाते में सब्सिडी के रूप में सीधा दिया जाये और किसान के खाते में देने के बाद बीमा के लिए उसको स्वतंत्र किया जाये। अगर किसान को ठीक लगता है तो वह बीमा करा ले। अगर उसको लगता है कि इस सरकार ने जो अनुदान हमें दिया है, उससे अगर वह संतुष्ट होना चाहता है तो किसान को बीमा कम्पनी के लिए बाध्य नहीं किया जाये कि किसान बीमा कराने के लिए मजबूर हो। वह अनुदान किसान के खाते में दिया जाये।

दूसरा, केसीसी के नाम से लम्बे अरसे से चल रहा है। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लोन दिया जा रहा है, उसकी पारदर्शिता हो। उस किसान को केसीसी लेते समय छह महीने तक लगातार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी आपके तहसील कार्यालय में, कभी आपके पटवारी के यहां, कभी आपको बैंक में। इसके लिए पारदर्शिता की जाये कि किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन दिया जाता है, वह समय पर दिया जाये, किसान की सुविधा अनुसार दिया जाये क्योंकि किसान दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान की बात हमने जरूर की। मैं कहना

(श्री मनोज कुमार)

चाहता हूं कि किसान के नाम से अनुदान की जितनी भी बातें आपने की। आप इस सरकार के साथ या केबिनेट की जब भी मीटिंग हो या आपके विभाग की जब भी मीटिंग हो, आप जितने भी अनुदान और सब्सिडी किसान को देना चाहते हैं, आप प्रचार के माध्यम से देना चाहते हैं। वह सारा का सारा आकलन करके, आप उन पर होने वाला खर्च और अंतिम छोर तक किसान को मिलने वाले लाभ का आकलन करें कि वास्तव में क्या हमारे अधिकारियों के बीच में और हमारी योजनाओं के बीच में प्रचार-प्रसार के माध्यम से हम खर्च जरूर कर रहे होंगे लेकिन किसान को उस सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए, वह आप इन योजनाओं की बात करते हुए जो लाभ देना चाहते हैं, वह किसान को सीधा दिया जाये।

आज आवारा पशु के नाम से हमारे सामने सबसे बड़ी गम्भीर समस्या किसान की खेती की है, आज के दिन आवारा पशु की हो रही है। किसान दिन-रात खेत में रहता है, लेकिन अगर एक मिनट का भी मौका मिल जाये तो सैकड़ों गायें उस किसान के खेत में अगर घुस जाये तो पूरा का पूरा खेत चौपट कर देती हैं लेकिन सरकार का उनके द्वारा कोई अनुदान देने का प्रावधान नहीं है। किसान को किसी भी तरीके से उसमें लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आवारा पशुओं को रोकने के लिए किसान के लिए कांजी हाउस जो पंचायतों में चल रहे हैं, उनको सुचारू रूप से चलाया जाये या किसान को अपने खेत की तारबन्दी और उसकी मेड़बंदी करने के लिए सरकार उसका सहयोग करे, ताकि आवारा पशुओं से किसान बच सके।

बीज वितरण के नाम से हर बार किसान को दिया जाता है कि बीज देंगे। उस समय देते हैं जिस समय किसान 70 प्रतिशत अपने खेत की बिजाई कर लेता है और यह बीज वितरण में भी कोई पारदर्शिता नहीं है। कोई कमेटी नहीं है, कोई जन प्रतिनिधि नहीं है। किसी को कोई पता नहीं चलता कि बीज वितरण कब किया जायेगा और किसको वितरण किया जायेगा? इसमें भी कोई गाइडलाइन नहीं है और किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाता है। जब इसकी चर्चा की जाती है कि किसान को आप किस आधार पर, किस गाइडलाइन पर दे रहे हो तो कहते हैं कि हम सिर्फ बीज की उपयोगिता जांचने के लिए दे रहे हैं। उस बीज की गुणवत्ता, किस तरीके

(श्री मनोज कुमार)

का बीज है, उसका उत्पादन कैसे अच्छा हो सकता है, इस जांच के लिए देते हैं, ना कि किसान को उसको सहयोग के लिए देते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि किसान के लिए बीज सरकार पूर्णत: मुफ्त करे और प्रत्येक किसान के लिए करे। आपका अच्छा बीज जिससे आपका उत्पादन अच्छा होता हो, वह बीज किसान को उपलब्ध कराया जाये। किसान जब बीज खरीदता है तो बीज खरीदने के समय बीज की जगह-जगह दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। बीज बेचने के बाद, किसान अगर खेत में बीज बोता है और फसल नहीं होती है तो किसान को अदालत में जाकर लड़ना पड़ता है। उसकी गारंटी यह हो कि अगर किसी भी बीज के दुकानदार ने बीज किसान को बेचा है और उस बीज के अंकुरित होने में अगर कमी है, बीज सही अंकुरित नहीं हो रहा है तो मुआवजे का प्रावधान उस कम्पनी के माध्यम से किया जाये जिस कम्पनी का बीज बेचा गया है। वह कम्पनी उस किसान को पूरा मुआवजा दे, नहीं तो बीज नकली होता है। वहीं पैक करते हैं बीज की दुकान वाले और किसान को हजारों रुपयों में बेचते हैं। इसलिए आप इस पर भी पूरा नियंत्रण रखें।

आज किसान को विद्युत कनेक्शन कृषि विभाग की बात करते हैं, हमेशा किसान की चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं किसान की आजछह वर्ष की पेंडेंसी चल रही है। विद्युत में 2010 के बाद किसान को कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। आवेदन 2016 तक के पेंडिंग हैं और किसान को आवेदन करने के बाद भी अगर छह-छह साल तक पेंडेंसी चलती है। इसका भी कृषि मंत्री महोदय, आप विद्युत विभाग से सम्पर्क करिये। आपके विभाग से इन लोगों को लाभान्वित करें जो कृषि विभाग में अपना कनेक्शन लेकर खेती करना चाहता है, उसको कनेक्शन समय पर दिया जाये।

जैसे मेरी राजगढ़ तहसील की बात करुं। वहां डार्कजोन की बात आती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र पांच या छह पंचायतों में पानी लगता है। मेरा पूरा चूरू जिला एकदम सूखा है। कहीं पानी की स्थिति नहीं है लेकिन आपने सब तहसीलों को डार्कजोन कर दिया। लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। अगर पीने के पानी के लिए भी बोरिंग बनाना हो तो भी परमिशन नहीं मिलती। इसलिए हमारी इस तहसील को और जिले को

(श्री मनोज कुमार)

डार्कजोन से मुक्त किया जाये क्योंकि वहां पीने के पानी की भयंकर समस्या है। वैसे ही पूरी तहसील में खारा पानी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपदा राहत में जो राशि किसान को दी जाती है, वह बहुत ही मिनिमम राशि है। उस राशि को बढ़ाया जाये। क्योंकि आपदा राहत में किसान को सिर्फ नाममात्र की राशि दी जाती है। किसान को नुकसान बहुत बड़ा होता है और उसको राशि बहुत थोड़ी मात्रा में दी जाती है इसलिए आप इस पर भी गम्भीरता से विचार करें कि इनकी राशि और बढ़ाई जाये।

प्रत्येक किसान का जीवन बीमा जिस तरीके से होता है, उस तरीके से किसान का सरकार पाँच लाख रुपये तक का बीमा कम से कम फ्री कराये क्योंकि किसान की मौत होने के बाद, किसान का आय का कोई दूसरा जरिया नहीं होता। इसलिए किसान ने कृषि मण्डी के माध्यम से करा रखा है लेकिन कृषि मण्डी के माध्यम से जो किसान को लाभ मिलता है, वह लाभ बड़ी मुश्किल से मिल पाता है क्योंकि उसमें पारदर्शिता नहीं है। डाक्टर की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट और उसके बाद जांच की जो प्रक्रिया है, अपनी मर्जी से करने के बाद माननीय कृषि मंत्री महोदय, एक प्रकरण तो मैं आपके पास भी लेकर आया था क्योंकि अपील का कोई प्रावधान नहीं है। अगर गलत तरीके से खारिज कर दिया मण्डी में तो उसकी अपील का कोई प्रावधान नहीं है और माननीय मंत्री महोदय, उस समय भी मैंने कहा था और अब भी कहना चाहता हूं कि आप इसमें कोई न कोई अपील का प्रावधान भी करें। अगर किसी किसान का बीमा वहां गलत तरीके से खारिज हो गया तो अपील के लिए कोई न कोई आप व्यवस्था करें। वहां उसकी सुनवाई हो। किसान को दुबारा उसकी राहत मिल सके।

समर्थन मूल्य की चर्चा चल रही थी। मैं कहना चाहता हूं, समर्थन मूल्य की बात, किसान को समर्थन मूल्य मिले और एक निर्धारित समय में नहीं, पूरे वर्ष भर आपकी मण्डी में समर्थन मूल्य पर खरीद की दुकानदारी चलनी चाहिए और समर्थन मूल्य से पहले कोई भी मण्डी का व्यापारी भी उससे नीचे ना खरीद सके। आपकी मण्डी में 12 महीने पूरे किसान की उपज को खरीदने का एक केन्द्र हो और उस फसल को खरीद सके उपखण्ड कार्यालय पर।

(श्री मनोज कुमार)

एक और मेरा सुझाव है कि किसान अपनी फसल को चाहे कोई भी मजबूरी हो, कोई भी कीमत हो, अगर किसान की मजबूरी होती है तो उसको अपनी फसल बेचनी पड़ती है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार उपखण्ड कार्यालय पर या पंचायत स्तर कार्यालय पर एक ऐसी भण्डारण व्यवस्था करे जो सरकार किसान का अन्न वहां भण्डारण कर ले और भण्डारण करने के सरकार किसान को उसकी एवज में अनुदान या लोन दे और जिस दिन किसान अपनी फसल का मूल्य जो खुली बोली के नाम से बिके, उस दिन वह किसान की वह राशि काट ली जाये और किसान की आवश्यकता की पूर्ति उस भण्डारण के माध्यम से सरकार यह व्यवस्था करे क्योंकि किसान के बारे में हमें गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। इसलिए एक उपखण्ड कार्यालय पर बहुत बड़े भण्डारण की व्यवस्था हो जिससे किसान की फसल, वहां अनाज इकट्ठा हो जाये। उसके बाद उसको लोन मिल जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए मण्डी में विश्राम गृह है। कई जगह तो है, कुछ जगहों पर है ही नहीं। अगर विश्राम गृहों की व्यवस्था को आप जाकर देख लें तो कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, एक भी विश्राम गृह आपका मण्डी में सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। कोई व्यवस्था उसमें नहीं है। इसलिए प्रत्येक मण्डी में आप किसानों के लिए विश्राम गृह हो और सुव्यवस्थित तरीके से हो जिससे आने वाले किसान को वहां पूरे दिन लाभ मिल सके।

विशेषकर मैं मेरे राजगढ़ की मण्डी में भूमि आबंटन का इश्यू है। आपकी जानकारी में भी होगा कृषि मंत्री महोदय, क्योंकि हाई कोर्ट तक भी वह चल रहा है। वह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अम्बार है। उसमें दुकानें गलत आबंटित कर दीं और दुबारा दुकानें आबंटन करने के नाम से, हमारी मण्डी के अंदर पांच-पांच लाख रुपये एक-एक किसान से और दुकानदार को आबंटित करने वाले से राशि ली जा रही है, तभी जाकर वे आबंटित हो रही हैं। आपके सामने भी है। हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है। कुछ अभी एक नई मण्डी और भूमि आबंटित करने का टेण्डर हुआ था, जिसको आपने रोका शिकायत के बाद।

(श्री मनोज कुमार)

(18.00 बजे)

इसलिए कहना चाहता हूं कि इसमें पारदर्शिता के साथ कृषि मंत्री महोदय, कहीं लूट न हो जाए किसानों के साथ अन्याय न हो जाए उसका भी आप ध्यान रखें। किसान की बीज की दुकानों का आ गया, अब मैं कहना चाहता हूं किसान की जिस तरीके से कर्ज माफी की बात माननीय प्रधानमंत्री महोदय और कृषि मंत्री महोदय केन्द्र सरकार के श्री राधामोहन सिंह जी ने घोषणा की थी कि यू.पी. में हम कर्ज माफ करेंगे। पूरी यू.पी. में पानी है। फसल वहां बहुत अच्छी होती है उसके बाद अगर भारत सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह मंशा है कि हमें कर्ज माफ करना चाहिए तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान की पूरी फसल बरसात पर आधारित है और बरसात पर आधारित होने के कारण हर पाँच साल में से तीन साल अकाल की स्थिति रहती है और किसान समय पर अपने लिये हुए ऋण का भुगतान नहीं कर सकता। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर केन्द्र सरकार की मंशा है माननीय सहकारिता मंत्री महोदय का तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था कि हम प्रस्ताव भेजेंगे केन्द्र सरकार को। मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द भेजें। अगर यू.पी. के साथ ही साथ इस राजस्थान के किसानों का 82 हजार करोड़ का कर्ज माफ हो जाए तो इस प्रदेश के 85 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिल जाएगा। इसलिए कृषि मंत्री महोदय, अगर आपके पास भी केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजने का हो तो इन किसानों के कर्ज माफी के लिए आप इस प्रस्ताव को भेजने की कोशिश करें। क्योंकि प्रदेश का किसान कर्ज से तंग आकर आत्महत्याएं कर चुका है। आपके सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी 2008 से 2015 तक हमारे इस प्रदेश में 2870 किसान आत्महत्या इस कर्ज के कारण कर चुके हैं, इसलिए कृषि मंत्री महोदय, चिन्तनीय विषय है कि हमारा किसान आत्महत्या न करे उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि अंतिम छोर पर आपके आंकड़े मैं फिर कहना चाहता हूं कि आंकड़ों पर न जाएं आप धरातल पर अगर चूरू जिले की बात करो तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरा जिला एक ऐसा जिला है जो एकदम सूखा जिला है। वर्तमान में चने की फसल बोई किसान ने 12 हजार रुपये क्विंटल में चना खरीदा और किसान की फसल पूर्णत: चौपट हो गयी, क्योंकि बरसात की कमी के कारण फसल नहीं हो पायी और आपके बीमा में

(श्री मनोज कुमार)
शामिल नहीं है इसलिए वो किसान आज बरबाद हो गया है। इसलिए उस किसान के लिए भी मुआवजे की कोई व्यवस्था हमारे कृषि मंत्री महोदय, जरूर विचार करना, क्योंकि अंतिम छोर पर अगर किसान को लाभ नहीं मिले, अगर अपने पुलिंदों में आंकड़ें खूब अच्छे हो जाएं तो उससे किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग की 2004 की रिपोर्ट 15 अगस्त, 2007 में लागू करने के लिए संसद में कानून बनाने हेतु विधान सभा में हमारा प्रस्ताव लेकर केन्द्र सरकार के पास भेजा जाए, जिससे हमारी उस रिपोर्ट को लागू किया जाए जिससे किसान ऋण मुक्त हो जाए, कृषि भूमियां जो बैंकों में गिरवी रखी हैं वो मुक्त हो जाए। सभी प्रकार की कृषि उपजों की लागत का पचास प्रतिशत लाभांश किसान को मिले। मंडियों तथा बाजार में नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से आरंभ हो और ग्राम स्तर पर वर्ष भर खरीद की गारंटी हो। इस तरीके से किसान के हित में ये फैसले सरकार ले जिससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष कर ये मेरी राजगढ़ तहसील में 56 ग्राम पंचायतें हैं और उन 56 ग्राम पंचायतों में 42 ग्राम पंचायतों में सहकारी सोसाइटी हैं। बाकी शेष बची पंचायतों में भी ग्राम सहकारी सोसाइटी समिति का गठन किया जाए और समितियों के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रखते हुए या तो उनको बैंक कर्मचारी के रूप में या उनका अलग सेपरेट कैडर बना कर के उन कर्मचारियों को उसके जीवनयापन के लिए उनकी व्यवस्था करें। क्योंकि उनके वेतन भत्ते का लाभ कर्मचारियों के रूप में नहीं मिलता है, क्योंकि वो लाभांश जो सोसाइटी से प्राप्त होती है उसी सोसाइटी के माध्यम से अपना जीवनयापन करते हैं। इसलिए उनका कैडर बनाया जाए और समितियों के ऑनलाइन की घोषणा भी हो चुकी है कि सारी समितियों को ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया है। समितियों को ऑनलाइन किया जाए कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि सारी समितियों को ऑनलाइन किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। क्योंकि किसान को पाबंद कर दिया कि वह बचत खाते के माध्यम से

(श्री मनोज कुमार)

लोन की राशि प्राप्त करे और बचत खाते से ग्रामीण किसान को तहसील हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है या तो ऑनलाइन करने के बाद किसान को सारे लोन वहीं से मिले, ताकि किसान को वहां नहीं जाना पड़े। और एक राशि माननीय सहकारिता मंत्री महोदय कह रहे थे कि डेढ़ लाख रुपये तक की राशि का बिना ब्याज के लोन हम सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी किसान को तीस हजार से लेकर चालीस हजार से ज्यादा राशि सरकार ने बिना ब्याज के उपलब्ध नहीं कराई है। वह डेढ़ लाख की राशि किसान को उपलब्ध करायें जो ब्याज मुक्त है और किसान को तीस से चालीस हजार रुपये देकर अगर आप यह कहना चाहते हो कि हमारी घोषणा में डेढ़ लाख रुपये है तो मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने जवाब में बतायें कि कितने किसानों को आपने डेढ़ लाख रुपये की राशि बिना ब्याज वाली दे रखी है। 30 से 40 हजार से ज्यादा किसी किसान को नहीं दे रखी है। इस राशि को भी सभी किसानों को पूरा दिया जाए। किसान को भुगतान सारा का सारा सहकारी समितियों से कराया जाए।

किसान की 'सहकार किसान कल्याण योजना' ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से करायी जाए वो बैंक के माध्यम से न करायी जाए। क्योंकि बैंक वाले 'सहकार किसान कल्याण योजना' जो रिश्वत दे देता है उसको तो समय पर लोन दे देते हैं और जो पैसा नहीं देता उसको समय पर लोन नहीं देते हैं। इसलिए यह 'किसान कल्याण योजना' भी सहकारी समिति से जोड़ी जाए और उसको लाभान्वित किया जाए और अवधि पार ब्याज की छूट माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अभी बजट में घोषणा की कि पचास प्रतिशत की छूट की जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि किसान वैसे ही मार झेल रहा है, अकाल की मार झेल रहा है और 18 तारीख को ओला और बरसात होने से और नुकसान हो गया इसलिए यह अवधि पार ब्याज की छूट पचास प्रतिशत से बढ़ा कर पूरी सौ प्रतिशत की जाए जिससे किसान को इस ब्याज और पेनल्टी से मुक्ति मिल सके। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक किसान की मृत्यु पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की बात भी इस बजट में की गयी है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि यह पेनल्टी ही

(श्री मनोज कुमार)

नहीं किसान की मृत्यु के बाद ऐसी बीमे की व्यवस्था की जाए कि जिस किसान ने राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक से लोन ले रखा है उस किसान का बीमा किया जाए और वह किसान की मृत्यु होने के बाद उस परिवार पर भार नहीं हो और उस बीमे के माध्यम से उस रकम को वसूला जाए जिससे किसान की मृत्यु के बाद उस परिवार पर वह राशि वसूलने का भार नहीं रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पेनल्टी ब्याज के लिए घोषणा की है, मैं कहना चाहूंगा कि बीमे के माध्यम से सरकार स्वयं किसान की मृत्यु के बाद उस ऋण का भार वहन करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन विभाग पर थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पशु उप केन्द्र खोलने की घोषणा की है। मैं कहना चाहूंगा माननीय कृषि मंत्री महोदय से कि आपने पहले भी कुछ उप केन्द्र और पशु अस्पताल खोलने की घोषणा की थी कुछ को क्रमोन्नत किया था, लेकिन आज तक उनके भवन नहीं बने। वहां आज तक कर्मचारी कोई नहीं लगा। न कम्पाउंडर लगा न डॉक्टर लगा इसलिए घोषणा से नहीं सबसे पहले तो आप जहां पहले घोषणा कर चुके हैं वहां डॉक्टर और कंपाउंडर की घोषणा करें उस भवन की व्यवस्था करें और इसके साथ ही साथ अब जो आप घोषणा कर रहे हैं इसके साथ ही साथ आप तुरंत प्रभाव से इन सभी जगह पर भूमि और भवन निर्माण की व्यवस्था करें। प्रत्येक ग्राम सभा में आप...।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, साहब। पशुपालक जो भी हैं उनके लिए बीमे का प्रावधान है लेकिन वो किसान गांव में पशुपालक अपना बीमा कराने के लिए लाभ कहां से ले ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि आपके पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी डाली जाए कि जो-जो पशुपालक हैं जिसके पशु हैं हमारी जनगणना में उन सभी पशुपालकों का बीमा किया जाए और उस बीमे की राशि भी सरकार वहन करे। क्योंकि एक छोटी सी राशि होती है अगर सरकार निर्धारित कर दे तो सरकार उसकी बीमा राशि भुगतान करे और पशुपालक का बीमा हो जाए तो एक पशुपालक मजबूत हो जाएगा। पशुपालक की जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार आपके वहां जितने भी पशुधन

(श्री मनोज कुमार)

सहायक लगे हुए हैं उनको भी पाबंद किया जाए कि वो गांव में जाकर अपनी योजनाओं का प्रचार करे। किसान तक जाकर अपनी बात बताये क्योंकि उनके पास काम बहुत कम रहता है। मैं माननीय मंत्री महोदय, धरातल की बात बताना चाहता हूं। आपके वो सिर्फ फोन के माध्यम से कहीं न कहीं अपने प्राइवेट लोगों का काम करने जाते हैं। लेकिन आम गरीब जनता का करने नहीं जाते हैं इसलिए कम से कम उनको पाबंद किया जाए कि जिस-जिस क्षेत्र में वो लगे हुए हैं उस क्षेत्र के पशुपालक के पास जाएं उनको सारी जानकारी दें और उनका लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मेरी बात सुनी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दलीचंद जी।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अनुदान की मांगों पर मांग संख्या-37, 39 व 36 के बारे में कुछ निवेदन आपके सम्मुख करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि बजट में किसानों के लिए सहकारिता, कृषि एवं पशुपालन के लिए क्षेत्र में सराहनीय कदम उठाये। पहली बार किसानों को मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो ओला में, जो सूखा में पैसा आया, एक पंचायत में 40-50 लाख के आस-पास पहली बार सीधा खाते में आया।

मैं आपदा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसानों को सीधा खाते में पहली बार पैसा मिला। किसी पंचायत में 40 लाख, किसी में 50 लाख। हमारे प्रधान मंत्री जी ने किसानों की सोच को ध्यान में रखते हुए पहली बार किसानों को इस तरह से पैसा दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैने जा जाकर बांटा। किसी को 20 हजार, 15 हजार रुपये मिला। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली के किसानों के लिये सही गुणवत्ता के बीज प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराया जाये। 4-5-10 किसानों को बीज दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं प्रत्येक किसान को पंचायत स्तर पर सही बीज दिया

(श्री दलीचन्द डांगी)
जाये। जो चरागाह भूमि है, जो बंजर भूमि है जिन किसानों के पास खेती के लिये भूमि नहीं है वहां उन किसानों को खेती के लिये आदेश, निर्देश दिया जाए। कृषि विभाग में किसानों के लिये कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की जाती है लेकिन उन योजनाओं की जानकारी किसानों को नहीं मिल पाती है। मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं लाभकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचनी चाहिये ताकि किसान उसका उचित लाभ उठा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र मूलभूत कृषि क्षेत्र है। वहां की मुख्य समस्या की ओर कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गांवों में नील गायों की समस्या बहुत जोरदार रहती है। रात को किसान को खेती की रखवाली करनी पड़ती है। जो तार किसान बांधते हैं, उसमें करंट लगाते हैं जिससे कई किसान मर जाते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई सब्सिडी दी जाये ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। किसान काफी मेहनत करके फसल तो उपजा लेता है लेकिन रातों रात नील गायें झुण्ड में आकर उसको नष्ट कर देती हैं, इस तरह के कई एक्सीडेंट हो गये हैं। इसको मनरेगा से जोड़कर किसानों की तारबंदी की कोई कार्य योजना सरकार बनाये। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिये नरेगा को कृषि विभाग से जोडा जाये ताकि किसानों को मजदूरों की सुगमता हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि मण्डी फतहनगर सनवाड में बहुत सारी सड़कें टूटी हुई हैं। मैं कई बार मांग कर चुका हूं। केन्द्र सरकार ने आठवें नंबर की मण्डी घोषित की है। फतहनगर मण्डी बहुत बड़ी मण्डी है, उसमें अनाज भी बहुत आता है। मैं मांग करता हूं कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर उप केन्द्र खोल कर सीधी खरीद की जाये। किसान खेती करता है 8 बोरी एक बीघा में नहीं बचता है, 80 बोरी नहीं बचता है तब 1 लाख 20 हजार रुपये होते हैं। 12 महीने उस किसान की भरपाई नहीं हो पाती है इसलिए मैं 25 रुपये प्रति किलो की मांग करता हूं। किसानों की फसल के भाव बढ़ाये जायें ताकि किसान व्यवस्थित हो सके।

कृषि सेवा केन्द्र के भवन निर्माण से वंचित पंचायतें लोपडा, सापेटिया, अम्बेरी, भलों का गुडा, बेदला के जर्जर भवन की मरम्मत कार्य किया जाये।

(श्री दलीचन्द डांगी)

कृषि उपज मण्डी फतेहनगर में कृषि माल का निर्माण किया जाये। सहायक कृषि अधिकारी साकरोदा, मावली प्रथम द्वितीय के कार्यालय का भवन निर्माण किया जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्र खोला जाये और उसमें खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाए। किसानों के खेत की मिट्टी की जांच के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर प्रयोगशाला खोली जाये ताकि जैसी मिट्टी वैसी फसल बोने में किसानों को सुविधा हो सके। वर्तमान में महंगाई के कारण किसानों का पालन पोषण भी नहीं होता है। उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाये ताकि किसानों को उपज का सही लाभ मिल सके। पंचायत स्तर पर फसल उपज खरीद के केन्द्र खोले जायें ताकि किसानों को उपज का सही दाम मिल सके। किसानों को सिंगल फेस और थ्री फेस कनेक्शन 3 हजार के ऊपर पेंडिंग पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे इधर 4-5 बीघा खेती है, उनको यह कनेक्शन दिया जाये और उनको टेम्प्रेरी कनेक्शन भी दिया जाये ताकि खेती में लाभ मिले। हमारे यहां मगरे, पहाड़ी एरिया है जहां जगह-जगह पोल भी नहीं जाता है। वहां सोलर लगाया जाये और उसमें 90-100 परसेंट सब्सिडी दी जाये। मैं आपसे मांग करता हूं कि किसानों के लंबित कृषि कनेक्शनों को अति शीघ्र जारी किया जाये। किसानों के लिये फसल बीमा योजना के लिये पंचायत स्तर पर केन्द्र खोले जाये। कम कृषि भूमि वाले किसानों को पोलीहाउस निर्माण के लिये राहत दी जाये। बड़े बड़े किसान ले लेते हैं। हमारे यहां एयरपोर्ट से उदयपुर जाते हैं वहां कई पोलीहाउस बने हुए हैं और वह चार साल पड़े हैं। इससे छोटे किसानों को फायदा मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। छोटे छोटे किसान पहले बैल से खेती करते थे, अब वह बैल भी नहीं रख पाते इसलिए ट्रेक्टर खरीद पर उनको सब्सिडी दी जाये। मेरे क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि विज्ञान सेवा केन्द्र खोला जाये। चंगेडी फतहनगर के पास 1500 बीघा जमीन है।

मेरे क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जाये इसकी मैं विशेष तौर से मांग रखता हूं क्योंकि वहां 75 प्रतिशत किसान रहते हैं। मैं मण्डी का चेयरमैन रहा था, आज वह मंडी भी डवलप है, उसको आठवें नंबर की मंडी घोषित की है। मैं मांग करता हूं कि वहां कृषि केन्द्र खोला जाये। किसानों को गुजरात

(श्री दलीचन्द डांगी)

पैटर्न के तर्ज पर सब्जियों के कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये अनुदान दिया जाये तो किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। कृषि मण्डी के काश्तकारों को वरीयता के आधार पर दुकान आबंटित की जाये। सब्जी मण्डी में किसानों को 10 परसेंट ही दुकानें आबंटित होती है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि 50 प्रतिशत दुकानें मण्डी में किसानों को आबंटित की जाए। बूंद बूंद सिंचाई योजना पर जो छूट है उसको बढ़ाया जाए और सौर ऊर्जा पर जो अनुदान दिया जाता है उसे भी बढ़ाया जाए। मेरे क्षेत्र में ज्यादातर किसान गेहूँ धान, ग्वार, बाजरा की खेती करते हैं, उसको निकालने के लिये 30 दिन के लिये जो थ्रेशर का कनेक्शन है उसको फसलवार दिया जाये और दरें भी सस्ती करायी जाये। कृषि कार्यों के अंतर्गत अच्छे बीज, ग्रीन हाउस, बूंद बूंद सिंचाई को फायदा दिया जाये। नगर पालिका फतेहनगर में भूदान की जमीनें पात्र व्यक्ति को दी जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 39 पर बोलना चाहता हूं। मंत्री जी ने पशुओं के लिये उप केन्द्र खोल कर बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। वास्तव में यह बहुत बड़ी मांग थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 पशु चिकित्सालय खुले, बाकी भी खुल जायेंगे। मैं मांग रखता हूं कि जो पद खाली पड़े हैं, उनको भरा जाये। उपकेन्द्र को पशुपालन चिकित्सालय में क्रमोन्न्त करें और जहां पशु चिकित्सालय नहीं है वहाँ मोबाइल यूनिट के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई जाये। बुखार के कारण हर साल हजारों बछड़े मर जाते हैं। इस रोग के निवारण हेतु टीकाकरण कराया जाये। आपने बहुत अच्छा टीकाकरण मावली क्षेत्र में करवाया। मुझे भी केम्पों में जाने का मौका मिला, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में पशु चिकित्सालय खेमपुर, साकरियाखेडी, थामला, डबोक है और उप केन्द्र वासनीकला, ढुढिया, होली, नामरी, टीलोरा, जैवाणा, बडियार, इनमें डाक्टर लगाये जाये।

श्री उपाध्यक्ष: सहकारिता पर भी बोलेंगे आप?

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): हां बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: तो फिर जल्दी आइए वहां।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फतेहनगर में जो वेयरहाउस है उसको बाहर शिफ्ट किया जाये, उससे काफी दिक्कत होती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली की मादगी ग्राम पंचायत समिति में भवन उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में किराये पर संचालित है। वहां पर गोदाम की स्वीकृति की जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समिति खोली जाये, आदरणीय आपने मझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जी।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 36 सहकारिता, मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपका बहुत बहुत आभार। उपाध्यक्ष महोदय, 80 के दशक से पहले कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकारी करे लाचार। आज कृषि की स्थिति ऐसी हो गई है कि उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, नीच खेती करे किसान इस स्थिति पर कृषि आ चुकी है और उसका कारण सरकार में जो नीतियां बन रही हैं.. उन नीतियों में जब तक किसान का बेटा, जो एक बीघा में कितना बीज चाहिए, कितना कीटनाशक चाहिए, कितना फर्टीलाइजर चाहिए? प्रैक्टिकल तौर पर जिसको ज्ञान हो और वह उसका वैल्युएशन करके न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने तक पहुंचे और समर्थन मूल्य इस तरह से तय करते कि उसमें कम-से-कम लागत आंकते हैं। कई जगह नहरों से पानी मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, उस पर वे कम-से-कम दर निकाल कर वे पूरे देश के लिए तय करते हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जहां पांच सौ से सात सौ एवं हजार फिट गहराई तक पचास और साठ HP के पम्प लगाकर बिजली से पानी निकाल कर सिंचाई करते हैं। उस किसान के लिए खेती इतनी महंगी साबित हो जाती है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा कि उनको वापस जब उनकी उपज का पैसा मिलता है तो उसको निश्चित रूप से आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ जाता है।

मैं इस मौक़े पर, जो मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा था कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, वह पूरा कृषि पर निर्भर है। उसमें जो हमारा उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है, जो पूरे प्रदेश का करीब 61 परसेंट रकबा है।

(श्री अर्जुन लाल)

उसमें सिर्फ वर्षा पर आधारित खेती है और 39 प्रतिशत खेती रबी पर निर्भर है। मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 105 बिंदु पर दिया है कि 'कृषि विभाग के लिए आगामी वर्ष में 3 हजार 156 करोड़ 61 लाख रुपए प्रस्तावित हैं" और आज मंत्री महोदय ने जो डिमांड यहां पर रखी है वह 2748.13 करोड़ रुपए की रखी है। इस 400 करोड़ का डिफरेंस, अभी जब वे जवाब देंगे तब बतायेंगे कि यह चार सौ करोड़ का डिफरेंस कैसे आया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी, 2015 को सूरतगढ़ के अंदर 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' का विजन रखते हुए soil health card का शुभारम्भ किया था और उसके तहत हमारे प्रदेश में करीब 29 लाख कार्डों का वितरण हो गया है और भूमि के अंदर जो क्षारीय तत्व है या और कोई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी थी, उनकी पूर्ति के लिए अभी बजट में एक लाख किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिट देंगे। उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

इसके साथ-साथ राज्य में पहली बार 9 और 11 नवम्बर, 2016 को जयपुर में “Global Rajasthan Agritech Meet” का आयोजन किया था और उसमें करीब 58 हजार किसानों के सहित 38 निवेशकों के द्वारा राज्य सरकार के करीब 4400 करोड़ के एम.ओ.यू. प्रस्तावित किए गए थे। अब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक संभाग स्तर पर खेती के नए तरीकों एवं उन्नत वैश्विक तकनीक से रूबरू करवाने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। ऐसा करके किसानों को एक अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और मुझे खुशी है कि केंद्रीय कृषि मंत्रीजी आए हुए थे, उन्होंने मेरे बिलाड़ा क्षेत्र की डेयरी को प्रथम स्थान दिया था, को-ऑपरेटिव क्षेत्र में भी बिलाड़ा को प्रथम स्थान दिया था और जब पशुओं का जब इंस्पेक्शन चल रहा था तो बिलाड़ा का घोड़ा भी प्रथम स्थान पर था, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए थी। बिलाड़ा क्षेत्र के बौरूंदा गांव के देवासियों के ऊँट को भी सैंकिण्ड स्थान मिला था। तो इस ढंग से बिलाड़ा क्षेत्र निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश में अग्रणी है।

को-ऑपरेटिव क्षेत्र में इसलिए अग्रणी है क्योंकि वहां के जो किसान हैं,

(श्री अर्जुन लाल)

वे व्यावहारिक तौर पर समय पर इनका ऋण वापस जमा करा देते हैं और व्यावहारिकता रखते हैं। इसलिए उनको बीज, कीटनाशक समय पर उपलब्ध हो जाता है और वहां पर पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है। मैं सहकारिता मंत्री से आग्रह करुंगा, निवेदन करुंगा कि अभी हाल ही में प्रदेश में जो मूंग के खरीद केंद्र बने थे, उसमें प्रदेश में सबसे ज्यादा मूंग बिलाड़ा क्षेत्र से आया है, करीब दो हजार मैट्रिक टन। बिलाड़ा क्रय केंद्र पर राजफैड के 51 करोड़ रुपए बाकी है और पिपाड़ शहर के क्रय केंद्र पर 25 करोड़ रुपए अभी बकाया है। तो आप निश्चित रूप से इसके भुगतान की कार्यवाही करके किसानों के हित में यह पैसा शीघ्र भिजवायेंगे।

डेयरी के अंदर मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि गत सरकार ने दो रुपए प्रति किलो दूध की बिक्री पर, पशु पालकों को अनुदान के रूप में राशि देना तय किया था। लेकिन किसी कारणवश वह एक गबन के रूप में साबित हो गया। इसको एक निश्चित तौर-तरीके से वापिस किसानों को दो रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दूध का अनुदान दिलाएं। मान लो हम उस हिसाब से नहीं दे सकते हैं तो आजकल भामाशाह कार्ड लगभग सबके बन चुके हैं। पशुपालक डेयरी या दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, उनके मेम्बर्स हैं और उनके कार्ड बने हुए हैं। उनको उसके अनुसार आप अनुदान दिलाएं या जो पशु आहार हैं, उनकी रेट भी बहुत ज्यादा है तो फिर पशु आहार में दो रुपए प्रति किलो के अनुसार या एक रुपए प्रति किलो के अनुसार अनुदान राशि किसानों को दी जाए, पशु पालकों को दे दी जाए। देश में वैसे भी सबसे ज्यादा दूध राजस्थान से जा रहा है, निश्चित रूप से इससे और बढ़ोतरी होगी और प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को इससे लाभ मिलेगा।

इसके अलावा मेरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मंत्री महोदय को सुझाव है। हालांकि, यह केंद्र सरकार के स्तर पर है। इसमें आपने अभी दो व डेढ़ परसेंट खरीफ और रबी के लिए प्रीमियम राशि तय की है और पांच परसेंट वाणिज्यिक फसलों के लिए प्रीमियम राशि निर्धारित की है। पहले जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना थी। क्रोप कटिंग का मामला था। क्रोप कटिंग करके आप उसमें से उपज निर्धारित करते थे। अभी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। मान लो एक बीघा में जीरा एक क्विंटल एवरेज उपज होती

(श्री अर्जुन लाल)

थी लेकिन न्यूनतम साठ किलो आपने जीरा मान लिया। फसल खराब होती है तो साठ किलो जीरा निकल जाता है, काश्तकार को भले ही 40 परसेंट नुकसान हुआ है, लेकिन उससे उस काश्तकार को बीमा का पैसा नहीं मिलता है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको वापस क्रोप कटिंग के आधार पर या जो उपज निर्धारित की हुई है, उसके अनुसार इसका वापस सर्वे करवाएं। क्योंकि हो सकता है कि यह पहले की निर्धारण हो। अब नई तकनीक आई है। नए पेस्टिसाइज, फर्टिलाइजर उनको दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से फसल के उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। आपने जो उपज मात्रा निर्धारित की है, उस उपज की मात्रा दर बढ़ाई जाए। ताकि किसानों को फसल बीमा सही ढंग से मिल सके।

इसके अलावा मैं मेरे क्षेत्र की बात करुंगा। बिलाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा कॉमर्शियल क्रॉप है सौंफ, मैथी, सुआ। मैथी भी दो प्रकार की है हरी और पीली मैथी, दोनों प्रकार की उपज वहां सर्वाधिक होती है। इनको इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित करवाएं। बिलाड़ा में सौंफ मण्डी स्थापित करवाने के लिए आप कोई कार्यवाही करें। हालांकि अभी जो बेमोसम की बरसात हुई, ओले भी पड़े हैं, अधंड भी आया है उसकी वजह से मेरे क्षेत्र में जीरा, ईसबगोल, सौंफ, मैथी, सुआ, यह सारी फसलें खराब हो चुकी है। किसान इससे जबरदस्त परेशान है। एक टीम का गठन करके मेरे क्षेत्र में भिजवाएंगे तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा मिलेगा। इसी के साथ सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि प्रत्येक जीएसएस या लैम्पस है उसके ऊपर एक गोदाम का निर्माण करवाने का आप प्रयास करेंगे। समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपकी शान में जो गुस्ताखी हो गई उसके लिए पुन: माफी चाहता हूं। आपने मुझे समय प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि पर काफी चर्चा हो गई। मुझे एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म का एक गीत याद आ रहा है किसान की दशा के ऊपर। मेरे ज्ञान में 1957 में एक आइकोनिक फिल्म आई थी मदर इंडिया। 1957

(श्री नवीन पिलानिया)

में उसका नोमीनेशन आस्कर के लिए हुआ। उस वक्त लेट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को संसद में वक्तव्य देना पड़ा कि असलियत में किसानों की यह दुर्दशा है क्या। एक ही पंक्ति है, गीत इस प्रकार है,

जीवन में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,

जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।

आज प्रदेश में किसान की जो हालत है, उसका जीवन जहर पीने से कम नहीं है। मैंने पिछली दफा बहुत आंकड़े भी बताए, इस बार ज्यादा आंकड़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़ी तकलीफ हो जाती है माननीय उप सचेतक महोदय को। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, उन्होंने मुझे टोका था। आज मैं अर्ज करना चाहता हूं बजट स्टडी 2017-18 से ही बोल रहा था। पुन: वह आंकड़े स्पष्टीकरण के लिए, सिर्फ संक्षिप्त में, लंबे तौर पर नहीं। आप कृपया उसका पेज खोल लें। पेज नम्बर है 46, टेबल नम्बर है 4.1 ईयर वाइज रिवाइज्ड प्लान आउटले यह पढ़कर बताया था, ये आंकड़ें उसमें लिखे हुए हैं। 2014-15 में 4 हजार 127 ...(व्यवधान)... यह कृषि के आंकड़े हैं साहब, कृषि and allied sector, my dear Sir. कृषि विभाग। सुनें तो सही। मैं आज बहुत प्यार से चालू कर रहा हूं। 2014-15 का आंकड़ा मैंने बताया था 4 हजार 127 और अगला पेज है एक्सपंडीचर का, उसमें खर्च हुआ था 3 हजार 487 करोड़, यह करोड़ों में आंकड़ें हैं। आप 2014-15 में खर्च कर नहीं कर पाए थे 460 करोड़ माननीय मंत्री महोदय। मैंने 2015-16 का आंकड़ा बताया था, इसी में है वही टेबल 4 हजार 144 का रिवाइज्ड प्लान आउटले था और एक्सपंडीचर आप कर पाए 15-16 में, वह 3 हजार 271 करोड़, और जो नहीं कर पाए वह था 873 करोड़ । इस साल का मैंने आंकड़ा बताया था जिस पर मैंने कहा था कि अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा पूरा सदन। वह आंकड़ा इसी में लिखा हुआ है 2016-17 में 5 हजार 44 करोड़ का रिवाइज्ड प्लान आउटले, यह सामने पड़ा है। 46 नम्बर पेज पर। माननीय उप सचेतक महोदय, पेज नम्बर 47 खोलेंगे तो इस साल का उसमें दिसम्बर तक का खर्च लिखा हुआ है जो एक हजार 756 करोड़ है। दिसम्बर तक 3 हजार 288 करोड़ खर्च नहीं कर पाए हैं। इस कारण से इस प्रदेश में किसान की यह हालत है।

(श्री नवीन पिलानिया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी विडम्बना है कि किसान जब पैदा होता है तो कर्ज में पैदा होता है। उसका पूरा जीवन कर्ज में निकल जाता है। वह जब मरता है तो कर्ज का बोझ अपने सर पर लेकर मरता है, यह हकीकत है। उस महकमें में हम 3 हजार 200 करोड़ रुपये दिसम्बर तक खर्च नहीं कर पाए, यह अचम्भा है।

मैं और आंकड़े नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पिछली दफा बता चुका था लेकिन मैं इतना जरूर बताता हूं कि किसान सब्सिडी के लिए मरता है, उसे पूरी सब्सिडी नहीं मिलती है, उसके बावजूद 2016-17 का 51 नम्बर पृष्ठ है। कृषि की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट थी वह यह बताती है भौतिक प्रगति। माननीय कृषि मंत्री महोदय, जरा गौर फरमाएंगे ? लूणकरणसर से आने वाले विधायक ने भी उसमें कुछ प्रकाश डाला था। पाइप लाइन थी उसका आंकड़ा इन्होंने बताया था, मैं भी आपको बताता हूं, 7 हजार 403 किलोमीटर था। 7 हजार 400 किलोमीटर आपको अचीव करना था, आप 2 हजार 524 किलोमीटर कर पाए हैं। यह तो वह है जो आप मुश्किल से कुछ सब्सिडी देते हैं और उसमें भी आप साल में कुछ अचीव नहीं कर पाते हो। डिग्गियों में भी 7500 डिग्गियां आपको बनवानी थी आप एक हजार 668 बना पाए हो। फार्म पोण्ड 9 हजार बनाने का लक्ष्य था आप 2 हजार 453 बना पाए हो। कृषि यंत्र आपको बांटने थे, 21 हजार का लक्ष्य था उसमें से 5 हजार 267 ही। पौध सरंक्षण यंत्र बांटने थे 47 हजार 600 का लक्ष्य था और 7 हजार 540 ही बांट पाए हैं। तो ऐसे कैसे पार पड़ेगी साहब? जब माननीय मुख्य मंत्री महोदया आपको कृषि के लिए बजट प्रदान कर रही है, वह भी विडम्बना है इस स्टेट की ग्रोस जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान 26.50 परसेंट है। 26 परसेंट जो आपको दे रहा है जिस पर 60 परसेंट इस प्रदेश की आबादी निर्भर है, उसको प्रावधान मिलता है केवल 5 प्रतिशत बजट में। उसके भी अगर यह हाल है तो फिर भयावह हाल है। मैं कहता हूं बाकी जो प्रदेश है, छोटे-छोटे प्रदेश है, हमसे बहुत छोटे प्रदेश है उनमें किसान फिर भी खुशहाल है। इस पर कुछ गौर फरमाइएगा। अब बहुत कम वक्त बच गया है, आपसे विनती है इन हालात को सुधारिएगा।

(श्री नवीन पिलानिया)

मैं इसके साथ-साथ, चूंकि समय की सीमा रहेगी, मैं जान सकता हूं। एक और चीज पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री महोदय, इस दफा खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो गई, मुझे अफसोस है आंकड़े पर तो अभी आता हूं यह किताब है जो कहती है बजट एट ए ग्लान्स 2017-18, उप सचेतक महोदय, फिर आप ध्यान ले लें। आप मशगूल हैं किसी चीज में। फिर आप मुझे टोक देंगे।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, मैं टोक नहीं रहा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): धन्यवाद। इसी में "Highlights of Schemes/Projects Outlay 2017-18". Sector-wise Highlights; उसमें दूसरी पंक्ति पर ही लिखा है Provision of 700.00 crore for Weather based Crop Insurance Scheme. 2017-18 में लिख रहे हैं। 700 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं, कृषि मंत्री महोदय, और लिख रहे हैं 700 करोड़ किसके लिये प्रावधान कर रहे हैं, Weather based Crop Insurance Scheme, यह तो खतम हो गई न, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी मेरी जानकारी है, बाकी तो मंत्रीजी और बता देंगे। मुख्य मंत्री के बजट में साफ अंकित है, इनकी किताबों में अंकित है, खरीफ-2016 से प्रदेश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू हो गई। यह 700 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं Weather based Crop Insurance Scheme, कमाल नहीं है, साहब।

मैं अब एक चीज ही और पूछना चाहूंगा। मैं फसल बीमा पर पहले बहुत आंकड़ों पर बोल चुका। मैं सिर्फ अब के मेरे पास आंकड़े, अभी तक आपने जितनी किताबें छापी हैं, सब कुछ किया है, उन सबको टटोल लिया, उनमें जो मेरे को मिला है अभी तक, वह केवल खरीफ-2016 का आंकड़ा मिला है, जिस पर लिखा है फसल बीमा योजना के तहत 53 लाख 10 हजार किसानों का बीमा किया गया। इससे पहले वाला जो साल था, खरीफ-2015, उसमें जो कुल बीमित किसान थे, वह थे 64 लाख एक हजार। माननीय कृषि मंत्री महोदय, यह 11 लाख किसान कहां गये? इन 11 लाख किसानों का बीमा क्यों नहीं हुआ, साहब? कहीं ऐसा तो नहीं है, जितनी मेरे को जानकारी है, सितम्बर के आखिरी में आपके विभाग ने और जिला प्रशासनों ने सिर्फ दो दिन का समय दे करके एक नोटिस निकाल दिया था, दो दिन के अन्दर-

(श्री नवीन पिलानिया)
अन्दर हमारे को यह सारे आंकड़े भेज दीजिये। क्या इस कारण से तो ये 11 लाख किसान वंचित नहीं रह गये। ऐसा तो है नहीं कि ये 11 लाख किसान, जो खरीफ-2015 में थे, वे यहां से गायब हो गये हों। फिर, अचम्भे की बात यह है कि इस साल जो आप बताते हैं, टोटल प्रीमियम, केवल खरीफ का बोल रहा हूं, रबी का आपने जिक्र तक नहीं किया, रबी की फसल आधी कट गई, गेहूं के अलावा सारी फसल कट चुकी है। उसका कहीं जिक्र नहीं है। आपने कितने किसानों का बीमा किया, कितनी बीमित राशि थी, क्या आपने प्रीमियम लिया? खरीफ का आपने जिक्र किया है, कुल प्रीमियम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2381.76 करोड़, जो पिछली खरीफ की तुलना में, पिछली खरीफ में 571 करोड़ थी, एक साल में चार गुना ज्यादा प्रीमियम। जबकि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना यह कहती है कि इसमें प्रीमियम की दरें कम हुई हैं। डेढ़ और दो प्रतिशत की दर है और वाणिज्यिक पर पांच प्रतिशत है। फिर यह आंकड़ा कैसे आया, इसके आगे एक्सप्लेनेशन नहीं है। रबी-2017, जो खतम होने जा रहा है, उसका तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। मैं निवेदन करुंगा कि इस पर जरा प्रकाश डालें, जब आप बोलें।

और बिंदु भी हैं तो मैं थोड़ा ध्यान, क्योंकि समय कम रहेगा, हमारे जो सहकारिता विभाग के मंत्री महोदय हैं उन को भी कुछ नजर करना चाहूंगा। माननीय सहकारिता मंत्री साहब, सबसे पहली चीज मैं यह पूछना भी चाहूंगा, आप अपने जवाब में स्पष्ट करें, जो अल्पकालीन ऋण हैं, शोर्ट टर्म लोन, जो ब्याज मुक्त होता है, उसके बारे में माननीय सदस्य भी अभी बोल रहे थे, 2014-15 में, वह जो ऋण है, वह डिस्बर्स हुआ, वितरित हुआ, 16017 करोड़। 2015-16 में यह घट गया, वह हो गया 15441 करोड़। इस साल क्या कारण हुआ कि इस साल केवल 9656 करोड़, इतना बड़ा 4844 करोड़ का फर्क। यह कैसे आ गया। फिर आप सोचते हैं क्या कि किसान जीवित रह जायेगा। यह सही फरमा रहे थे, माननीय सदस्य, अभी यहां थे, डेढ़ लाख आप बोलते हैं कि आप देते हैं, वह 30-30 हजार रुपये मिले हैं। आप उसको ऋण दे नहीं सकते, पैसा जो लगना है वह लगा नहीं सकते तो फिर किसान सर्वाइव कैसे करेगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर चिंता का विषय है। बारबार इस पर चर्चा हो जाती है। लेकिन कुछ नहीं निकलता है।

(श्री नवीन पिलानिया)

कृपा करके इस चीज को भी दर्शायें कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है कि आप भारत सरकार से पैसा नहीं ले सके। आपने पहले आउट ले नहीं किया या कोई नोटबंदी का ऐसा असर हो गया कि दिसम्बर में आ करके ही सारी चीज ही ठप्प पड़ गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज जरूर मैं इंगित करना चाहूंगा, सहमत होते हों, चाहे नहीं होते हों। असली स्थिति यह थी कि गांवों में नोटबंदी के बाद किसान सबसे ज्यादा परेशान हुआ है। क्योंकि किसान का जितना भी लेन-देन होता है वह ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंकों से होता है, राजकीय को-ऑपरेटिव बैंकों से होता है, केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों से होता है और उन सब बैंकों का ट्रांजेक्शन बंद कर दिया गया। न एक पैसा जमा करा सकता, न एक पैसा निकाल सकता। तो सबसे ज्यादा जो पीड़ित हुआ, वह किसान हुआ। हालात यह बन गये थे कि चारे को मोहताज हो गया, ब्याज पर पैसा ले करके चारा खरीदना पड़ा। चारा पेटीएम से आता है क्या? साहब। मेरे को कोई चारा खरीद करके तो बता दो, पेटीएम से आता है क्या? कोई खरीद कर बता दे, पेटीएम से चारा अगर मिलता हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छे दिनों की बात करते थे। गांवों में किसानों की लुगाइयां बोलती हैं कि इससे बुरे दिन हमने नहीं देखे। नवम्बर से लेकर मार्च तक सब्जी के भाव एक और दो रुपये से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। लाखों-लाख रुपये का नुकसान किसान खा रहा है। उसका दर्द जा करके तो देखियेगा। जब आप जाएंगे, तब वह बताएगा। आज तो लाचार है, मजबूर है, वह कुछ कर नहीं सकता।

अब मैं आता हूं, सिर्फ दो बिन्दुओं पर। मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आपको टोकने का मौका नहीं दूंगा। क्योंकि आप मेहरबानी करते हैं तो मैं वह गुस्ताखी भी नहीं करुंगा। मैं सिर्फ इस चीज पर आना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत दफे समर्थन मूल्य की बात हुई।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उत्तर प्रदेश में तो किसान नहीं हैं न?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): हैं जी, साहब।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उत्तर प्रदेश में किसान रहते ही नहीं हैं। केवल राजस्थान में ही रहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, उत्तर प्रदेश की क्या बात आ गई, साहब। आपको उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या। ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं, आपको नहीं दिखता है। ...(व्यवधान)... आपको कुछ नहीं दिखता है उत्तर प्रदेश के अलावा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उत्तर प्रदेश में आज सरकार ने 18 हजार करोड़ के किसानों के कर्जे माफ कर दिये हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ऐसा है, यहां क्या करवा लोगे आप। अजी साहब, यह तो आने दीजिये। आज तो आपने घोषणा की है। उसका विश्लेषण करके भी बताऊंगा कि असलियत में वहां क्या हुआ होगा। यह बोल रहा हूं न प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पर, जो दो साल से लागू है। इसके आंकड़े पेश नहीं कर सकते आगे आकर।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं तो आपको केवल इतना कह रहा था कि आपने नोटबंदी का उदाहरण दे करके किसान की पीड़ा बताई।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरे समय में यह इन्क्लूड नहीं होगा, सर। ...(व्यवधान)...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): डेढ़ परसेंट, किसान से पहले आठ परसेंट प्रीमियम लेते थे, अब डेढ़ परसेंट लेते हैं। उसकी भरपाई चार परसेंट सरकार करती है, इसलिये मदद की बात है। ...(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): यह मेरे समय में काऊण्ट नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जो बीमे की बात है, वह बारानी का बीमा नहीं होता है। गेहूं का बीमा होता है, जो सिंचाई कम होती है, इसलिये बीमा 11 लाख कम हो गया। ध्यान भी है कि नहीं आपको। ...(व्यवधान)... 84 लाख की जगह 51 लाख इसलिये हो गया कि गर्मी में गेहूं पैदा नहीं होता था। जहां सिंचाई होती है, वहीं गेहूं होता है वहीं बीमा होता है। आपको ध्यान भी है कि नहीं इस बात का।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये हमारे गुरुजी हैं, सुन लो। पूरा प्रवचन सुन लो आप।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समय मेरे में इन्क्लूड नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप, एक मिनट विराज जाओ। और कितने कृषि मंत्री यहां मौजूद हैं, वह सब अपना-अपना जवाब पेश कर दें। ...(व्यवधान)... मैं यह मानता हूं कि सदन में कृषि मंत्री तो एक है लेकिन कृषि पण्डित कई हैं। इसलिये अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव आप अपने मंत्रीजी को दे दें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं तो केवल यह बता रहा था कि ये इस बीच में नोट बंदी का उदाहरण ले करके आये हैं। इसीलिये मैंने आपको टोका था कि नोटबंदी का असर केवल राजस्थान में ही हुआ है, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, यह बात आपको समझा रहा था।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं अपने प्रदेश की बात रख लूं तो ही बहुत है। मुझे समय इतना सा ही मिलता है। बाकी मैं यू.पी. का भी पूरा विश्लेषण कर सकता हूं। आप मुझे समय प्रदान करिये। वह विश्लेषण भी करके रख दूंगा। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें। बात सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित रहेगी। किसी को उत्तरप्रदेश के भ्रमण में जाने की अभी इजाजत नहीं है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बहुत मेहरबानी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दो-चार मिनट खराब हुए हैं, यह मेरे खाते में न डालिएगा लेकिन मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं हमारे विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने ....(व्यवधान)....

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोटबंदी तो पूरे देश में लागू हुई थी। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, यह जानकारी पहली बार हमें मिल रही है। ....(व्यवधान)....

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि

(श्री नवीन पिलानिया)

माननीय सदस्य, आप गेहूं की बात कर रहे थे, मैं जो आंकड़ा बता रहा हूं वह खरीफ का बता रहा था। खरीफ में 11 लाख किसान कम हो गया। गेहूं तो अब हो रहा है रबी में, उसका तो आंकड़ा ही नहीं दिया। मैं सीधा अब जिस पर बहुत चर्चा हुई और जिस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को तो हम कह-कह कर मर गये, वह तो यह लागू नहीं करेंगे, मैं यह जानता हूं लेकिन जो एम.एस.पी. पर परचेज है, पहली चीज- मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हो और फिर जो भी अंकित है, उस पर परचेज क्या होती है, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, कृपा करके थोड़ा सा गौर फरमाएं। आप ही की किताबों से आंकड़े लेकर बोलता हूं। एम.एस.पी. पर जो गेहूं की खरीद की गयी। wheat, रबी 2014-15 में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 21.36 लाख टन, 21 लाख 36 हजार टन, यह हुई 2014-15 में, 2015-16 में रबी गेहूं की जो खरीद हुई वह 13 लाख टन, कितनी घट गयी? यह आप निकाल सकते हैं और 2016-17 में, 2016-17 का माननीय मंत्री महोदय, आप सुन कर दंग रह जाएंगे 7 लाख 61 हजार टन, तीन साल में 2014-15 में 21.36 लाख टन थी, फिर घटकर 13 लाख टन हो गयी और 2016-17 में 7 लाख 61 हजार टन, क्या कहेंगे आप? आपको 'कृषि कर्मण' अवार्ड मिला है गेहूं के लिए, उसका आपने बहुत बखान किया था। 72 लाख टन गेहूं का उत्पादन है, यह तो कृषि मंत्री जानते होंगे, इनके पास आंकड़ा है तो मुझे यह बताना साहब, कि 72 लाख टन जब आपका होता है तो 2016-17 में आपने 7 लाख टन ही एम.एस.पी. पर क्यों खरीद करी? यह जवाब जरूर मैं चाहता हूं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): सब बताएंगे।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बिलकुल बताइएगा और मैं और आइना दिखाता हूं। मैं यह आइना दिखाता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस कांफिडेंस से मैं प्रभावित हूं कृषि मंत्री महोदय से कि वह इतने कांफिडेंस से बात कर रहे हैं तो मैं तो बिलकुल जानना चाहूंगा, मैं तो चाहता ही यही हूं और कुछ चाहता ही नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मैं आपसे एक बात निवेदन कर दूं?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): हुकुम।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ मंत्रियों में से यह भी एक ऐसे मंत्री हैं, जिनको अपने विभाग के बारे में सम्पूर्ण जानकारी है इसलिए अपेक्षा हम, सारा पूरा सदन करता है कि माकूल आपको जवाब मिलेगा, समय आने पर। फरमाओ।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बहुत मेहरबानी। मैं तो सभी मंत्रियों से ....(व्यवधान)....

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यह आकड़ा इन्होंने हिंदुस्तान का बोला है या राजस्थान का बोला है? सिर्फ इतना स्पष्टीकरण हो जाए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): लूणकरणसर से आने वाले माननीय विधायक, आप कौनसे वाला, जो मैंने अभी एम.एस.पी. पर परचेज की बात की है, वह पूछ रहे हैं आप? क्या? नहीं, एम.एस.पी. पर जो परचेज के आंकड़े अभी दिये हैं, वह जानना चाह रहे हैं मेरे से?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह राजस्थान के हैं या ऑल इंडिया के हैं?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): यह राजस्थान के हैं मान्यवर, पूरे हिंदुस्तान का तो आंकड़ा क्या होगा? 72 लाख टन गेहूं तो राजस्थान पैदा करता है, उसमें से पिछले साल केवल 7 लाख टन एम.एस.पी. पर खरीदा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं, इन्हीं दो पाइंटों पर फिनिश करुंगा, मैं अब कोई और लंबा नहीं करुंगा। मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं और कृषि मंत्री महोदय और सहकारिता मंत्री महोदय की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि अभी 2016-17 रबी, 2016-17 सीजन के लिए हरियाणा ने, Haryana government has made all arrangements for the procurement of 75 lakh metric tonne of wheat for Rabi marketing season 2016-17.

हरियाणा हमसे कितना छोटा प्रदेश है, माननीय कृषि मंत्री महोदय? वह 75 लाख टन गेहूं एम.एस.पी. पर खरीद करेगा और आप पिछले साल केवल 7 लाख टन गेहूं खरीद कर पाये हैं और फिर पीठ थपथपा रहे हैं, इस साल का मुझे बताइएगा और यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने The procurement agencies have also made necessary arrangements

(श्री नवीन पिलानिया)

for packing material for procurement of 75 lakh MT.

और उसके साथ 379 मंडियों में उन्होंने परचेज सेंटर की व्यवस्था की है और कहां है राजस्थान उसके मुकाबले में? क्यों नहीं करते आप?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): यहां तो वैसे गेहूं महंगा बिक रहा है, एम.एस.पी. से ज्यादा रेट तो उनको वैसे ही मिल रहा है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): साहब, किसान की ....(व्यवधान)....

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 30 लाख टन खरीद की व्यवस्था कर रखी है हमने लेकिन किसान नहीं लाएगा, बाजार भाव ज्यादा है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आपको पता है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: मैं आप सबसे निवेदन, एक मिनट, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जितना ज्यादा आप बोलेंगे मैं उतना समय और ज्यादा इनको दूंगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं यह जानकारी चाहूंगा सरकार वक्तव्य दे आज कि अब जो गेहूं की फसल कट कर आ रही है, कितनी मंडियों में कितने सेंटरों में कितने जिलों में उसकी एम.एस.पी. पर खरीद की जाएगी और कितना लक्ष्य आप लेकर चलते हैं गेहूं की खरीद का? जब 72 लाख टन जो है तो कम से कम आधा तो एम.एस.पी. पर खरीदना चाहिए। आपको क्या परेशानी है कि किसान वहां लेकर नहीं आएगा तो आपके क्या लग रहा है उसमें? नहीं आएगा तो नहीं सही। आप व्यवस्था तो करिए। आप व्यवस्था भी नहीं करेंगे?

एक और चीज जानना चाहता हूं माननीय सहकारिता मंत्री महोदय और कृषि मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त मौजूदा एम.एस.पी. क्या है? आपकी जानकारी में है, गेहूं की मौजूदा एम.एस.पी. क्या है, साहब? गेहूं की एम.एस.पी. मौजूदा क्या है? अच्छा, कोई बात नहीं। क्या आपके ध्यान में यह भी है, क्या इस सदन के ध्यान में यह बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, New Delhi में, The government on 14th Nov, 2016, Tuesday increased the minimum support price (MSP) of wheat by Rs 100 to Rs 1625 a quintal. The Cabinet Committee

(श्री नवीन पिलानिया)

on Economic Affairs (CCEA), chaired by the Prime Minister Narendra Modi has given its approval for the Minimum Support Prices (MSPs) for all rabi (winter- sown) crops of 2016-17.

और उसके बाद में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो चना है, चने में और उन सबमें 550 रुपये का इन्क्रीज है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप इन प्राइसेज पर खरीदेंगे कि नहीं? आप केन्द्र से क्यों नहीं लिखकर मंगवाते हैं। राजस्थान के किसान को क्यों मरवाना चाहते हैं आप? बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर बहुत मेहरबानी की, बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो बोल दूं आप कहो तो, टोकाटोकी मत करना। बनवारीजी, बोल दूं क्या?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता आमेर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य नवीन पिलानियाजी ने वैसे ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया, इतने आंकड़े लेकर आए आज तो मैं ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या- 37-कृषि, 39-पशुपालन व 36- सहकारिता की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व में करीब 17-18 वक्ताओं ने इन पर अपने विचार रखे। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि राजस्थान के अंदर और देश के अंदर किसान को कैसे मजबूत किया जाए। अपन रिसर्जेंट राजस्थान का नारा दे रहे हैं लेकिन जब तक राजस्थान के किसान को मजबूत नहीं करोगे, किसान को रिसर्जेंट नहीं करोगे तब तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान रिसर्जेंट नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, आप आज हर तरफ देखें तो किसान आंदोलित हैं, कहीं बिजली को लेकर आंदोलन कर रहा है, कहीं ऋण माफी को लेकर आंदोलन कर रहा है और कहीं वह खाद और बीज की लाइन के अंदर लगा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए, आपने घोषणा तो कर दी लेकिन राजस्थान

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के अंदर अभी 15 दिन तक खरीद बंद हो गयी, फिर वापस चालू की। कभी बारदाना की कमी से, कभी दूसरी कमी बताकर किसान को तकलीफ दी गयी। किसान आंदोलन करता रहा और किसान पर जगह-जगह लाठीचार्ज भी राजस्थान के अंदर साढ़े तीन साल के अंदर हुए।

(19.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि सरकार ने जिस तरह उत्तरप्रदेश के अंदर किसान का कर्जा माफ किया है, उसी तरह राजस्थान का जो 82 हजार करोड़ का कर्ज है, उससे 85 लाख किसानों को फायदा होगा। अगर यह कर्ज माफ करती है तो निश्चित रूप से राजस्थान का किसान रिसर्जेंट होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो 82 हजार करोड़ के कर्जे की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीयकृत बैंकों का 6-7 लाख करोड़ का जो डूबा हुआ कर्जा है, यह डूबा हुआ कर्जा, यह किसानों का नहीं है, यह औद्योगिक घरानों का और बड़ी कम्पनियों के द्वारा जो ऋण लिये हुए थे, वह 6-7 लाख करोड़ का कर्जा माफ करने की सरकार तैयारी कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये बैठकें भी हो रही हैं, केन्द्र सरकार पर दबाव भी जगह-जगह से उद्योगपति बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से, कृषि मंत्रीजी से और सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि केन्द्र के अंदर आपकी सरकार है, राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है और आप वास्तव में किसानों के हित चिन्तक हैं और किसान की चिन्ता करते हैं तो जब 6-7 लाख करोड़ कर्जे माफी की बात आप कर रहे हो तो 82 हजार करोड़ का कर्जा, जो राजस्थान के किसान के ऊपर है, सरकार इस राजस्थान के अन्नदाता का, किसान का कर्जा माफ करे, ताकि आजादी के 70 साल के बाद किसान सरकार की ओर देख रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब राम रूठ जाता है तो फिर किसान राज से उम्मीद करता है और दो दिन पहले पूरे राजस्थान के अंदर ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई और पांच दिन पहले कुछ इलाकों के अंदर हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इससे लाखों-करोड़ों रुपये की फसलें नष्ट हो गयीं। जीरा एक महत्वपूर्ण कामर्शियल फसल है। जीरा, ईसबगोल, पान मैथी, सौंफ की लाखों-करोड़ों की फसलें खेतों के अंदर नष्ट हो गयीं उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सरकार के जो नोर्म्स हैं, उसके अंदर सीमान्त और लघु सीमान्त किसानों को ही आप मुआवजा देते हो। मैंने आज सुबह भी पर्ची के माध्यम से निवेदन किया था कि सरकार को चाहिये कि लघु सीमान्त, सीमान्त का राइडर हटाकर प्रत्येक उस किसान को, जिसके खेत के अंदर नुकसान हुआ है, उस किसान को सरकार को अनुदान देना चाहिये। जिन-जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उनका छह महीने का बिजली का बिल भी माफ होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह कहूंगा कि आज सबसे ज्यादा इस देश की सीमाओं पर अगर कोई लड़ते हुए संघर्ष करते हैं, इस देश की सीमाओं को अगर किसी ने सुरक्षित कर रखा है उपाध्यक्ष महोदय, तो किसान के बेटों ने कर रखा है, जो सीने पर गोली खाकर इस भारत माता की रक्षा करते हैं। आज जब किसान पर चर्चा होती है, किसान की बात आती है और विधान सभा के अंदर जब बजट पारित होता है, बजट पेश होता है तो उस बजट के अंदर कृषि पर, सहकारिता पर और पशुपालन, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास की कड़ी है, उनका बजट बहुत कम दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करुंगा कि किसान को बचाने के लिये सरकार प्रयास करे और किसान का पूरा कर्जा यह राजस्थान सरकार माफ करे, इस दिशा के अंदर आपको कदम बढ़ाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करूं। यहां तो ऐसी स्थिति है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर घोषणाएं जरूर होती हैं लेकिन कोई भी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर टाइम पर चालू नहीं हुई। जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद बारह महीने उस केन्द्र पर होनी चाहिये जिससे किसानों को फायदा मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया था। विभाग के प्रगति प्रतिवेदन में कहा कि कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में 4400 करोड़ रुपये के एम ओ यू साइन किये। मगर उपाध्यक्ष महोदय, हमें तो चिन्ता है कि एम ओ यू खाली साइन ही हुए हैं या रिसर्जेंट राजस्थान के जो 40 एम ओ यू धरातल पर नहीं आये, यही इन एम ओ यू की दशा होती हुई नजर आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने विदेश भ्रमण किया, इजरायल गये और भी

(श्री हनुमान बेनीवाल)
कई देशों के अंदर गये। अफसरों की लम्बी फौज साथ लेकर गये, लेकिन खेती के अंदर भी सुधार करे, खाली विदेश यात्राएं करने से और वहां जाकर मीटिंग करके अपन कह दें कि विदेश यात्रा करके आ गये और यहां प्रेस कान्फ्रेन्स कर लें, इससे तो राजस्थान का किसान मजबूत नहीं होगा। साढ़े तीन साल के अंदर 43 किसानों ने आत्महत्या कर ली। और तो और स्थिति यह हो गयी एक किसान ने तो दिल्ली के अंदर जाकर आत्महत्या की। उसके घरवालों को पूछा कि दिल्ली के अंदर जाकर आत्महत्या क्यों की? वह बोले कि राजस्थान के अंदर तो आत्महत्या करने वाले का नाम ही नहीं छपता तो दिल्ली में जाकर मरना पड़ा। ...(व्यवधान) मदनजी, क्यों हंस रहे हो?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नाम छपवाने के लिये गया। वह आत्महत्या करेगा तो कहीं भी कर लेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह नाम छपवाने के लिये नहीं कर रहा। वह परिवार पीड़ित है। वह कह रहा है कि यहां तो मर भी जाएंगे तो यहां अख़बार में नाम नहीं आने दोगे आप तो उसको दिल्ली जाकर आत्महत्या करनी पड़ी। लोग तो आत्महत्या के लिये भी सुरक्षित नहीं मानते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूं वर्ष 2000 से 2010 तक देश की 50 लाख 70 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदला गया। मगर यह क्यों हुआ, इस विषय में कभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, कहीं तो मजबूरी में जमीन उद्योगों के लिये दे दी और कहीं सरकार की किसी नीति ने वह जमीन किसान से छीन ली, क्योंकि आजादी के 70 वर्ष बाद भी अन्नदाता आर्थिक समस्या से जूझ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि नगर पालिका और नगर निगम, नगर निकायों की जो सीमाएं हैं, उसके अंदर चरागाह की जमीनें बिल्डर और खान मालिकों को दे दो। उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी एक लाटरी निकाली थी, जयपुर के पास अम्बेडकर कॉलोनी, इन्होंने निकाली थी। उसको राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि चरगाह की जमीन आप तब तक कन्वर्ट

(श्री हनुमान बेनीवाल)
नहीं कर सकते, जब तक दूसरी जमीन पर चरगाह डवलप करके आप नहीं दोगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कही तो निश्चित रूप से अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट राजस्थान की विधान सभा के अंदर पारित होती है, राजस्थान की सरकार अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करती है तो निश्चित रूप से किसान का बहुत बड़ा भला होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ड्रिप इर्रिगेशन के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ और जानकारी आयी कि कृषि के क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं, उन सबकी ड्रिप इर्रिगेशन से लेकर जितने भी घोटाले हुए, उनकी स्वतन्त्र एजेन्सी से जांच करवाने की आवश्यकता है। क्योंकि इस तरह प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में बी.पी.एल. किसानों को विद्युत पम्प सैट उपलब्ध कराने के लिये जनजाति क्षेत्र के विभागों को जिम्मेदारी दी थी। उसमें किसानों को जो अनुदान देना था, वह सीधे किसानों के खाते में देने की आवश्यकता थी, मगर अधिकारियों ने किसानों को देने के बजाय अनुदान राशि निजी फर्म के खातों में डाल दी। कृषि मंत्रीजी को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने और गोचर क्षेत्र को भी विकसित करने की आवश्यकता है। आज कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। जगह-जगह कृषि महाविद्यालय खोल दिये, लेकिन कहीं प्रोफेसर नहीं हैं, कहीं लेक्चरर नहीं हैं, कहीं पदों की कमी है तो, उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय और कालेज खोलकर अपन खाली वाहवाही लूट लें उससे कोई बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यही कहना चाहूंगा कि आप किसान के बेटे हैं और आप ड्रेस भी हमेशा किसान की ही पहनकर आते हैं। हमेशा साफा, धोती पहनकर आते हैं तो किसान का कैसे भला हो, किसान कैसे आगे आये, किसान की आर्थिक व्यवस्था कैसे ठीक हो, इस दिशा में आजादी के 70 साल बाद हमें सबको मिलकर विचार करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। आज सहकार आन्दोलन मूल भावना से भटक गया है। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों

(श्री हनुमान बेनीवाल)
को दिये जाने वाला किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लोन सहकारी बैंकों से दिया जा रहा है, वह बहुत कम है, इसलिये सरकार अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तर्ज पर सहकारी बैंक किसानों को लोन दे, ऐसा सर्कूलर सरकार जारी करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भूमि विकास बैंक घाटे में चल रहे हैं, इसलिये सरकार इन बैंकों के माध्यम से शिक्षा के लिये लोन दें, उद्योग के लिये लोन दें, घर निर्माण के लिये लोन दें, ताकि बैंकों की आर्थिक उन्नति हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को सहकारिता को बढ़ावा देने के लिये भवन रहित जितने भी जी.एस.एस. राजस्थान के अंदर हैं, वहां तुरन्त प्रभाव से सरकार को भवन बनाने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता बैंकों से जो अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, वह राशि बहुत कम है, इसलिये इसको बढ़ाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में डेयरी घोटालों की गूंज भी पूरे प्रदेश के अंदर साढ़े तीन साल के अंदर हुई। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात कही। इस राजस्थान की विधान सभा में कई बार डेयरी घोटालों की बात भी हुई और सरकार ने जवाब भी दिया कि घोटालों के अंदर हम जांच कर रहे हैं, ए.सी.बी. के जांच चल रही है, लेकिन यह सुनते-सुनते तो कान पक गये। उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी घोटाले के पीछे लोग हैं, वह सलाखों के पीछे जाय। आज दूध और उससे जुड़े उत्पाद प्रत्येक गांव, शहर में शुद्धता के मानकों के आधार पर मिल सकें, इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, विभाग के अधीन चल रही स्पिनफेड की तीनों इकाइयों को घाटे से उबारने की योजना बनायें ताकि वहां के कर्मचारियों को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव मांग संख्या 39-पशुपालन पर है। आज पशुपालन के अंदर भी, जो हिंगोनिया गौशाला के अंदर गायों की मौत हुई और प्रदेश के अंदर गौशालाओं के अंदर गायें दम तोड़ रही है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को सरल नीति बनानी चाहिये। जहां लोग गौशाला खोलने को तैयार हैं, लेकिन जमीन के अभाव के अंदर वह गौशाला नहीं खोल सकते और सरकार जब तक जमीन नहीं देगी, वहां एम एल ए और एम.पी. भी पैसा नहीं लगा सकता। इसलिये सरकार को इस दिशा के अंदर सोचना चाहिये और कोई रास्ता निकालना चाहिये ताकि हम सब मिलकर गायों की रक्षा कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक हजार से अधिक पशु चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में पशुओं के लिये चल रही योजनाएं कैसे चल पाएंगी, यह सोचने का बिन्दु है। आज प्रदेश में तीन वर्ष से कम, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर जिले का जो नागौरी नस्ल का बछड़ा था, वह विश्व प्रसिद्ध नागौर का बैल हुआ करता है, लेकिन तीन साल के बछड़ों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी।

सरकार ने इस दिशा में कटारियाजी की अध्यक्षता में उप समिति बनायी थी लेकिन आज तक, उपाध्यक्ष महोदय, उप समिति का कोई निर्णय साढ़े तीन साल होने के बाद भी नहीं आया। तो मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि तीन साल के जो बछड़ों की रोक है उसे हटा कर खतम किया जाए और अगर पूरी तरीके से उन बछड़ों की रोक नहीं हटा सकते हो तो कम से कम इसको डेढ़ साल या दो साल कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल का बछड़ा बड़ा हो जाता है और किसानों ने गाय पालना बंद कर दिया, बछड़े रखना बंद कर दिया क्योंकि उनका बछड़ा बिकता ही नहीं है।

अब यही स्थिति, उपाध्यक्ष महोदय, नागौर का जो मेला था उसमें ऊंट बहुतायत मात्रा में आये, ऊंटों के व्यापारी भी आये, हां, हो सकता है कि उसके अन्दर कुछ व्यापारी ऊंट को काटने के लिए ले जा रहे होंगे लेकिन कुछ व्यापारी ऊंट को कला के हिसाब से भी, उपाध्यक्ष महोदय, ऊंट एक अच्छी कला भी दिखाता है, लेकिन सारे के सारे ऊंटों को वहां रोक दिया और नागौर के प्रशासन ने उन ऊंटों को मुफ्त के अन्दर बांटा है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि किसान अगर ऊंट और बैल या पशु रखेगा और उसका बेचने का अधिकार भी नहीं रहेगा। हां, सरकार को चाहिए कि जहां ऊंट को अगर कांटने के लिए ले जाते हैं, हम यह नहीं

(श्री हनुमान बेनीवाल)
कहते, अगर गलत लोग है, कोई गिरोह है उनके खिलाफ कार्यवाही हो लेकिन उसकी आड़ के अन्दर अगर आप किसान का रोजगार छीन लोगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसी व्यवस्था है। यह बहुत बड़ा मामला उठा था।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं बताऊंगा। एक कृषि डिप्लोमा संस्थान नागौर के अन्दर खोला है, मंत्रीजी, मगर सरकार छात्रों को सरकारी मान्यता अभी तक कृषि डिप्लोमा की नागौर के अन्दर नहीं दे रही है तो इसमें आप ध्यान दें।

टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है मगर सरकारी पशु अस्पतालों में कोल्ड चेन स्टोरेज की प्रोपर व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से, सहकारिता मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करूंगा कि राजस्थान के किसान को कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा के अन्दर पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठ कर हमें किसान को बचाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी आंकड़े तो हमारे नवीन पिलानियाजी ने आपको सारे दे दिये पर शायद उनका जवाब मुझे लगता है कि आप नहीं दे पाओगे। तो मेरी भी आपसे मांग है कि किसान को मजबूत करने की दिशा के अन्दर तीनों विभागों की जो डिमांड है इस पर दोनों मंत्रीजी जब जवाब दें तो हमारी जो भी समस्याएं हैं उन पर जवाब दें।

एक मांग मैं और करूंगा कि आपने पशुधन सहायकों की भर्ती की थी लेकिन अभी भी वो प्रक्रिया है, वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाये, जितने भी खाली पद हैं, चाहे वो सहकारिता विभाग के अन्दर है, पशुपालन के अन्दर है या कृषि के अन्दर है, आप ज्यादा से ज्यादा भर्ती निकालें। साहब, आज लाखों पद राजस्थान के अन्दर खाली हैं और जवान आपकी ओर देख रहा है, चौथा साल है। अभी बीच में मदनजी खड़े होकर कह रहे थे कर्जा माफ कर दिया, तो हम तो कहते हैं कि आप अगर अच्छा काम करते हो तो अच्छी बात है। रोजगार का भी जो आपने लोगों को दिखाया था कि किसान के बेटों को 15 लाख रोजगार देंगे, तो इस दिशा के अन्दर भी आप चौथे साल के अन्दर काम करें।

खाली उत्तर प्रदेश के अन्दर जीतने से आप राज़ी मत हो जाओ, पंजाब में हारे भी हो, यह भी देख लो, पंजाब भी नजदीक ही है। यू.पी. और पंजाब को साथ लेकर चलना है और राजस्थान के किसान और जवान को बचना है

(श्री हनुमान बेनीवाल)

और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो भी मिनिमम शर्तें होती हैं वो राजस्थान फॉलो कर रहा है। सीमावर्ती हमारा क्षेत्र है, ट्रायबल बैल्ट भी है, यहां की संस्कृति भी इस हिसाब की है तो आपको प्रयास करना चाहिए, आपकी सरकार को दिल्ली के सामने बात रखनी चाहिए।

नदी नालों को जोड़ कर आज ज्यादातर सिंचाई, उपाध्यक्ष महोदय, नहरी इलाका तो हनुमानगढ़, गंगानगर और कोटा के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो बरसात से खेती होती है ज्यादातर राजस्थान के अन्दर और बरसात में खेती में, उपाध्यक्ष महोदय, अगर बरसात दो बार हो जाए और तीसरी बरसात नहीं होती है तो किसान के तो वो अकाल पड़ जाता है और जहां कुए और ट्यूबवैल से खेती होती है वहां थोड़ी सी भी बेमौसम की बरसात होती है तो किसानों की फसलें बरबाद हो जाती हैं। इसलिए राहत आपदा के अन्दर भी, मंत्रीजी विराजें हैं, इसके अन्दर भी नोर्म्स में बदलाव करें और राजस्थान के किसान का भला करें। यह मेरा निवेदन है।

आपने बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. मंजू बाघमार।

डॉ. मंजू बाघमार (जायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुदान की मांग कृषि, पशुपालन और सहकारिता पर चर्चा हो रही है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र जायल की कुछ मांगें माननीय मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र, जायल में एक गौण मंडी है और उसका राजस्व एक यार्ड मंडी के बराबर है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि उस गौण मंडी को यदि प्रधान मंडी के रूप में क्रमोन्नत कर दिया जाए तो वहां के व्यापारियों को और हमारे किसानों को भी काफी लाभ होगा।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जायल क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ और ग्रामीण क्षेत्र है और वहां की जो मंडी है, वहां पर दुकानों की साइज बहुत छोटी है और व्यापारियों को माल बाहर रखना पड़ता है। मेरा

(डॉ. मंजू बाघमार)

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां पर एक वेयर हाउस का निर्माण किया जाए क्योंकि वहां की मासिक स्टॉक सूचना भी दो हजार बोरी से ज्यादा है और राजस्व दूसरे यार्ड मंडीज की तुलना में काफी ज्यादा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र, जायल के अन्दर गौण कृषि मंडी के अन्दर कुछ समय पूर्व मूंग खरीद सेन्टर शुरू किया गया था और करीब सात हजार टोकन किसानों को वितरित किये गये थे लेकिन पिछले दो महीनों से मूंग खरीद सेन्टर को बंद कर दिया गया है। उससे पहले नैफेड के द्वारा वो मूंग खरीदा जा रहा था और उससे केवल ढाई हजार टोकन ही मूंग खरीदे गये हैं और बाकी साढ़े चार हजार टोकन किसानों के मूंग के अभी बाकी पड़े हुए हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्योंकि किसानों को अपन ने एक आशा बंधा दी है और जो वहां का समर्थन मूल्य है 5225 रुपये उस पर सरकार खरीद रही है जबकि मंडी के अन्दर, जो नागौर मंडी है उसमें 4700, 4200 रुपये ही किसानों का मूंग खरीदा जा रहा है। सबसे ज्यादा जो मूंग पैदा होता है वो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ही होता है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि व्यापारियों और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो राजस्थान ट्रेड आर्टिकल लाइसेंस है उसे या तो हटाया जाए और स्टॉक सीमा जो है उसे भी बढ़ाने की कृपा करें जिससे कि व्यापारियों और किसानों को जो आर्थिक हानि हो रही है उससे भी बचा जा सके। क्योंकि जो अभी स्टॉक सीमा लगा रखी है हॉलसेलर के लिए दो हजार क्विंटल 75 डेज के लिए और मिलों के लिए 40 डेज लगायी गयी है, यह जो डे बाउंडेशन लगाया है, यदि आप स्टॉक सीमा नहीं बढ़ाते लेकिन फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो डे बाउंडेशन लगाया गया है उसको हटाया जाए। क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो मिलें हैं, 40 दिन की आपने डे बाउंडेशन लगा रखा है लेकिन पूरे साल भर तो वहां पर दाल वगैरह पिसाई होगी या मूंग बेचा जायेगा, दाल बेची जायेगी। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वहां का जो डे बाउंडेशन है वो यहां हटाया जाए क्योंकि हमारे यहां एक ही फसल होती है और केवल दो महीने ही यदि खरीदा जायेगा और उसके बाद में पूरे साल भर फिर नुकसान होता है।

(डॉ. मंजू बाघमार)

मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक यह भी निवेदन है कि जिस तरह से गंगानगर में गेहूं की खरीद और समर्थन मूल्य व्यापारियों द्वारा किया जाता है, एजेंसियों के माध्यम से नहीं किया जाता, नैफेड, एफ.सी.आई. या राजफैड के द्वारा, उसी तरह नागौर में भी मूंग की खरीद यदि एजेंसी के माध्यम से न कर के व्यापारियों को कमीशन दे दिया जाए और व्यापारी लोग यदि किसानों का मूंग खरीदेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा भी होगा और उनका मूंग भी खरीद लिया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन कृषि मंत्रीजी से भी है कि कई जिलों के अन्दर ग्रीन हाउस लगाने के लिए दो-तीन साल की वेटिंग चल रही है और कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी आवेदन नहीं आया है। तो या तो उन जिलों में जहां पर एक भी आवेदन नहीं आया है वहां पर जागरूकता अभियान चलाये जाएं या उन जिलो का बजट, जहां पर एक भी आवेदन नहीं है उन जिलों का बजट उन जिलों में समायोजित किया जाए जहां पर एक लम्बी वेटिंग लिस्ट चल रही है।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान में पानी की कमी है और इजरायल की तर्ज पर बूंद-बूंद और सोलर पम्प, पोली हाउस वगैरह को स्थापित किया जा रहा है जिससे कि कम जल के अन्दर अधिक उपज हो लेकिन यह भी हर किसी के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, काफी महंगा है। सरकार ने वर्तमान में इसके प्रोत्साहन के लिए 50 परसेंट सब्सिडी दी है लेकिन फिर भी उसके बाद भी यह बहुत महंगा है। इसके अलावा जिलेवार क्षेत्र भी कम रहता है अत: इस कार्य हेतु अनुदान राशि पूर्व की भांति या तो 75 परसेंट या 85 परसेंट सब्सिडी दी जाए और आवेदन की जो प्रक्रिया है उसका भी सरलीकरण किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ हो और कम जल के अन्दर अधिक उपज भी हो और धन की भी प्राप्ति हो सके।

साथ ही साथ मेरा माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि इस प्रकार से संयंत्र स्थापित करने के लिए शिक्षित महिलाओं को अलग से प्राथमिकता दी जाए, ताकि वो इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना सके।

(डॉ. मंजू बाघमार)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन के क्षेत्र में मैं यह कहना चाहूंगा कि नील गाय के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि फसलों को खूब नुकसान होता है, कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो इनके वध की अनुमति के लिए विधान सभा में कोई एक्ट वगैरह पारित किया जाए या राज्य सरकार कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करे कि इन्हें जंगलों के अन्दर छोड़ने की व्यवस्था हो जाए ताकि दूसरे जो जंगली पशु हैं वो इसका आहार ले लें।

साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगी जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी बताया कि हमारे विश्व प्रसिद्ध नागौरी नस्ल के जो बछड़े हैं वो राजस्थान में बाहर ले जाने हेतु उसकी आयु सीमा अभी तीन वर्ष की गयी है और उसे घटा कर दो वर्ष की जाए।

पूरे नागौर जिले से एक ही आवाज आई थी कि नागौरी नस्ल के जो बछड़े हैं, उनकी आयु सीमा 2 साल की जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदया को कि वह इस विषय में बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है और कमेटी ने फेवर में रिकमंडेशन भी की है ताकि उसकी आयु 2 वर्ष हो सके। जबसे नागौरी नस्ल के बछड़ों की आयु 3 वर्ष की गई है, तबसे नागौर जिले के जो पशु पालक और कृषक हैं, उन्होंने गायों को पालना बंद कर दिया है। बछड़े अब बिक नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी आयु 3 वर्ष कर दी गई है। इससे गौ वंश की हालत भी खराब हो रही है। नागौरी नस्ल के जो बैल हैं, वह न केवल कृषि के बल्कि बोझा ढोने के भी काम आते हैं। मेरा निवेदन यही है कि आयु सीमा 2 वर्ष की जाए। इसके लिए अगर एक्ट में भी अमेंडमेंट करना पड़े तो करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पशुपालन में मेरी एक डिमांड और रह गई है। वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक एफडी रूल्स 2010 दिनांक 3.10.2013 के आदेश में पशु चिकित्सा अधिकारियों के मामले में ऑल रैंक का उल्लेख किया गया है। जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारी जो फील्ड में कार्यरत हैं, सभी को हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। लेकिन पशु चिकित्सा सहायक, वी.ए. को हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। उन्हें यह कहा जा रहा है कि आपकी फील्ड में ड्यूटी होना जरूरी है।

(डॉ. मंजू बाघमार)

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वी.ए. को जिनकी नियुक्ति अभी पशु चिकित्सालय में की जा रही है, उनको पशु औषधालय में नियुक्ति की जाए ताकि उनको जो 27 साल का अनुभव होता है, वह हमारे किसानों को और पशुपालकों को भी प्राप्त होगा। इससे उनकी सेवाओं का उन्हें लाभ मिलेगा। अभी तक राजस्थान में मात्र 198 पशु औषधालय ही बचे हैं, तो जो भी उपकेन्द्र हैं उनको पशु औषधालय में क्रमोन्नत किया जाए।

पशुधन सहायक, एलएसए की पोस्ट जो कि नव नियुक्त होती है, जिनको सीधे गांवों में उप केन्द्र पर लगाया जाता है, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनको चूंकि कोई अनुभव नहीं होता है इसलिए इनकी जगह पर नई वी.ए. की पोस्ट भी सृजित की जाए। इनको किसी पशु चिकित्सक की देखरेख में लगाया जाए तो निश्चित रूप से इसका किसानों को लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगी कि आरसीडीएफ के संबंध में समस्त 21 दुग्ध संघों में से 2 में सवाई माधोपुर और झालावाड़ में तो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हैं। लेकिन बाकी जो 19 दुग्ध संघ बचे हुए हैं, जहां पर इलेक्टेड बोर्ड है, जिनमें जिला संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 11 सदस्य नोमिनेट होते हैं। उसमें पहले यह रिजर्वेशन था कि 1 एस.सी. का, 1 एस.टी. का और एक वूमन नोमिनेट हो। राजस्थान सरकार के नियमानुसार ही उसमें बनाए जाते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन पहली बार इस तरह का हो रहा है कि जिला संचालक मंडल में एस.सी., एस.टी. के लिए आरक्षण को खतम कर दिया गया है। निश्चित रूप से इस संवर्ग के दुग्ध उत्पादकों और किसानों के साथ यह अन्याय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इस आरक्षण को पुन: शुरू किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बधाई देना चाहूंगी कि को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट में अब जो संशोधन किया जाना है, क्योंकि हमें लगातार डेयरी संघों के खिलाफ अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। कई वर्षों से डेयरी संघों के अध्यक्ष एक ही

(डॉ. मंजू बाघमार)

पद पर जमे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय ने उसमें संशोधन किया है कि एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार अध्यक्ष नहीं बन सकता और कोई भी पदाधिकारी को-ऑपरेटिव सोसायटी में 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि इसके लिए जो उन्होंने शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है, निश्चित रूप से इससे काफी सुधार होगा। जिस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं उसमें कमी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि डेयरी के अंदर काफी समय से जो मैनेजर की पोस्टों के लिए प्रमोशन ड्यू चल रहे थे, आपने जो 31 पोस्टें थी उनकी एवज में 25 पोस्टों पर 2016 में डिप्टी मैनेजर से मैनेजर पर प्रमोट किया है। उसमें से 10 प्लांट के और 15 पीएंडआई के पद थे। उसमें से 2 एस.सी. के और 1 एस.टी. वर्ग के हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो मैनेजर के खाली पद हैं, उन पर जल्दी से पोस्टिंग दी जाए ताकि वर्षों बाद उन्हें जो आस बंधी थी कि इस पद पर हमारी नियुक्ति होगी, वह पूरी हो सके।

इसके अलावा डेयरी संघों में पिछले 20 सालों से कोई भी भर्तियां नहीं हुई हैं। हालांकि मैंने पेपर में पढ़ा था कि मंत्री महोदय आरपीएससी के द्वारा और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इन 585 पोस्टों पर नई भर्तियां करने जा रहे हैं। इससे डेयरी के अंदर जो भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इस क्षेत्र में जो आगे रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए लाभदायक होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुन: आपको इसके लिए धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि, पशुपालन और सहकारिता की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, सारे विद्वान वक्ताओं में से किसी ने बजट की किताब पूरी की पूरी पढ़ दी। किसी ने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी

(श्री रामचन्द्र)

देख-देखकर पढ़ दिया और अपनी-अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी। इस सारे प्रस्तुतीकरण में निचोड़ यह निकालें कि इस देश को 1800 साल से आक्रांताओं ने गुलाम रखा था। आदि-अनादि काल से भारत विश्व गुरु रहा है, ऐसा सब मानते हैं। अभी एक प्रसिद्ध लेखक का कोटेशन भी आया था कि जिस जमाने में लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, उस समय भारत में विश्वविद्यालय हुआ करते थे। त्रेता और सतयुग में भी हमारे संदीपन गुरु के और अन्य गुरूओं के आश्रम हुआ करते थे। लोग धीरे-धीरे बढ़ने लगे। भारत किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं है। यहां का किसान भी किसी दृष्टि से कमजोर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंहजी ने एक बार संसद में कहा था कि मैं जब संसद में रहता हूं तो मैं दिन में एक बार जरूर ध्यान करता हूं उस गांव की ओर जहां मेरा किसान, मेरा मजदूर, वह खेतिहर आदमी पास के खेत से निकलता है और चरस से अपनी सिंचाई करता है। उसकी पत्नी धोरों के पास बैठी होती है। उसके छोटे-छोटे बच्चे प्याली में कुछ खाते रहते हैं। उसके जानवर पास में चरते रहते हैं। उसका मटमैला शरीर ऐसा का ऐसा ही रहता है। शाम को जब वह घर पर जाता था तो उसके छप्पर वाला घर होता था। बाहर बकरियां बंधी रहती थी। उसके चूल्हे में छोटी-सी अँगीठी होती थी। उसकी पत्नी लकड़ियों में फूंक मारकर जलाती रहती थी। इस प्रकार से जीवन यापन करते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे इसमें विकास हुआ। पुराने जमाने में किसान जिस प्रकार से छप्पर में रहते थे, बारिश आती रहती थी और जब वह चलता उसके पीछे हल होता था। बकरियां पीछे चल रही होती, जानवर चल रहे होते। जीवन का उत्तरोत्तर विकास राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद हुआ है। कोई यह कहे कि विकास नहीं हुआ तो यह नहीं है, विकास तो 100 परसेंट हुआ है। किसान हर दृष्टि से उन्नत हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान का विकास पिछली सरकारों में जिस तरह से हुआ कि जो लोग बहुत पैसे वाले थे, बहुत बड़े जमींदार थे, उनकी जमीनें घट गईं। गांवों से पलायन करके लोग शहरों में आने लगे। वह बड़े-बड़े किसान मजदूरों में तब्दील हो गए। धीरे-धीरे लोग जो यह कहते थे कि देश

(श्री रामचन्द्र)

कृषि प्रधान है और किसान देश की आत्मा है और वह अन्नदाता के रूप में है, वह बदल गया।

प्रधानमंत्रीजी ने जब सूरतगढ़ में सोइल हैल्थ कार्ड लाँच किया था तो उन्होंने बड़ी मार्मिक बात की थी। उन्होंने कहा कि सदियों से इस प्रकृति और सृष्टि में जिसने जन्म लिया है, उन सबको यह धरती मां पालती आई है। लेकिन इस धरती मां के साथ हमने क्या-क्या किया?

उन्होंने कहा कि जैसे हमारे घर में बूढ़ी दादी-परदादी बैठी रहती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हम बार-बार देखते हैं कि इनकी तबीयत खराब है, नासाज है, उनको इलाज की जरूरत है तो उसकी जांच करवाते हैं, उनके लिए सब कुछ करवाते हैं कि कहीं मेरी मां मर न जाए। जिस मां ने जन्म दिया है, जिस मां ने हमारा पालन पोषण किया है, जो हमें सूखे में सुला कर खुद गीले में सो जाती है, जैसा हम देखते हैं कि मां-मां होती है, तो इस मां से भी बड़ी मां कोई है तो धरती मां है। उस धरती मां के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा था। कोई देश में ऐसा आदमी नहीं जिसने बात सोची कि जैसे मां जैसी कोई चीज है वैसे ही धरती मां भी है। धरती मां के गर्भ में कितना हम रसायन दे रहे हैं, कितना जहर दे रहे हैं, कितना पेस्टीसाइड दे रहे हैं, पहले कभी जानवर मर जाते थे तो ऊपर से चील कौए आकर तुरंत प्रभाव से उस सारी गंदगी को साफ कर देते थे लेकिन हमने इन खेतों में पेस्टीसाइड दे-दे कर कई सारी प्रजातियों को समाप्त कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारी सोच सकारात्मक हुई है, हम धीरे-धीरे कृषि के दायरे को जांच में लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आप देखिए पूरे राजस्थान में आप देखिए पहली बार ऐसा सोच रहा होगा। माननीय कृषि मंत्री महोदय के नेतृत्व में, पूरे के पूरे राजस्थान के 58 हजार किसान एग्रीटेक मीटिंग में आए। पहली बार किसानों को तो वैसे ही किसान सम्मानित हैं लेकिन किसानों को जो सम्मान मिला, वह देखने लायक बात थी, प्रत्येक व्यक्ति को कार्ड दिया गया, प्रत्येक व्यक्ति को किट दिया गया, विशेष भोजन की व्यवस्था की गई। पूरे देश के अंदर जितने कृषि के संयंत्र और विधियां हैं, उनके संचालन की प्रक्रियाओं को समझाया गया, अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलवाया गया जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की बहुत बड़ी

(श्री रामचन्द्र)

देन है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सब कुछ करने के बावजूद भी अभी कह रहे थे, एक बात है जब 1977 में सिंहासन छोड़ो, जनता आती है, परिवर्तन की एक लहर आई और उस समय लोहियाजी ने एक बात कही थी संसद में, मैं नहीं कहता कि आदमी कितना कमाए और कितनी उसकी आमदनी बढ़े, लेकिन मैं यह कहता हूं कि उसकी आमदनी में कटौती नहीं, उसके खर्चों में कटौती होनी चाहिए। खर्चों में अगर कटौती होगी तो निश्चित रूप से इस देश की आय को बढ़ने और जीडीपी को बढ़ने से नहीं रोक सकते, निश्चित रूप से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधान मंत्रीजी ने नोट बंदी की, कोई बात स्वीकार करे या न करे, जितने दिन नोट बंदी रही सबने दस रुपए, पचास रुपए और सौ रुपए के नोट को बिलकुल सम्भाल कर रखा था। उस दिन एग्रीटेक मीटिंग का उद्घाटन था, उस दिन लोगों के पास हजार और पांच सौ के नोट थे लेकिन पानी की बोतल तक नहीं मिली थी उस दिन, तब याद आया कि जिस चीज को हम भूल गए थे, छोटी-छोटी चीज जिनको हम भूलते हैं, दस रुपए, पचास रुपए और सौ रुपए का नोट आदमी अपने पर्स में अलग से रखने लगा था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं गांव में गया और किसान से पूछा कि आप दु:खी हो, किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, हम तो पहले से ही गरीब हैं, हमारे पास लुटने को क्या है? जो लुटे उनको चिंता, उन्होंने कहा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक स्वागत समारोह था उसमें बड़ा पैसा लगाया, लुहार जाति के लोग थे, गरीब थे, मैंने कहा कि आपने इतना पैसा खर्च क्यों किया, इतना पैसा नोट बंदी चल रही है, खर्च करने से क्या फायदा है? उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं और क्या गरीब होंगे? डर तो उसको है जो पैसे वाला है। निश्चित रूप से पूरे के पूरे समय में आप मालूम करें, देखें, जाने तो निश्चित रूप से खर्चों में कटौती जोरदार हुई, लोगों ने अपनी आमदनी पर, खर्चों में कटौती की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि भाषण देने में बहुत लम्बा समय है। मैं अभी सिक्किम गया, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने उस प्रदेश को नवाचार दिया। सिक्किम के

(श्री रामचन्द्र)

अंदर पूरा का पूरा प्रदेश जैविक खेती करने लगा है और निश्चित रूप से वहां के लोगों की पहचान बनी है, जैविक खेती करने से कोई भी आदमी भले वह कैसे भी हो, उसको वह चीज लेने में, खाने में, पीने में, शंका समाधान नहीं करता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक लड़का एमटेक किया हुआ था और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो कृषि है वह उद्योग का रूप लेगी और कृषि जनित कार्यों में ही आने वाले समय में जो हमारी पौध है हमारे युवाओं की वह भी इसमें अधिक से अधिक खपेगी। वह एमटेक किया हुआ लड़का जिसको तीन लाख रुपए का पैकेज मिला था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसने वह तीन लाख की नौकरी छोड़कर अपने घर पर आठ बीघा में खेती करना शुरू किया। उसने कृषि विभाग से, माननीय मंत्रीजी के विभाग से सोलर और आपके ग्रीन हाउस लिया। पहली बार उसने आठ बीघा में मिर्ची की डेढ़ बीघा की, खीरा और टमाटर किया। मैं आपको उसके बारे में यह बता रहा हूं कि आज उसका व्यवसाय पिछले पांच साल में मैंने उसकी पूरी की पूरी खबर भी बनवाई और वह दैनिक भास्कर में भी लगी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह ढाई लाख और तीन लाख के पैकेज का लड़का आज की तारीख में डेढ़ करोड़ रुपए अपनी तेरह बीघा की खेती में कमाता है। उसने इतने नवाचार किए कि उसके जितने भी संयंत्र लगे हुए हैं उसके फल, फ्लोवर, सब्जी और उसने अपने गन्ने की चक्की, रेस्टोरेंट और इतनी बढ़िया चीज डवलप की है कि आज की तारीख में वह एक करोड़ रुपए सालाना आराम से कमा रहा है। एक लड़का है, वह बीटेक किया हुआ है घनश्याम, वह जूनागढ़ में अभी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ है और यह लोग जो काम कर रहे हैं, जो रुझान अपना खेती की तरफ बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से आपके सत्यमेव जयते में एक हुकुमजी पाटीदार भी आए थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरा निवेदन है कि जैविक खेती से अनाज पैदा हो रहा है, दलहन पैदा हो रहा है और चीज पैदा हो रही है उसका ब्रांड अलग से नजर आता है, उसकी रकम अलग से मिलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैविक खेती को, पैदावार को ब्रांडेड कर उसके विपणन के लिए मार्केटिंग और मंडी तैयार करनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि

(श्री रामचन्द्र)

राजस्थान के अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ जिलों के अंदर जैविक खेती आधारित किसानों को जमीन दी है और उस जमीन पर वह खेती कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि गेहूं जैसे पन्द्रह रुपए, सोलह रुपए बिक रहा है, लेकिन वही हुकुमजी पाटीदार का गेहूं चालीस रुपए प्रति किलो बिकता है तो जैविक खेती से जो प्रोडक्ट पैदा हो उसके लिए मार्केटिंग और मार्केट अलग से डवलप होना चाहिए। किसानों की अत्याधुनिक जो फसलें हैं, उनके लिए अलग से मंड़ियां स्थापित होनी चाहिए। जैसे भवानी मंडी है झालावाड़ क्षेत्र में, जैसे आपका अनार है, थार अनार है तो 'थार' के नाम से ब्रांडेड बिक रहा है। जैसे हमारे क्षेत्र में संतरा है, सोयाबीन है, धनिया है, कलौंजी है, अश्वगंधा है, इनको ब्रांडेड करके आप मार्केट में पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा और विभाग का भी प्रचार-प्रसार होगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से सब्सिडी को प्रदेश में कम किया है, तो सब्सिडी निश्चित रूप से बढ़ानी चाहिए ताकि इससे किसान अधिक से अधिक अपनी खेती का काम बढ़ाए। सब्जियों के लिए जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने एक दिन जवाब दिया था, रबी और खरीफ की फसल के लिए और माननीय सदस्य जयनारायणजी का प्रश्न था, उनको बताया कि सब्जियां भी बारिश, ओलावृष्टि होने से खराब हो गई। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि यह जो फल और सब्जियों का व्यवसाय है और जो खेती करते हैं, इसमें शोर्ट टर्म इन्श्योरेंस की पॉलिसी लाकर किसान जो नवाचार करते हैं उनको संरक्षित करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में गौपालन विभाग की हो, चाहे दूसरे विभागों की हो, बहुत सारी गौशालाएं हैं, अगर इन गौशालाओं के अंदर विशेषकर दुधारू पशुओं को लाकर उनके साथ जोड़ दी जाए और उनका व्यवसायीकरण किया जाए तो दूध वहां पैदा होता है और उनके साथ जो नई बछड़ियां पैदा हों उससे नई गायें पैदा होंगी, दुधारू गायें पैदा होंगी, निश्चित रूप से उससे फायदा होगा, साथ के साथ जो उनसे गौ मूत्र है, आपके कंडे हैं, यह सब चीजें, मैं यह सब इसलिए बताना चाह रहा हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डोट अग्निहोत्र डोट कोम एक साइट है, उसमें भारत की इस पद्धति को विदेशों में बहुत अपनाया जा रहा है। उसमें क्या करते हैं कि

(श्री रामचन्द्र)

जहां भी इस प्रकार की कोई बीमारी होती है कृषि के क्षेत्र में, अब उस एक निश्चित सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में वह मंत्रोच्चारण से एक कंडा होता है बिलकुल जो साफ होता है और एक साबुत चावल होता है और गाय का देशी घी, और इससे वहां पर आप साइट पर जाएंगे तो महसूस होगा कि इससे न सिर्फ खेती में पशुओं में सुधार हुआ है, कीट मरे हैं साथ ही साथ घर और परिवार का वातावरण भी बदला है। मेरा निवेदन है कि भवानी मंडी के अंदर एक इतने बड़े-बड़े उत्पाद वहां आते हैं तो वहां एक सोर्टेक्स मशीन अगर लग जाए तो आने वाले समय के अंदर उस क्षेत्र के अंदर किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा होगी माल की क्वालिटी, गुणवत्ता निखर कर आएगी,

उससे उस पर प्रभाव पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि जल स्वावलम्बन से क्या फर्क पडा। राजस्थान के 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 1.16 प्रतिशत जलराशि इनके हिस्से में आती है। माननीय मुख्य मंत्री की सोच है कि इस प्रदेश के मरुधरा को किस प्रकार से हरित किया जाय। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिखा है, उनका मकसद है कि हम प्रदेश की जनता को, प्रदेश के मवेशियों को, प्रदेश की सारी सृष्टि में जो भी जीव-जन्तु हैं, बिन पानी सब सून। अगर पानी होगा तो सब चीज सफल होगी। बाहर से इतने परिंदे आते हैं, अनेक-अनेक प्रजातियों के आते हैं, वे सिर्फ इसीलिए फेमस हैं कि वहां पानी रहता है। अब राजस्थान के अंदर जगह-जगह जल स्वावलम्बन की वजह से कुओं का जल स्तर बढ़ा है, किसानों की पैदावार बढ़ी है। राजस्थान के लिए मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन वरदान साबित हुआ है। आने वाले समय में जिस प्रकार से ये कार्य और बढ़ाते रहेंगे, मैं कह रहा हूं राजस्थान हरित राजस्थान होगा। जिस प्रकार मध्यप्रदेश के अंदर किसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है वैसी की वैसी व्यवस्था और किसानों का नामांकन बैंक खातों में परिवार सहित किया जाय तो निश्चित रूप से एक बार पूरा किसानों का आंकड़ा तैयार हो जाएगा और कृषि विभाग के पास सारे आंकड़े रहेंगे। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भंवरसिंह जी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 36, 37 व 39 पर माननीय कृषि मंत्रीजी का कुछ विषयों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सुबह से लगातार करीब 20 से ज्यादा माननीय विधायकों के द्वारा अलग-अलग सुझाव दिये गये हैं। अधिकांश तीनों मांगों पर काफी चर्चा हुई। आज से करीब साढ़े तीन साल पहले जो आपकी सरकार का सुराज संकल्प पत्र बनाया गया, उसमें जो राजस्थान के प्रदेश के किसानों से वायदे किये गये, चाहे किसानों का समर्थन मूल्य पर लगातार वर्ष पर्यन्त खरीद के लिए एक स्ट्रक्चर विकसित करने का मुद्दा हो या किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, किसानों का जो जीवन-स्तर पर है उसको सुधारने हेतु आपकी पार्टी के द्वारा जो किसानों से वायदे किये गये, मैं समझता हूं कि इनकी सरकार बनने के बाद में उस घोषणा-पत्र पर अमल करने के बजाय उलटा किसानों के विपरीत और किसान विरोधी निर्णय पिछले तीन-साढ़े तीन सालों में लिये गये।

मैं मेरे पश्चिमी राजस्थान की बात करना चाहूंगा जहां करीब 7-8 जिलों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई होती है और वहां का किसान नहर से सिंचाई पर निर्भर है। हमारी सरकार के समय नहरी क्षेत्र के किसानों को पानी बचाने के लिए अधिकतम पानी का उपयोग किस प्रकार से हो उसके लिए कई प्रकार की योजनाएं पिछली सरकार द्वारा 2008 से 2013 के मध्य लायी गयी। सबसे महत्वपूर्ण योजना डिग्गियों का निर्माण करने के लिए 2008 के बाद शुरू की गयी उस डिग्गी निर्माण के लिए 2009-10 में 2 लाख रुपये के अनुदान की राशि दी गयी। किसानों ने काफी डिग्गियां बनायीं। उसके बाद लगातार 2013 तक 2 से 2.5 लाख रुपया अनुदान किया गया। उसके बाद 3 लाख रुपया एक किसान को डिग्गी पर अनुदान देने का पिछली सरकार द्वारा निर्णय किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर वर्ष जिस प्रकार डिग्गी की लागत बढ़ती गयी, निर्माण सामग्री की लागत बढ़ती गयी उसी अनुपात में डिग्गियों का अनुदान बढ़ाया गया। लेकिन 2014 में वर्तमान सरकार के गठन होने के बाद जिस किसान को 2014 में उस डिग्गी पर 3.5 लाख रुपये अनुदान मिलना था, 2015 में 4 लाख रुपये अनुदान मिलना चाहिए था, 2016 में 4.5 लाख रुपये अनुदान मिलना चाहिए था, महंगाई व लागत को देखते हुए, लेकिन

(श्री भंवरसिंह)

इस सरकार ने, इस विभाग ने उसका उलटा किया और किसानों को दिया जाने वाला अनुदान लागत का 50 परसेंट था उसको सीधा कम करके 25 परसेंट अनुदान कर दिया गया जिसकी वजह से किसानों को डेढ़ से पौने दो लाख-दो लाख रुपये तक आज अनुदान दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले विधायकजी ने जिस प्रकार के आंकड़े दिये कि डिग्गियों पर पिछले तीन सालों में जो टार्गेट था वह लगातार कम होता गया और लघु व सीमान्त किसान जो डिग्गी बनाना चाहता था उसने डिग्गी बनाना बंद कर दिया। उसी तरह से सोलर इकाई पर अनुदान दिया जाता था। पिछली कांग्रेस सरकार के समय 86 परसेंट अनुदान दिया जाता था। जिस सोलर इकाई की 5 लाख के लगभग लागत आती थी उसमें 86 परसेंट अनुदान देने के बाद एक किसान को 80-85 हजार रुपये जमा कराने के बाद वह पूरा सोलर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया जाता था। उसके बाद किसान को यदि बिजली का कनेक्शन नहीं है तो भी, चूंकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है और सोलर धूप के माध्यम से चलता है। माननीय मंत्री महोदय स्वयं विराज रहे हैं, पिछले साढ़े तीन सालों से आप स्वयं इस विभाग को देख रहे हैं। इनकी सरकार बनने के बाद वह अनुदान सीधा इन्होंने 50 से 60 परसेंट कर दिया, जिसकी वजह से नहरी क्षेत्र के किसानों को सोलर के प्रति इंट्रेस्ट था या जो किसान सोलर लगाना चाहता था वह सोलर भी अनुदान कम होने की वजह से नहरी क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान हुआ। चाहे बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति योजना है उसकी बात करें तो उसमें भी सरकार के द्वारा निर्धारित अनुदान 90 परसेंट था उसको कम करके 50 परसेंट सूक्ष्म बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति योजना, जिसे माइक्रो इर्रिगेशन भी कहा जाता है वह कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे ग्रीन हाउस की बात करें, ऐसी अनेक योजनाएं हैं, चाहे कृषि उपकरणों की खरीद पर अनुदान दिया जाता था उसकी बात करें। मैं आपके माध्यम से सरकार और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार पिछली सरकार के समय किसानों को अनुदान दिया जाता था और केन्द्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा पैसा मिलता था, उसमें भी अनुदान मिलता

(श्री भंवरसिंह)

था। केन्द्र में भी आपकी सरकार है। लेकिन केन्द्र की सरकार किसानों व आम आदमी को अच्छे दिन आने की बात कर रही थी, केन्द्र सरकार द्वारा भी अनुदान जस्ट आधा कर दिया गया। उसकी वजह से इन तमाम योजनाओं पर असर पड़ा है। यदि केन्द्र सरकार ने अनुदान कम कर दिया है और सरकार यदि वास्तव में किसानों की हितैषी है तो केन्द्र सरकार ने जो अनुदान कम किया है उस डिफरेंस की राशि को राज्य सरकार अपने स्तर पर दे जिससे किसान सोलर लगा सके, नहरी क्षेत्र का किसान डिग्गी बना सके, जिससे किसान ग्रीन हाउस लगा सके। पूंजीपति किसान ही ग्रीन हाउस या बड़े प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन जो गरीब किसान हैं, छोटा किसान है, इन तमाम योजनाओं का फायदा नहीं ले पा रहा है। मेरा माननीय कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन रहेगा कि इन तमाम योजनाओं पर राजस्थान सरकार अपनी तरफ से अनुदान दे।

इसके साथ-साथ में राजस्थान में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गयी थी केन्द्र सरकार के 2014-15 के बजट में। मैं कहना चाहूंगा कि बीकानेर में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में चल रहा है।

और राजस्थान का सबसे अच्छा और केन्द्र सरकार की सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी के जो मापदण्ड हैं वो तमाम मापदण्ड बीकानेर का स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय पूरा करता है तथा सभी प्रकार के संसाधन, शोध कार्य हेतु 5 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि, वैज्ञानिकों की पूरी टीम, प्रशासनिक भवन आदि हैं। इससे करीब एक हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के द्वारा भी केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में ही बनाने की अनुशंसा की गई है पर सरकार इस मामले में अभी तक अपनी सोच स्पष्ट नहीं कर रही है कि कहां केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, खेत में और खेत से सम्बन्धित काम करते समय किसान की मृत्यु हो जाने पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि हम 5 लाख रुपये की किसान को सहायता देंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन साल का समय हो गया और आपने एक

(श्री भंवरसिंह)

लाख रुपये से दो लाख रुपये किये हैं जबकि आपकी घोषणा 5 लाख रुपये की है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खेत में काम करने वाले किसान की यदि खेत सम्बन्धी कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपये की उसको सहायता राशि दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में बीज विधायन केन्द्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कई जिले ऐसे हैं जहां एक ही जिले में दो-दो, तीन-तीन बीज विधायन केन्द्र हैं लेकिन बीकानेर में इतना ज्यादा कृषि से सम्बन्धित कार्य होने के बावजूद, बहुत बड़ा रकबा होने के बावजूद बीकानेर में बीज विधायन केन्द्र आज तक स्थापित नहीं किया गया। हालांकि समय-समय पर बीकानेर में बीज विधायक केन्द्र, जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट है वो खोलने की सरकार के द्वारा बात की गई है लेकिन आज तक नहीं खोला गया है। बीकानेर के आम आदमी की मांग है कि बीकानेर के किसानों को सूरतगढ़ जाना पड़ता है, हनुमानगढ़ जाना पड़ता है और वहां से उपचारित बीज लाकर खेती करते हैं तो मैं समझता हूं कि बीकानेर जिले में बीज विधायन केन्द्र अतिशीघ्र खोलना चाहिए।

समर्थन मूल्य पर खरीद करने की बात करें तो उपाध्यक्ष महोदय, मूंगफली की खरीद पिछले साढ़े तीन सालों में सरकार के द्वारा, समय-समय पर लूणकरणसर से आने वाले माननीय विधायक जी ने जैसा बताया कि इस साल भी केन्द्र सरकार के मंत्रियों ने, राजस्थान की सरकार के हमारे जो मंत्री हैं उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि बीकानेर में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद की जाएगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन बीकानेर में होता है लेकिन उसके बावजूद बीकानेर के किसानों के साथ हर बार छलावा किया गया और पिछले साढ़े तीन सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, मूंगफली के भाव 5 हजार से कभी कम नहीं हुए। लेकिन सरकार के द्वारा खरीद नहीं करने की वजह से, सरकार के द्वारा मंडियों में कांटा नहीं लगाये जाने की वजह से बीकानेर के किसानों की और राजस्थान के किसानों की मूंगफली ओने-पौने दामों में 3000-3200-3500 रुपये में बेचनी पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी

(श्री भंवरसिंह)

बताना चाहूंगा कि अभी चने की, गेहूं की, सरसों की, ईसबगोल की फसलें बाजार में आना शुरू हो गई हैं तो प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीद की जाए। उसके साथ-साथ बीकानेर जिले में भी जो एक बम्पर उत्पादन चने का होता है और अन्य फसलों का होता है तो बीकानेर में भी एक अप्रैल से जो पहला सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें मूंगफली सहित चना और तमाम अन्य जो फसलें इस रबी की फसल में आनी हैं उनकी समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जाए और बीकानेर जिले के कोलायत, खाजूवाला, डूंगरगढ़, लूणकरणसर, नोखा इन तमाम केन्द्रों पर मूंगफली और जो भी फसलें अभी आनी हैं उनकी खरीद की जाए।

हमारी सरकार ने गेहूं पर 150 रुपये बोनस दिया और एम.एस.पी. पर खरीद की लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार पिछले लम्बे समय से गेहूं पर जो बोनस दिया जाता था वो बन्द कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यदि सरकार किसानों की हितैषी है तो उस 150 रुपये के बोनस को बढ़ाकर 300 रुपये करना चाहिए था लेकिन आपने 150 रुपये का जो बोनस बन्द किया है उसको तत्काल चालू किया जाना चाहिए ताकि किसानों को समय पर खरीद के साथ-साथ 150 रुपये के बोनस का एक प्रोत्साहन दिया जाए जिससे कि किसान सरकारी एम.एस.पी. पर अपनी फसल बेच सके।

इसके साथ-साथ, माननीय आपदा राहत मंत्रीजी विराजे हुए हैं, विधान सभा के पिछले बजट सत्र 2016 में इसी समय हमारे बीकानेर जिले और बीकानेर सम्भाग में भारी ओलावृष्टि हुई थी जिसकी वजह से रबी की 2072 की फसल थी उसमें काफी नुकसान हुआ। हमारे करीब 50 गांवों के किसानों की और हमारे विधान सभा क्षेत्र के बज्जू और कोलायत में भारी खराबा हुआ लेकिन एक साल से ज्यादा का समय निकल गया पर अभी तक मात्र 50 प्रतिशत से ज्यादा वाले जो लघु और सीमांत किसान हैं, सिर्फ उन्हें ही फसल खराबे का मुआवजा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 2 हैक्टेयर तक किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिया जाता है और उसमें भी एक साल से ज्यादा का समय हो गया पर अभी तक फसल खराबे का मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से

(श्री भंवरसिंह)

कहना चाहूंगा कि 33 से लेकर 50 प्रतिशत तक जिन किसानों की फसलें खराब हुई है उन किसानों को भी तत्काल इसी मार्च माह में फसल खराबे का मुआवजा दिया जाए जिससे कि किसानों को राहत दी जा सके।

मैं दो मिनट में समाप्त करना चाहूंगा। इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जो रबी की वर्तमान 2073 की फसल है, अभी दिसम्बर में नहर का पटरा टूट जाने की वजह से नहरबंदी हुई थी जिससे 50 दिन तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के बीकानेर और जैसलमेर जिले के किसानों को पानी नहीं मिला। उसके साथ-साथ जो इस बार टेम्प्रेचर है, जो हमारा तापमान है वो भी सही नहीं रहा, समय पर मावठ आदि नहीं गिरी और सर्दी भी जितनी पड़नी चाहिए थी वो नहीं पड़ने की वजह से और गर्मी का मौसम जल्दी आ जाने की वजह से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर सम्भाग के जो किसान हैं, जिन किसानों ने 12 हजार से 15 हजार क्विंटल के हिसाब से चने के बीज खरीदकर अपनी फसल को बोया उनकी आज स्थिति यह है कि किसानों की फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। जिस किसान के खेत में एक बीघा में 8 से 10 क्विंटल चने का उत्पादन होता था, मैं समझता हूं कि आज एक क्विंटल चना भी मुश्किल से हो पायेगा। मैं आपके माध्यम से आपदा राहत मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर जिले के किसानों की जो फसलें हैं उनका अभी तत्काल समय रहते आकलन कराया जाए और आपदा राहत के माध्यम से यदि इनको कोई राहत मिल सकती है तो वो दिलायी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, बीमा कम्पनियां हर किसान से प्रीमियम वसूल करती हैं लेकिन बीमा कम्पनियों के द्वारा किसानों की फसल खराबे का मैं समझता हूं कि मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो 2073 की रबी की फसल है, विशेषकर बीकानेर जिले के किसानों की फसलें खराब हो गई है उनके खराबे का आकलन कराया जाए और समय रहते इंश्योरेंस कम्पनियों को भी पाबन्द किया जाए कि इन किसानों की फसलों का मुआवजा दिया जाए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त कर दें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि सहकारिता और पशुपालन के सम्बन्ध में भी मैं अपनी बात रखना चाह रहा था लेकिन समय काफी ज्यादा हो गया तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा जिन माननीय सदस्यों ने अभी तक राय रखी है, करीब-करीब राजस्थान के सहकारिता से जुड़े हुए चाहे हमारे जीरो प्रतिशत ब्याज पर जो ऋण दिया जाता है उसकी सीमा डेढ़ लाख रुपये तक करने सहित तमाम मुद्दों को सम्मिलित करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका आभार। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे? कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री प्रभूलालजी सैनी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर मुझे जो कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें 216 प्रस्ताव कृषि से सम्बन्धित है और मांग संख्या 39 से सम्बन्धित 198 हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 24 घंटे के अन्दर-अन्दर सभी के जवाब उनके स्वयं के पते पर भिजवा दिये जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में कृषि, पशुपालन और सहकारिता पर जो चर्चा हुई, वास्तव में कई वर्षों के बाद पहली बार ऐसा लगा कि पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य गांव, गरीब और किसान के हित में सकारात्मक सोच रखते हैं और आज जितने माननीय विधायकों ने चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों इतने अमूल्य सुझाव दिये हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं, मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा कि आपके दिये हुए सुझावों पर हम लोग परीक्षण करके, निश्चित रूप से विभाग को आगे ले जाने का काम करके, किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे।

(20.00 बजे)

20 माननीय सदस्यों ने आज इस डिबेट में भाग लिया है। मेरी बात को आगे शुरू करूं, इससे पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए हर्ष है और मैं सदन की नेता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2016 मार्च कृषि कर्मणा पुरस्कार गेहूं के उत्पादन-उत्पादकता के बारे में भारत सरकार के

(श्री प्रभू लाल सैनी)

द्वारा राजस्थान को दिया गया और उसके अन्तर्गत दो किसानों को भी दो-दो लाख रुपये और राज्य सरकार को दो करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में राजस्थान को मिला है।

मैं यह भी सदन को बताना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एण्ड फार्म फ्रेंडली इंडेक्स में नीति आयोग का जो अभी इंडेक्स बना है, उसमें राजस्थान प्रदेश मार्केटिंग के क्षेत्र में, रिफोर्म्स के क्षेत्र में, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरा नम्बर राजस्थान प्रदेश का आया है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। राजस्थान में ई-ट्रेडिंग, एकल बिंदु मण्डी शुल्क, सिंगल लाइसेंस, प्राइवेट मंडीज, कृषक उपभोक्ता बाजार, डाइरेक्ट मार्केटिंग और कांट्रेक्ट फार्मिंग के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के बहुत अच्छे काम करने के कारण से हमें तीसरा स्थान मिला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई ज्यादा आंकड़ों की बात नहीं करना चाहूंगा। कई माननीय सदस्यों ने आंकड़ों का जिक्र भी किया। आमेर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बड़े अच्छे आंकड़े आपने प्रस्तुत किये राष्ट्रीय से लेकर यहां तक। लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रखते तो ज्यादा अच्छा लगता। आपने ज्यादा गुस्से में रखे। क्योंकि यह सदन था, यह भाइयों का सदन है, यह विद्वानों का सदन है, यह किसानों का सदन है और आप भी जानते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग-लगभग मैं यह कहूंगा कि 61 परसेंट से ज्यादा किसान प्रतिनिधि हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं।

मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में जो हमको बजट दिया है, उस बजट के क्षेत्र को यदि हम देखें तो 2013-14 के बजट से कृषि संबंधी सेवा में 23.89 प्रतिशत ज्यादा दिया है और यही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग की यदि हम बात करें तो 36.99 प्रतिशत बजट राजस्थान में इस वर्ष मुख्य मंत्रीजी के द्वारा दिया गया है और पशुपालन के क्षेत्र में मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी को कि 822.37 करोड़ रुपये का बजटरी प्रावधान करते हुए 17.47 प्रतिशत की वृद्धि पशुपालन क्षेत्र में हुई है और जिन योजनाओं की लांचिंग भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट के माध्यम से घोषणा की। "अविका

(श्री प्रभू लाल सैनी)

कवच योजना" यह अविका कवच योजना पूर्व सरकार में हमारे वक्त में चालू की गई थी। एक बार फिर से ये चलेगी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एसटी एससी बीपीएल के किसान को जो भेड़पालक हैं, उनको 80 प्रतिशत प्रीमियम का पैसा राजस्थान की सरकार की तरफ से दिया जायेगा और अन्य जो किसान हैं, उनको 70 प्रतिशत प्रीमियम का पैसा सरकार की तरफ से भरा जायेगा।

जहां तक सब-सेंटर खोलने का सवाल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब सम्पूर्ण राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में एक पशु चिकित्सा इकाई हो जायेगी। 4,160 नये पशुधन उप केन्द्र पंचायत स्तर पर खोलने की घोषणा की गई है और नाबार्ड के सहयोग से 200 जो हास्पिटल्स बने हुए हैं, उनके बारे में भी लगभग 49.40 करोड़ रुपये का बजटरी प्रावधान करके भवन निर्माण की कार्यवाही भी इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा घोषणा की गई है।

900 पशु चिकित्सकों की भर्ती और 4,000 पशुधन सहायकों के रिक्त पद भरे जायेंगे। यह राजस्थान के पशुपालन के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं कि पहली बार हुई है। इसलिए मैं आपकी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद उन्हें देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि बजट का हम एनेलेसिस करें तो मैं समझता हूं, आंकड़े गिनाने से, किस सरकार ने किया, किसने नहीं किया, यह एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ किसानों को मिला या नहीं मिला और यदि नहीं मिला तो हम क्या सुधार उसमें कर सकते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि प्रतिस्पद्र्धा योजना 17 जिलों में 17 सैक्टर्स में चल रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत भी 520 करोड़ रुपये की बहुत अच्छी इसमें व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत और इसी प्रकार आरएसीबीए के अन्तर्गत भी नाबार्ड वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर 320.25 करोड़ रुपये के प्रावधान किये गये हैं। बागवानी के क्षेत्र में भी 388 करोड़ रुपये के प्रावधान हुए हैं और फसल बीमा योजना में 700 करोड़ रुपये के हुए हैं, जैसा कि आमेर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे हैं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है सरसों के बारे में। आजादी से अब तक का इतिहास उठाकर देखें, राजस्थान प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पर सरसों का उत्पादन देश का 48 प्रतिशत अकेले राजस्थान में होता है और हिन्दुस्तान की यदि मैं बात करूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कनाडा के बाद चाइना और चाइना के बाद भारत का तीसरा स्थान है जहां पूरे विश्व में सरसों का उत्पादन होता है। 32 परसेंट आयल जो राजस्थान में लगभग 48 प्रतिशत होता है, इसके अलावा सारा आयल बाहर से, उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने उसको नाकारा सूची से बाहर निकाला है। अब नाकारा सूची से निकल जाने के बाद में इसके बारे में उद्यमियों के लिए, इण्डस्ट्रीज के लिए नये रास्ते बन पायेंगे क्योंकि उसमें "रिप्स" के अन्तर्गत पहले लाभ नहीं मिल सकता था, अब उस "रिप्स" के अन्तर्गत भी इसको लाभ मिल सकेगा। कस्टमाइज पैकेज भी मिल सकेगा यदि कोई बड़ी इण्डस्ट्री लगायेगा। तो मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

एक और जानकारी देना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरसों के बारे में राजस्थान प्रदेश में आयल कंटेंट्स जो हैं, वह 40 से 42 प्रतिशत इस साल हमारा आयल कंटेंट है और यदि हम उसको आगे बात करें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो आप देखेंगे, लगभग 27 से 30 लाख हैक्टेयर में लगभग 40 से लेकर 45 लाख मैट्रिक टन के लगभग प्रोडक्शन राजस्थान में होगा और 42 प्रतिशत आयल कंटेंट अब यह मैंने पूरे राजस्थान में दिखवाया है, वह निकला है। और कई सारी मंडियों में हम लोगों ने एवरेज देखा तो अधिकतम मूल्य है वह 3,750 रुपये है और कम से कम 3,100 रुपये जो फेयर एवरेज क्वालिटी के आधार पर जिनके आयल कंटेंट कम है, उनमें निश्चित रूप से कम हुआ है और हम यह कोशिश करेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, विश्व स्तरीय राजस्थान को नक्शे पर ले जाने के लिए दो प्रकार का उसमें अभी सरसों में एरोसिक-एसिड जो होती है, उस अम्ल को कम करने के लिए भी चार प्रतिशत उसमें एरोसिक-एसिड निकलती है, इसकी वजह से उसके इम्पोर्ट में प्रोब्लम आती है। उसको कम करने के

(श्री प्रभू लाल सैनी)

प्रयास भी भारतीय सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर के द्वारा और हमारी यूनिवर्सिटीज के द्वारा हम लोगों ने शुरू कर दिया है ताकि जब उसकी कमी हो जायेगी तो हमारे आयल की मात्रा और उपयोग एडिबल आयल के रूप में या इसको खाद्य तेल के रूप में इसका प्रयोग भी आगे बढ़ सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं। सबसे पहले मैं सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य जो हमारे आज के प्रथम वक्ता थे, उन्होंने कई प्रश्न उठाये और कई सुझाव भी दिये। वास्तव में इनकी विद्वता को मैं दाद तो देता हूं। लेकिन इतना भी निवेदन करना चाहूंगा, ग्लोबल एग्रीटैक मीट, इसके बारे में आपने प्रश्न किया कि आरटीपीपी एक्ट का इसमें वायोलेशन हुआ है। मैं माननीय सदस्य, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आरटीपीपी एक्ट, 2012 और इसके नियम-213 के अन्तर्गत टू-स्टेज बिडिंग का काम करके, एक्सप्रेशन आफ इंट्रेस्ट का राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में हम लोगों ने प्रकाशन किया था। उसके बाद में लोएस्ट रेट आने के कारण से कई प्रकार के नेगोशिएशन्स हुए और नेगोशिएशन्स होने के बाद में उसकी दरों की, 'फिक्की' की दरों को एप्रूव किया गया।

मैं इतना निवेदन आपसे कर सकता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे सदन को, ग्लोबल एग्रीटेक मीट राजस्थान देश का पहला एग्रीटेक मीट था, जिसमें लगभग 58,000 किसानों को पहली बार हम लोगों ने फाइव स्टार फैसिलिटी देने का काम किया है। उनको घर से लेकर, पूरे कार्यक्रम से लेकर आखिरी घर तक छोड़ने का काम किया और हम लोगों ने यही नहीं किया कि कोई मेला दिखाना था। लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी हम लोगों ने किये। कांग्रेस के कई मेरे साथी भी उसको देखने आये थे। काफी सराहना हुई। हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया था और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाइव डेमोंस्ट्रेशन में चाहे ग्रीन हाउस हो, चाहे सोलर पम्प हो, चाहे ड्रिप हो, चाहे एनिमल हजबेंडरी हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे जेपेनिज बटेर हो या मुर्गी हो, सभी तरह के जो राजस्थान में किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

चौपालों के माध्यम से भी, हमारे दो-दो मंत्री बैठकर चौपाल के माध्यम

(श्री प्रभू लाल सैनी)
से कृषि वैज्ञानिकों के साथ सीधी और सरल भाषा में सभी किसानों ने भी अपनी चर्चा की है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि पहली बार 200 से ज्यादा कम्पनियों ने इसमें भाग लिया, जो कीमतन भाग लिया, उसकी जो राशि आई, वह उसमें हम लोगों ने समाहित की।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि इजराइल हमारा पार्टनर कंट्री बना। इजराइल के साथ में नीदरलैंड रहा, नाइजीरिया रहा, आस्ट्रेलिया रहा, कजाकिस्तान रहा, जापान रहा, यानी सात कंट्रीज के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और भाग लेने के बाद इसके पीछे मुख्य मंत्रीजी का एक विजन था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फार्मर को एम्पॉवरमेंट मिले। उसकी उपज का उचित पैसा उसको मिले। इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियलिस्ट आये थे, हमारे उन लोगों के साथ एमओयू हुए 440 करोड़ के 381, मैं आज आपके माध्यम से सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य और सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमारे उन 38 एमओयूज में से लगभग 8 एमओयूज हमारे अभी वर्किंग में आने वाले हैं, उनका काम चल रहा है। जमीन भी वो लोग ले चुके हैं, खरीद चुके हैं, कन्वर्जन का काम भी हो चुका है। फैक्ट्री बनाने का काम भी शुरू कर रहे हैं वो लोग और मैं समझता हूं कि ये 38 के 38 हण्ड्रेड परसेट एमओयू धरातल पर आयेंगे यह विश्वास मैं सदन को आपके माध्यम से देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा एक और सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक जो वास्तव में जिनाइन बात की, उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिण्ड खजूर की खेती की शुरूआत हुई और आपने यह भी कहा कि फल आने थे लाल और आ गये पीले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने कहा तो, आपके हिसाब से बिलकुल आप सही थे, जितना आपका सोचना था बिलकुल ठीक था। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि पीले भी फल आये, लाल भी फल आये, लेकिन पीले क्यों आये, क्योंकि वह बरही क्वालिटी थी उसके पीले आते हैं और जो खुनेजी और मेडजूल वैरायटी होती है इन दोनों के लाल फल आते हैं। इसलिए आपने देखा वो भी सही देखा। आपने कहा वो भी सही कहा लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस किस्म के पौधे टिश्यु कल्चर के प्लांट यू.ए.ई. से अतुल के माध्यम से टेण्डर की प्रक्रिया पूरी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

करके खरीदे गये थे और उनमें से कुछ पौधे जिनमें फ्रूटिंग नहीं हुआ, आज हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो पच्चीस सौ हैक्टेयर में हमारे मेडजूल, बरही, जगलूल, खलास, खदरावी, जाम्बली सहित अन्तरराष्ट्रीय वैरायटी के पिण्ड खजूर वहां पर अभी पैदा हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि अबकी बार 20 हजार मैट्रिक टन से ज्यादा उत्पादन होने की पूरी-पूरी उम्मीद है। फ्लावरिंग स्टेज पर चल रहा है।

लेकिन इन्होंने जो बात कही, वास्तव में कुछ गंगानगर के और हनुमानगढ़ के किसान ग्लोबल एग्रीटेक मीट में मिले थे, उनसे बात हुई थी, उनका ज्ञापन भी था। ज्ञापन के बारे में एक कमेटी बनाई और कमेटी बना कर हमने जांच करायी और जांच कराने पर यह पाया गया कि उस में ओक्टो टाइप के जो कुछ पौधे थे जिनमें दो-तीन साल के बाद भी फ्रूटिंग नहीं हुआ, तो उसकी जांच हुई और जांच में वास्तव में यह हम लोगों ने माना कि वास्तव में यह कंपनी के द्वारा जो पौधे दिये, यदि वो टिश्यु कल्चर होते, तो एक सौ एक करोड़ पौधे भी होते टिश्यु कल्चर के तो वो समान वंश के और समान वैरायटी के होते। तो क्या कारण रहा। क्लाइमेट का कारण रहा या अवेयरनेस का कारण रहा, जो भी रहा हो, लेकिन हम लोगों ने उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की और कार्यवाही करके एक करोड़ इकत्तीस लाख रुपये की जो अर्नेस्ट मनी थी उसको रोका। उसको ब्लेक लिस्टेड हम लोगों ने कार्यवाही प्रारम्भ की और उस कंपनी को ये भी डाइरेक्शन दिये कि आप जो इसमें पौधे इम्पोर्ट हुए थे उसमें सांगरोद नियम है, जो एक्सपोर्ट करने वाले पौधों पर लगता है उसमें यह नियम होता है कि एक साल के बाद यदि फिर भी पौधे गड़बड़ रहते हैं तो उसमें क्वेरेनटाइन एक प्रक्रिया को अपनाते हुए हम लोगों ने उनको रिप्लेस करने के लिए डाइरेक्शन दिये गये हैं वो किसानों को उसको रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके जो पौधे वहां पर खड़े हैं वो होटल टूरिज्म कहीं भी वो लोग देंगे उसका उनको अलग से पैसा मिलेगा। यह कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं। किसानों को मुआवजे का जहां तक सवाल है उस पर भी हमारी जांच की प्रक्रिया पूरी हो रही है। यदि जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न और उठाया कि भीलवाड़ा, चूरू, बीकानेर ...(व्यवधान)... और भीलवाड़ा जिले में शुष्क सिंचाई योजना के बारे में आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ। बिलकुल निश्चित ही यह बात सही है कि भीलवाड़ा में 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2015-16 में एक ही फर्म के द्वारा ये जो फर्में बनी हुई थी इनके द्वारा अनियमितताओं का प्रकरण सामने आया। हमने दो अधिकारियों को जिसमें एक एडिशनल डाइरेक्टर, होर्टीकल्चर और एक एग्रीकल्चर ऑफिसर को निलंबित कर दिया है और अभी एक हमारी टीम भी काम कर रही है। लोकायुक्त के पास भी लोग इनकी जांच करवा रहे हैं। पहले वाले मामले एसीडी में भी गये हुए हैं निश्चित रूप से जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करने का मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि 11 लाख किसान कम कैसे हो गये। यह ठीक बात है, खरीफ 2015 में 64 लाख किसानों ने बीमा कराया था, यह मैं स्वीकार करता हूं और 2016 में 53 लाख किसानों ने बीमा कराया और 11 लाख कम किसान आये। उसका मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गणित का खेल नहीं है। यह खेल समझने का है चूंकि बीमा कराने में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा में। एक स्वैच्छिक है और एक लोनी फार्मर्स। लोनी फार्मर्स को जितना ऋण मिला उतने ही किसानों का बीमा हुआ और नॉन लोनी फार्मर्स ने जो स्वेच्छा से बीमा कराया उन्होंने बीमा कराया।

लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात हुई इसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि डबल बीमा की जो संभावनाएं थी वो अबकी बार इस योजना के आने के बाद से कम हुई। कई बार चूरू में और नागौर में गत वर्षों में कई प्रकरण देखने को मिले उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एरिया करेक्शन फैक्टर लागू करते हैं कंपनी के माध्यम से। उस एरिया करेक्शन फैक्टर का यह अर्थ होता है कि कहीं किसी किसान का बीमा, फसल तो पांच बीघा बोई और

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बीमा करा लिया दस बीघा का। तो उसमें कई विसंगतियां मिली थी और उन विसंगतियों के मिलने के कारण से अब जो बीमा हुआ वो एक्जेक्ट बीमा उन किसानों का हुआ जिन्होंने क्रोप ऋण लिया था।

क्रॉप ऋण लेने के बाद में ये जो बीमा हुआ और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक कैपिंग पैटर्न को हटा दिया। पहले कैपिंग लगती थी कि इतना तक ही बीमा हम लोग देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब से आई उस योजना के आने के बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ प्रतिशत और दो प्रतिशत पर फसल बीमा और होर्टीकल्चर क्रोप्स पर पांच प्रतिशत प्रिमियम पर बीमा करने के प्रावधान थे। इन प्रावधानों में कैपिंग सिस्टम को हटा दिया जो अब जितनी फसल का यील्ड है आपके पांच सालों का औसत यील्ड है उस आधार पर होने वाला जो इंडेमिनिटी जो आपकी जोखिम क्षमता जो बीमित है उस जोखिम क्षमता के आधार पर ही उन किसानों का बीमा इसमें देने के प्रावधान हैं और इसमें लगभग बीमित जो राशि हुई उसमें ढाई से तीन गुना अधिक किसानों का पैसा इस योजना के अन्तर्गत मिलेगा।

आपने कहा कि 2015 में बीमित राशि 4,459 करोड़ थी और 2016 में बढ़कर बीमित राशि 12,207 करोड़ हो गयी। सही? Am I correct?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): Absolutely right, Sir. मैं एक चीज पूछना चाह रहा था।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): थैंक यू। फिर बाद में अपन कर लेंगे न। यह मैं आपकी ही बात कर रहा हूं।

बीमित राशि 12,207 करोड़ बढ़ने का जो प्रीमियम आया वो 2,381 करोड़ रुपये हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैपिंग जब हटा उस समय क्रोप 4,559 की ही बीमित थी, अब जो क्रोप बीमित हुई है वो हुई है 12,207 करोड़ की जब 12,207 करोड़ की प्रीमियम तो अपने-आप ऑटोमेटिक ही डेढ़ प्रतिशत और दो प्रतिशत प्रीमियम बढ़ने से यह राशि इसमें बढ़ी है।

कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि फसल बीमा योजना में कुछ भी नहीं मिला। मैं आज ...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय, केवल मैंने यह जानना चाहा था कि 11 लाख किसान कैसे कम हो गये। रकबा कम या रकबा ज्यादा से जो 11 लाख बीमित होना था किसान, वो फर्क नहीं आ सकता न, साहब। रकबा पांच की जगह दस दर्ज दर्शा दिया गया हो, संभव है, लेकिन 11 लाख किसान एक छोटी-मोटी संख्या नहीं है। हजार-दो हजार किसान, पांच हजार किसान का फर्क आ जाए यह तो समझ में आता है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगता है कि आप ऑडिटर ज्यादा हो रहे हैं किसान कम हो रहे हैं और मैं तो एक किसान हूं और किसान की बात करता हूं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि आपके 11 लाख किसान इसलिए कम हुए कि डबल बीमा हुआ और लोनी जो फार्मर्स थे उन्होंने कम लिया और जितना कोओपरेटिव के माध्यम से सहकारिता के माध्यम से जितने किसानों ने, अब ये तो है नहीं कि किसी का जबरदस्ती बीमा आप करोगे, क्योंकि जहां स्वैच्छिक बीमा का सवाल है वो नॉन लोनी फार्मर्स का है और जहां कंपलसरी बीमे का सवाल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो उन लोगों का है जो कोओपरेटिव में सहकारिता के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या कृषि ऋण जिन्होंने लिया है यह उनका बीमा हुआ। इसलिए यह कमी आयी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी उठाया ...(व्यवधान)...

फसल बीमा योजना के बारे में एक निवेदन और करना चाहूंगा, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 का आपने प्रश्न किया, कुल प्रीमियम का 225 करोड़ 19 लाख रुपये कृषक प्रीमियम का प्राप्त हुआ 2016 में। राज्यांश और केन्द्रांश दोनों का मिलाकर 2156.56 लाख का हुआ, कुल प्रीमियम 2381.75 करोड़ का प्राप्त हुआ। 300 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम, अब तक की जो गणना हुई, 300 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की हमारी प्रक्रिया चल रही है और 12207 करोड़ रुपये, जिनका अभी फाइनल असेसमेंट हमको करना है, इनके हो जाने के बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि किसान को बहुत अच्छा पैसा इस वर्ष में मिलेगा।

जहां तक तीन वर्ष का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के वक्त में और पिछली सरकार के वक्त का एक तुलनात्मक

(श्री प्रभू लाल सैनी)

अध्ययन मैं बता दूं। 2013 से 2015-16 कृषक प्रीमियम का 1339 करोड़ 58 लाख रुपये आया। राज्यांश और केन्द्रांश प्रीमियम का 1832 करोड़ 59 लाख रुपये, कुल मिलाकर 3172.17 करोड़ रुपये प्रीमियम के प्राप्त हुए और जो कुल बीमा क्लेम बना 3707 करोड़ का बना और लाभान्वित कृषक 2 करोड़ 7 लाख किसान हुए। 534.88 करोड़ रुपये किसानों के खातों में ज्यादा दिया, कंपनी के खाते में हमारी सरकार के वक्त में एक भी पैसा हम लोगों ने नहीं दिया। यही नहीं, यदि हम बात करें 2008 से लेकर 2012-13, इनके कार्यकाल के पांच वर्षों का भी आप देख लें, कुल प्रीमियम 2624.60 करोड़ रुपये का लिया और कृषक प्रीमियम 775.22 करोड़ का लिया और बीमा क्लेम दिया 1855.53 करोड़ का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ पांच साल में इन्होंने लाभान्वित किया 1 करोड 32 लाख किसानों को, 769.07 करोड़ रुपये कंपनियों को ज्यादा दिया, न किसान को ज्यादा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तथ्यात्मक रूप में आंकडे देना चाहूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इनसे टक्कर नहीं है, 2018 में हमारे से रहेगी आपकी। आप बार-बार क्यों कह रहे हो कि इन्होंने यह किया, इन्होंने यह किया?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): देखिए, मैंने पहले ही निवेदन किया, आज यह पूरा सदन एक परिवार के रूप में है और हम सब यहां बात कर रहे हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि अभी आपने जो फीगर बताया, खरीफ में कितने क्लेम हुए? क्योंकि यह किताब में नहीं था। सिर्फ जानकारी चाहता हूं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): कौनसा?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): अभी आपने यह बताया खरीफ 2016 में क्लेम की राशि अभी आपने बताई थी, वह कितनी बताई?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैंने यह बताया कि अब तक किसानों के खातों में 300 करोड़ रुपये के ट्रांसफर की प्रक्रिया चालू है और 12207

(श्री प्रभू लाल सैनी)
करोड़ रुपये का अभी फाइनल डिसीजन होना है। यह जुड़ जाने के बाद यह सारे पैसे हम लोगों को देंगे।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 12207 तो बीमित राशि है। जो आप क्लेम बता रहे हैं, वह अगर 300 करोड़ ही मिलने हैं तो इन बीमा कंपनियों को तो 2 हजार करोड़ का फायदा एक खरीफ के सीजन में हो जायेगा, क्योंकि आपने प्रीमियम दे दिया 2381 करोड़ और मुआवजा मिल रहा है 300 करोड़। फिर तो एक सीजन में बीमा कंपनियां 2 हजार करोड़ का मुनाफा कमा जायेंगी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अभी तक हमारे पास जो फाइनल आंकड़े आये हैं, क्योंकि राजस्व मंडल के द्वारा क्रॉप कटिंग के माध्यम से हमें जिन-जिन जिलों के प्राप्त हो रहे हैं, उन जिलों के प्रीमियम का जो क्लेम बना है वह 300 करोड़ रुपये का अब तक आ चुका। बाकी अभी और सारे जिलों में हमारी क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। यह फाइनल आंकड़ा नहीं है। फाइनल आंकड़ा तब होगा जब यह सारे के सारे परिणाम हमको प्राप्त हो जायेंगे। लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि कंपनियों से ज्यादा किसान के खाते में हम लोग ट्रांसफर करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह सही कहा है बिना कृषि में कामयाबी हासिल किये हम किसी सुखद भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। पक्ष और विपक्ष, हम सभी चाहते हैं, भारत की समृद्धि का जो मूल आधार है वह कृषि है। भारतीय कृषि, भारतीय संस्कृति का आधार है, यह सब जानते हैं लेकिन एग्रीकल्चर दो शब्दों की संधि से बना है एग्री और कल्चर। दोनों को यदि हम जोडे तो एग्रीकल्चर बनता है। हम यह कह सकते हैं कि Agriculture of all cultures is called agriculture. सारी सभ्यताओं को मिलाकर यदि हम बात करें तो वह एग्रीकल्चर कहलाता है और जहां सभी संस्कृतियों का समन्वय हो, वही कृषि है।

हमको कृषि को किसी दल के रूप में नहीं देखना चाहिये, किसी धर्म के रूप में नहीं देखना चाहिये, किसी पार्टी के रूप में नहीं देखना चाहिये। कृषि एक समाहित विषय है, यह सबका विषय है। मैं तो आपसे यही निवेदन

(श्री प्रभू लाल सैनी)
करना चाहूंगा केवल सरकार की नीतियों की आलोचना करना, सरकार की योजनाओं की आलोचना करना, किसान के लिये समाधान नहीं है, अख़बार के लिये समाधान हो सकता है। मैं सारे सदन से पुरजोर प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम में जो भी कमियां हैं उनको ठीक करना भी चाहिये, आपसे वादा भी करते हैं कि ठीक करेंगे। लेकिन हम सब मिलकर अपने अपने विधान सभा क्षेत्र में जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, क्या हम इस विधान सभा में यह कहकर इतिश्री प्राप्त कर लेंगे कि आपने यह किया, वो किया, हमने यह किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम मतदाता जो अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में होता है, उसे दिलाने का काम हम लोग करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में तीन प्रकार के किसान हो गये हैं। एक हलधारी किसान, एक छाताधारी किसान और तीसरा बंगलाधारी किसान। तीनों किसान की परिभाषा अलग है। मैं तो यह कहता हूं कि राजस्थान में 60 प्रतिशत हलधारी किसान हैं जो लघु और सीमांत कृषक है। छाताधारी किसान 8 से 10 परसेंट हैं जो खेत पर जाकर छाता लगाये खड़े रहते हैं, अपना-अपना काम कराते हैं और आधा से एक परसेंट ऐसे बंगलाधारी किसान है जो नाम मात्र के किसान हैं, लेकिन बात किसान की करेंगे, पूरी तरह से करेंगे, मजबूती से करेंगे।

आपने हमें जो सुझाव दिये हैं मैं उनको प्रेरणा स्वरूप स्वीकार करता हूं और आपकी संतुष्टि ही हमारी सफलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिये। एम.एस.स्वामीनाथन विश्व विख्यात एक किसान, जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, विशेषज्ञ हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को 2004-05 में जब स्वामीनाथन जी की कमेटी बनी, राजस्थान पहला प्रदेश था इस देश का जहां पर हम लोगों ने सिक्स सेमेस्ट्रिक्स ग्रुप बनाकर एम.एस. स्वामीनाथन के पद चिन्हों पर चलने का काम राजस्थान में किया।

तब तक हम लोगों ने कोशिश की कि विलायती भाषा में बोलने वाले जो अधिकारी हैं उनको हटाकर फार्मर को ओनरेरी रूप में, प्रगतिशील किसानों

(श्री प्रभू लाल सैनी)

को किसान से किसान की भाषा में समझाने का काम हमारी सरकार ने किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आज किसान समझने लगा है। आज आप आश्चर्य करेंगे, ग्रीन हाउस, पोली हाउस, नेट हाउस, ड्रिप इर्रिगेशन, पाइप लाइन, इसके अलावा इनोवेशन के जो काम हैं उसमें किसान स्वयं अपनी भागीदारी निभा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमको 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना करना है तो हम सबका दायित्व बनता है कि हमको किसान की आय दोगुनी करने के लिये उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करनी पडेगी। हमारा जो यील्ड है, हमारी जो सेफ साइज क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लागत में कमी आये, कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन का जो काम है, यह भी हम सब कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन मृदा और जल तकनीक के कुशल प्रयोग के बारे में भी सरकार ने काम शुरू किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि यह सही है। कृषि की खोज एक सभ्य जीवन की ओर बढ़ा पहला कदम है। सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि तीन बार विदेश गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान से जब-जब भी हमारे अधिकारी और हम लोग विदेश में गए, तब-तब कोई-न-कोई चीज वहां से लेकर आए और ऑर्थर कीथ ने ठीक कहा है जो कि एक शारीरिक नर विज्ञानविद् हैं, इनका कहना है कि “The discovery of agriculture was the first big step towards a civilized life”. ये चीजें वहां से सीखकर यहां तक लेकर आए हैं।

जैविक खेती का सवाल भी कई लोगों ने उठाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैविक खेती नई चीज नहीं है। 1966 में जब हरित क्रांति हुई, तब जैविक खेती थी। हम लोग खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए। साइंटिस्टों ने कहा, यूरिया डालो, डीएपी डालो, फलाना डालो, प्रोडेक्शन बढ़ाओ। हमारे बेचारे किसान और हम सब ने यह डाला। अब वही साइंटिस्ट बोलता है कि 'नो'। तो इसकी कमी को ठीक करने के लिए सिक्किम देश का पहला राज्य है जो ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हुआ है और राजस्थान में भी हम लोगों ने कोशिश की है। परम्परागत खेती योजना जो कि प्रधान मंत्री जी की है, उस

(श्री प्रभू लाल सैनी)

योजना के माध्यम से हम लोगों ने 1150 कलस्टर, प्रत्येक ब्लॉक में 50-50 किसानों का एक ब्लॉक बनाकर। सारे राजस्थान का एक साथ नहीं किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो 65 हजार हैक्टयर में किसानों के द्वारा स्वप्रेरित ऑर्गेनिक खेती की शुरूआत की है और हम आपको इतना विश्वास दिलायेंगे, सरकार नहीं, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जैविक खेती को बढ़ाना आज की आवश्यकता इसलिए हो गई है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की धीरे-धीरे कमी होने लगी, डेफिशियंसी होने लगी है। आज की कई प्रकार की बीमारियों के जनक हमारे रासायनिक खाद, उर्वरक हैं, इनसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हुए। तो सरकार का यह प्रयास रहा है। हम लोग परम्परागत खेती योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। 20 हजार रुपए प्रति हैक्टयर के हिसाब से अनुदान किसान को उनके वर्मीकम्पोस्ट इकाई लगाने के लिए, अच्छे बीज और अच्छी क्वालिटी के लिए राजस्थान में इसकी शुरूआत हम लोग कर रहे हैं।

एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा, कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि उत्पादन में कमी भी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है। तीन साल को उठाकर यदि हम देखें तो ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तीनों साल लगातार हुई हैं और छह हजार से ज्यादा का मुआवजा आपदा राहत के अंदर उन किसानों को मिला, जिनकी फसलें बर्बाद हुईं और बर्बाद होने से निश्चित रूप से प्रोडेक्शन में तो कमी हुई। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सीरिअल्स में जो हमारे खाद्यान्न हैं, उनमें 2014-15 में 107.89 लाख मैट्रिक टन का प्रोडेक्शन था, वह 2016-17 में 116.82 लाख मैट्रिक टन हुआ है। मस्टर्ड में भी, ऑयल सीड्स हैं, जो हमारी दलहन हैं, उनमें भी 14.38 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ है। मैं समझता हूं कि इस साल देश में दलहन उत्पादन क्षेत्र में पहला पुरस्कार राजस्थान को मिलेगा। यह मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई के क्षेत्र में भी मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन महा अभियान राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में चला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका इतना असर हुआ कि जहां पर

(श्री प्रभू लाल सैनी)

पानी कमी थी, पानी उपलब्ध हुआ। कुओं का रिचार्ज नहीं हो रहा था, रिचार्ज हुए और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि 2012-13 में जहां कुल सिंचाई 74.99 लाख हैक्टयर में थी, वह 2016-17 में बढ़कर 80 लाख हैक्टयर में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी हैं। नहरी तंत्र को यदि हम छोंड़ें। 19 लाख हैक्टयर के लगभग नहर से सिंचाई होती थी, लेकिन डिग्गी, फार्म पोंड्स और सिंचित क्षेत्र के बढ़ने से अब 80 लाख हैक्टयर में हुई है।

मैं तो पानी के बारे में आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे बारिश से किसान को तकलीफ होती, फसलें खराब होती है। फिर भी किसान की जो अभिलाषा है, वह दो लाइन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं-

'छत टपकती है, उसके कच्चे घर की,

वो किसान फिर भी बारिश की दुआ करता है'

वह किसान इतनी तकलीफों के बावजूद भी कभी यह कल्पना नहीं कर सकता कि मेरे नुकसान होगा, मेरी फसल सूखेगी। फिर भी किसान की यही मनोदशा होती है कि मैं एक अन्नदाता हूं और मेरा धर्म यह है कि मैं पूरे प्रदेश और देश के पेट पालन के लिए अन्न पैदा करूं और दूध, दही, सब्जी पैदा करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसान की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है और अब चुनौती भरे शब्दों में मैं एक बात कहना चाहूंगा -

'जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है,

सूखे कुएं, तुम्हारा इम्तहान बाकी है।।

बरस जाना इस बार वक्त पर, हे मेघा,

किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है'

किसान यह कल्पना करता है कि समय पर बारिश हो।

जैसा कि खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान में आत्महत्याएं हुई हैं। मैं सदन में आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में एक भी किसान की फसल खराबे के कारण से आत्महत्या नहीं हुई। यह मैं जिम्मेदारी से आपको वक्तव्य देना चाहता हूं। क्योंकि राजस्थान का किसान स्वाभिमानी किसान है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बैंक का ऋण था।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): बैंक का ऋण अलग चीज है। प्लीज खतम करने दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हुआ तो किसान ही, और क्या हुआ?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अनुदान कम हुआ है। (व्यवधान) मैं नहीं कह रहा यह बात। मैं किसी पर नहीं कह रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 2017-18 में फव्वारा सिंचाई के लिए 30 हजार हैक्टेयर का लक्ष्य रखा है। ड्रिप इर्रिगेशन का 30 हजार हैक्टेयर रखा है। सौर ऊर्जा पम्प सैट का 10 हजार पम्प रखा है और ग्रीन हाउस के लिए 5 लाख 75 हजार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं कि कमी हुई है। सब्सिडी की कमी होने से मैं कहना चाहूंगा आज भी 2016-17 में सोलर पम्प के 3500 ऐसे आवेदन हैं जो आज भी बाकी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि सब्सिडी का अंतर होता तो ऑनलाइन जो आवेदन लक्ष्यों से ज्यादा आये हैं, वे 3500 बाकी हैं, जिनका हम इस वर्ष करेंगे। 2016-17 में पॉली हाउस व शेड नेट हाउस में 41.25 लाख वर्ग मीटर की फाइलें आज भी पैंडिंग हैं जबकि 1 लाख के ही टारगेट 2016-17 के थे। यानी, लक्ष्य से भी ज्यादा अवेयरनैस बढ़ी है, जानकारी बढ़ी है और जानकारी बढ़ने से अब इसके बारे हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको कैसे-न-कैसे लाभ दिलाएं।

राज्य में 2012-13 में कुल सिंचित क्षेत्रफल 74.99 लाख हैक्टेयर था। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 80 लाख हैक्टेयर के लगभग हमारा हुआ है।

मैं मृदा के बारे में एक और निवेदन करना चाहूंगा। प्रधान मंत्रीजी ने 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान में Soil Health Card का नेशनल लॉचिंग सूरतगढ़ से किया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि राजस्थान में 66.88 लाख हमारी कृषि जोत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो नॉर्म्स तय किए गए थे। जिसमें ढाई हैक्टेयर और दस हैक्टेयर सिंचित और असिंचित के थे। मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि 35.52 लाख कार्ड हम लोगों ने अब तक वितरित कर दिए हैं

(श्री प्रभू लाल सैनी)
और शेष रहे कार्ड बहुत जल्दी ही हम लोग प्रत्येक किसान को जो ढाई हैक्टेयर और दस हैक्टेयर में आएगा, उनको उपलब्ध करा देंगे। ताकि उसे उसके खेत की सॉइल के बारे में जानकारी मिल जाए कि क्या डेफिशियंसी है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या किस चीज की कमी है? जस्ता की कमी है या जिंक की कमी है, आयरन की कमी है। तो Package एवं Practice के आधार पर हम लोग यह कोशिश करेंगे कि जो कमी Soil Health Card में आ रही है। मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक कदम होगा। इससे पूरा राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बने, ऐसी हम लोग कोशिश कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नवाचार के एक क्षेत्र में एक और निवेदन करना चाहूंगा। जैसा कि सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी सुझाव दिया और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बात कही थी। मैं आज कुछ ऐसी बातें हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनकी जानकारी सदन के माध्यम से सब को देना चाहूंगा। हो सकता है कि इनकी सबको जानकारी हो, लेकिन यह मुझे नहीं पता। फिर भी मैं दो लाइन के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोगों ने सबसे पहले ऑलिव का प्लांटेशन करके स्पेन, ब्राजील, मोरेक्को, इटली, इजराइल के बाद राजस्थान में शुरूआत की और राजस्थान में रिफाइनरी लगी। रिफाइनरी के लिए कह रहे हैं क्यों लगी? रिफाइनरी का निर्णय तो इनकी सरकार के वक्त इन्होंने कर लिया था लेकिन यह लगा नहीं पाए थे। हमारी सरकार ने उसको लगाया। मैं कहता हूं कि इस साल में हमारे कृषि, आठ फार्मों में जेतून के प्लान्टेशन है 210 हैक्टेयर में, अब की बार बहुत अच्छा उसका फ्रूटिंग होगा। तीन वर्षों में लगातार ओलावृष्टि होने से फ्लावरिंग स्टेज पर उसका नुकसान हुआ। फ्लावरिंग स्टेज पर नुकसान होने से वह पूरा नहीं हुआ। आज मुझे आपके बीच में कहते हुए बहुत खुशी है कि हम यह कोशिश करेंगे कि जितना भी नवाचार पूरे देश में होगा,क्योंकि स्पाइडर मैन की तरह हमें काम करना पड़ेगा। रिसर्च एक दिन का काम नहीं है। हजारों-हजारों साल रिसर्च में लग जाते हैं। कोई व्यक्ति यह कहे दस दिन गए, हवाई जहाज में जाकर रिसर्च ले आए, ऐसा कुछ नहीं है, फील्ड में उसको ट्राइल करनी पड़ेगी।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी, 50 परसेंट असत्य बोल रहे हैं। गृहमंत्रीजी कटारियाजी बैठे हैं नई मशीन ले आए, जांच करवा देंगे। 50 परसेंट सही, 50 परसेंट असत्य बोल रहे हैं। मत बोलो, मशीन है इनके पास में, चाहो तो आप जांच करवा लो, असत्य पकड़ा जाएगा।...(व्यवधान)... मंत्रीजी बोल रहे हैं असत्य।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनकी सरकार के वक्त ही इन्होंने उसको परचेज करने के आर्डर दिए थे। मैं फिर जिम्मेदारी से सदन में कह रहा हूं, वैसे ही नहीं कह रहा हूं। लेकिन उसको फिर भी हम लोगों ने सोचा कि यह प्लान्टेशन हमारी मुख्य मंत्रीजी का ड्रिम विजन था। हम लोगों ने उसको किया। अभी 800 हैक्टेयर से ज्यादा किसान के खेत पर इसका प्लान्टिंग फ्लावरिंग स्टेज पर आ गया है। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की आर्थिक स्थिति किसान की मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छी क्राप के रूप में इन्ट्रोड्यूज करेंगे।

इसी प्रकार हम लोगों ने कोशिश करके दो और नई चीजें नवाचार के रूप में राजस्थान में हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपका सबका समर्थन उसमें मिलेगा लेकिन दो लाइनों के साथ कहना चाहूंगा -

बिन थके हर मोड़ से हम सीख लेते हैं,
पवन के विपरीत हम अपनी नाव खेते हैं,
अनकहे, अनगिनत विचारों को मिलाकर
स्वर अधबने, हर घोंसले को हम प्रीत देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम लोगों ने जैतून पिंड खजूर, ड्रेगन, उसके बाद अब हम राजस्थान में ड्रमस्टीक की खेती शुरू कर रहे हैं। अभी ड्रमस्टीक का सीकर, चौमूं में काफी हो रहा है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसमें संतरा से सात गुना विटामिन-सी होता है। विटामिन-ए गाजर से चार गुणा होता है। कैल्शियम दूध से चार गुना होता है। पोटेशियम केले से तीन गुणा होता है। प्रोटीन दही से दो गुना ज्यादा होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम इसका यूज करते हैं तो मधुमेह, ब्लडप्रेशर, अस्थमा, लीवर, मोटापा, चर्म रोग, एनिमिया, थाइराइड,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

गुर्दा, तनाव, कैंसर, हृदय रोग,ब्लडप्रेशर, टीबी, एलर्जी, हड्डी कमजोरी, माइग्रेन, बवासीर, एंटीआक्सीडेंट और इनफ्लौमेटिव, यह अमेरिका का रिसर्च बता रहा हूं। यह रिसर्च कोई भाषण का नहीं है। मैं अमेरिका यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए रिसर्च को आपके समक्ष रख रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 300 प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। किसान के खेत में ड्रमस्टीक, सेजना होता है। यह भी इसकी खासियत है कि यदि हम डेयरी में किसी भी पशु को खिलाएंगे तो लगभग 32 परसेंट उसका वेट गेन होगा। 43 से 65 प्रतिशत तक मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसलिए ड्रमस्टिक की खेती राजस्थान में इसी वर्ष में सरकारी फार्मों के साथ-साथ किसानों की मेड पर लगाने की एक योजना बनाएंगे और किसानों को अनुदान देकर इस नई रिसर्च को हम लोग आगे बढाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है, यूनाइटेड नेशन्स ओर्गेनाइजेशन...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): सत्ता पक्ष के विधायकों को जरूरी है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): कोई बात नहीं, सबको जरूरत है।

यूनाइटेड नेशन्स ओर्गेनाइजेशन, इंटरनेशल लेवल पर किनवा चिनोपोडियन वैराइटी का होता है, इसकी खेती इस वर्ष में हम लोगों ने राजस्थान के 11 जिलों में शुरूआत की। दो हजार क्विटंल से ज्यादा प्रोडक्शन, 5 क्विटंल पर हैक्टेयर दो बीघा में इसका प्रोडक्शन हुआ और इसकी प्रोसेसिंग के बाद इसकी एक लाख रुपये वैल्यू हैं, 150 रुपये से लेकर 200 रुपये इसके कास्ट पर है। इसको हम लोगों ने राजस्थान में शुरू किया है। इसको भी अगर हम देखें तो उच्च गुणवत्ता युक्त 14 प्रतिशत प्रोटीन है, 7 प्रतिशत फाइबर है, विटामिन-बी 6, पोटेशियम, मैग्नेशियम के साथ एंटीआक्साइड का काम करती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस वर्ष आने वाले साल में हम लोगों ने यह कोशिश की है कि दो हजार क्विटंल होगा, उसको सीड कारपोरेशन के माध्यम से हम किसानों से खरीदेंगे, खरीदकर आगामी साल में एक लाख मिनीकिट्स बांटकर हम लोग राजस्थान में इस खेती को बढ़ाएंगे। चूंकि बाजरा, मक्का, ज्वार जो 12 रुपये, 15 रुपये किलो मिलती है, उससे ज्यादा किसान की आमदनी बढ़ाने का इससे बढ़िया

(श्री प्रभू लाल सैनी)
जरिया, मैं समझता हूं, कोई नहीं होगा। कम से कम भी 100 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो की रॉ मैटेरियल की कास्ट किसानों को मिलेगी। इसका परचेज भी हम लोग करेंगे। इसकी शुरूआत भी हम लोगों ने कर दी है। जैसा कि प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि गोल्डन रिव्योलेशन हम लेकर आएंगे, सुनहरी क्रांति।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम भरतपुर की बात करें। शहद की खेती मधुमक्खी पालन के रूप में तीन हजार मैट्रिक टन के लगभग शहद का उत्पादन हो रहा है। हम बीकीपिंग के माध्यम से किसानों को भी इसमें जोड़ेंगे और किसानों को जोड़कर एडिशनल उसकी आमदनी बढ़े, इसके प्रयास भी हम लोग करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मण्डी शुल्क में भी हमारी वृद्धि हुई है, 57 प्रतिशत वृद्धि हम लोगों ने की है। किसान पथ का निर्माण भी हम लोगों ने किया। अब की बार लगभग 1600 किसान पथ का निर्माण भी कृषि मण्डी बोर्ड के माध्यम से हुआ हैं। कवर्ड प्लेटफार्म भी हम लोगों ने बनाए, लेबर सेट भी हम लोगों ने बनाए हैं। हमारा इसके पीछे यही है कि उत्पादन के साथ-साथ विपणन की भी समुचित व्यवस्था हो। विपणन की समुचित व्यवस्था के लिए 139 हमारी मण्ड़ियां हैं, उन सबके क्षेत्र में हम लोग काम करें।

पशुपालन के क्षेत्र में भी राठी, थारपारकर, काकरेज है, वह हम लोग जल्दी कोशिश करके सैक्स सीमन प्रोजेक्ट राजस्थान में लेकर आएंगे ताकि किसान को यदि बछड़ा चाहिए तो बछड़ा, बछड़ी चाहिए तो उसको मिलेगा।

जायल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि राजस्थान गो वंश वध का प्रतिषेध एवं अस्थाई प्रत्यावर्जन का निर्यात अधिनियम 2015 बना था उस अधिनियम की एक सब कमेटी बनी थी। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एक फैसला दिया कि तीन साल से छोटा बछड़ा और बछड़ी एक्सपोर्ट नहीं की जाए, बशर्ते की वह रिसर्च के लिए हो या अनुसंधान के लिए हो या कृषि के लिए हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के आदेश पर इसकी एक सब कमेटी माननीय कटारिया साहब के नेतृत्व में बनी थी। कमेटी और राजस्थान

(श्री प्रभू लाल सैनी)

की सभी संस्थाओं से हमने बात की है। दो वर्ष तक इसके करने के हमारे प्रयास हैं, भारत सरकार को हम लोगों ने भिजवाया है। मैं समझता हूं कि अनुमति मिलने के बाद इसका भी लाभ हमको मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कुछ घोषणाएं हैं, वह मैं आपके समक्ष करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि किनवा की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2017-18 में 50 हजार मिनी किट्स किसानों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे।

अब तक राज्य में 27 हजार 85 सोलर पम्प स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 107 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। 2017-18 में भी 10 हजार सोलर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा करता हूं, जिस पर 395 करोड़ रुपये राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में अब तक तीन एचपी, पांच एचपी के ही पम्प लिए जाते थे। कई जिलों से जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर में पानी का लेवल नीचे हैं। तो आज मैं यह भी घोषणा करता हूं कि 7.5 और 10 एचपी के सोलर के कनेक्शन भी वह इसी अनुदान पर किसान स्वैच्छिक रूप से लेना चाहेगा, तो उसको भी हम उपलब्ध कराएंगे, यह मैं घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में ग्रीन हाउस तो आ गए लेकिन उनकी तकनीक के बारे में जानकारी नहीं हुई, तो उसमें समस्या पैदा हुई। मैं आपके माध्यम से निमिटोड एक ऐसी बीमारी है, उस निमिटोड के आने से जो कुकरबीट्स है, चाहे वह टिंडा हो, चाहे ककडी हो, कुकुम्बर, केप्सीकम हो, टमेटो हो, इनमें वह कुकरबिट आता है। तो अब हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में किसानों को पोली हाउस और शेड नट हाउस में खेती के प्रति रूझान बढाए। संरक्षित खेती के लिए निमिटोड और खारा पानी एक विकराल समस्या है, स्विट्जरलैण्ड की विकसित तकनीक इस वर्ष किसानों के खेतों तक उपलब्ध हम लोग कराएंगे। राज्य में दो स्थानों पर यह प्रयोग सफल रहा है। कृषकों के खेतो, सैंट्रल आफ एक्सीलेंस और कृषि विश्वविद्यालयों के फार्मों पर कृषि तकनीक का एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर कृषकों को

(श्री प्रभू लाल सैनी)

लाभान्वित करने की मैं घोषणा करता हूं। इसके माध्यम से हम लोगों को निमिटोड से निजात मिल सकेगी।

हाइड्रोपोनिक्स पायलट के बारे में भी निवेदन कर दूं कि ग्लोबल खेती की आधुनिक तकनीक में अब बिना मिट्टी के भी कम क्षेत्रफल में प्रति इकाई अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। विश्व में उत्पादन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के प्रदर्शन हाइटेक सेंटर बस्सी जयपुर में स्थापित किए जाएंगे। इस पर पायलट प्रोजेक्ट में प्रति वर्ग गज लगभग 150 से 200 किलो ग्राम उत्पादन पैदा होगा और लगभग 16 करोड़ रुपये का इसमें भी प्रावधान करके, इसकी भी व्यवस्था करके किसानों को भी हम उपलब्ध कराएंगे और सेण्टर आफ एक्सीलेंस में भी हम लोग इसको देंगे।

सेण्टर्स आफ एक्सीलेंस की स्थापना के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में उद्यानिकी विकास को गति देने के उद्देश्य से वर्षों से सेण्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी। इसी में सवाई माधोपुर में फूलों में, चित्तौड़ में सीताफल की और बूंदी में सब्जियों के सेण्टर आफ एक्सीलेंस स्थापित किये गये हैं। इन सेण्टरों पर भी सभी जो पद हैं, उनको शीघ्र भर कर उनको सुचारु रूप से चालू कराया जायेगा और मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुसार राजस्थान में सेण्टर आफ एक्सीलेंस, मेडिसन एण्ड हर्बीकल्चर का, देश का पहला सेण्टर आफ एक्सीलेंस 10 करोड़ रुपये की लागत का राजस्थान में बनाया जायेगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी घोषणा करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा जैतून की खेती में नवाचार करते हुए पत्तियों की चाय बनाने का एम.ओ.यू. किया है। यह ग्लोबल एग्रीटेक में एम.ओ.यू. हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगले महीने तक अंतरराष्ट्रीय स्तर की ग्रीन टी, ओलिव टी के साथ जिंजर और तुलसी के, यह राजस्थान से शुरू करके हम लोग पूरे विश्व को एक नई दिशा देंगे। इसके लिये भी मैं यह घोषणा करता हूं कि राष्ट्र में प्रथम बार राजस्थान में जैतून का प्लाण्टेशन क्रोप जो नहीं था, लास्ट में हम लोगों ने उसको क्रोप में शामिल किया है, और मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि 1500 हैक्टेयर में इस खेती को बढ़ाये जाने की भी मैं घोषणा करता हूं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उद्यानिकी विभाग में फसलोत्तर प्रबन्धन प्रकोष्ठ का गठन, राज्य में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन के उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उद्यानिकी फसलों के फसलोत्तर प्रबन्धन को बढ़ावा दिये जाने और फसल कटाई के उपरान्त होने वाले 30 प्रतिशत नुकसान को रोका जा सके एवं कृषकों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इस पर 2017-18 में फसलोत्तर प्रबन्धन प्रकोष्ठ का गठन करने की भी मैं घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ घोषणाएं मैं कृषि विपणन बोर्ड से सम्बन्धित भी करना चाहूंगा। कृषकों को फसलोत्तर प्रबन्धन एवं प्रसंस्करण तकनीक के माध्यम से मूल्य संवर्धन की ओर अग्रसर करने के लिये स्वयं की कृषि भूमि पर कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाई स्थापित किये जाने पर अनुदान की योजना की मैं घोषणा करता हूं। इस योजना में बैंक के माध्यम से स्वीकृत परियोजना के आधार पर 50 प्रतिशत और अधिकतम 20 लाख रुपये प्रति इकाई पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। 10 करोड़ रुपये के इसमें प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

कृषक एवं उनके परिवार के सदस्यों को अतिरिक्त आय का भी साधन उपलब्ध कराने, कृषि उपज मण्डी विक्रय प्रतिस्पर्धा मूल्य दिलाने की सहायता करने हेतु कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से एक करोड़ रुपये का भी मैं इसके लिये प्रावधान करता हूं।

कृषि उत्पादन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका को सम्मान देते हुए उनके द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले कृषि उपज के विपणन में भी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसी क्रम में राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में महिलाओं के द्वारा कृषि उपज के विक्रय के पश्चात ई-भुगतान प्राप्त करने वाली सावित्री बाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना की मैं घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से 50 हजार रुपये से अधिक ई-भुगतान प्राप्त करने पर पांच सौ रुपये तथा एक लाख रुपये से अधिक ई-भुगतान पर एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जायेगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु दो करोड़ रुपये की भी मैं प्रावधान की घोषणा करता हूं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

देश में प्रधान मंत्रीजी के द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं नई दिशा देने की ओर ई-भुगतान कैशलेस को आगे बढ़ाते हुए राज्य की कृषि उपज मण्डियों में होने वाले कृषि उपज के व्यापार में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन देने के लिये कृषि उपज विक्रय ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी। इस योजना के संचालन के लिये कृषि उपज मण्डी स्तर पर प्रति मण्डी दो लाख रुपये और राज्य स्तर पर 25 लाख रुपये राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से बजट प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

हमारी सरकार द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़ी महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना लागू की गई थी। इस योजना के अनुज्ञापत्रधारी हम्माल पल्लेदारों को प्रसूति, विवाह, छात्रवृत्ति, चिकित्सा में मण्डी समिति द्वारा सहायता दी जाती थी। पुत्रियों के विवाह के लिये भी 20 हजार रुपये की सहायता से बढ़ा कर 50 हजार रुपये करने की भी मैं घोषणा करता हूं।

कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने पर और खेती की नवीन पद्धतियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने, खेती व्यवसाय के सतत विकास को सुनिश्चित करने, आधुनिक खेती और विपणन के लिये मुख्य मंत्री काश्तकार विदेश प्रशिक्षण यात्रा योजना प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं। इस योजना में प्रदेश में 125 प्रगतिशील किसानों को पांच दल बना कर विदेश में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। इस योजना में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इस पर होने वाले व्यय का सामान्य कृषकों के लिये 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों के लिये 75 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के लिये राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के 2 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फसलोत्तर प्रबन्धन एवं मूल्य संवर्धन के काम आने वाली मशीन और उपकरणों पर भी अनुदान उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। इस योजना में लहसुन का पृथक्कीकरण मशीन, सोलर ड्रायर अनाज सफाई, श्रेणीकरण मशीन, दलहन दलाई मशीन, सोया पनीर प्रोसेसिंग इकाई, आलू छिलाई एवं चिप्स बनाने हेतु मशीनों की लागत का 50

(श्री प्रभू लाल सैनी)
प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं सेण्टर आफ एक्सीलेंस पर भी इन मशीनों और उपकरणों का प्रदर्शन किया जायेगा। इस पर अनुदान, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 6 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी मैं घोषणा करता हूं।

कृषि उपज मण्डियों में अपने जिंस के विक्रय के लिये आने वाले कृषकों की कृषि जिंसों की सुरक्षा के लिये तथा कृषि जिंसों के विक्रय हेतु सुनिश्चित स्थान उपलब्ध कराने के लिये कृषि मण्डियों में ऑक्शन प्लेटफार्म का निर्माण कराया जायेगा। गत तीन वर्षों में 178 कवर्ड प्लेटफार्म, जिसका 22.57 लाख वर्गमीटर है, निर्मित किये गये हैं। अब राज्य की मात्र छह ऐसी मुख्य मण्डियां बची हैं, जिनमें ऑक्शन प्लेटफार्म नहीं बने हैं। इसलिये उनके लिये भी मैं तीन करोड़ 40 लाख रुपये से कवर्ड बनाने की घोषणा करता हूं।

पान मैथी का उत्पादन नागौर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। इसके उत्पादन और अच्छी किस्म को देखते हुए किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलवाया जाना आवश्यक है। नागौर जिले में भी वर्ष 2016-17 में लगभग 3500 हैक्टेयर में फसल बुआई की जाकर एक लाख 40 हजार क्विंटल पान मैथी के उत्पादन को देखते हुए विपणन को सुगम एवं नियमित करने की दृष्टि से इसे कृषि उपज मण्डी समिति 1961 की धारा 2 में वर्णित कृषि जिंसों की सूची में सम्मिलित करने की भी मैं घोषणा करता हूं।

कृषि उपज मण्डी समिति मदनगंज-किशनगढ़ में पिछले चार वर्षों में दलहन के मूल्यांकन 572 करोड़ रुपये को देखते हुए दलहन की विशिष्ट मण्डी बनाये जाने की भी मैं घोषणा करता हूं।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिशरीज के क्षेत्र में भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि दो करोड़ रुपये की लागत से ओरनामेंटल फिश का बीसलपुर पर ब्रीडिंग स्टेशन बनाने का था, जो काम पूरा हो गया है। लेकिन अभी 150 प्रकार की रंगीन मछलियों के प्रजनन के बारे में नई तकनीक के आधार पर और वहां पर स्टेशन बनाना है। इसलिये आज सदन में दो करोड़ रुपये इस पर भी करने की मैं घोषणा करता हूं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

अंत में मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का कि आपने अमूल्य सुझाव दिये हैं। इसको मैं राजनीति से ऊपर उठकर, सिर्फ किसानों के हित में और अपन सब मिल कर कोशिश करें। अंत में, अपने-अपने जहन में आप रखें, और इन दो लाइनों के माध्यम से अपनी बात खतम करूंगा कि -

खाना खाते वक्त यह दुआ जरूर करना दोस्तों,

जिनके खेतों से मेरा खाना आया है,

उनके बच्चे भूखे न रहें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी के भाषण के बाद यह सिद्ध हो गया कि बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इनको जो डाक्टरेट की उपाधि दी है, वह सही दी है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको इससे पहले यह आशंका क्यों थी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, मेरे को नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आशंका को निर्मूल करने के लिये मैंने यह कहा।

श्री उपाध्यक्ष: सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंहजी।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 36 सहकारिता एवं मांग संख्या 39, पशुपालन एवं गोपालन पर चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने बहुत उत्साह एवं गम्भीरता के साथ बहस में भाग लिया। अच्छे सुझाव तो दिये ही, साथ ही कमियों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है।

मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में 53 माननीय सदस्यों ने 165 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं एवं मांग संख्या 39, गोपालन व डेयरी के सम्बन्ध में 20 माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ..(व्यवधान).. मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि पूरे सकारात्मक सोच के साथ में मैं व्यक्तिगत रूप से प्रस्तावों को देख लूंगा

(श्री अजय सिंह)

और सभी कटौती प्रस्तावों के जवाब माननीय सदस्यों को भिजवा दिये गये हैं। ...(व्यवधान)...

माननीय उपाध्यक्षजी, गाय की उपयोगिता एवं गौ-उत्पादों के गुणों के कारण हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को माता का पवित्र स्थान दिया गया है और इसीलिये उसे माता के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। राजस्थान राज्य का पहला राज्य है जहां पृथक गोपालन विभाग का गठन किया है।

(21.00 बजे)

वर्तमान में 6 लाख 68 हजार गौ-वंश हमारी विभिन्न गौ-शालाओं में है और वर्तमान में 2185 पंजीकृत गौ-शालाएं राज्य में संचालित हैं। इनमें से 1148 पात्र गौ-शालाओं को इस वर्ष अनुदान दिया गया है। वर्तमान में वित्त विभाग ने 103 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें से 88.53 करोड़ रुपये जिलों को दे दिये गये हैं और बाकी भी गौ-शालाओं को जल्दी से भुगतान कर दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौ-शालाओं का गठन एवं संचालन धार्मिक ट्रस्टों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और पहली बार गौ-शाला एक्ट में जो पंजीकृत गौ-शालाएं हैं, उसके अलावा जो सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत गौ-शालाएं हैं उनको भी हमने प्रथम बार अनुदान दिया है। इसके अलावा हमने जो कांजी हाउस और गौ-पुनर्वास केन्द्र हैं उनको भी 7 प्रदेश के, गौ-पुनर्वास केन्द्रों को भी हमने अनुदान दिया है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कटौती प्रस्ताव किया था कि गोचर भूमि का अच्छी तरीके से रख-रखाव किया जाए तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पंचायती राज एक्ट में 170 (द) नियम के अंदर यह प्रावधान है, चारा प्रबंधन समिति का प्रावधान है और हमने माननीय पंचायती राज मंत्रीजी को लिखा भी है कि इसके संबंध में उचित निर्णय करें और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार की यह स्पष्ट मंशा है कि गोचर जो है, वह चारा के संबंध में, वहां पर चारा उगाया जाए और उसके अतिक्रमण वहां से हटे।

(श्री अजय सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी के संबंध में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। डेयरी हमारा सरस लोकप्रिय दूध है, टेस्ट आफ राजस्थान, सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह कहना है कि स्वयं भी पिये सुबह और शाम और निश्चित रूप से अपने बच्चों को भी एक गिलास सरस दूध जरूर पिलायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी के संबंध में अभी जो बात, माननीय सदस्यों ने रखी मिलावट के दूध के लिए तो निश्चित रूप से यह एक चिंता का विषय है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके संबंध में जो हमारी प्रयोगशाला है उसका और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और इस पर हमारा विभाग विचार कर रहा है कि हम मेडिकल विभाग से कुछ इंस्पेक्टर प्रतिनियुक्ति पर लें ताकि इस संबंध में मिलावाटी दूध के विरुद्ध सघन अभियान चलाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह भी घोषणा करता हूं कि हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए भी हम इस वर्ष पांच हजार डेयरी बूथ नये खोलेंगे। इसी प्रकार से महिला सशक्तीकरण के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि एक हजार से अधिक महिला डेयरी दुग्ध समितियां हम बनाये और इसके लिए हम बनाएंगे।

इसी के साथ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में हम एक नया प्लांट दूध का एन.सी.डी.सी. के सहयोग से 252.66 करोड़ रुपये का लगा रहे हैं, जो अभी प्रक्रियाधीन है और इसके बाद में हमारा यह प्रयास रहेगा कि जो अभी प्लांट में शिफ्ट कर लेंगे नयों में तो उसके अंदर सिर्फ गाय के दूध के लिए हम उस प्लांट का संकलन करें और सरकार का यह प्रयास रहेगा कि गाय का दूध, जो ए टू मिल्क है, उसको बाजार के अंदर उसकी मार्केटिंग करे और ताकि जो भी हमारे गायें रखते हैं, जो भी डेयरी, जो गायों का दूध देना चाहते हैं, जो दूध उत्पादक हैं, उनको अच्छी कीमत मिल सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2017-18 के बजट में घोषणा की गयी है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को रियायती ब्याज पर फसली ऋण प्रदान करने के लिए इन बैंकों को 370 करोड़ रुपये के अनुदान की राशि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है। इसी के साथ में क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में भी 150 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये हैं।

(श्री अजय सिंह)

इसी के साथ, नव-गठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम एवं कार्यालय के लिए दस करोड़ रुपये तथा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 20 गोदाम निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये हैं। मैं सभी के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिंदगी तब बेहतर होती है, जब हम सब खुश हो जाते हैं लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से लोग खुश हो जाते हैं। वर्तमान में सरकार का प्रयास भी यही है ....(व्यवधान)....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जिंदगी तो बेहतर तब होती है जब रात ढलती है। ....(व्यवधान)....

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): सहकारी विभाग की मंशा भी यही रही है कि हम अच्छी जन-हितैषी योजनाओं एवं कार्यों को किसानों एवं उपभोक्ताओं तक पहुंचाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की जिंदगी में यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे के जैसा हो, आज यह जरूरी नहीं है कि एक इंसान दूसरे के जैसा हो लेकिन आज की जिंदगी में यह बहुत जरूरी है कि एक इंसान, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए हो। 'एक सबके लिए, सब एक के लिए', यही सहकारिता विभाग की ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बार-बार दर्शक दीर्घा की तरफ क्यों अंगुली उठ रही है आपकी?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही हमारी मंशा है सहकारी समितियों का हमेशा प्रदेश में यह प्रयास रहा है कि हम अच्छी सेवाएं प्रदान करते हुए केवल उचित लाभ प्राप्त करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही कहा गया है कि -

'हे परिंदे यूं जमीन पर देखकर क्यों आसमान देखता है
अपने पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है'

निश्चित रूप से ....(व्यवधान)....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज तो रोमांटिक ज्यादा ही हैं आप कुछ।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने

(श्री अजय सिंह)

सहकारिता के क्षेत्र में निश्चित रूप से अच्छा कार्य किया है। प्रदेश में हमारी 29 सहकारी बैंक हैं और 36 भूमि विकास बैंक हैं। हम आते ही सबसे पहले हमारी 491 शाखाओं को कोर-बैंकिंग के प्लेटफार्म पर लेकर आए और आज प्रदेश की सभी हमारी जो शाखाएं हैं वह ऑनलाइन हो चुकी हैं और आज प्रदेश के सभी सहकारी बैंक एवं अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष आ गये हैं और इसका नतीजा यह हुआ कि जहां हमारी बैंकों में केवल लाखों खाते थे, आज करोड़ों हो गये हैं और आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में एक करोड़ से भी अधिक खाते किसानों के हैं।

सहकारी बैंक सभी तरह का भुगतान कर रही हैं और इन बैंकों में हम इस वर्ष जो प्रक्रियाधीन है, 297 ए.टी.एम. लगा रहे हैं और 2500 माइक्रो ए.टी.एम. हम ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में लगा रहे हैं। इसी तरह से हम 77 फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर भी खोल रहे हैं किसानों के लिए ताकि उनको वित्तीय व्यवहार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी करवायी जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बात सदन में लगातार हो रही है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार राजस्थान सरकार ने आजादी के बाद में भूमि विकास बैंकों में और हमारी केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों में ब्याज दरों को बहुत अधिक कम किया है। पी.एल.डी.बी. की अगर हम देखें, भूमि विकास बैंकों में तो उसके लिए हमने पांच प्रतिशत अनुदान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार भी दिया था और इस बार भी बजट में अनुदान दिया है और इससे हम अभी जो हमारे किसानों से जो ब्याज ले रहे हैं, वह ले रहे हैं 7.10, सेवन पाइंट वन जीरो। यह पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा अन्य वाणिज्यिक बैंक नहीं है, को-ऑपरेटिव बैंक के अलावा जो कि किसानों को इतनी कम ब्याज दर पर उनको ऋण दे रहे हो।

इसी तरह से सी.सी.बीज. जो हमारी हैं, उसमें भी हमने दो प्रतिशत अनुदान दिया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और उसमें भी हम साढ़े नौ प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण दे रहे हैं और कोई भी बैंक अभी इस ब्याज दर पर ऋण नहीं दे रहा है और हमने एक नई योजना शुरू की है- 'सहकार किसान कल्याण योजना', इसमें कोई भी किसान जमाबंदी और

(श्री अजय सिंह)
गिरदावरी को दिखाकर 20 लाख का अगर उसकी भूमि सिंचित है तो वह ले सकता है और हमने इसको मार्केट वैल्यू से जोड़ा है अगर उसकी मार्केट वैल्यू का 70 परसेंट बैंक उसको ऋण देता है तो यह बहुत अच्छी योजना है और निश्चित रूप से किसानों को इससे लाभ हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी हमने हमारी सी.सी.बीज. के लिए, हमारी पी.एल.डी.बीज. के लिए हमने ओ.टी.एस. स्कीम (वन टाइम सैटलमेंट स्कीम) एकमुश्त योजना भी चलाई है, जिसके अंदर हमने ब्याज में, शास्ति में काफी छूट दी है और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है, उसके पूरे ब्याज को हमने अबकी बार माफ किया है। निश्चित रूप से करोड़ों रुपये का इससे प्रदेश के किसानों को लाभ होगा।

इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने तीन वर्षों में 46 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण हमने हमारे किसानों को दिया है और यदि कांग्रेस के समय के पांच वर्षों को देखे तो उन्होंने 41 हजार करोड़ का ऋण अपने किसानों को ब्याज मुक्त का दिया था।

वर्तमान में 22 लाख से अधिक किसानों को 12 हजार करोड़ से अधिक राशि का ब्याज मुक्त फसली ऋण हम दे चुके हैं। अभी माननीय सदस्यों ने इस राशि को बढ़ाने की बात कही थी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यह ऋण जो हम किसानों को देते हैं तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका नाबार्ड की होती है। नाबार्ड का जितना री-फाइनेंस हमें ज्यादा मिलता है, उतना हम ऋण अधिक बांटने की स्थिति में हम रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नाबार्ड इतने दिन केवल 40 प्रतिशत री-फाइनेंस कर रहा था। अब नाबार्ड 55 प्रतिशत का री-फाइनेंस अभी करने के लिये एग्री हो गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं निश्चित रूप से हम हजारों करोड़ रुपये अब की बार अधिक बंटायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 16 विधायकों ने ध्यान आकर्षित किया है कि नये सदस्यों को फसली ऋण दिया जाये। हम अब की बार पूरा प्रयास करेंगे और मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले मई-जून के अंदर अलग से शिविर लगाकर हमारा प्रयास रहेगा कि तीन लाख

(श्री अजय सिंह)

से अधिक नये सदस्यों को, जिनको कि कभी भी ऋण नहीं मिला है, उनको हम ब्याज मुक्त फसली ऋण दिलायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 26 लाख किसानों को नवीनतम तकनीक के ई.एम.बी. के राज सहकार रुपये, किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवायेंगे। जिन पर किसान का नाम और उसका फोटो भी अंकित होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन्दगी में ज्यादा रिश्ते हों, यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर रिश्ते में जिन्दगी हो, यह जरूरी है। हमने हमेशा यह प्रयास किया है कि हमारे जो भी किसान जुड़े हुए हैं, हम उनका भी ध्यान रखें और उनके परिवार को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। सरकार के आते ही हम एक योजना लेकर आये थे राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। इसमें हमने 50 हजार से बढ़ाकर उस क्लेम को 5 लाख किया था अर्थात् अगर किसी भी किसान की, जिसने हमसे ब्याज मुक्त ऋण लिया है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये का क्लेम मिलेगा। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं कि अप्रैल से इस 5 लाख को बढ़ाकर 6 लाख करेंगे। अब भविष्य में किसान को 6 लाख रुपये का बीमा क्लेम का लाभ मिलेगा। मेरा माननीय सदस्यों से कहना है कि इसके लिये एफ.आई.आर. की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें चाहिये होती है। अतिशीघ्र इसके बारे में जानकारी आप जो भी ग्राम सेवा सहकारी समिति का संचालक मण्डल है या व्यवस्थापक है, उनको देवें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय, केवल एक यह जानकारी चाह रहा था जिस स्कीम की आप अभी बात कर रहे हैं, उसमें जिसका क्रेडिट कार्ड है, उसी की यह पालिसी है तो क्रेडिट कार्ड वाले के अलावा भी पैसे मिलेंगे क्या?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको हमने सीधे ऋण से जोड़ दिया है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): पूरा परिवार है इसमें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): नहीं, इसमें पूरा परिवार नहीं है। इसमें केवल जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है, उसी का है और हमने उसको

(श्री अजय सिंह)

जोड़ दिया है। ऋण लेते ही उसका बीमा अपने आप हो जाता है। पिछली बार हमने लगभग 21 लाख किसानों का बीमा किया, जो कि पूरे हिन्दुस्तान में सबसे अधिक है और अब की बार भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा प्रयास है डेयरी और इन दोनों को मिलाकर कम से कम 30 लाख किसानों का राजस्थान के अंदर बीमा हो और उनके परिवार को लाभ हो। ...(व्यवधान). जो लोन ले रहा है उसी एक व्यक्ति का बीमा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंकों में लगभग 250 पद रिक्त चल रहे हैं। अच्छा काम हो इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि शीघ्र इनकी भर्ती शुरू की जाएगी और इनकी परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी, जिसमें साक्षात्कार नहीं रखा जाएगा और जो सभी इसमें उत्तीर्ण होंगे, उनको मैरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की हमेशा मंशा रही कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बैंकों की शाखाएं खुले और अभी 6 माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव भी दिये हैं कि उनके क्षेत्र में बैंक शाखाएं खोली जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वर्ष हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी 30 नई शाखाएं हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हम खोलें और जिन माननीय सदस्यों ने यह कटौती प्रस्ताव दिये हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से देख लूंगा और पूरा प्रयास होगा, अगर उचित होगा तो वहां पर खुलेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रथम बार हमने नाबार्ड के सहयोग से अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ रोजगार सृजन के कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है। इसके लिये अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक ने मुण्डावर, कठूमर, लक्ष्मणगढ़ ब्लाक के 600 किसानों को डेयरी आर्गनिक सब्जी और बायोगैस यूनिट के लिये ऋण दिया है। हमने किसानों के साथ-साथ में एन.जी.ओ. को भी इसमें जोड़ा है और एन.जी.ओ. के माध्यम से विशेषज्ञ जाते हैं और किसानों को वहां पर गाइड करते हैं कि किस तरह से उनको पशुओं का रख-रखाव करना चाहिये, उनको क्या खिलाना चाहिये ताकि वह भविष्य में आत्म-निर्भर बन सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियां अर्थात् पैक्स सहकारिता की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों

(श्री अजय सिंह)

के गठन के संबंध में 26 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इसके मापदण्ड बने हुए हैं और इसके मोटे-मोटे मापदण्ड हैं कि पांच सौ सदस्य होने चाहिये, 5 लाख की हिस्सा राशि होनी चाहिये और एक लाख अमानत राशि जमा होनी चाहिये। इस सरकार की पूरी स्पष्ट मंशा है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पैक्स अर्थात ग्राम सेवा सहकारी समिति खुले और इसको हम खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। कई माननीय सदस्यों ने अभी कहा था कि इसकी राशि कम की जाये। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी राशि से वह कोई कार्य करती है, वह अपना व्यवसाय करती है, इसलिये कम से कम इतनी राशि की उसको आवश्यकता होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम हमारी पैक्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति को मजबूत बनाना चाहते हैं और हमारा प्रयास है कि हमारी पैक्स आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र है और इसके लिये अभी भारत सरकार ने घोषणा की है कि देश की 63 हजार पैक्स को कम्प्यूटराइज्ड किया जाएगा, जिसके अंदर भारत सरकार का हिस्सा 60 प्रतिशत रहेगा, राज्य सरकार का 35 प्रतिशत और 5 प्रतिशत उस पैक्स का अंशदान रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारा प्रयास रहेगा कि तीन साल में राजस्थान की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों को हम कम्प्यूटराइज्ड करवा दें, ऑन लाइन करवा दें, ऐसा हम प्रयासरत हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भविष्य में हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन होने के बाद में, कम्प्यूटराइज्ड होने के बाद में हम हमारे सदस्यों का सभी डेटा रखें। हम केवल एक सदस्य का नहीं रखें बल्कि उसकी पत्नी का भी, उसके बच्चों का भी और भविष्य में हम यह प्रयास करेंगे कि उसके जो बालिग बेरोजगार बच्चे हैं, उनकी जरूर हम जानकारी रखें और इस तरह का प्रयास करें स्किल डवलपमेंट की तरह का, कि आगे उनको किस तरह से गाइड किया जा सकता है, किस तरह से हम उनकी नौकरी के लिये प्रयास कर सकते हैं और इसके लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय से भी मेरी चर्चा हुई थी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अब की बार करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बच्चे पढ़े-लिखे हैं,

(श्री अजय सिंह)

बेरोजगार हैं उनको स्किल, हुनर सिखाया जाकर किस तरह से काबिल बनाया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक की स्क्रीनिंग अभी हो रही है और हमने इनकी कई लम्बित मांगों को स्वीकार किया है और अभी वर्तमान में व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक के एक हजार से अधिक पद रिक्त हैं और इसी तरह से के.वी.एस.एस. और उपभोक्ता भंडार में भी 300 पद रिक्त हैं। मैं घोषणा करता हूं कि इनको शीघ्र भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम एवं भवन निर्माण के संबंध में 20 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हमने तीन साल में 542 गोदाम ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बनाये हैं, जबकि पिछली सरकार के समय पांच सालों में केवल 238 गोदाम बनाये गये थे, जबकि अभी 100 नये गोदाम नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति में बनाये जाने हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन गोदामों के अलावा हम कृषि विकास योजना के तहत भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम 300 गोदाम उस योजना के तहत भी बनायें और इस संबंध में मेरा कृषि मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि वह कम से कम 300 गोदामों को इसमें स्वीकृत करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 268 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं। इनके गठन, गोदाम और भवन निर्माण के संबंध में भी 13 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हर पंचायत समिति में एक-एक के.वी.एस.एस. होनी चाहिये और इसके जो मापदण्ड हैं उनकी आप पूर्ति करा लें, निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से हम, जहां भी वह वायबल होगी के.वी.एस.एस., वहां पर इसका गठन किया जाएगा। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की कि 20 के.बी.एस.एस. में हम नये गोदाम 250 मीट्रिक टन के 5 करोड़ की लागत से बनायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की तरफ से यह भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि जो नये सदस्य बनना चाहते हैं उनको सदस्य नहीं बनाया जाता है ग्राम सेवा सहकारी समिति का, पैक्स का, मैं

(श्री अजय सिंह)

इस सदन में घोषणा करता हूं कि जून-जुलाई माह में हम अलग से शिविर लगायेंगे नये सदस्यों को बनाने के लिए। जो कभी भी सदस्य नहीं बने उनको पूरा प्रयास किया जायेगा, हमारे अधिकारियों को वहां पर ड्यूटी लगा कर के कि जो भी नया व्यक्ति जी.एस.एस. का, पैक्स का सदस्य बनना चाहे उसको सदस्य बनाया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक हमारी पैक्स, ग्राम सहकारी समितियां खाद, बीज का एवं सिर्फ ऋण वितरण का ही कार्य करती है, कोई भी नवाचार उन्होंने नहीं अपनाया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे प्रभार देने के बाद में एक नया विजन दिया था, एक नये रास्ते की ओर इशारा किया और यह नया रास्ता था इनोवेशन का, नवाचारों का और आज सहकारिता विभाग नये रास्ते पर चल कर मंजिल की ओर बढ़ रहा है।

लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

'मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती है,

मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं।',,

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने नवाचारों के रूप में बहुत अच्छा काम किया है और मेरा यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति सीख कर के नहीं आता है, समय उसको अपने आप सिखा देता है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के माननीय मंत्रीगण के उत्तर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक रूलिंग आपकी तरफ से यह फरमा दी जाए कि जो भी माननीय मंत्रीगण अपना उत्तर प्रस्तुत करें तो यह जो हमारी महिला मंत्री हैं, इनके तो पति देव यहां विराजें और जो हमारे पुरुष मंत्री हैं इनकी पत्नियां विराजें तो निश्चित रूप से जवाब में बड़ा आनन्द आने की स्थिति बन जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: यह माननीय सदस्य का जो सुझाव आया उसको अंकित रखें या अपलिखित करा दें? ...(व्यवधान)...

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अच्छा इनोवेशन किया और मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति सीखकर नहीं आता है, समय और मेहनत से वो हर चीज सीख सकता है क्योंकि

(श्री अजय सिंह)

'परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की,
वो तो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की,
रखता है जो हौसला आसमान को छूने का,
उसको नहीं होती है परवाह गिर जाने की।'

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मंत्रीजी, आज इरादा क्या है?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पूरे मन से कार्य करता है वो कभी गिरता भी नहीं है। जिसकी नीति अच्छी होती है उसकी हमेशा उन्नति होती है।

सहकारिता विभाग में नवाचारों के लिए मैं सहकारिता परिवार की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी समग्र सहकारी विकास परियोजना के तहत हमने गंगानगर के अन्दर बहुत अच्छे नवाचार किये हैं। हमने हमारी पदमपुर तहसील की चार जेजे ग्राम सेवा सहकारी समिति है, जहां से हमारे खान मंत्रीजी वहां के विधायक हैं और वहां पर हमने सुपर मार्केट बनाया, हमने जिम्नेजियम स्थापित किया, हमने फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्थापित किया और सहकारी सिलाई केन्द्र भी, हमारे वहां पर महिलाएं आती हैं और वो सीख रही हैं। यह पहला मौका है जबकि हमने गंगानगर जिले में दो जिम्नेजियम स्थापित किये हैं और उन जिम्नेजियम में नौजवान ट्रेनर हैं और बहुत कम फीस लेकर के हमारे बच्चों को वहां पर जो व्यायाम वो वहां पर करना चाहें, वो करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अनूपगढ़ तहसील की 24 एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी हमने सुपर मार्केट बनाया, जिम्नेजियम बनाया और एक कृषि यंत्र बैंक भी स्थापित किया। इस कृषि यंत्र बैंक में समितियां काफी कृषि यंत्र रखती हैं और वो अपने सदस्यों को बहुत कम किराये पर उपलब्ध करवाती है।

एक और ऐसा नवाचार हमने किया है जो शायद देश में पहला ही है कि हमने, हमारी समिति ने आर.ओ. प्लांट लगाया है और हमारी सीमा पर जो बी.एस.एफ. की टुकड़ियां, जो 6 बटालियन वहां पर हमारी सीमा की सुरक्षा कर रही है उसकी तीन बटालियन को को-ऑपरेटिव विभाग के द्वारा

(श्री अजय सिंह)

शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है और हम यह पेयजल दस रुपये कैम्पर से उपलब्ध करवा रहे हैं और डोर स्टेप पर, सीमा पर जा कर के हम उनको यह उपलब्ध करवा रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब मैं खुद व्यक्तिगत रूप से भी वहां पर गया था और वहां के कमाण्डेंट साहब ने मुझे कहा था कि तीन बटालियन को आप दे रहे हो, तीन हमारी और हैं, उनको भी उपलब्ध कराओ। और मैंने उस समय उनको विश्वास दिलाया था कि यह प्रक्रियाधीन है, जल्दी से जल्दी हम समितियों में और आर.ओ. प्लांट लगा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हमारी जो भी बी.एस.एफ. की 6 बटालियन है उन सब को वहां पर पीने का पानी उपलब्ध करया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गंगानगर के अन्दर जो भी खुली नहरें हैं उनके पानी को पीने से पेट की बीमारी बहुत जल्दी होती है और अमूमन वहां पर यह शिकायत है इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम उनको यह उपलब्ध करवाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं बॉर्डर पर गया और जब मैंने वहां पर देखा तो मुझे एक घटना ऐसी दिखी जिससे निश्चित रूप से राजस्थान का और मेरे विभाग का गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। जब वहां पर सिपाही खड़े थे तो उस सिपाही के पास में केवल बंदूक थी, वो अपनी ड्रेस में खड़ा था, बंदूक थी और उसके दूसरी तरफ अगर कोई चीज थी तो वो एक पानी कैम्पर था, जिस पर लिखा था 'राजस्थान को-ऑपरेटिव विभाग' और उस ग्राम सेवा सहकारी समिति 24 एपीडी का नाम लिखा था। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा गर्व की बात विभाग के लिए नहीं हो सकती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सूरतगढ़ तहसील की 22 एसटीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, हमने वहां भी सुपर मार्केट शुरू किया है और वहां पर भी कृषि यंत्रों को किराये पर देने का कार्य इस समिति के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक पहली ऐसी समिति है जो कि दुख की घड़ी में भी अपने लोगों के साथ खड़ी रहती है और यह कहा भी है कि,

(श्री अजय सिंह)

'सज्जन ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होए,
दुख में सदा आगे रहे सुख में पीछे होए।'

यह जो हमारी समिति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली समिति है जो कि अंतिम संस्कार की समस्त सामग्री अपने सदस्यों को उपलब्ध करवा रही है और यह भी बहुत कम कीमत पर, जो उसका लागत मूल्य है उसके ऊपर यह उपलब्ध करवा रही है।

एक माननीय सदस्य: अपने सदस्यों को तो मत कराओ। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसी सेवा भी है हमारे पास।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सूरतगढ़ और गंगानगर की बातें हो रही हैं, झुन्झनूं, सीकर जो अपना जिला है उसका जिक्र नहीं किया ...(व्यवधान)... नागौर गंगानगर, नागौर गंगानगर, तो झुन्झुनूं और सीकर भी तो हमारे जिले हैं, उनका तो इन्होंने कहीं भी जिक्र ही नहीं किया। है क्या कहीं? ...(व्यवधान)... आपने कहा सूरतगढ़ में किया ...(व्यवधान)... ऐसे क्यों कर रहे हो पागल की तरह? हां तो सीकर की बात नहीं करो क्योंकि मंत्री बन गये न, बावले हो जाओगे थोड़े दिन बाद। ऐसा है सीकर, झुन्झुनूं में आपने क्या किया, यह और बता दो।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): वो भी बता रहे हैं अभी।

श्री उपाध्यक्ष: अपने-अपने माइक आप अपने हाथ से ही वापस बंद करें क्योंकि हमने कंट्रोल स्विच हटा रखा है। आप इसको वापस बंद कर दें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सहकारी विभाग ने अब की नवाचारों में बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं एक घटना भी बताना चाहूंगा कि जब मैं सूरतगढ़ में 22 एसटीबी जीएसएस के कार्यक्रम में वहां पर गया तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में वहां के स्थानीय विधायक राजेन्द्रजी भी मेरे साथ में थे, चार व्यक्ति आये और उन्होंने आकर के मुझे कहा कि हम 30 सालों से राजनीति में हैं लेकिन यह पहली बार देखा कि कभी को-ऑपरेटिव मिनिस्टर आया तो इतनी भीड़ हुई है। यह दिखाता है, यह भीड़ इस कारण से नहीं हुई कि मैं वहां गया,

(श्री अजय सिंह)

भीड़ इस कारण से थी कि वह जो समिति है उनका इतना जुड़ाव हो गया उनके सदस्यों से और इस तरीके से वो डोर स्टेप पर सामान को प्रस्तुत कर रही है, उनको दे रही है, इस कारण से वो भीड़ थी। तो निश्चित रूप से यह अच्छा कार्य हुआ है।

इसी के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी एक जीएसएस हिंगोनिया के अन्दर है अजमेर जिले में, वहां पर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान जब अपनी फसल कर लेता है तो उसको हम प्लेज लोन दे रहे हैं, उसकी फसल को रख कर के उसको हम 75 प्रतिशत ऋण दे रहे हैं। यह जो हिंगोनिया है, पहली ग्राम सेवा सहकारी समिति है जो इस तरह का कार्य कर रही है। अब हमने यह तय किया है कि अगर इस तरह का कार्य कोई भी करेगी तो उसको सहकार किसान कल्याण योजना के तहत हम दो प्रतिशत ब्याज का अनुदान देंगे।

इसी तरह से आई.सी.डी.पी. के जो हमारे कार्यक्रम अभी समग्र सहकारी विकास परियोजना का कार्य सीकर, जालौर और बांसवाड़ा में चल रहा है और इसके अलावा अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और झालावाड़ जिलों में यह शीघ्र होने वाली है और मैं आज घोषणा करता हूं कि हम इन आठ जिलों के अन्दर 50 सुपर मार्केट बनायेंगे, बहुत बढ़िया सुपर मार्केट बनायेंगे जहां पर ब्रांडेड वस्तुएं लोगों को उचित मूल्य पर मिलेंगी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर। इसके साथ-साथ हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि हम इन सुपर मार्केट वहां पर जिम्नेजियम भी बनायेंगे। यह हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर उनकी मांग होगी हमारे नौजवान साथियों के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजफैड हमारी के.वी.एस.एस. की शीर्ष संस्था है और यह वर्तमान में अपने किसानों को खाद, बीज उपलब्ध करवाती है। आर्गेनिक खाद के बारे में, आर्गेनिक खेती के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बल दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अबकी बार हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमारे किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद उपलब्ध करवाएं।

हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि हमारे किसानों को हम उच्च गुणवत्ता वाले बीज ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराएं।

(श्री अजय सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, अब की बार विभाग ने यह तय किया है कि हम सीमेंट का व्यवसाय पूरे प्रदेश में राजफैड के माध्यम से हमारी जो केवीएसएस हैं, हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहते हैं। जिसके लिए पंचायती राज मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि भविष्य में इस तरह का होना चाहिए कि नरेगा में या ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी कार्य हो रहे हैं, उनमें को-ऑपरेटिव विभाग से वह सीमेंट लें तो उचित रहेगा। इसका कारण यह है कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि मेक इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर जो भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, हम उनसे एमओयू करेंगे, एग्रीमेंट करेंगें। इससे जो सीमेंट की दर है वह भी कम होगी और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। ऐसा हम प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता, कॉनफैड अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करता है। हमारे पूरे प्रदेश में 34 जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार हैं। वर्तमान में 125 सुपर मार्केट हैं। अब हमारा यह प्रयास है कि हम मेक इन राजस्थान और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए, कॉनफैड के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में सहकार संघ व्यापार की योजना शुरू करना चाहते हैं। जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि भारत में और राजस्थान में जो कंपनियां उत्पाद बनाती हैं, उनसे सीधा एमओयू और एग्रीमेंट करके, हमारी केवीएसएस के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से तरह-तरह के सस्ते उत्पाद हम ग्रामीण क्षेत्र में देंगे। ऐसा हम अभी शुरू करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उदयपुर जिले में 17 सुपर मार्केट हैं। 13 सुपर मार्केट हमारे उदयपुर शहर के अंदर हैं। माननीय गृह मंत्री जी वहीं से हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि वह पूरे देश के बेहतरीन सुपर मार्केट हैं। वहां का जो टर्न ओवर है, उसमें इस वर्ष हम 100 करोड़ का सभी सुपर मार्केट में करेंगे। इन सुपर मार्केट में हम उचित लाभ प्राप्त करते हैं। कम लाभ प्राप्त करते हैं। इन सुपर मार्केट के माध्यम से जो मार्केट में अन्य दरें होती हैं, उनको भी काफी हद तक हम चैक करते हैं। यह हम एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी उदयपुर भंडार की टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वहां पर जो हमारे सुपर मार्केट हैं उनमें

(श्री अजय सिंह)

ऑनलाइन शॉपिंग की भी सुविधा है। होम डिलिवरी की भी वहां पर सुविधा है।

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में ही हमने चहक कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि गरीब बच्चों के लिए है। उन बच्चों को हम जियामेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, बस्ते आदि निशुल्क उपलब्ध करवाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय तकनीक का समय है। आज प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर जोर दिया है। हमने यह तय किया है कि नवाचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हमारे विभाग की जो पीआरओ शाखा है, उसमें सोशल मीडिया सेल का गठन किया जाए। सोशल मीडिया सेल के द्वारा सहकारी योजनाओं एवं गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जाए। इस सेल के द्वारा सहकारिता विभाग का एक फेसबुक पेज का निर्माण भी किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हमारा पूरा प्रयास रहा है कि सभी समितियों का ऑडिट समय पर हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी तो केवल 27 प्रतिशत सहकारी समितियों का ऑडिट हो रहा था। जो कि मार्च तक 80 प्रतिशत समितियों का ऑडिट हो जाएगा। जहां तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ऑडिट की बात है, तो मार्च तक हम 95 प्रतिशत से ज्यादा इनका ऑडिट करवा लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गृह निर्माण सहकारी समितियों के ऑडिट के बारे में हम देखें तो जयपुर शहर में 124 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं। जब हम सत्ता में आए थे तो केवल 4 गृह निर्माण सहकारी समितियों ने ऑडिट कराया था। उसके बाद में हमने कार्यवाही की और वर्तमान में करीब 78 गृह निर्माण सहकारी समितियों ने ऑडिट करा लिया है। बाकी के विरुद्ध हम कार्यवाही कर रहे हैं। इस संबंध में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी हम ऐसी स्थिति में आएंगे कि शत-प्रतिशत समितियों में ऑडिट हो जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने महिला सहकारिता सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। धौलपुर जिले में हमने लगभग 48 हजार

(श्री अजय सिंह)

महिलाओं को सहकारिता से जोड़ा है। इन्होंने मिलकर के 12 महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियां बनाई हैं। इसी तरह से प्रदेश में भी कुल 72 महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों को हमने बनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी विभाग के पास और राज्य सरकार के पास किसानों की सरसों खरीदने का कोई प्लान है कि नहीं है? मूंगफली क्यों नहीं खरीदी गई, इसका कोई उत्तर है? या आप मानते हैं कि वाकई में हमारी गलती हुई थी, हमने नहीं खरीदी।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरसों खरीद की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार को हमने पत्र लिखा है। भारत सरकार हमेशा से मंडी टैक्स और वैट को स्वयं ही वहन करती आई है। इसके लिए हमने भारत सरकार से आग्रह किया है। इसके बारे में वहां से जो भी जवाब आएगा, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाकर के उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप सब्सिडी देंगे कि नहीं देंगे?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक मिनट। जब भारत सरकार प्रत्येक प्रांतीय सरकार को कहती है कि समर्थन मूल्य पर खरीद तभी होगी जब कि आप मंडी टैक्स और वैट को नहीं वसूल करेंगे। आपके लिए कोई विशेष योजना थोड़े ही भारत सरकार मान लेगी। मूंगफली खरीद में भी देरी का यही कारण रहा कि आपकी जिद रही, माननीय कृषि मंत्री जी की जिद रही कि हम मंडी टैक्स वसूल करेंगे। वित्त विभाग की जिद रही कि हम वैट वसूल करेंगे। ध्यान रखें, यह निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी को करना है। मूंगफली खरीद नहीं होने से लाखों किसानों को नुकसान हुआ है। यदि आपने सरसों नहीं खरीदी तो तय हो जाएगा कि वर्तमान सरकार भारत सरकार के कहने पर भी तब तक नहीं करेगी, जब तक भारत सरकार राजस्थान सरकार की शर्त को स्वीकार नहीं करे कि वैट और मंडी टैक्स वहन करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बारे में सोच लें। यह मुद्दा नीतिगत है। सारा नीतिगत निर्णय आपकी रिकमंडेशन पर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

निर्भर करता है। आप यदि चाहते हैं कि गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार कुछ भी करे, हम तो मूंगफली की खरीद नहीं करेंगे, सरसों की खरीद नहीं करेंगे जब तक भारत सरकार वहन नहीं करें। जबकि भारत सरकार ने साफ कह दिया कि वैट माफ करना पड़ेगा। मंडी टैक्स माफ करना पड़ेगा। तभी जाकर के खरीद होगी। आप अपनी नीयत साफ करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप तो यह बताओ कि आपने पहले भी सब्सिडी दी थी, अब भी सब्सिडी देंगे या नहीं देंगे?

श्री उपाध्यक्ष: देखिए, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वक्त इस प्रकार के प्रश्न करके अगर आप किसी उत्तर की आशा करते हैं तो यह कोई अतिशयोक्ति हो जाएगी। आपके जो विचार थे वह बता दिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आशा इसलिए करते हैं कि दुनिया भर के मार्केट खोल रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूं कि मार्केट खोलो। 150 ही हारोगे 150 ही मार्केट खोल लो।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, अब आसन किसी को किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं देगा। मंत्री महोदय, आप अपना वक्तव्य दें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई भी कटौती प्रस्ताव नहीं दिया है। आप बात किसानों की करते हैं। अच्छा होता कि कटौती प्रस्ताव के माध्यम से आप प्रस्तुत करते तो उसका उचित जवाब देते।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय, गेहूं की खरीद के बारे में बिलकुल जिक्र नहीं हुआ। गेहूं की जो एमएसपी पर खरीद थी, उस पर एक शब्द भी ना तो कृषि मंत्री महोदय की तरफ से आया और ना ही आपकी तरफ से आया। मैं इंतजार ही करता रह गया। फसल सामने खड़ी है। हरियाणा 75 लाख टन ले रहा है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब यह समर्थन मूल्य पर खरीद करते हैं, जब बाजार में ज्यादा कीमत होगी तो किसान जो भी हमारे केन्द्र हैं, वहां पर लेकर के नहीं आएगा। यही कारण रहा कि पिछली बार खरीद कम हुई। किसान जो

(श्री अजय सिंह)

भी हमारे राजफैड के केन्द्र हैं, वहां कम लेकर आए। वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष का जो लक्ष्य रखा है, वह 17.5 लाख मैट्रिक टन का रखा है। राजफैड 61 केन्द्रों पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू करेगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय, इस वक्त गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ गया है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, एक तो आप विराजे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि मंत्री जी को अपना वक्तव्य समाप्त करने दें और अपने-अपने स्विच भी बंद कर लें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी विभाग का हमेशा प्रयास रहेगा कि,

आए हैं किरदार निभाने जमीं पर

तो ऐसा कुछ कर चलें कि जमाना मिसाल दे

बहुत-बहुत धन्यवाद, जय-जय सहकार, जय-जय राजस्थान।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, अपना-अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ...(व्यवधान)... मांग पारित करने के लिए आप उचित समझें तो प्रस्ताव करें, नहीं तो आप भी विराजें रहें और हम भी विराजें रहें? ...(व्यवधान)... मंत्री महोदय, आप भी फरमा दें, फिर सबका एक साथ कर दें। ...(व्यवधान)...

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता की मांग को पारित करने का श्रम करें।

कृषि - मांग संख्या 37 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 - कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 27,48,13,83,000 (रुपए सत्ताइस अरब, अड़तालीस करोड़, तेरह लाख, तिरासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

पशुपालन एवं चिकित्सा - मांग संख्या 39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 8,66,32,50,000 (रुपए आठ अरब, छियासठ करोड़, बत्तीस लाख, पचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सहकारिता - मांग संख्या 36 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 - सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 5,35,51,63,000 (रुपए पांच अरब, पैंतीस करोड़, इक्यावन लाख, तिरेसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मैं सदन से और मुख्य सचेतक और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी आसन ने इस बात का निवेदन आप सबको किया है, जो-जो सदस्य मांग में और जो भी विषय सदन के सामने आता है उस डिबेट में पार्टिसिपेट करें, अब आसन इस बात का ध्यान रखेगा कि जब मांग पारित की जा रही है क्या वह सदस्य सदन में मौजूद हैं या नहीं है, इस प्रकार के सदस्य को अंकित किया जाए और उन्हें इस बात की बाद में अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2017 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21:43 बजे मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2017 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

ग्राम गच्छीपुरा (मकराना) में कृषि मण्डी के भवन का निर्माण

360. श्री श्रीराम श्रींचर (मकराना): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम गच्छीपुरा में कृषि मण्डी स्वीकृत है?

(2) क्या उक्त कृषि मण्डी में किसानों की जिंसों को क्रय किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कृषि मण्डी में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कृषि मण्डी के पूर्व में बनाये गये भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कृषि मण्डी में नये भवनों का निर्माण करवाकर व अधिकारी नियुक्त कर किसानों की जिन्सों को खरीद करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम गच्छीपुरा में गौणमण्डी स्वीकृत है।

(2) जी नहीं। गौणमण्डी प्रांगण गच्छीपुरा की दुकानों हेतु चिन्हित भूखण्डों के आवंटन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। किन्तु विज्ञप्ति के क्रम में कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने से आवंटन सम्भव नहीं होने के कारण व्यापार स्थानान्तरित नहीं हो सका है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति कुचामनसिटी की गौणमण्डी गच्छीपुरा में एक कर्मचारी प्रभारी के रूप में कार्यरत है। गौणमण्डी गच्छीपुरा में पृथक से अधिकारी/कर्मचारी का पद सृजित नहीं है।

(4) गौणमण्डी यार्ड गच्छीपुरा में निर्मित भवन क्षतिग्रस्त नहीं है एवं नये भवन निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भवन निर्माण हेतु मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट के आधार

(कृषि विपणन मंत्री)

पर विचार किया जा सकेगा। मण्डी में उपलब्ध कार्मिकों में से मण्डी नियमन एवं कार्य व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु व्यवस्था की जाती है।

श्रीगंगानगर की विद्‌युत कनेक्शन से वंचित ढाणियां

361. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के विभिन्न राजस्व ग्रामों की अनेक ढाणियां विद्‌युतीकरण से वंचित हैं? यदि हां, तो किस-किस चक/राजस्व ग्राम की कौन-कौनसी ढाणियां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ढाणियों में अब तक विद्‌युत कनेक्शन नहीं होने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र का विस्तृत सर्वे करवाकर वंचित ढाणियों का शीघ्र विद्‌युतीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में ग्रामों/ढाणियों के विद्‌युतीकरण/सघन विद्‌युतीकरण के लिये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जिलेवार/ब्लॉकवार बनाई गई है। श्रीगंगानगर जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के प्रथम चरण (12वां प्लान)में स्वीकृत 100 से अधिक आबादी वाली 13 अविद्‌युतीकृत ढाणियों का विद्‌युतीकरण कर दिया गया है तथा 2505 ढाणियों का सघन विद्‌युतीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। उनमें से श्रीगंगानगर ब्लॉक की 275 ढाणियों में से 274 ढाणियों का सघन विद्‌युतीकरण किया जा चुका है। ग्राम 1F की D2 नाम की ढाणी का सघन विद्‌युतीकरण किया जा रहा है।

(2) श्रीगंगानगर ब्लॉक की सभी ढाणियां विद्‌युतीकृत हैं। उनमें नियमानुसार विद्‌युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं। यद्‌यपि श्रीगंगानगर जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना द्‌वितीय चरण में 111 अविद्‌युतीकृत स्वीकृत ढाणियों एवं सघन विद्‌युतीकरण के तहत 402 ढाणियों को विद्‌युतीकृत करने हेतु निविदा प्रक्रिया की जा रही है। कार्यादेश जारी होने

(ऊर्जा मंत्री)

के बाद दो वर्ष की अवधि में विद्‌युतीकरण का कार्य पूर्ण कर कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे।

(3) श्रीगंगानगर ब्लॉक में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्‌वितीय चरण में किये गये सर्वे में कोई भी ढाणी विद्‌युतीकरण करने के लिए शेष नहीं है।

रोहट तहसील की गैर आबादी भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

362. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की रोहट तहसील के किस-किस गांव में गैर आबादी भूमि में कितने-कितने परिवार, कितने-कितने समय से निवास कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गैर आबादी भूमि जहां अनेक परिवार रहवास कर रहे हैं, उक्त भूमि में से कौन-कौनसी भूमि किस-किस किस्म की है?

(3) क्या सरकार उक्त गैर आबादी भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की रोहट तहसील में 46 ग्रामों में कुल 970 परिवार गैर आबादी भूमि में निवास कर रहे हैं, जिनकी सूचना परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) उक्त गैर आबादी भूमि जहां अनेक परिवार रहवास कर रहे हैं, की किस्म का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) उक्त बिन्दु संख्या 1 में वर्णित गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करने हेतु प्रतिबंधित भूमि को छोडकर आवंटन योग्य राजकीय भूमि के प्रस्ताव राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत संबंधित ग्राम पंचायत, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त होने पर नियमानुसार आबादी हेतु आरक्षित की कार्यवाही जिला स्तर पर की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति पीपलखूंट (प्रतापगढ़) के गांवों में जल स्वावलम्बन योजना के कार्य

363. श्री नवनीत लाल (घाटोल): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जल स्वावलम्बन योजना के तहत गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रोककर भूमि के जल स्तर को उपर लाने की योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में उक्त योजनाएं कहां-कहां संचालित की जा रही हैं? गांववार व पंचायत समिति के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रतापगढ़ जिले की पंचायत समिति पीपलखूंट के ग्रामों, विद्यालयों व ऊंची-नीची घाटियों में सरकार द्वारा पेयजल हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत जामली में तालाब का निर्माण कराकर उक्त ग्राम पंचायत के ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चला कर गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रोककर भू-जल स्तर ऊपर लाने का अभियान संचालित है।

प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत चयनित ग्रामों का विस्तृत विवरण पंचायत समितिवार, क्रमश: परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।

(2) अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट के ग्रामों, विद्यालयों में विभागीय मापदण्ड के अनुसार पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।

अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला प्रतापगढ को जिला परिषद प्रतापगढ के पत्रांक 503-04 दिनांक 26.12.16 से 54 पेयजल

(ग्रामीण विकास मंत्री)

विहीन विद्यालयों (संलग्न सूची परिशिष्ट -4) की सूची प्राप्त हुई थी, जिस पर सहायक अभियन्ता उपाड पीपलखूंट के द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार केवल 32 विद्यालय (संलग्न सूची परिशिष्ट 5) ही पेयजल से अलाभान्वित पाये गये हैं। शेष 22 विद्यालयों (संलग्न सूची परिशिष्ट 6) में पेयजल हैण्डपम्प चालू पाये गये हैं। इन 32 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं जिनके प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

(3) जी नहीं। अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड बांसवाडा के अनुसार वर्तमान में जिला प्रतापगढ़ में संबंधित ग्राम पंचायत जामली में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसी बांध का बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

परन्तु अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला प्रतापगढ़ के अनुसार वर्तमान में 1. जामली 2. बानघटी 3. वरदा 4. मउ 5. कुण्डली 6. जराली 7. गढा 8. लिम्बोदा 9. महुवाल 10. लिम्बोदी 11. ठेसला 12. करवी 13. आमलीखेडा 14 नालपाडा 15. कलवाणी 16. भुराकुण्ड 17. लेवपाडा 18. डुग्लावाणी 19. झाटीयापाडा 20. उभाडा 21 गोटडा ग्रामों में विभागीय मापदण्ड के अनुसार हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित होकर इन ग्रामों में नियमानुसार हैण्डपम्प स्थापित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम भुकरावली (हिण्डौन) के अनधिकृत राशन डीलर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

364. डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को करौली जिले की पंचायत समिति हिण्डौन के ग्राम भुकरावली में अनधिकृत डीलर द्वारा राशन सामग्री बांटे जाने की शिकायतें हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिकायतों की जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कार्यालय उप जिला कलेक्टर (रसद) हिण्डौन

(डॉ. किरोड़ी लाल)

ने अपने कार्यालय के पत्रांक 110 दिनांक 26.08.2015 के द्वारा उक्त डीलर को अनधिकृत रसद सामग्री बांटने के कारण 90 दिन के लिए निलम्बित कर दिया तथा 90 दिन बाद फिर बहाल कर दिया? यदि हां, तो पुन: बहाल किए जाने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारियों तथा उक्त डीलर के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला करौली की पंचायत समिति हिण्डौन के ग्राम भुकरावली में अनधिकृत डीलर द्वारा राशन सामग्री बांटे जाने की प्राप्त शिकायत दिनांक 21.12.2016 एवं 09.01.2017 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रवर्तन अधिकारी, हिण्डौन द्वारा की गई जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-2 पर एवं जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) जांच दल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। कार्यालय उप जिला कलक्टर (रसद) हिण्डौन ने अपने कार्यालय के पत्रांक 110 दिनांक 26.08.2015 के द्वारा अनधिकृत रसद सामग्री बांटने के कारण 90 दिन के लिये निलम्बित कर दिया तथा आदेश क्रमांक 132 दिनांक 04.11.2015 द्वारा 90 दिन बाद बहाल कर दिया। पुन: बहाल किये जाने के आदेश दिनांक 04.11.2015 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) जी हां। इस संबंध में पुलिस थाना सुरोठ में एफ.आई.आर.संख्या 52/2017 दिनांक 02.03.2017 को दर्ज कराई जा चुकी है। एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 365

(स्थगित)

रिसर्जेंट राजस्थान में हुए एम.ओ.यू. का क्रियान्वयन

366. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रिसर्जेंट राजस्थान वर्ष 2015 में हुये एम.ओ.यू. में से अब तक कितने हजार करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. कार्यान्वित हो चुके हैं व कितने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है? उक्त प्रोजेक्ट् किन-किन जिलों में क्रियान्वित हो चुके हैं व कौन-कौन से जिलों में किस-किस क्षेत्र में एम.ओ.यू. निर्माणाधीन हैं? एम.ओ.यू. वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रिसर्जेंट राजस्थान में हुए एम.ओ.यू. में कितने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट क्लीयरेंन्स के विभिन्न चरणों में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्रियान्वित हो चुके एम.ओ.यू. का औसत उत्पादन माहवार कितना करोड़ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रिसर्जेंट राजस्थान 2015 के दौरान सम्पादित M.O.U. में लगभग 8876 करोड़ रुपये निवेश के प्रस्तावों पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 75080 करोड़ निवेश की परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। जिलेवार M.O.U. की सूची अनुसंलग्नक 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) रिसर्जेन्ट राजस्थान-2015 के अन्तर्गत सम्पादित एमओयूज में रुपये 38943 करोड़ के प्रोजेक्ट्स क्लीयरेंस के विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन है। सूची अनुसंलग्नक-3 पर संलग्न है।

(3) इस प्रकार की सूचना संधारित नहीं की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में चाईनीज मांझे की बिक्री पर कार्यवाही

367. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चाईनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाई हुई है? यदि हां, तो कब से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(2). क्या यह सही है कि सरकार की रोक के उपरान्त भी कोटा जिले में अवैध रूप से चाईनीज मांझे का बेचान किया जा रहा है? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में चाईनीज मांझे के कारण कई व्यक्ति एवं पक्षी घायल हुए हैं? यदि हां, तो गत एक वर्ष में घायल व्यक्तियों एवं पक्षियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नगर निगम कोटा द्वारा गत एक वर्ष में दुकानदारों से कितना चाईनीज मांझा जब्त किया गया एवं सम्बन्धित दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पर्यावरण विभाग व स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमश: दिनांक 13.01.2012 व 10.12.2012 के द्वारा चाईनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाई हुई हैं। आदेशों की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। चाईनीज मांझे के उपयोग एवं बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर कोटा के पत्र दिनांक 22.12.2016 द्वारा सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किये गये तथा कोटा शहर में चाईनीज मांझे/सिंथेटिक मांझे के निर्माण एवं बिक्री करने वालों की जांच एवं उनके खिलाफ कार्यवाही हेतु आदेश दिनांक 22.12.2016 द्वारा एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया। नगर निगम कोटा द्वारा भी जागरूकता उत्पन्न करने के लिये समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की गई है। संबंधित पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) चाईनीज मांझे के कारण घायल व्यक्तियों एवं पक्षियों के प्रकरण संज्ञान में नहीं आये है।

(4) नगर निगम कोटा द्वारा विगत दो वर्षों में चाईनीज मांझा के 2360 रोल व चकरिया प्रभावी कार्यवाही की जाकर जप्त की गई तथा दुकानदारों को पाबंद किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उपज मण्डी समिति बस्सी के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

368. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मण्डी बस्सी में सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बजट उपलब्ध होने के उपरान्त भी गत 5-6 वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा कोई सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बस्सी-तुंगा रोड से नई के नाथ एवं गुमानपुरा से बावडी का वास तक की सड़क क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो उक्त सड़कों को कब तक दुरूस्त कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति बस्सी में सड़क निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति बस्सी का स्वतंत्र मण्डी के रूप में मई 2016 में गठन हुआ है। इससे पूर्व यह कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज व फल-सब्जी) का गौणमण्डी यार्ड था। गत 6 वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति बस्सी क्षेत्र में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 7 सड़कों का निर्माण किया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.6.2010 के अनुसार उक्त दोंनो सड़कें वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित कर दिये जाने से उक्त सड़कों का रखरखाव भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाना है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की योजना

369. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2015 में उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त भी प्रदेश में नवनियुक्त सरकारी कर्मियों को दो वर्ष तक फिक्स वेतन ही दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की ओर से कोई स्थगन आदेश नहीं है? यदि हां, तो सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना के दोषी अधिकारियों को कब तक निलम्बित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में एक कनिष्ठ लिपिक को दो वर्ष तक मात्र रुपये 8910/- प्रति माह फिक्स वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन रुपये 25,000/- प्रति माह करने का विचार रखती है? हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल रिट पिटिशन नंबर 2963/2007 गोपाल कुमावत बनाम सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2015 द्वारा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.12(5) वित्त/ नियम/2005 दिनांक 13.03.2006 को निरस्त किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी संख्या 25565/2015 दायर की गई है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29.07.2015 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना नहीं किये जाने के संबंध में गोपाल कुमावत द्वारा दायर अवमानना याचिका डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1085/2016 पर कार्रवाई किये जाने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.09.2016 के द्वारा आगामी आदेश तक स्थगन आदेश दिया गया है।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 की अनुसूची iv में लिपिक ग्रेड ii के प्रोबेशनर ट्रेनी पद के लिए अधिसूचना

(वित्त मंत्री)

दिनांक 08.06.2015 के द्वारा नियत पारिश्रमिक रुपये 8910/- निर्धारित है। प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि पूर्ण करने पर मूल वेतन रुपये 9840/- एवं महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता देय है। केन्द्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जारी किये गये वेतन नियमों में सरकारी कर्मचारी का वेतन रु. 18000/- से रु. 225000/- प्रतिमाह निर्धारित किया है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू किये जाने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा सं. प.6(5)प्रसु/अनु.3/ 2017 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जावेगा।

अलवर जिले में सरकारी कार्यालयों को आवंटित भूमि

370. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले में गत 5 वर्षों में राजकीय महाविद्यालय, विद्यालय, विद्युत ग्रिड सब स्टेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को कब-कब, कहां-कहां व कितनी-कितनी भूमि का आवंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवंटित भूमि का संबंधित विभागों को स्वामित्व दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व किस-किस भूमि का स्वामित्व नहीं दिया गया है तथा अब कब तक स्वामित्व दे दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या संबंधित विभागों को स्वामित्व देने में हो रही देरी के लिये कोई अधिकारी दोषी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में गत 5 वर्षों में उक्त प्रयोजनार्थ किये गये आवंटनों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त आवंटित भूमि पर संबंधित विभागों को कब्जा दे दिया गया

(राज्य मंत्री, राजस्व)

हैं। संबंधित विभागों को कब्जा देने के दिनांक की सूचना परिशिष्ट-1 पर अंकित कर संलग्न हैं।

(3) आवंटित भूमि पर संबंधित विभागों को कब्जा दे दिये जाने के कारण उक्त संबंध में सूचना शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर में बी.पी.एल. के लिये पुनः सर्वे

371. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर में बी.पी.एल. सर्वे में कई निर्धन व्यक्ति सर्वे से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पुन: सर्वे करा कर उक्त वंचित परिवारों को बी.पी.एल. में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीपीएल सेन्सस- 2002 में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 13 आर्थिक एवं सामाजिक सूचकों के आधार पर सर्वे करवाकर 52 अंकों में से अंक प्रदान किये गये थे। सर्वे से प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में सूचियां तैयार कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक आने वाले परिवारों को एकल कट ऑफ स्कोर के आधार पर 12 अंक प्राप्त करने वाले समस्त एवं 13 अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों को बीपीएल सूची 2002 (ग्रामीण) में चयन किया गया था।

बीपीएल सेन्सस 2002 (ग्रामीण) में शामिल होने से वंचित रहे परिवारों के लिये भारत सरकार के निर्देशानुसार द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है। इसके अनुसार प्रथम अपील संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलक्टर को की जा सकती है। अपील प्रक्रिया द्वारा ही बीपीएल सूची 2002 में पात्र परिवारों को शामिल किया जा सकता है।

निर्धारित प्रक्रियानुसार भारत सरकार द्वारा बीपीएल सर्वे करवाया जाता है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में राज्य के समस्त परिवारों का सर्वे किया गया।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

भारत सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में तीन स्तरीय प्रकिया द्वारा रैंक प्रदान की गई है।

1. परिवारों का एक समूह जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची में स्वत: अलग हो जाएगा।
2. परिवारों का एक समूह जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची में स्वत: शामिल हो जाएगा।
3. शेष बचे परिवारों को 7 वंचन सूचकांको का प्रयोग करते हुये रैंक दिया गया है। सबसे अधिक वंचन स्कोर वाले परिवारों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। विस्तृत विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वरिष्ठ नागरिकों को पोस मशीन से राशन सामग्री लेने में असुविधा

372. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य पोस मशीनों के माध्यम से करा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पोस मशीनें 60 वर्ष से अधिक आयु वाले उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिन्ट्स स्वीकार नहीं कर पाती है?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले उपभोक्ताओं की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक है?

(4) क्या यह भी सही है कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पोस मशीनों को नेटवर्क नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो सरकार ऐसी स्थिति में उक्त स्थान के उपभोक्ताओं को किस आधार पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने का विचार रखती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जनगणना,2011 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(4) पोस मशीनें 2जी डेटा नेटवर्क पर कार्य करती है, जो कि दूर-दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। कुछ दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र है, जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कम है, वहां कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु अतिरिक्त बाहरिय ऐन्टीना उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में 135 ऐसी दुकानें चयनित की गई हैं जहां किसी भी सेवाप्रदाता मोबाईल कम्पनी का नेटवर्क सुलभ नहीं है। इन स्थानों पर राशन वितरण की वैकल्पिक (मैन्युअल) व्यवस्था की गई है।

कपासन नगरपालिका क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण

373. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार कपासन नगरपालिका क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम- 2015 के अंतर्गत संभाग/जिला/उपखण्ड/ तहसील/ पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं हेतु मापदंड नियत किये गये हैं। उक्त संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जावेगा।

प्रश्न संख्या 374

(स्थगित)

प्रदेश में महिला सम्बन्धी अपराधों को रोकने की कार्यवाही

375. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 के दौरान दुष्कर्म, गैंगरेप, बलात्कार, छेड़छाड़ व महिला अत्याचार के प्रकरणों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो उक्त अवधि में प्रदेश में ऐसे कितने प्रकरण दर्ज हुए? जिलेवार वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में अपराधियों की गिरफ्तारी की गई? कितने प्रकरणों में चालान पेश किए गए व कितने मुकदमों में एफ.आर. लगाई गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरणों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) गत तीन वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से क्या-क्या कदम उठाए गए व कितना बजट व्यय किया गया तथा इससे महिलाओं संबंधी अपराधों में कितनी कमी आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्तमान में महिला अत्याचारों, दुष्कर्म व गैंगरेप के प्रकरणों में प्रदेश का देश में कौनसा स्थान है व गत दस वर्षों में कौनसा स्थान था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि कोटा जिला हथियार तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जनवरी 2014 से दिसम्बर 2016 के दौरान दुष्कर्म गैंगरेप बलात्कार छेड़छाड़ व महिला अत्याचार के प्रकरणों में कमी आई है वर्ष 2014 में 32152 वर्ष 2015 में 29083 एवं वर्ष 2016 में 28333 प्रकरण महिला अत्याचार के प्रकरण दर्ज किये गये। जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर अंकित है।

(2) उक्त अवधि के दौरान वर्ष 2014 में 21934, वर्ष 2015 में 19154 एवं वर्ष 2016 में 19036 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई जिसका वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर अंकित है।

इस अवधि के दौरान वर्ष 2014 में 15443 में चालान व 14109 में एफआर वर्ष 2015 में 13594 में चालान एवं 13112 में एफआर तथा वर्ष 2016 में 13693 में चालान और 12619 में एफआर न्यायालय में पेश की गई जिसका वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर अंकित है।

(गृह मंत्री)

(3) जी नहीं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा के तहत अपराध 354, 354ए, 354बी, 363, 366, 376, 304बी, 306, 498ए, के प्रावधानों एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेघ एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र एवं बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की पालना 14 नवम्बर 2012 से नियमानुसार सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।

(4) महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी थानों के लिए विशेष गाइड लाइन जारी की गई है जिसका विवरण परिशिष्ट ''घ'' पर अंकित है।

महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में पिछले तीन वर्षो (2014 2015 एवं 2016) में पुलिस विभाग में जिलों को पृथक से कोई बजट आवंटन नही किया गया है।

महिला संबंधी अपराधों में कमी आई है जिसका वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर अंकित है।

इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु नवाचार कार्यक्रम भी चलाये जा रहे है जिनका विवरण परिशिष्ट ''ड'' पर अंकित है।

(5) पिछले 10 वर्षो में दर्ज अभियोगों में महिला अत्याचार के संबंध में देश में राजस्थान की स्थिति व स्थान:-

वर्ष	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
स्थान	5	6	6	4	4	4	4	4	3	4

राजस्थान का देश में स्थान वर्ष का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''च'' पर पर अंकित है।

(6) जी नहीं। पिछले तीन वर्षो के दौरान वर्ष 2014 में 27 मुकदमे वर्ष 2015 में 57 मुकदमे एंव वर्ष 2016 में 47 मुकदमें कोटा में आर्म्स एक्ट में दर्ज किये गये जिनमें आंशिक वृद्धि हुई है।

मुकदमों का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''छ'' पर अंकित है।

कोटा में हथियार तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही के लिए पुलिस द्वारा आसूचना तंत्र को मजबूत कर सतत निगरानी की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बिलाड़ा में स्थापित ग्रिड सब स्टेशन

381. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के लटियाली, नाडी, आनावास, ओलवी (रामपुरिया भाटियान) व भटिण्डा में 33/11 के.वी. के विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थानों पर 33/11 के.वी. के सब स्टेशन नहीं होने के कारण विद्युत लाइनों की लम्बाई के आधार पर छीजत बढ रही है? यदि हां, तो उक्त फीडर्स पर वर्तमान में कितनी-कितनी छीजत हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में स्थापित 220/132 के.वी., 132/33 के.वी. व 33/11 के.वी. के कितने-कितने ग्रिड सब स्टेशन कहां-कहां कब से स्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में लटियाली, नाडी, आनावास, ओवली (रामपुरिया भाटियान) व भटिण्डा में 33/11 के.वी. के विद्युत सबस्टेशन खोलने का प्रस्ताव तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। वर्तमान में लटियाली, नाडी को 33/11 के.वी. उपचौकी रणसी गांव, अनावास को 33/11 केवी उपचौकी खेजडला, ओलवी, रामपुरा भाटियान को 33/11 के.वी. उपचौकी बीनावास एवं भटिण्डा को 33/11 के.वी. उपचौकी पलासनी से विद्युत आपूर्ति प्रदान प्रदान की जा रही है। वर्तमान में उपरोक्त सभी 33/11 के.वी. उपचौकियों की क्षमता पर्याप्त है।

(2) जी नहीं।

(3) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पूर्व में स्थापित 220/132 केवी, 132/33 के.वी. ग्रिड सबस्टेशनों एवं 33/11 केवी के सबस्टेशनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर में शीघ्रलिपिकों की नियुक्ति

382. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2002 में जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर नगर में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों को शीघ्रलिपिक के पदों पर नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो किन-किनको और किन नियमों के तहत? नियमों एवं नियुक्ति आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नियुक्तियों के संबंध में जयपुर नगर, महानगर न्याय क्षेत्र के किस-किस शीघ्रलिपिक ने कब-कब और क्या-क्या आपत्तियां दर्ज करवायी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर नगर/ महानगर न्याय क्षेत्र प्रशासन द्वारा उक्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कुल-07 कनिष्ठ लिपिकों को राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 के नियम 23(3) के अन्तर्गत शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों पर परीक्षा लेने के पश्चात् योग्यातानुसार नियुक्ति प्रदान की गयी थी । इस संबंध में जारी किये गये नियुक्ति आदेश की प्रति प्रदर्श-01 से 04 एवं नियमों की प्रति प्रदर्श-05 पर संलग्न है।

(2) उक्त नियुक्तियों के संबंध में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वारा शीघ्रलिपिकगण की जारी अस्थायी वरीयता सूची दिनांकित 11.01.2016 के क्रम में श्री संजय मिश्रा द्वारा दिनांकित 16.01.2016, श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा दिनांकित 14.01.2016 व श्री वीरेन्द्र कुमार सोलंकी द्वारा दिनांकित 14.01.2016 के अभ्यावेदनों द्वारा वर्ष 2002 में नियुक्त उक्त शीघ्रलिपिकों को उक्त अस्थायी वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने के संबंध में आपत्तियां की थी।

(3) जी हां। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वारा गठित प्रशासनिक समिति द्वारा उपरोक्त तीनों कर्मचारीगण द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

को निस्तारित करते हुए अपनी रिपोर्ट/सुझाव दिनांकित 17.01.2017 को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें वर्ष 2002 में नियुक्त उक्त आशुलिपिकगण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए उपरोक्त सातों कर्मचारीगण को सीधी भर्त्ती की परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी नियम में शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी नियुक्ति नियमित किये जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को निवेदन किया जाना न्यायोचित माना एवं इस क्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वारा प्रशासनिक समिति से प्राप्त उक्त रिपोर्ट/सुझाव के आधार पर रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से अपने पत्र दिनांकित 15.02.2017 के द्वारा उपरोक्त तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये 07 आशुलिपिकगण के संबंध में निर्देश/मार्गदर्शन चाहा गया है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर के पत्र दिनांक 15.02.2017 मय प्रशासनिक समिति की रिपोर्ट उचित निर्देश/मार्गदर्शन हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशार्थ प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शासन सचिवालय में वरिष्ठ शासन उपसचिव की पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यताएं

383. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान शासन सचिवालय में शासन उप सचिवों (सचिवालय सेवा संवर्ग) के लिए (Pay Band-4 सुपर टाइम स्केल 37400-46100 ग्रेड पे-8700) वरिष्ठ शासन उप सचिव का पद सृजित किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि वरिष्ठ शासन उप सचिव पद पर पदोन्नति के लिए 'मंत्रालयिक-सचिवालय सेवा अवधि 30 वर्ष' जैसा उप नियम बनाने से लगातार 4 वर्षों से वरिष्ठता सूची में ऊपर रहने के बाद भी अनुसूचित जाति/जनजाति के शासन उप सचिवों (निजी सचिव संवर्ग) को पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पूरणमल सैनी)

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2012-13 में चयनित अनुसूचित जाति/जनजाति के शासन उप सचिवों (निजी सचिव संवर्ग) के बाद पदोन्नत हुए शासन उप सचिवों को वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ होने के उपरान्त भी सिर्फ 30 वर्ष की सेवा अवधि के आधार पर ही वरिष्ठ शासन उप सचिव बनाया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि आशुलिपिक से निजी सहायक, निजी सहायक से अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव से निजी सचिव, निजी सचिव से शासन उप सचिव पद पर पदोन्नति के लिए कम से कम 3 वर्ष कार्यानुभव की अनिवार्यता है? यदि हां, तो वरिष्ठ शासन उप सचिव पद के लिए कार्यानुभव क्यों नहीं रखा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि कनिष्ठ लिपिक (Pay Band-I 5200-20200 ग्रेड पे-2400) व आशुलिपिक (Pay Band-II 9300-34800 ग्रेड पे-3600) के अलग-अलग संवर्गों की शुरुआती Pay Band अलग-अलग होने के बाद भी वरिष्ठ शासन उप सचिव पद पर पदोन्नति के लिए सेवा अवधि एक समान रखी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि वरिष्ठ शासन उप सचिव पद सृजित होने के बाद अनुसूचित जाति/जनजाति के निजी सचिव संवर्ग से संबंधित शासन उप सचिवों को वरिष्ठ होने के उपरान्त भी वरिष्ठ शासन उप सचिव नहीं बनाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(7) क्या सरकार उक्त सेवा उप नियम में संशोधन कर वरिष्ठता सूची में ऊपर रहने के बाद भी पदोन्नति से वंचित अधिकारियों को पदोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। शासन उप सचिव से वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु सचिवालय सेवा के सभी संवर्गो यथा निजी सचिव/सहायक शासन सचिव के लिये समान मापदण्ड निर्धारित हैं। अत: नियमानुसार किसी

(कार्मिक मंत्री)

भी वर्ग का राजसेवक यदि निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करता है तो उसे पदोन्नति हेतु पात्र माना गया है।

(3) राजस्थान सचिवालय सेवा नियम 1954 में विहित नियमों के तहत सचिवालय सेवा के सभी संवर्ग (निजी सचिव/ सहायक शासन सचिव) के राजसेवकों को निर्धारित समान मापदण्ड के आधार पर ही पदोन्नति प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन कर पदोन्नतियां की जाती है।

(4) जी नहीं। आशुलिपिक से निजी सहायक, निजी सहायक से अति. निजी सचिव पद पर पदोन्नति के लिये कम से कम 05 वर्ष के कार्यानुभव की अनिवार्यता नियमानुसार है। अति. निजी सचिव से निजी सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यानुभव 03 वर्ष निर्धारित है। सहायक शासन सचिव/ निजी सचिव से शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यानुभव निर्धारित नहीं है।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, शासन सचिवालय सेवा संवर्ग का उच्चतर एवं सुपर टाइम स्केल वेतन श्रृंखला का पद होने के फलस्वरूप सचिवालय सेवा संवर्ग के राजसेवकों की दक्षता व कार्यानुभव तथा प्रमोशन चैनल के आधार पर राजस्थान सचिवालय सेवा नियम 1954 में उप नियम 11 (सी) द्वारा सभी संवर्ग के लिये समान रूप से वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु कुल सेवा अवधि 30 वर्ष का अनुभव रखे जाने का उप नियम, राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय उपरान्त गुणावगुण के आधार पर सम्मिलित किया गया है।

(5) जी हां। शासन उप सचिव से वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु सचिवालय सेवा के सभी संवर्गो (निजी सचिव/ सहायक शासन सचिव संवर्ग) के लिये समान मापदण्ड के अनुसार प्रारम्भिक नियुक्ति से कुल सेवा अवधि में 30 वर्ष के अनुभव का निर्धारण गुणावगुण के आधार पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर कार्यानुभव सभी वर्ग के लिये एक समान रखा गया है।

(6) जी नहीं।

(कार्मिक मंत्री)

(7) जी नहीं। वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद पर्याप्त मात्रा में भरे हुए हैं एवं रिक्त पदों हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। अत: नियमों में संशोधन का औचित्य नहीं है। प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति में शिथिलीकरण

384. श्री भजन लाल जाटव (वैर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति में आश्रित द्वारा विलम्ब से आवेदन करने संबंधी शिथिलन (रिलेक्सेशन) देने से संबंधित किन-किन के प्रकरण कब-कब से विचाराधीन हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को शिथिलता प्रदान कर अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा पूर्व में भी विलम्ब अवधि के प्रार्थना पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शिथिलता (रिलेक्सेशन) प्रदान कर मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो किस-किस को?

उत्तर

(1) वर्तमान में मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति में विलम्ब से आवेदन करने पर शिथिलन (रिलेक्सेशन) देने से संबंधित लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाकर शिथिलन प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बिल प्रतिमाह जारी करने की योजना

385. श्री रमेश (सपोटरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डिस्कॉम द्वारा दो माह का बिजली बिल जारी किया जाता है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिजली बिल की दरें उपभोग के स्लैब के आधार पर निर्धारित होती है? यदि हां, तो स्लेबवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि दो माह का बिल जारी होने से बिजली उपभोग का वास्तविक स्लैब प्रतिमाह का ना आकर दो माह का औसत आता है? जिससे उपभोक्ता को अधिक दर से भुगतान करने पर हानि होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ता को राहत देने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रतिमाह का बिल जारी करने से बिजली चोरी, छीजत और वास्तविक विद्युत उपभोग की गणना आसान होगी? यदि हां, तो क्या सरकार बिजली बिल प्रतिमाह के आधार पर जारी करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामान्यत: घरेलू, अघरेलू व कृषि कनेक्शन जिनका संबद्ध भार 25 एच.पी./18.65 किलोवाट भार तक है तो ऐसे विद्युत उपभोक्ताओ के बिल द्विमासिक आधार पर एवं इससे अधिक संबद्धभार के कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिल मासिक आधार पर जारी किये जाते हैं। साथ ही वृहद् औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने पर पाक्षिक आधार पर भी बिल जारी किये जाते हैं।

वर्तमान में प्रतिमाह मासिक रूप से सभी उपभोक्ताओं के विपत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं, क्योंकि सभी उपभोक्ताओ विशेष कर छोटे उपभोक्ताओ की मासिक बिलिंग सॉफ्टवेयर की क्षमता, कार्मिकों की उपलब्धता, बिल संग्रह

(ऊर्जा मंत्री)

की व्यवस्था आदि के कारण वर्तमान में व्यावहारिक नहीं है, न ही आर्थिक दृष्टि से लाभदायक।

(2) जी हां। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा घरेलू (एल.टी. सप्लाई), अघरेलू एवं लघु औद्योगिक श्रेणी के बिजली बिल की दरें उपभोग के स्लैब के आधार पर निर्धारित है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। दो माह का बिल जारी होने पर उपभोग के वास्तविक स्लैब की गणना दो माह के हिसाब से अर्थात दोगुने के आधार पर ही की जाती है, जिससे उपभोक्ता को भुगतान करने पर कोई हानि नहीं होती है।

(4) जी हां। जी नहीं, सभी उपभोक्ताओं विशेष कर छोटे उपभोक्ताओं की मासिक बिलिंग सॉफ्टवेयर की क्षमता, कार्मिकों की उपलब्धता, बिल संग्रह की व्यवस्था आदि के कारण वर्तमान में व्यावहारिक नहीं है न ही आर्थिक दृष्टि से लाभदायक।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन के थानों का क्रमोन्नयन

386. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में नये पुलिस थाना व पुलिस चौकियां खोलने व विद्यमान पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्न्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की जोजावर चौकी व पुलिस थाने मारवाड़ जंक्शन एवं रानी को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में नये पुलिस थाना/चौकी के सृजन/पुनर्गठन करने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

(गृह मंत्री)

समिति की अभिशंसा के आलोक में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर नये पुलिस थाना/चौकी सृजन/पुनर्गठन करने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के जोजावर चौकी व मारवाड़ जंक्शन एवं रानी पुलिस थानों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्त समिति की अभिशंसा के आधार पर विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के जोजावर चौकी व मारवाड़ जंक्शन एवं रानी पुलिस थानों के सृजन/पुनर्गठन करने पर विचार किया जा सकेगा।

सीकर जिले के थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के दर्ज प्रकरण

387. श्री गोरधन (धोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर जिले में जनवरी, 2013 से जनवरी, 2017 तक कितने प्रकरण अनुसूचित जाति/जनजाति के किन-किन थानों में दर्ज किये गये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी प्रकरणों में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कितने प्रकरणों में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में जनवरी 2013 से जनवरी 2017 तक 1011 प्रकरण अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किये गये तथा उक्त दर्ज प्रकरणों की थानेवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर सलग्न हैं।

(2) इस अवधि में कुल 1011 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिनमें 429 प्रकरणों में चालान प्रस्तावित किया गया एवं 565 प्रकरणों में एफ;आर; दी गई 17 प्रकरण अन्वेषणाधीन हैं चालान किये गये प्रकरणों में 428 प्रकरणों में

(गृह मंत्री)

चालान पेश न्यायालय किया जा चुका हैं। 01 प्रकरण में आरोपी उपस्थित नहीं आने के कारण चालान न्यायालय में पेश नहीं किया गया जो अतिशीघ्र किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के थानों में ऊंटों की तस्करी के दर्ज प्रकरण

388. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में पुलिस विभाग को ऊंटों की तस्करी के संबंध में प्राप्त सूचनाओं तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में प्रदेश के विभिन्न थानों में ऊंटों की तस्करी से संबंधित कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए तथा कितनों में पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किये गये, कितनों में एफ.आर. लगाई व कितने प्रकरण अन्वेषण में कब से विचाराधीन चल रहे हैं? थानेवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में राज्य पशु ऊंट की तस्करी की रोकथाम हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये तथा किन-किन गैर सरकारी संगठनों ने कब-कब व कितने-कितने ऊंट छुड़वाये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में ऊंटों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु सरकार की क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था। विगत तीन वर्षों (2014, 2015, 2016) में पुलिस विभाग को ऊंट की तस्करी से सम्बन्धित सूचनाओं के आधार पर कुल 76 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर कुल 196 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल 939 ऊंटों को मुक्त कराया गया, जो संलग्न तालिकानुसार है-

(गृह मंत्री)

वर्ष	कुल दर्ज प्रकरण	कुल गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	छुड़ाये गये ऊंटों की संख्या
2014	23	51	272
2015	34	97	424
2016	19	48	243
कुल	**76**	**196**	**939**

कार्यवाही का विवरण वर्षवार, जिलेवार परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स' पर संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों (2014, 2015, 2016) में प्रदेश के विभिन्न थानों में ऊंटों की तस्करी के सम्बन्ध में कुल 76 प्रकरण दर्ज कर पुलिस द्वारा सभी (76 प्रकरणों) में चालान किये गये, एफआर किसी भी प्रकरण में नहीं लगाई गई तथा वर्तमान में किसी भी प्रकरण में अनुसंधान विचाराधीन नहीं है। वर्षवार, थानेवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स' पर संलग्न है।

(3) ऊंटों की तस्करी रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में ऊंट की तस्करी पर प्रतिबन्ध हेतु राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 पारित किया गया है।

पुलिस विभाग द्वारा ऊंटों की तस्करी रोकने के लिए गश्त, नाकाबंदी, वाहन चैकिंग, पशु मेलों में विशेष मुखबिर मामूर कर तस्करी में लिप्त संदिग्धों पर निगरानी कर तस्करी पर अंकुश लगाया जाता है। साथ में उपरोक्त अधिनियम के अतिरिक्त पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में भी कार्यवाही की जाती है।

विगत तीन वर्षों में किसी भी गैर सरकारी संगठनों द्वारा ऊंटों की तस्करी बाबत कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुई है। पुलिस विभाग एवं प्राइवेट व्यक्तियों की सूचना पर ही कार्यवाही की गई है, जिसका विवरण वर्षवार, थानेवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स' पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार ऊंटों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कृतसंकल्प है। जिसके तहत पशुपालन विभाग द्वारा ऊष्ट्र विकास योजना 02 अक्टूबर 2016 से लागू की गई है जिसमें निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं-

(गृह मंत्री)

1. ऊष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना इसके तहत प्रत्येक नर/मादा बच्चे (टोडिया) के जन्म पर 0 से 01 माह की आयु पर 3000 रुपये, 09 माह की आयु पर 3000/- एवं 18 माह की आयु पर 4000 रुपये। इस प्रकार कुल 10,000/- रुपये प्रोत्साहन हेतु देय है।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम ऊंट पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
3. रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सर्रा रोग नियन्त्रण कार्य किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त भामाशाह पशु बीमा योजना अंतर्गत अन्य पशुओं के साथ-साथ ऊंटों के बीमे का कार्य भी किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में नये वृत्त कार्यालयों की स्थापना

389. श्री मानवेन्द्रसिंह (शिव): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में नए वृत्त कार्यालय खोले जाने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बाड़मेर जिले में भी नए वृत्त कार्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त कार्यालय कब तक खोल दिए जाएंगे व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में नये पुलिस वृत्त कार्यालय के सृजन/पुनर्गठन करने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

समिति की अभिशंसा के आलोक में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर प्रदेश में नए वृत्त कार्यालय के सृजन/पुनर्गठन पर विचार किया जा सकेगा।

(2) बाड़मेर जिले में नए वृत्त कार्यालय खोलने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

सिकराय की पंचायत समितियों द्वारा कराये गये कार्य

390. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति द्वारा किन- किन योजनाओं में कौन-कौनसे कार्य करवाये जाते हैं? किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितनी-कितनी राशि राज्य एवं केन्द्र से पंचायत समितियों को दी जाती है? योजनाओं के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2014-15 व 2015-16 में सरकार द्वारा कितनी राशि विधान सभा क्षेत्र सिकराय की पंचायत समिति सिकराय, दौसा व लवाण को दी गई एवं उक्त राशि से कहां-कहां क्या-क्या कार्य करवाए गए? कार्यों के नाम व व्यय राशि सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत योजना की मार्गदर्शिका में अनुमत कार्यो को कराया जाता है। योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

पंचायत समिति को राज्य एवं केन्द्र से प्राप्त राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2014-15 व 2015-16 में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिकराय की पंचायत समिति सिकराय, दौसा व लवाण को दी गई राशि एवं उक्त राशि से करवाए गए कार्यो का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाईमाधोपुर में स्वच्छ भारत निर्माण योजना के तहत शौचालयों का निर्माण

391. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाईमाधोपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में स्वच्छ भारत निर्माण योजना के तहत कितने शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है एवं कितनी पंचायतों में शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 40532 शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है तथा 40 ग्राम पंचायतों को शौचालय निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया है।

प्रदेश में गुरू गोलवलकर योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरित राशि

392. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में गुरू गोलवलकर योजना के अन्तर्गत कितनी राशि जिलों में हस्तान्तरित की गई? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में भी उक्त योजनान्तर्गत राशि देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने कार्य करवाये गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजनान्तर्गत जिलों को हस्तान्तरित की गई राशि का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए योजनान्तर्गत सरकार द्वारा 125 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में करवाये गये कार्यों का विधान सभा क्षेत्रवार मय राशि का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति रायपुर (पाली) की ग्राम पंचायतों में कराये गये विकास कार्य

393. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती संजना आगरी)

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर में विकास कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 व 2017 में कितना बजट किस-किस योजना के अंतर्गत आवंटित किया गया? आवंटित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति में सरकारी योजना एवं ग्रामीण विकास के तहत किन-किन ग्राम पंचायतों में विकास कार्य हेतु कितना-कितना बजट आवंटित किया गया? पंचायत वार आवंटित बजट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायतों में उक्त अवधि में कौन-कौनसे विकास कार्य करवाये गये व कौन-कौनसे विकास कार्य करवाया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर में विकास कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 व 2017 में बजट में योजनान्तर्गत आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) उक्त पंचायत समिति में सरकारी योजना एवं ग्रामीण विकास के तहत ग्राम पंचायतों में स्वीकृत विकास कार्य हेतु पंचायतवार आवंटित बजट का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) उक्त पंचायतों में उक्त अवधि में करवाये गये विकास कार्य व करवाये जाने वाले शेष विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में खोले गये नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र

394. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत 3 वर्षों में प्रदेश में कहां-कहां पशु चिकित्सालय खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में प्रदेश के कितने पशु चिकित्सालय सरकारी भवनों में, किराये के भवनों व अनुदानित भवनों में चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

(3) प्रदेश में गत पांच वर्षों में कितने नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र कहा-कहां खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 3 वर्षों में प्रदेश में पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों व औषधालयों को क्रमोन्न्त कर पशु चिकित्सालय बनाये गये हैं, जिसकी जिलेवार सूचना परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन की सूचना परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) विगत पांच वर्षों में प्रदेश में खोले गये 1600 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का विवरण परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में पशु मेला लगाने की योजना

395. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जैसलमेर जिला पशु बाहुल्य एवं पशु आधारित रोजगार क्षेत्र है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले में पशु मेला लगाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य पशु मेला अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किये जाते हैं, जिसमें जैसलमेर जिले के लिये पशु मेला सम्मिलित नही है।

वर्तमान में पशुपालन विभाग में जिला जैसलमेर में पशु मेला आयोजित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा

396. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नारायण सिंह देवल)

क्या यह सही है कि प्रदेश में भामाशाह पशु बीमा योजना लागू की गई है? यदि हां, तो कब से एवं अब तक उक्त योजना में कितने पशुओं का बीमा किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रदेश में दिनांक 23 जुलाई 2016 से भामाशाह पशु बीमा योजना संचालित है। योजनान्तर्गत माह फरवरी 2017 तक 26230 पशुओं का बीमा करवाया गया है।

भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बी.पी.एल श्रेणी के पशुपालकों को प्रीमियम राशि का 70 प्रतिशत तथा अन्य पशुपालकों को 50 प्रतिशत अनुदान देय है।

योजनान्तर्गत देशी/संकर दूध देने वाले पशु यथा-गाय एवं भैंस, भार ढोने वाले पशु यथा- ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पाड़ा एवं अन्य पशु जैसे बकरी, भेड़, सूअर इत्यादि पशुओं का बीमा अनुदानित प्रीमियम दरों पर किया जा रहा है

प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु संचालित योजनाएं

397. डॉ. मंजू बाघमार (जायल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्त वर्ष 2016-17 में उक्त योजनाओं हेतु कितना बजट प्रावधान किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु अतिरिक्त बजट आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, के.प्र.यो.- परम्परागत कृषि

(कृषि मंत्री)

विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाएं संचालित की जा रही है। जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के दिशा-निर्देश परिशिष्ट 1 व परम्परागत कृषि विकास योजना के परिशिष्ट 2 तथा उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(2) चालू वित्त वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम व के.प्र.यो.- परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत योजनावार, जिलेवार बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट 4 व 5 पर व उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत योजनावार व जिलेवार बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट 6 व 7 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में क्रियान्वित योजनाओं में पर्याप्त बजट होने के कारण अतिरिक्त बजट आंवटन की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला क्रीड़ा परिषद जयपुर को सरकार द्वारा आवंटित राशि

398. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला क्रीड़ा परिषद् जयपुर की वर्ष 2010 से जनवरी, 2017 तक कितनी बैठकें आयोजित की गई? बैठकों के कार्य विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परिषद् को जयपुर जिले में कहां-कहां कौन-कौनसी सम्पत्तियां यथा खेल मैदान/ स्टेडियम हेतु भूमियां आवंटित की गई हैं? उक्त भूमियों की वर्तमान में क्या स्थिति है? खेल मैदानों की माप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला क्रीड़ा परिषद् की चौगान स्टेडियम, जयपुर स्थित सम्पत्ति का कब्जा सरकार द्वारा कब व किन शर्तों पर लिया गया? क्या उक्त निर्णय की अनुपालना में चौगान स्टेडियम की सम्पत्ति का कब्जा राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा ले लिया गया है? यदि हां, तो कब व किन शर्तों के अध्यधीन? इस

(श्रीमती अलका सिंह)

संबंध में लिये गये उच्च स्तरीय निर्णय व कब्जा स्थानान्तरण आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला क्रीड़ा परिषद्, जयपुर को गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में उपलब्ध कराई गयी? वर्षवार व माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर की वर्ष 2010 से जनवरी, 2017 तक दिनांक 18.07.2011 एवं 14.10.2014 को बैठक आयोजित हुई। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(2) जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर के अधीन निम्नलिखित स्टेडियमों की भूमि एवं खेल मैदानों का स्वामित्व है:

1. चौगान स्टेडियम, जयपुर।
2. शाहपुरा स्टेडियम, शाहपुरा (जयपुर)
3. गोविन्दगढ स्टेडियम, गोविन्दगढ़ (जयपुर)

इन स्टेडियमों में निर्मित खेल मैदानों का विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है।

(3) जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पत्रांक 66 दिनांक 10.03.2016 के द्वारा चौगान स्टेडियम की आर्थिक स्थिति को मददेनजर रखते हुए चौगान स्टेडियम की वित्तिय एवं प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अधीन की गई है जिसकी अनुपालना में चौगान स्टेडियम का वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा की जा रही है। पत्र की प्रति परिशिष्ट ग पर संलग्न है।

(4) विगत पांच वर्षों में जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर को शाहपुरा स्टेडियम पर खेल मैदानों के निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 100.00 लाख एवं 2016-17 में राशि रुपये 25.00 लाख कार्यकारी एजेन्सी आरएसआरडीसी को जारी किये गये है।

मई, 2016 से चौगान स्टेडियम, जयपुर के बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के बिलों का भुगतान राजस्थान

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किया जा रहा है। जिसमें अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक पानी पर 10723, विद्युत पर 478170, संविदा कर्मचारियों पर 446726 एवं टेलीफोन पर 9727 रुपये के बिलों का भुगतान किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने हेतु खेल कानून में संशोधन

399. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में खेल कानून कब से लागू हुआ एवं इसके नियम कब बनाये गये? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खेल कानून बनाते समय विभिन्न खेल संघों से राय ली गई थी? यदि हां, तो किन-किन खेल संघों से एवं उन्होंने कब अपनी राय प्रस्तुत की? खेल संघों द्वारा प्रस्तुत राय सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि खेल कानून में लाये गये प्रावधानों का आर.सी.ए. के अतिरिक्त अन्य खेल संघों ने विरोध किया था? यदि हां, तो उक्त विरोध पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा गठित लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए खेल कानून में सरकार बदलाव की तैयारी कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य खेल संघों के प्रतिनिधियों से भी लिखित में उनकी राय लेकर तदनुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियम), 2005 प्रदेश में 18 अगस्त, 2004 से लागू किया गया। उक्त अधिनियम की प्रति परिशिष्ट "क" एवं उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये नियम की प्रति परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

(2) जी हां। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय खेल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2004 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 8 खेल संघों ने भाग लिया था, बैठक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

(3) इस प्रकार का रिकॉर्ड इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री आर.एम. लोढा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अध्ययन कर कानूनी सलाह प्रदान किये जाने हेतु परिषद् के आदेश क्रमांक 3595 दिनांक 17.10.2016 के तहत निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी सिफारिशे देने हेतु सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मद्रास, कर्नाटक उच्च न्यायालय व पूर्व अध्यक्ष राजस्थान मानवाधिकार आयोग माननीय श्री नगेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में तीन सदस्य समिति का गठन किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न है:-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित माननीय पूर्व न्यायाधीश लोढा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अध्ययन कर कानूनी सलाह।
2. राजस्थान क्रीडा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों पर यदि हो तो अपेक्षित कार्यवाही।
3. राजस्थान सरकार व राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा अपेक्षित कार्यवाही।
4. खेलों में सुधार हेतु अन्य किसी प्रकार की राय एवं सुझाव।

समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मसूदा में वन्य जीव संरक्षण के कार्य

400. श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती सुशील कंवर)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मसूदा में बड़े स्तर पर वन्य सम्पदा होने के कारण वन्य जीव संरक्षण की कोई योजना सरकार के प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन एवं अतिक्रमण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार ने इसकी स्थायी सुरक्षा के लिए अलग से कोई बजट प्रावधान किया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के जलग्रहण क्षेत्र में कार्यरत एन.जी.ओ. द्वारा वन्य संरक्षण के क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मसूदा विधान सभा क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण की पृथक से कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, अपितु विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वन एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधित कार्य क्षेत्र की आवश्यकता तथा बजट उपलब्धता अनुसार कराये जाते हैं।

(2) मसूदा विधान सभा क्षेत्र में कार्यालय उप वन संरक्षक अजमेर अधीन वन क्षेत्र की भूमि पर वन विभाग द्वारा प्रभावी गश्त तथा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनन विभाग के सहयोग से संयुक्त कार्यवाही द्वारा अवैध खनन एवं अतिक्रमण की प्रभावी रोकथाम की गई है। वर्तमान में अवैध खनन एवं अतिक्रमण की कोई विशेष समस्या नहीं है।

वन क्षेत्र की स्थाई सुरक्षा एवं विकास हेतु अधिकारी एवं स्टाफ नियुक्त हैं। सुरक्षा हेतु पृथक से बजट का प्रावधान नहीं है।

(3) मसूदा विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किसी भी एन.जी.ओ. के माध्यम से वन संरक्षण के कार्य नहीं कराये जा रहे है, अपितु क्षेत्र में जलग्रहण विभाग द्वारा फाउण्डेशन फॉर ईकोलोजिकल सिक्योरिटी संस्था के माध्यम से आई.डब्ल्यु.एम.पी. 16 रतनपुरा, मसूदा, अजमेर परियोजना अन्तर्गत जलग्रहण संबंधी कार्य यथा ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, चैकडेम्स, फार्म बंडिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग आदि कार्य करवाये जा रहे हैं।

प्रश्न संख्या 401

(स्थगित)

अरांई (अजमेर) में नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

402. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई कस्बे में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

(2) उक्त प्रस्ताव के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रीको के आगामी बजट 2017-18 की विभागीय कार्ययोजनाओं में पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई (अजमेर) में एक नवीन औ़द्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई के पास नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु ग्राम रघुनाथपुरा की सिवायचक राजकीय भूमि रकबा 135-14-00 बीघा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई (अजमेर) कस्बे के पास स्थित ग्राम रघुनाथपुरा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु खसरा नम्बर 225/1 कुल रकबा 131-00-00 बीघा में से 115-00-00 बीघा, खसरा नम्बर 231 रकबा 18-05-00 बीघा एवं खसरा नम्बर 227 रकबा 02-09-00 बीघा, कुल किता-3 रकबा 135-14-00 बीघा राजकीय सिवायचक भूमि प्रारंभिक रूप से चिन्हित कि गई है। उक्त चिन्हित की गई भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव तैयार कर निगम द्वारा दिनांक 24.08.2016 को जिला कलेक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 30.01.2017 को संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-6) को पत्र लिखकर उक्त प्रकरण में रीको के पक्ष

(उद्योग मंत्री)

में भूमि आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

(3) पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई (अजमेर) कस्बे के ग्राम रघुनाथपुरा में राजकीय भूमि रकबा 135-14-00 बीघा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित एवं आवंटित होने के पश्चात नियमानुसार नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी के तहत युवा उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई सहायता

403. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी कब लागू की गई तथा उक्त पॉलिसी के क्या उद्देश्य निर्धारित किये गये थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्टार्टअप पॉलिसी के तहत वर्ष 2015-16 व 2016-17 में प्रदेश में युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता किस-किस उद्यमी को उपलब्ध करायी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी अक्टूबर, 2015 में लागू की गई थी। पॉलिसी के तहत निर्धारित उद्देश्य इस प्रकार है:-

प्रमुख् उद्देश्य

1. 50 इन्क्यूबेटर/इन्क्यूबेटर जैसे संगठनों की स्थापना।
2. 500 नवीन स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट किया जाना।
3. एक लाख वर्गफुट इन्क्यूबेशन स्पेस का विकास।
4. एंजिल एवं वेंचर केपिटल द्वारा स्टार्टअप्स के लिए 500 करोड़ रुपये जुटाना।
5. राज्य में इनोवेशन आधारित संस्कृति का विकास।

(2) स्टार्टअप पॉलिसी के तहत वर्ष 2015-16 व 2016-17 में राज्य में

(उद्योग मंत्री)

16 स्टार्टअप्स को 154.80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में उपखण्ड स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ध्वजारोहण के नियम

404. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा आयोजित उपखण्ड स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण हेतु नियमानुसार किन-किनको कब से अधिकृत किया गया है?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त ध्वजारोहण कार्यक्रम हेतु कोई स्पष्ट नियम बनाये गए हैं? यदि हां, तो उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 15 अगस्त, एवं 26 जनवरी, के पूर्व निर्देश जारी किये जाते है जिसके अनुसार सब डिविजन स्तर पर किसी मंत्री/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म अदा की जाती है। भारत सरकार से जारी निर्देश दिनांक 1.8.2016 की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट क)।

(2) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त उपरोक्त निर्देश की पालना की जाती है। पृथक से राज्य सरकार के स्तर से कोई निर्देश जारी नहीं किये जाते है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के राशन डीलरों द्वारा केरोसीन वितरण में अनियमितता

405. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गैस उपभोक्ता कैरोसीन लेने के लिए अपात्र है फिर भी प्रदेश में कई गैस उपभोक्ता डीलर से कैरोसीन प्राप्त कर रहे हैं?

(श्री संदीप शर्मा)

यदि हां, तो सरकार द्वारा राशन डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) गत दो वर्षों में सरकार को कैरोसीन वितरण में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 2 वर्षों में कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में चयन हेतु कितने लोगों ने आवेदन किया तथा उनमें से कितने लोगों को उक्त योजना में चयनित किया गया व कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) गत दो वर्षो में सरकार को केरोसीन वितरण में अनियमितता की 435 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें विभागीय कार्यवाही करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी कर प्राधिकार पत्र निरस्त/ निलम्बित करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त करने की कार्यवाही की गई। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) गत दो वर्षों में कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में चयन हेतु 40327 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4698 आवेदनों को चयनित किया एवं 35629 आवेदन वर्तमान में लम्बित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन

406. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में ऐसी कितनी दुकानें है, जिनका स्वीकृत करने के बाद भी आवंटन नहीं किया गया? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में उचित मूल्य की कौन-कौन सी दुकानें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

स्वीकृत हैं? इनमें से कौन-कौनसी दुकानों का आवंटन कब से नहीं किया गया? उक्त दुकानों का आवंटन नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में कुल 760 उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जयपुर शहर के क्षेत्राधिकार में 59 रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.03.2015 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिनका आवंटन नहीं किया गया है।

जयपुर शहर में उचित मूल्य दुकानों की संख्या प्रति दुकान उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर शेष राजस्थान के उपभोक्ताओं की तुलना में काफी ज्यादा है। अत: जयपुर शहर में प्रति दुकानदार राजस्थान की अन्य दुकानों की तुलना में आमदनी कम होने के कारण दुकानों की संख्या में कमी करने हेतु समस्त रिक्त दुकानें अन्य दुकानों में समायोजित/विलोपित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण नवीन आवंटन नहीं किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में 79 उचित मूल्य दुकानें स्वीकृत हैं जिनमें से विज्ञप्ति अनुसार 11 उचित मूल्य दुकानें रिक्त हैं, जिनका आवंटन किया जाना है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जयपुर शहर में उचित मूल्य दुकानों की संख्या प्रति दुकान उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर शेष राजस्थान के उपभोक्ताओं की तुलना में काफी ज्यादा है। अत: जयपुर शहर में प्रति दुकानदार राजस्थान की अन्य दुकानों की तुलना में आमदनी कम होने के कारण दुकानों की संख्या में कमी करने हेतु समस्त रिक्त दुकानें अन्य दुकानों में समायोजित/विलोपित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण नवीन आवंटन नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में राजस्व ग्राम बनाने के मानदण्ड

407. श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अनिता कटारा)

(1) प्रदेश में राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा राजस्व ग्रामों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा जनजाति क्षेत्र में होने के कारण यहां आबादी छोटी-छोटी ढाणियों के रूप में बिखरी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार जनजाति क्षेत्र को देखते हुये उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन राजस्व ग्राम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिपत्र दिनांक 20.08.2009 के द्वारा नवीन राजस्व ग्राम बनाने के संबंध में मानदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) राजस्व ग्राम न केवल राजस्व प्रशासन की मूल इकाई है, बल्कि विभिन्न विभागों के विकास एवं आयोजना के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार बिन्दु है।

(3) जी हां। निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप जिला कलेक्टर से प्रस्ताव राजस्व मण्डल के माध्यम से प्राप्त होने पर नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन

408. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या उपनिवेशन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में सभी प्रकार के आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने के बाद सलाहकार समिति की अनुशंसा से किए जाते है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विभाग में पदस्थापित आवंटन अधिकारियों द्वारा दिनांक

(श्री भंवर सिंह)

1.1.2017 तक की अवधि में कितनी बार आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई व किस-किस श्रेणी में कितने-कितने आवंटन किए गए? आवंटी के नाम सहित प्रत्येक आवंटन सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग में वर्ष 1999 से 2017 तक भिन्न-भिन्न श्रेणी में आरक्षित मुरब्बों की मुरब्बा यूनिट तोड़कर आवंटन किए गए थे? यदि हां, तो क्यों व कहां-कहां? आवंटन रजिस्टर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा निम्न प्रकार के भू-आवंटन का कार्य विभिन्न नियमों के तहत किया जाता है-

1. भूतपूर्व सैनिकों को आवंटन नियम 1975 के नियम 12(क) के अंतर्गत भू-आवंटन।
2. शौर्य पदक धारकों को राजस्थान शौर्य पुरुस्कार (नकद इनाम और भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत भू-आवंटन।
3. मृत प्रतिरक्षा कार्मिकों एवं विकलांग प्रतिरक्षा कर्मियों का भूमि आवंटन नियम 1963 के तहत।
4. आवंटन नियम 1975 के नियम 24 के तहत राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार के उपक्रमों, संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को भू-आवंटन।
5. पौंग बांध विस्थापितों एवं उनके अन्तरितियों को इं.गां.न.प. क्षेत्र में कृषि भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1972 के तहत भूमि-आवंटन।
6. राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के तहत भू-आवंटन।
7. महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की विस्थापितों को भूमि-आवंटन।
8. नियम 1975 के अंतर्गत सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन, मुहरबंद निविदा द्वारा भूमि-आवंटन।

(राज्य मंत्री, उपनिवेशन)

9. आवंटन नियम 1975 के नियम 12 के तहत कृषि स्नातकों को भू-आवंटन।

10. राजस्थान भू-राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 2007 nके तहत पॉवर प्रोजेक्ट हेतु भूमि-आवंटन।

क्रम संख्या 1 व 8 के तहत किये जाने वाले भू-आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा से किये जाते हैं, शेष आवंटन हेतु आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा से आवंटन करने का नियमों में प्रावधान नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय), नियम 1975 के नियमों तहत किये आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा से किये जाने वाले आवंटन के संबंध में नियमों में विहित प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) बीकानेर मुख्यालय पर पदस्थापित आवंटन अधिकारियों में से सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर को उपनिवेशन तहसील गजनेर मु.कोलायत के क्षेत्राधिकार में आवंटन की शक्तियां प्राप्त है। वर्तमान में उक्त तहसील में सी.ए.डी. चक प्लानों के आधार पर रिकार्ड राइटिंग का कार्य जैरकार है। रिकार्ड तैयार होने के पश्चात विभिन्न श्रेणियों में भूमि का आरक्षण किया जाकर भूमि आवंटन हेतु आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आहूत की जायेगी। आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (अपील) बीकानेर द्वारा दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 01.01.2017 तक की अवधि में 2 बार आवंटन सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन कर भूतपूर्व सैनिकों के 115 विनिमय/लघु व मध्यम भूखण्डों के प्रकरणों में आवंटन किया गया। आवंटी के नाम सहित कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर में किसानों के भूमि आवंटन के प्रकरण

409. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ठाकरी व ठंडी में सोसायटी भूमि आवंटन के प्रकरणों में सरकार द्वारा किसानों के विरुद्ध राजस्व बोर्ड में अपील दायर की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अपील विड्रा कर सोसायटी भूमि आवंटन के प्रकरण किसानों के पक्ष में निस्तारित करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ठाकरी व ठंडी में सोसायटी भूमि आवंटन के प्रकरणों में राज्य सरकार ने किसानों के विरुद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दायर कर रखी है। तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक राजस्व (17) 604 दिनांक 14-03-2017 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय पश्चात् प्रकरणों में अंतिम विनिश्चय लिया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

गंगापुर (सवाई माधोपुर) को जिले का दर्जा

महोदय,

गंगापुर सिटी को जिला बनाने की बात बहुत लम्बे समय से चल रही है। करौली सवाई माधोपुर जब संयुक्त जिला था तब भी गंगापुर सेन्ट्रल में होने के कारण गंगापुर को ही जिला बनाने की बात उठती रही है। यही कारण है कि राजस्थान में गंगापुर एक मात्र ऐसा उपखण्ड है जहां पर सबसे ज्यादा आई.ए.एस. अधिकारियों को एसडीएम लगाया गया। करौली जिला बनने के बाद भी गंगापुर को जिला बनाने को लेकर आम जनता, विभिन्न संगठनों सहित राजनीतिक दलों द्वारा इसकी पुरजोर मांग की जाती रही है। क्योंकि गंगापुर जो लगभग ढ़ाई लाख की आबादी का शहर है और टोडाभीम नाडोती जो वर्तमान में करौली जिले में है, का सम्पूर्ण व्यापारिक एवं समस्त व्यापारिक आदान प्रदान गंगापुर सिटी में होता है। इसी के साथ सपोटरा जो कि गंगापुर के निकटस्थ है उसका भी सम्पूर्ण व्यापारिक आदान प्रदान कृषि जीन्स एवं दुग्ध व्यापार सहित सभी कार्य गंगापुर पर ही निर्भर है। इस प्रकार टोड़ाभीम उपखण्ड, नादोती उपखण्ड, वजीरपुर उपखण्ड, सपोटरा उपखण्ड, बामनवास उपखण्ड, बोंली उपखण्ड एवं गंगापुर उपखण्ड को मिलाकर गंगापुर को जिला बनाया जाना प्रशासनिक दृष्टि से पूर्णतया उपयुक्त है एवं जनहित में भी है।

महोदय, गंगापुर सिटी दिल्ली मुम्बई रेलवे ब्रॉडगेज पर उपलब्ध है जहां पर देश की सभी गाड़ियों का ठहराव है। प्रदेश की ''ए'' श्रेणी की मण्डी गंगापुर में स्थित है। शैक्षणिक दृष्टि से गंगापुर शिक्षा का हब बन रहा है एवं सैकण्डरी एजुकेशन में गंगापुर राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। इसी के साथ गंगापुर में जिला जेल, सीटीओ आफिस, एडिशनल एसपी आफिस आदि पहले से ही संचालित हैं।

अत: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि गंगापुर को जिला बनाया जाये।

मानसिंह
(गंगापुर)

कुचामन (नागौर) में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नये खण्ड कार्यालय की स्थापना

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र नावां में लम्बित एक अध्ययन की ओर लोकहित वाले विषय पर विशेष उल्लेख के तहत सरकार एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नावां विधान सभा क्षेत्र में जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग के दो सहायक अभियन्ता कार्यालय कुचामन व नावां में संचालित हैं। उक्त दोनों कार्यालयों को दो अलग-अलग अधिशाषी अभियन्ता कार्यालयों क्रमश: मकराना एवं डीडवाना के अधीन अलग-अलग होने के कारण क्षेत्र की पेयजल से संबंधित योजनाओं की क्रियान्विति में कठिनाईयां हो रही हैं।

ऐसी अवस्था में कुचामन में नया अधिशासी अभियंता कार्यालय स्वीकृत किया जाकर कार्य योजनाओं का बेहतर तरीके से संचालन संभव हो सकता है एवं खण्ड कार्यालय डीडवाना के अधीन उपखण्ड कार्यालय डीडवाना-लाडनूं दो, खण्ड कार्यालय कुचामन के अधीन कुचामन, नावां दो, एवं खण्ड कार्यालय मकराना के अधीन मकराना परबतसर समान रूप से दो-दो उपखण्ड कार्यालय रहेंगे, जो जनहित में व राजहित में उचित है।

अत: विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत आप के माध्यम से सरकार एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यानाकर्षण करके लोकहित में कुचामन में जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग का नया खण्ड कार्यालय खोलने का आग्रह कर रहा हूं। कृपया बजट वर्ष 2017-18 में इसे स्वीकृत कराने का कष्ट करावें, जिससे नावां विधान सभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं की समस्याओं का निराकरण व सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके।

विजय सिंह
(नावां)

रावतसर नगरपालिका में पेयजल की पुरानी पाइप लाइनों को बदलना

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका रावतसर में पेयजल हेतु पत्थर की पाइप लाइन लगभग 40 वर्ष पूर्व बिछाई गई थी। जो 10-15 फुट की गहराई पर है। यह क्षेत्र सैमग्रस्त होने के कारण धरातल के पानी का स्तर वर्तमान में 8 फुट की गहराई पर है। पेयजल पाइपें वर्तमान में जर्जर अवस्था में हैं। पाइपें लीकेज होने पर सैम की वजह से ठीक नहीं हो पाते हैं क्योंकि धरातल का पानी ऊपर आ जाता है जिससे शहरवासियों को गन्दा पानी पीने हेतु मजबूर होना पड़ता है व नगरपालिका क्षेत्र रावतसर में महामारी फैलने की सम्भावना बनी रहती है।

अत: महोदय इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करती हूं कि नगरपालिका क्षेत्र रावतसर में पेयजल की पुरानी पाइप लाइनें बदलवाने का श्रम करें।

सादर।

श्रीमती द्रोपती
(पीलीबंगा)

उदयपुर माईनिंग विभाग के इलेक्ट्रीकल विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र कार्यालय गाजियाबाद से पुन: उदयपुर किया जाना

महोदय,

2 वर्ष पूर्व जब खान मालिक अपनी माईन्स पर 59 हॉर्स पावर से ऊपर विद्‌युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन करता था तब उदयपुर में संचालित माईनिंग विभाग के इलेक्ट्रीकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता था। परन्तु वर्तमान में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र का कार्यालय उदयपुर के बजाय गाजियाबाद कर दिया गया है जिसके कारण प्रार्थी को बार-बार गाजियाबाद के चक्कर लगाने के बावजूद भी लाखों रुपये रिश्वत देने के बाद प्रार्थी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलता है। अत: माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह कार्यालय गाजियाबाद के स्थान पर पुन: उदयपुर किया जावें।

सधन्यवाद।

श्रीराम भींचर
(मकराना)

प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति उपयोजना में विशेष बजट का आबंटन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेख है कि वर्ष 1974-75 में जनजाति उप योजना व अनुसूचित जाति के लिए 1979-80 से अनुसूचित जाति उप योजना प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.8 व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.5 प्रतिशत है। विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं में उक्त वर्गों के परिवारों को लाभान्वित करने हेतु उक्त अनुपात में बजट राशि का प्रावधान है।

वर्ष 2006-07 से विशिष्ट संघटक योजना का नाम बदलकर ''अनुसूचित जाति उप योजना'' (एस.सी.एस.पी.) व जनजाति उप योजना (टी.एस.पी.) किया है। इस वर्ष बजट में विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है। 30 वर्षों में भी दोनों उप योजनाओं में मानदण्ड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की गई है। आवंटित राशि को अन्य मदों में खर्च कर दिया जाता है। निम्न 2 वर्षों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार ने अनदेखी की है:-

वित्त वर्ष	राज्य आयोजना व्यय	अनुसूचित जाति बजट (%)	अनुसूचित जनजाति बजट (%)
2013-14 (प्रस्तावित)	31516.27	3091.27 (9.8)	2770.39 (8.8)
2013-14 (संशोधित)	35068.00	3431.61 (9.8)	2959.52 (8.44)
2013-14 (वास्तविक)	29109.65	2887.92 (9.92)	2650.45 (9.11)
2014-15 (प्रस्तावित)	57115.26	4814.65 (8.43)	4150.45 (7.27)
2014-15 (संशोधित)	51511.92	4860.17 (9.77)	4420.92 (8.58)
2015-16 (प्रस्तावित)	57322.77	5545.78 (9.67)	4626.75 (8.07)

अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं उक्त वर्गों के उत्थान हेतु निवेदन करती हूं कि जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटित करने की कृपा करें।

सादर

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

बीकानेर के भूमिहीन युवाओं को सामान्य श्रेणी में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में भूमि का आबंटन

महोदय,

बीकानेर जिले व जैसलमेर जिले का आधे से अधिक क्षेत्रफल में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। इ.गा.न.प. क्षेत्र बीकानेर व जैसलमेर जिले में करीब-करीब समान है। इ.गा.न.प. क्षेत्र में भू-आबंटन का कार्य उपनिवेशन विभाग द्वारा किया गया। क्षेत्र में CAD चक आने पर बारानी क्षेत्र के चकों का अभिलेख भी उपनिवेशन विभाग द्वारा तैयार किया गया एवं क्षेत्र की राजकीय भूमि आबंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नियम बना रखे हैं कि कुल उपलब्ध राजकीय भूमि में से 50% भूमि क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को सामान्य श्रेणी व शेष 50% भूमि विशेष आबंटन व मोहरबंद निविदा में आबंटन की जाए। परन्तु उपनिवेशन विभाग के अधिकारियों द्वारा बीकानेर जिले में इस अनुपात में भूमि का आरक्षण नहीं किया व क्षेत्र में विशेष व मोहरबंद श्रेणी हेतु अधिक भूमि आरक्षित की व सामान्य आबंटन हेतु निर्धारित 50% से कम भूमि आरक्षित की जिस कारण क्षेत्र का भूमिहीन युवा भू-आबंटन से वंचित हो गया। सामान्य आबंटन हेतु भूमि की उपलब्धता कम होने के कारण बीकानेर जिले में मात्र एक बार वर्ष 1984 में सामान्य आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए और वर्ष 1984 में प्राप्त आवेदन पत्रों में 70% आवेदन उपनिवेशन विभाग द्वारा निरस्त कर दिए व मात्र 30% आवेदनों पर ही भू-आबंटन हो सका। इसके पश्चात् आज दिवस तक राज्य सरकार द्वारा सामान्य आबंटन हेतु बीकानेर जिले में आवेदन आमंत्रित नहीं किए। जबकि समीपस्थ जिले जैसलमेर में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1984, 1990, 1994, 2004 में सामान्य आबंटन हेतु जैसलमेर जिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए और जैसलमेर जिले के भूमिहीन कृषकों को भू-आबंटन किया गया।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बीकानेर जिले में पन्नालाल बारूपाल जलोत्थान योजना, डॉ. करणी सिंह जलोत्थान योजना, वीर तेजाजी जलोत्थान योजना से जिले की श्री कोलायत, पूगल व बीकानेर तहसील में सिंचाई सुविधा शुरू हो रही है। उक्त क्षेत्र में राजकीय सिवाय चक भूमि भी कमांड-अनकमांड के रूप में उपलब्ध होगी।

अत: मेरा आपसे एवं राज्य सरकार से सदन के माध्यम से निवेदन है कि उक्त क्षेत्र की 70% भूमि क्षेत्र के भूमिहीनों के लिए आरक्षित कर बीकानेर जिले के भूमिहीन युवाओं को आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रित कर शीघ्र भू-आवंटन किया जावे ताकि क्षेत्र के युवाओं को भू-आवंटन व रोजगार मिल सके।

भंवरसिंह
(कोलायत)

दौसा जिला मुख्यालय पर खेल स्टेडियम का निर्माण

महोदय,

दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित खेल स्टेडियम को विकसित करने के लिए वर्तमान राजस्थान सरकार ने 178.10 लाख रुपये की वित्तीय राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें स्टेडियम में विभिन्न खेलों के मैदान एवं एथलेटिक ट्रेक का निर्माण प्रस्तावित है। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे राजस्थान में एक ही तरह का नक्शा डिजाइन किया गया जबकि हर क्षेत्र में अलग-अलग खेल और अलग-अलग प्राथमिकता होती है। दौसा स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन, क्रिकेट एवं फुटबाल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता रहा है, परन्तु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा बिना विचार विमर्श किए नक्शे का निर्माण कराया गया। धरातल से 4 फिट की ऊँचाई पर निर्मित मैदान इस तरह बनाया है जिसमें रैफरी भी ठीक से खड़ा नहीं हो सकता है, दर्शकों का खड़ा होना तो दूर की बात है। इस तरह से कराए गए निर्माण कार्य से न केवल राज्य सरकार की वित्तीय राशि का दुरुपयोग हुआ है अपितु स्टेडियम का होने वाला उपयोग भी बन्द हो गया। एथलेटिक ट्रेक का निर्माण भी इस प्रकार कराया गया कि मौजूदा क्रिकेट ग्राउन्ड भी बेकार हो गया। पूर्व नक्शे के आधार पर चल रहे निर्माण को रुकवाकर स्थानीय अधिकारियों, खेल प्रेमियों से चर्चा कर स्थानीय प्राथमिकता के अनुसार नवीन नक्शे का निर्माण कराकर निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराना अत्यावश्यक है ताकि जिला स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ जिला स्तरीय प्रतियोगिता का पूर्ववत् आयोजन एवं नवीन इनडोर आउटडोर स्टेडियम में खेल प्रेमी लाभान्वित हो सकें।

दौसा स्टेडियम का विकास कर विभिन्न खेलों के मैदान तैयार कराए

जा रहे हैं, परन्तु स्टेडियम में केवल बॉक्सिंग के ही प्रशिक्षक पदस्थापित हैं जबकि अन्य सभी खेलों में यथा फुटबाल, बॉलीबाल, हैण्डबॉल, खो-खो, कुश्ती, एथलेटिक्स के प्रशिक्षक का पद रिक्त है। ऐसे में निर्माण कार्य के साथ-साथ प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी अत्यावश्यक है। साथ ही विधान सभा क्षेत्र दौसा में पंचायत समिति लवाण में तथा उप तहसील सैंथल में खेल स्टेडियम का निर्माण कराकर अनुगृहीत करें।

शंकर लाल शर्मा
(दौसा)

सिवाना के धार्मिक स्थलों को पक्के सड़क मार्गों से जोड़ना

महोदय,

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धित नियमों के नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र पंचतीर्थ के नाम से भी विख्यात है, जहां पर हर गांव एवं हर पहाड़ी में मंदिर स्थित है, जो लोगों की आस्था का केन्द्र है। मैं आपके माध्यम से सिवाना क्षेत्र के निम्न धार्मिक स्थलों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने की सरकार से मांग रखता हूं।

1. अन्नपूर्णा माताजी मंदिर, भवड़ेश्वर महादेव मंदिर को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु अन्नपूर्णा सम्पर्क सड़क से माताजी के मंदिर तक।
2. बालियाना गांव से पिपलेश्वर महादेव मंदिर तक।
3. डण्डाली गोयणा सम्पर्क सड़क से अमरनाथ महादेव मंदिर तक।
4. पातो का वाड़ा से महाकालेश्वर मंदिर तक।
5. धीरा पादरू सम्पर्क सड़क से शिववाड़िया मंदिर तक।
6. देवन्दी सम्पर्क सड़क मार्ग से भीड़भजन महादेव मवड़ी तक।
7. फूलण से जरिया महादेव मंदिर तक।
8. बालू से कोलरवाला हनुमानजी तक।
9. सेला गांव से झण्कली माताजी मंदिर तक।
10. मांगी गांव से खन्डरी माताजी मंदिर तक।

11. रेलों की ढाणी से नारेली माताजी मंदिर तक।
12. रमणिया धीरा सम्पर्क सड़क से घेरालिया महादेव मंदिर तक।
13. गोदों का वाड़ा सम्पर्क सड़क से खरंटिया महादेव मंदिर तक।
14. भाटा गांव से गोगाजी का धोरा मंदिर तक।
15. सम्पर्क सड़क अन्नपूर्णा गोरमी प्याउ से मामाजी के थान तक।
16. खाखरलाई गांव से कुसीप वाले माजाजी के थान तक।
17. मेली गांव से महराज के धुणा तक।
18. देवड़ा बामसीन फाटक से दुदेश्वर महादेव मंदिर तक।
19. होडू गांव से चामुन्डा माताजी मंदिर तक।
20. इन्द्राणा कल्याण सिंह जी की ढाणी सम्पर्क सड़क से पीपलीया महोदव तक।
21. पादरड़ी खुर्द से नागणेची मंदिर तक।
22. कम्मो का वाड़ा से सेवाली हनुमानजी मंदिर तक।
23. राखी गांव से मामाजी के थान तक।
24. सावंरड़ा से खेतला जी के थान तक।
25. मांगी से खोवलिया दाता महादेव तक।
26. कांखी गांव से नारेली माता जी के मंदिर तक।

अत: सिवाना विधान सभा क्षेत्र के उक्त धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ करने वाले भक्तों की सुविधा के लिए धार्मिक स्थानों पर डामर सड़कों का निर्माण करवाकर सिवाना विधान सभा क्षेत्र की जनता के हितार्थ प्रस्ताव रख रहा हूं।

हमीरसिंह भायल
(सिवाना)

विजयनगर (मसूदा) में सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्स.ईएन. सर्किल की स्थापना

महोदय,

मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग में दो ए.ईएन. के पद रिक्त हैं व एक्स.ईएन भी दो जगह ब्यावर व केकड़ी लगते हैं। इसके कारण विधान सभा क्षेत्र में न तो सड़कों के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं व न ही पुरानी सड़कों की मरम्मत हो रही है जिससे आम जनता में भारी परेशानी है।

अत: आप तीनों ए.ईएन. सर्किल का एक ही एक्स.ईएन. सर्किल विजयनगर बनायें जिससे प्रभावी नियोजन व कार्यवाही हो सके व मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

श्रीमती सुशील कंवर
(मसूदा)

टोंक में क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही लोक महत्त्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की अधिकतर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं जिनमें मुख्य रूप से टोंक -लहन-पालड़ा रोड़ जिसकी कुल लम्बाई 11 किलोमीटर है। जिसमें से 7 किलोमीटर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं जिस पर डामर का कार्य पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ है। इस रोड पर ओवर लोडेड ट्रकों के बजरी परिवहन के कारण सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है।

इसी प्रकार चिरोंज- मण्डावर रोड की कुल लम्बाई 17 किलोमीटर है एवं सम्पूर्ण सड़क ही ओवर लोडेड ट्रकों के बजरी परिवहन के कारण पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है तथा इस सड़क पर आने वाले ग्राम जैसे चिरोंज, भांची, देवली (ग्राम पंचायत) कीरों के झोंपडे, ढाणी मुख्तारनगर, मण्डावर (ग्राम पंचायत) सीतारामपुरा के लागों को आवागमन में अत्यधिक असुविधाओं का

सामना करना पड़ रिहा है। यह सड़क वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनाई गई थी।

टोंक से गेलोद रोड ओवर लोडेड ट्रकों के बजरी परिवहन के कारण पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है तथा बीसलपुर बांध से छोड़े गये वर्षा के पानी के कारण बनास नदी में टोंक से गलोद जाने वाले रास्ते पर बनाया गया रपटा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। उपरोक्त सड़क मार्ग पर सआदत चिकित्सालय, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ईदगाह, सआदत पेवेलियन, आर.ए.सी. की नवीं बटालियन का कार्यालय, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास, श्मशान घाट आदि स्थित है तथा लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन हैं कि इन क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण, मरम्मत करवाई जावें।

धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

अजीत सिंह
(टोंक)

शैक्षणिक व एसटीसी दस्तावेजों के आधार पर एक ही नाम से दो व्यक्तियों द्वारा अध्यापक की नौकरी किया जाना

महोदय,

एक ही व्यक्ति के शैक्षणिक व एसटीसी दस्तावेजों को आधार बनाकर एक ही नाम से दो व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न जिलों में अध्यापक की नौकरी करने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केराल शिवगंज जिला सिरोही में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति पाकर वर्ष 1990 में जिला अजमेर के बड़गांव में अपना तबादला करवाने के उपरान्त वर्तमान में जिला अजमेर के ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटलिया में रज्जाक मौहम्मद पुत्र इमाम बक्स अध्यापक के पद पर सेवारत चले आ रहे हैं।

एक अन्य व्यक्ति अपना स्वयं का नाम रज्जाक मौहम्मद पुत्र इमाम बक्स माही गेट नागौर का पता देकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटलिया में हाल कार्यरत अध्यापक रज्जाक मौहम्मद पुत्र इमाम बक्स के

शैक्षणिक दस्तावेज लगाकर वर्ष 1988 में पंचायत समिति नागौर जिला नागौर में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर फर्जी तरीके से नौकरी करता रहा। जैसे ही इनके फर्जीवाड़े की कुछ शिकायतें सरकार व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुई तो इन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी व शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मदद लेकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भदवासी जिला नागौर के तहत पंचायत समिति, नागौर में अगस्त, 2015 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन किया और आनन-फानन में इनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को दफ्तर दाखिल करते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने दिनांक 17 सितम्बर, 2015 को इनकी स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकार करते हुए इन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त देय समस्त आर्थिक लाभ, बीमा, जीपीएफ का भुगतान करवा दिये गये और पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान भी करवा दिया गया।

अत: निवेदन है कि प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुऐ सम्पूर्ण फर्जीवाडे की गहन जांच उपरान्त दोषियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए फर्जी अध्यापक द्वारा वेतन के रूप में आहरित किये गये राजकोष के करोड़ों रुपयों की वसूली की जावे। इसके साथ ही फर्जीवाड़े में प्रथम नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक इनकी मदद करने वाले विभागीय कर्मचारी एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

दर्शन सिंह

(करौली)

कोटा में विधायक कोष के कार्य समय पर पूरा न होना

महोदय,

मै राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान जनहित के एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक निर्वाचित हो जाने के बाद जो फण्ड जनहित के कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाता है जिसका उद्देश्य जनता से जुड़े हुए आवश्यक कार्यों को अतिशीघ्र पूरा करवाना होता है। लेकिन कोटा में विधायक कोष से अनुशंषित कार्यों के लिए जिन-जिन विभागों को कार्यकारी एजेन्सी बनाया जाता है। वे इन कार्यों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा लापरवाही नगर निगम, कोटा द्वारा बरती जा रही है। विधायक कोष से स्वीकृत जिन-जिन कार्यों में कार्यकारी एजेंसी नगर निगम

को बनाया जाता है प्रशासनिक स्वीकृति आ जाने के बाद उनके एस्टीमेट समय पर तैयार नहीं होते। तकनीकी स्वीकृति आने में 6-6 महीने तक लग जाते है एक कार्य के आरम्भ में 1 साल तक लग जाता है।

वर्ष 2015-16, 2016-17 में कोटा शहर के सभी माननीय सदस्यों ने अपने विधायक कोष से 229 अनुशंसाओं में नगर निगम, कोटा को कार्यकारी एजेंसी बनाया। जिसमें से 65 कार्य अभी तक शुरू ही नहीं हुए हैं, 31 कार्य अभी भी अधूरे हैं। विगत 3 वर्षों में कोटा जिले के सभी माननीय सदस्यों ने कुल 36 करोड़ 95 लाख रुपये के 1125 कार्यों की अनुशंसा की। जिनमें से केवल 16 करोड़ 34 लाख 17 हजार के कार्य ही हो पाये, यानी आधे से भी कम। अध्यक्ष महोदय, जिस सुस्त रफ्तार से विधायक कोष के कार्य हो रहे हैं उसके हिसाब से 5 साल होते होते आधे कार्य भी पूरे होना संभव नहीं है।

कोटा में अधिकारियों ने विधायक कोष की अनुशंसाओं का मजाक बनाकर रख दिया। विधायक कोष से अनुशंषित कार्यों की मॉनीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे अधिकारियो को कोई भय नहीं है।

नगर निगम ने ठेकेदारो के साथ मिलीभगत कर घटिया निर्माण करवा दिया, कई निर्माण समय पूर्व ही जर्जर हो गये हैं।

ये अत्यन्त गंभीर विषय सभी माननीय सदस्यो से जुड़ा हुआ है। इसलिये विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों की समय-समय पर मॉनीटरिंग करने की व्यवस्था बनाये, कार्य करवाने और स्वीकृति जारी होने की समय सीमा निर्धारित की जाये।

अत: मेरा आपके माध्यम से स्वायत शासन मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान देकर विधायक कोष के कार्यों को समय पर पूरा करने की व्यवस्था बनायें और विधायक कोष के कार्यों को समय पर पूरा न करने और घटिया निर्माण करवाने वाले नगर निगम कोटा के अधिकारियो की जांच कर कार्यवाही की जाये।

संदीप शर्मा

(कोटा दक्षिण)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

1. ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट के तहत कोटा जिले में कृषि निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. प्रदेश में जंगली जानवरों और नील गायों से किसानों की फसलों को बचाने के लिए चारदीवारी/तारबंदी के निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. प्रदेश में किसानों को ग्रीन हाउस व पोलीहाउस के निर्माण हेतु दिये जाने वाले अनुदान के लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर किसानों को राहत दिलवाने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।
4. कृषि महाविद्यालय, कोटा में रिक्त पदों को भरकर शैक्षणिक कार्य आरम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

5. प्रदेश में आवारा पशु एवं रोजड़ों से फसलों को बचाने के लिए किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अन्तर्गत काश्तकारों को बीमे का लाभ जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित वित्त-मान के अनुसार देने, फसल बीमे के लिए निश्चित पूरा समय देने एवं उक्त योजना में अधिकतम हैक्टर भूमि की सीमा निर्धारित नहीं होने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 7 हैक्टर भूमि की सीमा निर्धारित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत चामू मुख्यालय पर गौण कृषि मण्डी यार्ड एवं समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि

(श्री बाबू सिंह)

पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में किसान सेवा केन्द्र एवं भू-अभिलेख सूचना केन्द्र से वंचित ग्राम पंचायतों में उक्त केन्द्र स्वीकृत कर भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर में नवीन सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

10. प्रदेश के कृषकों को खेती का कार्य करते हुये दुर्घटना कारित होने एवं मृत्यु होने पर राज्य सरकार की घोषणा अनुसार 5 लाख रुपये के मुआवजे के स्थान पर 2 लाख रुपये ही दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़/सीकर में अवस्थित मिट्टी पानी परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा प्रभावी रूप से कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. प्रदेश के किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं दिये जाने एवं मूंग की खरीद का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़/सीकर में मंडी यार्ड की जमीन उपलब्ध होने के बावजूद चारदीवारी निर्माण का ऋण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

14. प्रदेश में कृषकों को सब्जियों एवं अन्य जीन्सों (बीजों) के भाव निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र भीम में जंगली जानवरों (रोजड़ों) से फसलों की सुरक्षा हेतु तारबंदी या पत्थरों की दीवार बनाने का कार्य मनरेगा कार्य योजना से जोड़े जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हरिसिंह रावत)

16. विधान सभा क्षेत्र भीम में 2009 से लम्बित चल रहे कृषि कनेक्शनों को ध्यान में रखते हुए सोलर ऊर्जा पम्प का कोटा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र भीम में कृषकों को पोलीमर ग्रीन हाउस को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. प्रदेश में कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत जंगली जानवरों (रोजड़ों) द्वारा किये गए नुकसान की राशि बीमा योजना से दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

19. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत ग्राम हिंगी तह. सांगोर में उजाड़ नदी पर एनिकट निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत ग्राम चन्द्रावला तह. दिगोद में चामला खाल पर एनिकट निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कोटा/ दिगोद उपखण्ड मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

22. प्रदेश में आवारा गायों एवं पशुओं से कृषकों की खेती बचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. प्रदेश में रोजड़ों (नील गायों) एवं अंग्रेजी बबूल से खेती को बचाने के लिए अंग्रेजी बबूल को उखाड़ने का जन अभियान शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

24. विधान सभा क्षेत्र वैर में फूड प्रोसेसिंग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र वैर के किसानों के ऋण माफ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

26. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि सेवा केन्द्र/कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. सिवाना मुख्यालय पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्तमान रबी की फसलों में बेमौसम बरसात से जीरा की खराबी होने पर किसानों को राहत दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जैविक खेती हेतु प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. प्रदेश में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में पोस्टमार्टम या एफ.आई.आर. पंचनामा किसी एक को आधार मानकर सहायता राशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

31. जिला सिरोही के कृषि विभाग कार्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में मूंगफली की भरपूर पैदावार से सरकार द्वारा मूंगफली खरीद केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. सिरोही जिले में कृषि कुओं पर रोजड़े, नीलगाय, जंगली सुअरों द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में टमाटर की अत्यधिक पैदावार होने पर सरकार द्वारा उचित भाव दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के उपखण्ड मुख्यालय पर कृषि मण्डी खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

36. विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला जोधपुर में कृषि पर्यवेक्षकों एवं अन्य

(श्री जोगाराम पटेल)

अधिकारियों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने एवं उपखण्ड मुख्यालय कस्बा लूणी पर सहायक कृषि (विस्तार) कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य करते समय किसी काश्तकार की मृत्यु होने या दुर्घटना होने पर उसके द्वारा या उसके परिजनों द्वारा निर्धारित समयावधि में वाजिब कारणों से क्लेम प्रस्तुत नहीं करने पर उसे समयावधि के तकनीकी आधार पर रिजेक्ट नहीं करने व समय अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला जोधपुर के झंवर एवं डोली में कृषि प्रयोगशाला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र लूणी के परिक्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों में अनाज भण्डारण केन्द्र बनाने व काश्तकारों को उचित मूल्य दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र लूणी के काश्तकारों के गांवों से मण्डी तक अपनी उपज को बेचने हेतु आने-जाने के लिए मण्डी द्वारा सड़कों के निर्माण व रख-रखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (टोडाभीम):</u>

41. कृषि मण्डी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में किसानों की फसल का सरकारी लेबोरेट्री में जांच कराने हेतु सचिव, मंडी समिति को पाबन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. सचिव, कृषि मण्डी समिति द्वारा किसानों को उचित मूल्य पर सरसों की फसल का भुगतान नहीं कराकर दलालों के माध्यम से फसल की खरीद कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. प्रदेश में फार्म पोण्डों के टार्गेट बढ़ाये जाने एवं योजना का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. प्रदेश में किसानों को कृषि उपकरण में कम्पनियों द्वारा किये जा रहे घोटाले की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

45. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रोजड़ी कृषि फार्म में जैतून की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. बरोर कृषि फार्म अनूपगढ़ में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. प्रदेश में कृषि डिग्गियों का अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

48. प्रदेश की कृषि उपज मण्डी द्वारा नई सड़कें बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. प्रदेश में ओला वृष्टि से नष्ट फसल का उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम पावटा में गौण मण्डी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

52. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. प्रदेश के किसानों को कीटनाशक उपयोग के बारे में उचित प्रशिक्षण व सस्ती दर पर खाद-बीज दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

55. विधान सभा क्षेत्र फलौदी मुख्यालय पर उप जिला स्तर कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पब्बाराम)

56. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी के समस्त रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कृषि विज्ञान केन्द्र के भवन का निर्माण एवं स्टाफ की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कृषि की नई तकनीकों की जानकारी कृषकों तक पहुंचाने के लिए संगोष्ठी/सेमीनार/रात्रि चौपालों का आयोजन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र फलोदी में कृषि विज्ञान केन्द्र फलोदी को आवंटित भूमि पर नलकूप निर्माण करवाकर कृषि की उच्च तकनीकी ज्ञान हेतु अनुसंधान कार्य आरंभ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):

60. प्रदेश में कृषि कार्यों में और सुधार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

61. प्रदेश के किसानों की कृषि उपजों की लागत की शुद्ध गणना 500 फीट गहराई की ट्यूबवैल से सिंचाई के आधार पर करके लाभांश जोड़कर समर्थन मूल्य का निर्धारण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. प्रदेश के किसानों की कृषि उपजों की बिक्री मण्डियों या बाजार में नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. प्रदेश में कृषकों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा राशि के आंकलन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. प्रदेश के किसानों को दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण को किसान को भूमि अनुरूप राशि दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुनलाल)

65. वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान (बजट) में किसानों को खाद बीज, बिजली, डीजल, पानी एवं कीटनाशक हेतु देय अनुदान राशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

<u>श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):</u>

66. कृषि विज्ञान केन्द्र बोरखेड़ा, कोटा में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

<u>श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास):</u>

67. प्रदेश में बीज वितरण समय का निर्धारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. प्रदेश में निर्धारित मानकों से अधिक कीटनाशक के उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. अलवर जिले में बीज वितरण केन्द्रों द्वारा बीज वितरण में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. अलवर जिले में नकली बीज की प्राप्त शिकायतों का निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):</u>

71. प्रदेश में किसानों को मृदा संरक्षण हेतु जिप्सम के लिए मिलने वाला अनुदान नहीं बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. प्रदेश के डार्क जोन क्षेत्रों में हॉर्टीकल्चर (बागवानी, उद्यानिकी) का लक्ष्य बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश के कृषि क्षेत्र में विविधता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम स्तर पर जैविक खाद बिक्री केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. प्रदेश में ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण हेतु मैनपॉवर के साथ सेन्टर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):</u>

76. विभाग द्वारा कृषि उपकरणों पर देय सब्सिडी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

77. विभाग द्वारा ग्रीन हाउस एवं अनाज भण्डारण यूनिट के लिये तय किये गये मापदण्डों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में उम्मेदगंज कृषि फार्म पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र बोरखेड़ा में आयोजित कृषि विज्ञान मेले में किसानों से हुये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर):

80. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सीयाणा ग्राम पंचायत में आरक्षित जमीन पर कृषि मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र आहोर में चना एवं सरसों के खरीद केन्द्र, आहोर में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

82. प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पोली हाउस व ग्रीन हाउस में किसानों को अधिक से अधिक अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. प्रदेश में समय-समय पर किसानों की फसलों में लगने वाले रोग के निदान के लिए संगोष्ठी एवं चौपाल प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र चौमू में 2 वर्ष पूर्व बजट घोषणा अनुरूप चौमूं में बीज डिपो नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर):

86. सीकर जिले में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रतन लाल जलधारी)

87. गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन केन्द्र, सीकर शहर में स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):</u>

88. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ (अज.) के किसानों को सुगम एवं सुलभ कृषि कार्यों में सहायतार्थ एक नवीन मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. कृषि उपज मण्डी समिति किशनगढ़ (अज.) में दलहन की विशेष मण्डी घोषित कर विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई (अजमेर) में नवीन गौण मण्डी यार्ड के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):</u>

92. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सहायक कृषि कार्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के किसानों को बीज, कृषि यंत्र और सौर ऊर्जा पर देय अनुदान की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. प्रदेश के किसानों को ड्रिप सिंचाई योजना की जानकारी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):</u>

96. श्री गंगानगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. प्रदेश में ड्रिप इर्रिगेशन, सौर ऊर्जा सिस्टम एवं डिग्गी निर्माण की अनुदान राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सोनादेवी)

98. प्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि बढ़ाने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में बीज निगम कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किसानों को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

101. प्रदेश में तहसील स्तर पर कृषि अधिकारी के पद सृजित कर मॉनिटरिंग कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दौसा जिले को दलहन के साथ गेहूं फसल से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. दौसा को नेशनल वेजिटेबल इनीसेटिव इन अरबन कलस्टर (NVIUC) योजना उद्यान विभाग से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. दौसा जिले में विभाग के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

105. आवारा पशुओं से खेत एवं फसल की सुरक्षा हेतु खेत की फैंसिंग कराने हेतु विशेष अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

106. राजस्थान में गेहूं की समर्थन मूल्य पर व्यापक खरीद नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. राजस्थान के प्रमुख कृषि उत्पाद मोठ, ग्वार एवं अन्य मोटे अनाजों के भाव तय न कराने व तयशुदा भावों को लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार से न बढ़वा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. राज्य सरकार द्वारा कृषि जिन्सों, जिनके लिए समर्थन मूल्य घोषित है, इसके बावजूद उन जिन्सों की समर्थन मूल्य में खरीद न किए जाने से कृषकों को होने वाले नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

109. राजस्थान सरकार को भारत सरकार द्वारा मूंगफली खरीदने पर सहमति 21.11.16 को प्रदान किये जाने के बाद भी राजस्थान सरकार द्वारा VAT व मंडी टैक्स वसूल न किए जाने की अन्डरटेकिंग न दिए जाने के फलस्वरूप सरकारी खरीद न किए जाने से किसानों के 400 से 600/- रु. प्रति क्विंटल का हुए नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

110. राजस्थान सरकार द्वारा मोटे अनाज की समर्थन मूल्य में खरीद न किये जाने व समर्थन मूल्य में खरीद किये जाने के सिद्धांत में निष्ठा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):

111. प्रदेश में कृषि को आधुनिक बनाने के लिए किसानों को समय-समय पर नवाचार का प्रशिक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. कूकर खेड़ा अनाज मण्डी, जयपुर के लम्बित दुकान आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिये।

113. फल-सब्जी मण्डी मुहाना (जयपुर) व गौण सब्जी मण्डी जनता मार्केट जयपुर में सफाई की व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

114. प्रदेश में फसल का समर्थन मूल्य लागत अनुपात में घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. जयपुर जिले में आंवला मण्डी बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

116. प्रदेश में परम्परागत खेती को बन्द कर नवाचार करते हुए फल, सब्जियां, फूल आदि केश क्रॉप के प्रति जागरूकता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

117. प्रदेश में अच्छे किस्म के बीज व पेस्टीसाईट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. कृषि की उपज बढ़ाने के लिए पशुओं से बचाव करने हेतु बाड़ निर्माण व करन्ट वाले कम वोल्टेज के तारों पर सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

119. सरकार द्वारा सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीद करने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. फव्वारा सिंचाई योजना को बढ़ावा देने के लिए डिग्गियों पर अनुदान बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़):

121. चित्तौड़गढ़ कृषि उपज मण्डी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

122. प्रदेश में नील गाय/रोजड़ों से प्रभावित क्षेत्रों के सभी वर्गों के कृषकों को खेत में तारबन्दी/मेड़बन्दी हेतु राशि स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

123. विधान सभा क्षेत्र मावली में कृषि मण्डी फतहनगर सनवाड़ से नवीन सड़क निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र मावली में कृषि प्रसार अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र मावली में किसान सेवा केन्द्र से वंचित पंचायतों के भवन निर्माण कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र मावली में कृषि विज्ञान सेवा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र मावली में नीलगाय से किसानों की फसल को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

128. उप तहसील बरवास जिला टोंक में सहायक कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र टोंक में कच्चे फार्म पोण्ड एवं कृषि यन्त्र तथा पाईप लाईनों पर देय अनुदान राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अजीत सिंह)

130. विधान सभा क्षेत्र टोंक में अलसी की खेती को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र टोंक में जैतून, खजूर एवं किनवा की खेती को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र टोंक में काश्तकारों को कुट्टी मशीन हेतु अनुदान बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

133. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कृषि महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कृषि कनेक्शन में जनजाति क्षेत्र को वरियता देने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कृषि क्षेत्र में खाद, बीज, उपकरण में अनुदान राशि बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

136. प्रदेश में कृषि की नवीन तकनीकी का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

137. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में नई सब्जी मण्डी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पंचायत हेडक्वाटर वार कृषि उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में फल-सब्जी मण्डी चिड़ावा की दूकान आवंटन के संबंध में चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कार्यरत कृषि मित्रों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि उपज मण्डी की सड़क बनवाने के संबंध में चर्चा केलिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

142. प्रदेश में कृषि को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाने से सुरक्षा हेतु किसानों को तार बन्दी पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. वर्ष 2017-18 के बजट में मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा मुख्य मंत्री बीज स्वावलम्बन योजना को सर्वप्रथम विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन से प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. इजरायली कृषि पद्धति राज्य में लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

145. देशी गायों के गोमय और गोमूत्र के सम्मिश्रण से बनी जैविक खाद के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. प्रदेश के किसानों को फसलों के विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की गणना के लिए पाला आदि पड़ने के तुरन्त बाद ही गिरदावरी पूरी पारदर्शिता के साथ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. प्रदेश में किसानों को जीरो बजट खेती के लिए प्रोत्साहित, प्रशिक्षित करने और कान्टेक्ट खेती के खतरों से समय रहते पूर्ण सजगता से अवगत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. प्रदेश मे रूफटॉप एग्रीकल्चर तकनीक के व्यापक प्रसार-प्रचार एवं अनुसंधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. सम्पूर्ण राष्ट्र में रायड़ा (सरसों) की सर्वाधिक पैदावार वाले राजस्थान प्रदेश के रायड़ा उत्पादक किसानों और आश्रित गतिविधियों के प्रोत्साहन, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदेश को रायड़ा उत्पादक राज्य घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

150. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशाला केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डॉ. फूल चन्द भिण्डा)

151. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कृषि मण्डी से नवीन सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में किसान सेवा केन्द्रों से वंचित पंचायतों के भवन निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कृषि माहाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

154. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में वेयर हाउस बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के बिदासर उपखण्ड कार्यालय स्तर पर कृषि उपज मण्डी-फल सब्जी मण्डी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. प्रदेश के अनु.जाति/अनु.जन जाति के व्यक्तियों को बीज-खाद एवं कृषि उपकरणों में अनुदान बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

157. सुजानगढ़ (चूरू) कृषि मण्डी में कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. प्रदेश में पोली हाउस, सेडनेट ड्रिप सिंचाई में अनु. जाति के अभ्यर्थियों का अनुदान बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

159. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में खातेदार एवं गैर खातेदार कृषकों को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

160. प्रदेश में कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

161. प्रदेश में कृषि आधारित उपकरणों में अनुदान एवं कृषि योजना की जानकारी काश्तकारों को देने के संबंध में चर्चा के लिये।

162. प्रदेश में कृषि की नवीन तकनीकी सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा):

163. जिला करौली में कृषकों को उचित मात्रा में यूरिया एवं डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्द किशोर महरिया (फतेहपुर):

164. प्रदेश में स्वयं के खेत में एवं एक ही खसरे में ट्यूबवैल खराब होने एवं मोटर फंस जाने पर नये ट्यूबवैल खोदने के नियमों के संबंध में चर्चा के लिये।

165. प्रदेश में सोलर पंप लगाने हेतु ट्यूबवैल 2011 से पहले का बना होने की शर्त को हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में मूंग खरीद केन्द्र नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में खरीफ की फसल के लिए गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र में रिक्त पदों को भरने व उसकी खराब स्थिति में सुधार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

169. प्रदेश में खेती को बढ़ावा देने के लिए काश्तकारों को अनुदान व सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

170. प्रदेश में किसानों की फसलों का बीमा नि:शुल्क करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

171. प्रदेश में कृषि कार्य करते हुए किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 20 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

172. प्रदेश में किसानों को बीज व खाद नि:शुल्क उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

173. प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):</u>

174. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कृषि विपणन बोर्ड या मंडी समिति द्वारा पूर्व में बनवायी गयी हरिपुरा से मांडेड़ा सड़क को पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कृषि मंडी द्वारा निर्मित हाइवे से श्यालावास तक अपूर्ण रही सड़क को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. बांदीकुई कृषि मंडी में पल्लेदार विश्राम गृह की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. बांदीकुई मंडी के प्लेटफार्म को छत सहित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. मंजू बाघमार (जायल):</u>

178. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) स्थित गौण कृषि मण्डी को प्रधान मण्डी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):</u>

179. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के नौगावां कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि केन्द्र को एग्रीकल्चर कॉलेज में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में कृषि अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा सही समय पर खाद एवं बीज का वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

181. प्रदेश में कृषि पर्यवेक्षक द्वारा अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वाह नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के बड़ौदा में सहायक कृषि निदेशक कार्यालय को पुन: बड़ौदा में खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हीरालाल (निवाई):</u>

183. विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड मुख्यालय निवाई पर सहायक निदेशक कृषि कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल)

184. विधान सभा क्षेत्र निवाई पीपलू के गांवों में फव्वारा पद्धति व ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र निवाई के उपखण्ड मुख्यालय पीपलू पर गौण कृषि मण्डी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

186. प्रदेश में किसानों के हित में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

187. प्रदेश में किसानों को खेतों में तारबंदी हेतु अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

188. प्रदेश में खरीफ एवं रबी की फसलों पर किसानों को दिये जाने वाले मिनी किट की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

189. प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य में काम आने वाले सभी उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

190. प्रदेश में किसानों की डिग्गियों पर अनुदान बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

191. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के कृषकों को रबी की फसल हेतु दिये जाने वाले मिनी किट समय पर उपलब्ध नहीं कराने से कृषकों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र कोलायत (बीकानेर) में कृषि विभाग के कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु डिग्गियों के निर्माण में विभाग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की राशि बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

194. प्रदेश में इंदिरा गांधी नदी परियोजना क्षेत्र के किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु सोलर स्प्रिंकलर संयंत्र पर अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री भंवरसिंह)

195. विधान सभा क्षेत्र कोलायत उपखण्ड मुख्यालय पर कृषि विभाग का उच्च स्तरीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

196. विधान सभा क्षेत्र बायतू (बाड़मेर) में कृषि उपज मण्डी खोलने की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र बायतू (बाड़मेर) में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

198. प्रदेश के बाड़मेर जिले में उन्नत किस्म का ईसबगोल तैयार करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

199. प्रदेश के बाड़मेर जिले में जीरा उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म का जीरा तैयार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर):

200. विधान सभा क्षेत्र नगर में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों के कारण हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र नगर में कृषि भूमि के सुधार के लिए कारगर योजना बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

202. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कृषकों का कृषि कनेक्शन दिए जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

203. प्रदेश के किसानों को उनकी कृषि उपजों का उचित भाव दिलाने व जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा हेतु तारबंदी के लिए अनुदान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

204. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में नई कृषि उपज मण्डी एवं नरैना में उप मण्डी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कृषि मण्डी के माध्यम से जैतपुरा से

(श्री निर्मल कुमावत)

लखोटा बालाजी सार्दुलपुरा से केदेवली, कोढी से हरनाथपुरा सड़कों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

206. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) के किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं दिये जाने व मूंग की खरीद का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) में जैविक खेती हेतु प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) में जंगली जानवरों और नील गायों से फसलों को बचाने के लिए चार दीवारी बनाने हेतु अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

209. प्रदेश में फसल बीमा के प्रावधानों के अनुसार हर फसल का सर्वे कराकर किसानों को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के उपखण्ड कार्यालय पर तहसील स्तर की भण्डारण व्यवस्था कराने और किसान द्वारा खुली बोली से मूल्य निर्धारित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

211. प्रदेश में किसानों का अनाज समर्थन मूल्य पर वर्ष भर खरीदे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

212. प्रदेश में आवारा पशुओं से किसान को मुक्ति दिलाने हेतु तारबंदी कराने के लिए मुआवजा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

213. प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद के संबंध में चर्चा के लिये।

214. प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

215. प्रदेश में किसानों की बिगड़ती स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक **पशुपालन एवं चिकित्सा** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन पशु उप केन्द्र खोलने, पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के नाथड़ाऊ, भूंगरा, शेरगढ़ व बालेसर में पशु चिकित्सालय भवन बनाने व क्षेत्र के भवन विहीन पशु चिकित्सा व उप केन्द्रों में नवीन भवन की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सा सहायक, पशु धन सहायक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

4. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में 06 ग्राम पंचायतों में एक भी पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
5. प्रदेश में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

6. विधान सभा क्षेत्र भीम में डेयरी संचालन के संबंध में चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र भीम में पशु चिकित्सकों एवं पशु धन सहायकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र भीम की सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री हरिसिंह रावत)

9. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

10. प्रदेश में पशु पालकों के पशु चोरी होने पर पशु बीमा योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

11. अलवर शहर के पशु चिकित्सालय में बीमार पशुओं को भर्ती कर उपचार किए जाने हेतु अशक्त स्थिति में बीमार एवं मृत पशुओं को आवारा कुत्तों एवं अन्य जानवरों द्वारा हानि पहुंचाये जाने की स्थिति के बचाव हेतु उपाय किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

12. प्रदेश में पशु पालन विभाग में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पशु चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

14. विधान सभा क्षेत्र वैर में पशु चिकित्सालय खोलने एवं पशु चिकित्सकों की भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

15. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नव सृजित पशु उप केन्द्रों के भवन निर्माण एवं पशु चिकित्सकों के पद स्थापन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र सिवाना का पशु उप केन्द्र-जठेन्तरी को क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पशु चिकित्सालय "अ" श्रेणी में बी.एस.ओ. का रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. प्रदेश में पशु चिकित्सा में मोबाईल यूनिट गठित कर पशु चिकित्सा के कार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हमीरसिंह भायल)

19. प्रदेश में पशुओं की संख्या को आधार मानकर समिति मुख्यालयों पर अच्छी नस्लों के सांड, घोड़ा, भैंसा, बैल, बकरा आदि रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

20. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पशु पालकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. जिला सिरोही की राजकीय पशु चिकित्सा इकाइयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े विभिन्न श्रेणी के पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. राजस्थान प्रदेश के पशु पालकों को अन्य प्रदेशों में पशु चराने के दौरान सुरक्षा-सुविधा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. प्रदेश में दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. प्रदेश में पशु पालकों को बीमा पॉलिसी में सरकार द्वारा सब्सिडी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंशाली (जोधपुर):

25. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के झालामण्ड एरिया, जोधपुर में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

26. विधान सभा क्षेत्र लूणी के उप खण्ड मुख्यालय पर स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय लूणी, झंवर एवं कैरू में पशुचल इकाई की स्थापना एवं पशु औषद्यालय सर व चौखा को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र लूणी में कार्यरत भवन विहीन पशु उप केन्द्रों, पशु चिकित्सालयों व औषद्यालय के लिए भूमि आवंटित करवाकर भवन निर्माण करवाने व मौजूदा भवनों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री जोगाराम पटेल)

28. विधान सभा क्षेत्र लूणी में विभिन्न पशु उप केन्द्रों, पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक, एल.एस.ए., वी.ए., वी.ओ. इत्यादि कार्मिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने एवं दवाईयां तथा पशुओं के बीमा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र लूणी के पशु चिकित्सालय पाल व दुन्दाड़ा को प्रथम श्रेणी में, पशु उप केन्द्र गुड़ा विश्नोईयान्, सालावास, लूणावास खारा, बोरानाडा को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्रामों में नवीन पशु उप केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

31. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पशुओं में खुरपका जैसी अनेकों बीमारियों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

32. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पशु चिकित्सालय के भवन मरम्मत एवं चार दीवारी निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पशु चिकित्सालयों व पशु उप केन्द्रों में रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नव सृजित पशु उप केन्द्र के भवन निर्माण का बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नई मंडी घड़साना पशु चिकित्सालय के भवन की मरम्मत एवं चार दीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

36. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. राज्य के पशुपालकों को देने वाले अनुदान की राशि में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री राजेद्र सिंह यादव)

38. जयपुर जिले में "ए" श्रेणी के पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. जयपुर जिले के कोटपूतली क्षेत्र में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

40. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में उप पशु चिकित्सा केन्द्र, लाखावास, दहीपुर, जोड़वास, सुरजवाड़ा, सातरू कागमाला, लाछीवाड़ के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पशु चिकित्सालय गांग के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक, पशुधन सहायक के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पशुओं की विभिन्न बिमारी की रोकथाम के लिए मोबाइल यूनिट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

45. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उप खण्ड मुख्यालय, फलौदी पर उप निदेशक, पशु पालन का कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में पशुओं की बीमारियों की जांच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में फलौदी मुख्यालय पर स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय (प्रथम श्रेणी) में पशु चिकित्सा अधिकारी का अतिरिक्त पद तथा लिपिक का पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री पब्बाराम)

48 विधान सभा क्षेत्र फलौदी में विभिन्न पशु उप केन्द्रों, पशु औषद्यालय, पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सक व अन्य कार्मिकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

49. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में दुग्ध उत्पादकों को अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. प्रदेश में पशु पालकों को उच्च नस्ल की देशी गायों को संरक्षण-संवर्धन हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराकर दुग्ध क्रांति को बढ़ावा दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालय जैतीवास, सम्बाड़िया, कालाऊना, मादलिया, मालावास, रावणियाणा, चांदेलाव, लोलावास में पशु स्वास्थ्य उप केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

52. प्रदेश में पशु धन बीमा योजनान्तर्गत पशु पालकों को भेड़ों का बीमा कर समय पर बीमित राशि का भुगतान कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में खारिया मीठापुर-बोंस्वा-भावी-पालासनी के पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

54. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):

55. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्रामों में राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्रामों में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

57. प्रदेश में 03 वर्षों के बछड़ों पर लगी रोक को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

58. प्रदेश में टाईटल के अभाव में गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

59. प्रदेश में विशेष कार्यक्रम चलाकर प्रत्येक गांव की गौशालाओं में गौ वंश का संरक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. नागौर जिले के प्रत्येक पशु चिकित्सालय में FM II CP कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु Cold Chain/फ्रीज की बिजली कनेक्शन के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में भवन रहित पशु चिकित्सालयों एवं पशु उप केन्द्रों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

62. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के पशु चिकित्सालय खातौली, अयाना, ककरावदा व कोटडादीपसिंह को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में नि:शुल्क पशु दवा योजना के तहत वितरित की जाने वाली दवाईयों के संबंध में चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पशुओं की बीमारियों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

66. विधान सभा क्षेत्र आहौर में हरजी एवं आहोर के पशु चिकित्सक एवं पशुधन सहायक के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

67. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम-आठरी, विजयसिंहपुरा (समरपुरा) सीगोद कलां में पशु उप केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम-मोरीजा, हाडोता, लोहरवाडा पशु उप

(श्री रामलाल शर्मा)

केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सभी पशु चिकित्सालयों में पशुओं की दवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पशु चिकित्सालय गोविन्दगढ़ के पॉली क्लिनिक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर):

71. विधान सभा क्षेत्र सीकर में पशुओं की देख-रेख एवं सार-संभाल हेतु पशु सहायता केन्द्र एवं पृथक् से नन्दीशाला की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र सीकर में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने एवं वर्तमान में चल रहे पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

73. अजमेर संभाग मुख्यालय पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. किशनगढ़ उप खण्ड मुख्यालय पर स्थित राजकीय “अ” श्रेणी पशु चिकित्सालय में पशु शल्य चिकित्सक का पद स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित पशु चिकित्सा उप केन्द्र ढसूक प.स. अरांई एवं टिकावड़ा प.स. किशनगढ़ को पशु चिकित्सालय में तथा सलेमाबाद प.स. किशनगढ़ एवं छोटालांबा प.स. अरांई स्थित पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित भवन विहीन पशु चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन निर्माण कराने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में जनसंख्या मापदण्डानुसार नवीन डेयरी बूथों

(श्री भागीरथ चौधरी)

की स्वीकृति कर आमजन को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

78. अस्ट्र विकास योजना अन्तर्गत कोटा जिले में ऊंटों को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ग्राम मदनपुरा, जुल्मी, घाटौली, कुकडाखुर्द, अरनियाकलॉ, पीपाखेडी, सातलखेडी में स्वीकृत पशु उप केन्द्रों पर स्टाफ की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में खेडारूद्वा व खीमच में नवीन पशु उप केन्द्र के संबंध में चर्चा के लिए।

81. रामगंजमण्डी तहसील हेतु पृथक् से मुख्यमंत्री पशु चल निरोग्य इकाई की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

83. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के करड़वाली, खाटा, सुखचैनपुरा व सरदारपुरा बीका में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम 12 जीबी, 15 जीबी, 7 जीबी, 10 सरकारी, 74 जीबी एवं 30 एवीडी में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

85. जिला चिकित्सालय दौसा में ट्रोमा यूनिट में सी.आर्म मशीन ओ.टी. टेबिल, डिजीटल सोनोग्राफी, एक्स रे एवं सर्जरी हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र दौसा में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय लवाण के भवन की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

87. विधान सभा क्षेत्र दौसा के पशु उप केन्द्र भांकरी, कालोता, सिंगवाड़ा, चावण्डेडा, तीतरवाडा, खानपुरा, बडागांव के नवीन भवन के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):</u>

88. राज्य में स्थित 17 लाख हेक्टर भूमि जो चारागाह व गोचर दर्ज है, उसके विकास पूर्ण रूप से नजरअंदाज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में पशु चिकित्सालयों व पशु उप केन्द्रों में पर्याप्त डॉक्टरों व सहायक कर्मचारियों को तत्काल पद स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):</u>

90. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के राजकीय बहुउद्देशिय पशु पालन चिकित्सालय न्यू कॉलोनी के भवन की नीलामी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

91. जयपुर के पुरानी बस्ती राजकीय पशु चिकित्सालय में और सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):</u>

92. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के उप तहसील बडियाल कलां (बसवा) में पशु उप केन्द्र को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में ऑपरेशन थियेटर मय एक्स रे सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के पशु उप केन्द्र ग्राम पंचायत गुल्लाना, पूदरपाडा, आभानेरी एवं चांदेरा को क्रमोन्नत के संबंध में चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के सभी पशु उप केन्द्रों की बाउण्ड्री निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

96. प्रदेश में मछली पालन व्यवसाय को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. प्रदेश में पशुओं के लिए हरे चारे के लिए नई तकनीक अपनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में भेड़, बकरियों की नस्ल सुधार के साथ बीमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. प्रदेश में गाय और भैसों के लिये अच्छी नस्ल के सांड तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. प्रदेश में पशु पालन के महत्व को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़):

101. जिला पशु चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में 02 पशु रोगी वाहन स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

102. विधान सभा क्षेत्र मावली में संचालित पशु उप केन्द्र के भवन निर्माण कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र मावली में पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र मावली में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र मावली में पशु चिकित्सकों के लम्बे समय से पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र मावली में पशु चिकित्सा एम्बुलेंस, पशु चिकित्सालय में एक्स रे मशीन एवं अन्य शल्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

107. पशु चिकित्सालय, टोंक में मोबाईल यूनिट के साथ ऐम्बूलेंस उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र टोंक में पशुधन सहायक के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र टोंक में भवन विहीन पशु चिकित्सा केन्द्र/उप केन्द्रों हेतु भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

110. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उन्नत नस्ल के पशु जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशु शेड की स्वीकृति राशि बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशु टीकाकरण कराने के लिए प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के समस्त रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

115. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के विभिन्न पशु उप केन्द्रों व चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम डाडा फतेहपुरा सहित जिला पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में नये स्वीकृत पशु उप केन्द्रों के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम बबाई स्थित दुग्ध डेयरी को सुचारु रूप से चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):</u>

119. प्रदेश में गौशालाओं में अच्छी नस्ल के सांड नि:शुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर डॉक्टर लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के पशु चिकित्सालय जवाली को क्रमोन्नत कर प्रथम श्रेणी चिकित्सालय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):</u>

122. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में चिन्हित भूमि पर अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. प्रदेश के पशु पालकों को देशी गाय की नस्लों यथा: थरपारकर, राठी, कांकरेच, रेन्डी आदि को खरीदने के लिए खरीद सब्सिडी, शून्य ब्याज ऋण, पशु बीमा को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. मनुष्य मात्र के लिए अन्न उपलब्धता के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की तर्ज पर प्रदेश के गौवंश की रक्षा के लिए पशु आहार यथा: ग्वार, जौ, खल, बाजरी आदि के भावों पर नियन्त्रण की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. प्रदेश में देशी नस्ल की गायों के लिए गौ-संवर्धन केन्द्रों की स्थापना करने और सरकारी अनुदान प्राप्त कर रही गौशालाओं में देशी नस्ल की गायों के संवर्धन के मानकों की पालना अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. प्रदेश में गोचर भूमि का लैण्ड बैंक बनाकर विभिन्न विभागों की संयुक्त कार्य योजना को जनसहयोग से लागू कर गोचर भूमि पर देशी उन्नत किस्म की घास के नि:शुल्क चारागाह विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):</u>

127. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नवीन पशु उप केन्द्र खोलने, पशु

(डॉ. फूल चन्द भिण्डा)

उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पशु चिकित्सा केन्द्र के लिए पशु एम्बूलेंस उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में भवन रहित पशु चिकित्सा केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पशुपालकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पंजीकृत गौशालाओं को समय पर अनुदान व सुविधाएं देने एवं पशु चिकित्सा केन्द्रों पर दवाईयां व चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

132. प्रदेश में गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

133. प्रदेश में कृषकों को पशु पालन हेतु अनुदान बढ़ाने एवं बैंक ऋण की सीमा राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. प्रदेश में नि:शुल्क पशुओं का बीमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के बीदासर उप खण्ड में चल इकाई पशु चिकित्सक लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. सुजानगढ़ शहर के पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

137. विधान सभा क्षेत्र खैरवाडा में पशु पालकों को उन्नत नस्लों के पशु उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र खैरवाडा में प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री नाना लाल अहारी)

139 विधान सभा क्षेत्र खैरवाडा में पशुपालकों को उत्तम किस्म के पोषाहार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र खैरवाडा में पशु पालन चिकित्सा इकाई में बधियाकरण, गर्भाधान, टीकाकरण एवं अन्य चिकित्सा सुविधा गांवों तक विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

141. प्रदेश की पशु धन जैव विविधता का विस्तार एवं मेवाड़ जैव विविधता पार्क उदयपुर को और अधिक विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रमेश (सपोटरा):</u>

142. जिला करौली में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):</u>

143. प्रदेश में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या के संबंध में चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में बड़ी पंचायतों में दो से तीन पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पशु चिकित्सक व कम्पाउण्डर्स के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पशु चिकित्सालय/उप केन्द्रों के भवन व चारदीवारी बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय/उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):</u>

148. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के संदर्भ में विद्यमान पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):</u>

149. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पशु उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

150. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में भवन रहित पशु उप केन्द्रों व पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

151. बांदीकुई में पशु पालन विभाग की चल इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. मंजू बाघमार (जायल):

152. विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्रामों में नवीन पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में पशु चल इकाई की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

154. बड़ी खादू (जायल) में लम्बे समय से रिक्त पड़े पशु चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र जायल में उप खण्ड मुख्यालय पर स्थित पशु चिकित्सालय में ऑपरेशन थियेटर व प्रयोगशाला की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र जायल में पशु चिकित्सालय/पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र की चार दिवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

157. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम मोईकलां में पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के पशु उप केन्द्र अमृत कुआं, मण्डीता, श्यामपुरा, खाडिया, मण्डाप, भाण्डाहेडा, मामोर, ढ़ोरी, कुराड़, कोटसुवां, डुगरज्या में भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के राजकीय पशु चिकित्सालय धुलेट में भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. आदर्श ग्राम सांसद हरिपुरा ग्राम पंचायत ढोरी में पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

161. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पशु चल इकाई प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में नये उप पशु चिकित्सा केन्द्र एवं स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पशु चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारियों के संबंध में चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में उप पशु चिकित्सा केन्द्र एवं पशु चिकित्सा केन्द्र में समय पर दवाईया उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई):

165. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू की तहसील पीपलू के ग्राम गहलोद, खुरेडा, पासरोटिया, ज्वाली में नवीन पशु चिकित्सालय केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

166. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में चिकित्सालय के भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

167. भादरा उप खण्ड मुख्यालय पर स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय भादरा (प्रथम श्रेणी) में पशुओं की शल्य चिकित्सा की व्यवस्था करवाने एवं चिकित्सालय भवन की चार दीवारी का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र भादरा के विभिन्न भवन रहित पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सभी पशु चिकित्सालयों एवं औषद्यालयों में V.A. के पद स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र भादरा में विभिन्न पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद शीघ्र भरवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री संजीव कुमार)

171. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भँवरसिंह (कोलायत):

172. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में नंदी गौशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार बीकानेर में "गौ-अभयारण्य" खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के अन्तर्गत संचालित पशु उप केन्द्रों तथा पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व अन्य रिक्त पदों को नहीं भरने से क्षेत्र के पशु पालकों को होने वाली परेशानियों के संबंध में चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के भवन विहीन पशु उप केन्द्रों तथा पशु चिकित्सालयों के भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु उप केन्द्र तथा पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

177. प्रदेश में पशु एवं पशु पालकों का नि:शुल्क बीमा करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

178. प्रदेश में गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिमाह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

179. प्रदेश में बकरी पालन एवं नस्ल सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र बायतू पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक पशु चिकित्सा केन्द्र एवं प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सा केन्द्रों का भवन निर्माण कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

181. प्रदेश में पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए पशु पालकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर):

182. विधान सभा क्षेत्र नगर में पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सा केन्द्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र नगर में पिछले वर्ष स्वीकृत उप पशु चिकित्सा केन्द्र का भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र नगर में सुन्दरावली गांव के पशु चिकित्सा केन्द्र में दवाईयों के कम होने से हो रही समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र नगर में सीकरी उप तहसील में स्थित सेतल मंदिर की गौशाला में नंदी की पॉलीथीन से हुई मृत्यु की जांच व कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र नगर में पशु चिकित्सा व उप केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

187. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

189. विधान सभा क्षेत्र कपासन में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र/पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

190. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के पशु चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये पशु चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

192. प्रदेश में आवारा पशुओं एवं रोग ग्रस्त पशुओं की उचित व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

193. प्रदेश के पशुपालकों के हितों के लिए कारगर योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):</u>

194. प्रदेश में सूखे की स्थिति में पशुओं के चारे की व्यवस्था सुचारु रूप से करने की प्रभावी योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

195. प्रदेश में आपात स्थिति में मरने वाले पशुओं की सरकार के निर्धारित मूल्य में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. प्रदेश में पशु चोरी की रोकथाम की प्रभावी योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

197. प्रदेश में पशुओं व पशु पालकों का बीमा कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

198. विभाग में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 4

मांग संख्या 36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-36 मुख्य शीर्षक **सहकारिता** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

1. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों का त्वरित निस्तारण कर गबन हुई राशि की रिकवरी करने और दोषियों के विरुद्‌ध कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भवन विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सुचारू संचालन हेतु भवन एवं गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।
3. भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं नाबार्ड के मध्य दिनांक 14.11.2006 को हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति शेरगढ़ (तहसील मुख्यालय) एवं सेखाला में नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में मानदण्डों में शिथिलता प्रदान करते हुए हिस्सा पूंजी राशि 5 लाख के स्थान पर 2.50 लाख एवं सदस्यों की संख्या 500 के स्थान पर 250 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

6. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में क्रय-विक्रय सहकारी समिति के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

7. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सहकारी समितियां स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (भीम):</u>

8. विधान सभा क्षेत्र भीम में भूमि विकास एवं ग्रामीण बैंकों का विस्तार किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र भीम में ग्रामीण सेवा समिति प्रारम्भ किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

10. जिला राजसमन्द में सहकारी बैंक की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

11. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण बैंकों का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री शंकर सिंह (ब्यावर):</u>

12. प्रदेश में विभाग में नये सदस्य बनाकर निर्वाचन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भजनलाल जाटव (वैर):</u>

13. विधान सभा क्षेत्र वैर में नवीन सहकारी बैंक की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):</u>

14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में रबी के सीजन में दिये गये ऋण की वसूली दिनांक 31.3.2017 से बढ़ा कर 31.5.2017 किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. प्रदेश में फसलों के ऋण में बीमित कृषकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दिये जाने वाली भुगतान राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

16. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति से पृथक हुई नव गठित समिति की ऋण राशि वसूल किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

17. बाड़मेर में सहकारी समितियों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली की दिनांक 31.3.2017 से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हमीर सिंह भायल)

18. प्देश में सहकारी समिति में नये सदस्यों की साख सीमा स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जगसी राम (रेवदर):</u>

19. प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा किसानों को देय खाद-बीज व ऋण सीमा में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. प्रदेश में सहकारी समितियों की नियमित ऑडिट कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):</u>

21. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में झालामण्ड़ एरिया और माणकचौक में उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जोगाराम पटेल (लूणी):</u>

22. विधान सभा क्षेत्र लूणी में नव गठित ग्राम पंचायतों एवं अन्य सहकारिता से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र लूणी के कस्बा लूणी में सहकारी बैंक के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा पूर्व ऋणी सदस्यों के अतिरिक्त नये सदस्यों को ऋण स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम सेवा सहकारी दुन्दाड़ा, पीपरली, लूणी, धंवा, सालावास, जाणादेसर, खारा बेरा पुरोहितान इत्यादि के भवनों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (टोड़ाभीम):</u>

27. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के

(श्री घनश्याम)

माध्यम से किसानों को 1.50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

28. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना सहकारी समिति में बड़ा गोदाम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गोदाम विहीन सहकारी समितियों में गोदाम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

30. अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

31. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में किसानों की मांग अनुरूप उन्न्त खाद-बीज आदि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति जसवंतपुरा में क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में मृत पड़ी सहकारी समितियों को विशेष सहायता दी जाकर पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

36. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में सहकारी समितियों का पुनर्गठन कर सचिवों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नव गठित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पब्बाराम)

38. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नव गठित ग्राम सेवा सहकारी समिति सजनाणियों की ढाणी के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में उपखण्ड मुख्यालय फलौदी एवं बाप में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के भवन निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के नगरपालिका मुख्यालय फलौदी तथा बाप कस्बे में उपभोक्ताओं के लिए उपहार सुपर मार्केट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

41. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति बालासती में गोदाम निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के संबंध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की कृषक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों को उच्च गुणवत्ता के खाद, बीज, कीटनाशक एवं अल्पकालीन ऋण के उचित समय पर आपूर्ति नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अन्नपूर्णा भण्डार योजनान्तर्गत उचित मूल्य की दुकानें नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनावों में शिक्षा, स्वच्छता, संतान की शर्तें सदस्यों की योग्यता सम्मिलित कर चुनाव करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

46. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पदस्थापित व्यवस्थापकों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):

47. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में सहकारी सेवा समितियों के भवन व गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

48. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कार्यरत नई क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के लिये भवन व गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में भूमि विहीन ग्राम सहकारी समितियों के लिये भूमि की उपलब्धता करवाकर भवन व गोदाम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश में विभिन्न सहकारी बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण सीमा को प्रति बीघा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश में भूमि विकास बैंकों सहित समस्त सहकारी बैंकों से किसान पुत्रों को उच्च शिक्षा के लिये शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. जिला मुख्यालय नागौर में सहकारिता शोध संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

53. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में हो रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

54. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भवन एवं गोदाम निर्माण के लिये राशि जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. केन्द्रीय सहकारी बैंक सुल्तानपुर (कोटा) के नवीन भवन के लिये राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

57. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की समस्त ग्राम सहकारी समितियों में सभी सदस्यों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में शेष रही सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सहकारी समिति का गठन करने एवं शेष ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण की राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

59. उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ (अजमेर) में क्रय-विक्रय सहकारी समिति हेतु 2000 टन क्षमता का नवीन भण्डारण गोदाम निर्माण की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन पंचायतवार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई (अजमेर) पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्थापना करने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर सहकारी उपभोक्ता भण्डार का नवीन "सुपर स्टोर" खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. अजमेर सैंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की शाखा अराई (अजमेर) के नवीन भवन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

64. प्रदेश के किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, बीज समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. प्रदेश में सहकारी समितियों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की शेष ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

67. प्रदेश में समस्त ग्राम पंचायतों पर सहकारी गोदामों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

68. प्रदेश में सहकारी बैंकों को पर्याप्त अनुदान व सहायता राशि दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. प्रदेश में किसानों को देय ऋण राशि की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

70. विधान सभा क्षेत्र दौसा के लवाण क्रय-विक्रय सहकारी समिति को चालू कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र दौसा में को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा ऋण हेतु रहन के लिए 9 बीघा भूमि सीमा को हटाकर 6 बीघा से अधिक नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

72. दौसा नगर परिषद क्षेत्र में सुपर मार्केट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र दौसा में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अन्नपूर्णा भण्डार खोलने के लिए विभागीय पहल के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

74. राजस्थान के किसानों को गत वर्ष खरीफ में उपलब्ध कराये गये अल्पकालीन फसली ऋणों की राशि को इस वर्ष की खरीफ में 50 प्रतिशत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. राज्य सरकार के सहकारी विभाग की भारत सरकार द्वारा मूंगफली खरीद करने की सहमति दिये जाने के बावजूद मूंगफली न खरीद किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव द्वारा दिनांक 9.3.2017 को विधायक के मूंगफली खरीद के संबंध में भेजे गये पत्र में अण्डरटेकिंग दिये जाने के संबंध में असत्य कथन पर चर्चा करने के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल):

77. जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पुरानी तिथियों में पट्टे जारी करने, अंकेक्षण नहीं कराने पर भी इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

78. जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समितियों के पदाधिकारी द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने के आरोपों में बार-बार गिरफ्तार होने के उपरान्त भी इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. प्रदेश में नोटबन्दी के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा अनियमितता करने के उपरान्त भी इनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा सुविधा क्षेत्र में प्लाटों के पट्टे देने, मंदिर माफी की भूमि पर आवासीय योजनायें बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा सरकारी भूमि पर आवासीय योजनायें बनाये जाने के उपरान्त भी इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

82. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में सरसों व चना खरीद केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के अटल सेवा केन्द्रों में ग्रामीणों की सुविधा हेतु सहकारी बैंकों के ए.टी.एम. स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की उप तहसील बडियालकलां में नये को-ऑपरेटिव बैंक की शाखा खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

85. प्रदेश में कृषकों को सहकारी बैंकों से अधिक लोन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

86. प्रदेश में फर्टीलाईजर एवं पेस्टीसाईड का पर्याप्त भण्डारण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

87. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. प्रदेश में सहकारी बैंकों से लोन देकर कौशल विकास के भी कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में समर्थन मूल्य पर गेहूं, सरसों व चने के साथ सभी तरह के अनाज की भी खरीद सहकारी समितियों के माध्यम से कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री दलीचन्द डांगी (मावली):</u>

90. विधान सभा क्षेत्र मावली में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र मावली में नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ में वेयर हाऊस को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र मावली में सहकारी समितियों से पशुपालन हेतु ऋण उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र मावली में सहकारी समितियों द्वारा नये सदस्यों को ऋण न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र मावली में मादड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मादड़ी हेतु गोदाम एवं भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अजीत सिंह (टोंक):</u>

95. विधान सभा क्षेत्र टोंक में ग्राम पंचायत अरनियामाल में जी.एस.एस. के निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अमृतलाल (सलूम्बर):</u>

96. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सहकारी समितियों द्वारा खाद-बीज उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री अमृतलाल)

97. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर लेम्पस खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लेम्पसों के मार्फत ई-मित्र संचालन कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में क्रय-विक्रय समितियों में कार्यकारी निरीक्षक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के लेम्पसों में फसली ऋण, आदान-अनुदान भुगतान बैंकों के सहयोग से स्थानीय लेम्पस में कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

101. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में फसली ऋण पर दिये जाने वाली राशि को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कृषकों को दिये जाने वाले फसली ऋण की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में जलाई व सीमला तथा जसरापुर में नई सी.सी.बी ब्रांच खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. विभागीय सोच के अनुसार प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर जी.एस.एस. खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

105. मारवाड़ जंक्शन मार्केट द्वारा संचालक मण्डल की बैठक नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में नई क्रय-विक्रय सहकारी समितियां खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन हैडक्वार्टर पर कोल्ड स्टोरेज गोदाम खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):</u>

108. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में भवन विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सहकारी बैंक द्वारा समय पर ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में क्रय-विक्रय संघ केन्द्र स्वीकृत करने एवं भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में बीज गोदामों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की वंचित ग्राम पंचायतों में नवीन सहकारी समितियों के सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री खेमाराम (सुजानगढ़):</u>

113. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमान्त कृषकों को ब्याज में छूट दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री रमेश (सपोटरा):</u>

114. प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):</u>

115. प्रदेश में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

116. प्रदेश की सहकारी साख व्यवस्था को ग्रामीण स्तर तक विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सहकारिता लेम्पस खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. प्रदेश में उपभोक्ता हित संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़े कस्बों एवं पंचायतों में मार्केटिंग अनुभाग का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

119. प्रदेश में तीन लाख रुपये के के.सी.सी. पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. प्रदेश के काश्तकारों को अन्य बैंकों में के.सी.सी. नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में मूंग खरीद केन्द्र नहीं खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में वर्षों से बंद क्रय-विक्रय सहकारी समिति को पुनर्जीवित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में खाद-बीज की उपलब्धता एवं वितरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

124. प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों के पुत्रों को शिक्षा ऋण देने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जी.एस.एस. खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

126. प्रदेश में जी.एस.एस. भवनों का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

127. प्रदेश में को-ऑपरेटिव बैंक में ऋण सीमा बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. मंजू बाघमार (जायल):

128. विधान सभा क्षेत्र जायल मण्डी में मूंग खरीद केन्द्र पुन: प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

129. विधान सभा क्षेत्र सागोद में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र सागोद में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारी गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):</u>

131. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में बन्द पड़ी 15 जी.एस.एस. को पुन: प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में होलसेल भण्डार की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

133. अलवर जिले के अलवर शहर में अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों द्वारा भारी घोटाला करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में जी.एस.एस. पदाधिकारियों से गबन की राशि वसूल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के बड़ोदामेव कस्बे में को-ऑपरेटिव की ब्रांच की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हीरालाल (निवाई):</u>

136. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू की तहसील पीपलू के ग्राम बनवाड़ा में सहकारी गोदाम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री संजीव कुमार (भादरा):</u>

137. प्रदेश में किसानों को दो लाख तक बिना ब्याज ऋण वितरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

138. प्रदेश में सभी सहकारी समितियों पर किसानों को खाद-बीज एवं पेस्टीसाईड की व्यवस्था करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र भादरा में वंचित सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

140. प्रदेश में जी.एस.एस. पर कार्यरत व्यवस्थापकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

141. प्रदेश में जी.एस.एस. के व्यवस्थापकों को बैंक कर्मचारी घोषित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री भँवरसिंह (कोलायत):</u>

142. बीकानेर जिले की सभी मण्डियों में चना, सरसों, गेहूं व ईसबगोल

(श्री भंवरसिंह)

की दिनांक 01 अप्रैल, से समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

143. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. बीकानेर-कोलायत क्रय-विक्रय सहकारी समिति में से कोलायत को अलग कर कोलायत में नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की भवन/गोदाम विहीन सहकारी समितियों के गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. प्रदेश के किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से तीन लाख का कृषि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

147. प्रदेश में सहकार को जन-जन तक पहुँचाने के लिए सहकारी मेलों का आयोजन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

148. प्रदेश में सहकारी साख संस्थानों को कोर बैंकिंग स्थापित कर आमजन को सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

149. जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में वर्ष 2013 में नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों को किसानों को ऋण वितरित करने की सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र बायतू में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भवन एवं गोदाम निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर):

151. विधान सभा क्षेत्र नगर में क्रय-विक्रय समितियों में हो रहा भ्रष्टाचार को रोकने व अनियमितता की जाँच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र नगर में किसानों को ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती अनीता)

153. विधान सभा क्षेत्र नगर में सुन्दरातली व गंगातल पंचायत स्तर पर अलग जी.एस.एस. बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र नगर में पंचायत स्तर पर जी.एस.एस. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

155. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के किसानों की साख सीमा बढ़ाकर अधिक ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नई सहकारी समितियां खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

157. प्रदेश में ग्राम सहकारी समिति के माध्यम से सभी किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

158. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये गोदाम का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

160. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) में सहकारी समिति द्वारा किसानों को देय खाद-बीज व ऋण सीमा में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. प्रदेश में सहकारी समितियों की नियमित ऑडिट नहीं होने से उत्पन्न भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

162. प्रदेश में किसानों को ऋण समय पर देने के संबंध में चर्चा के लिये।

163. प्रदेश में सहकारी सोसायटी संस्था प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री मनोज कुमार)

164. प्रदेश में सहकारी समितियों के कर्मचारियों का लाभांश बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री नवीन पिलानिया (आमेर):</u>

165. प्रदेश में किसानों को देय अल्पकालीन फसली ऋण में कटौती करने के संबंध में चर्चा के लिये।